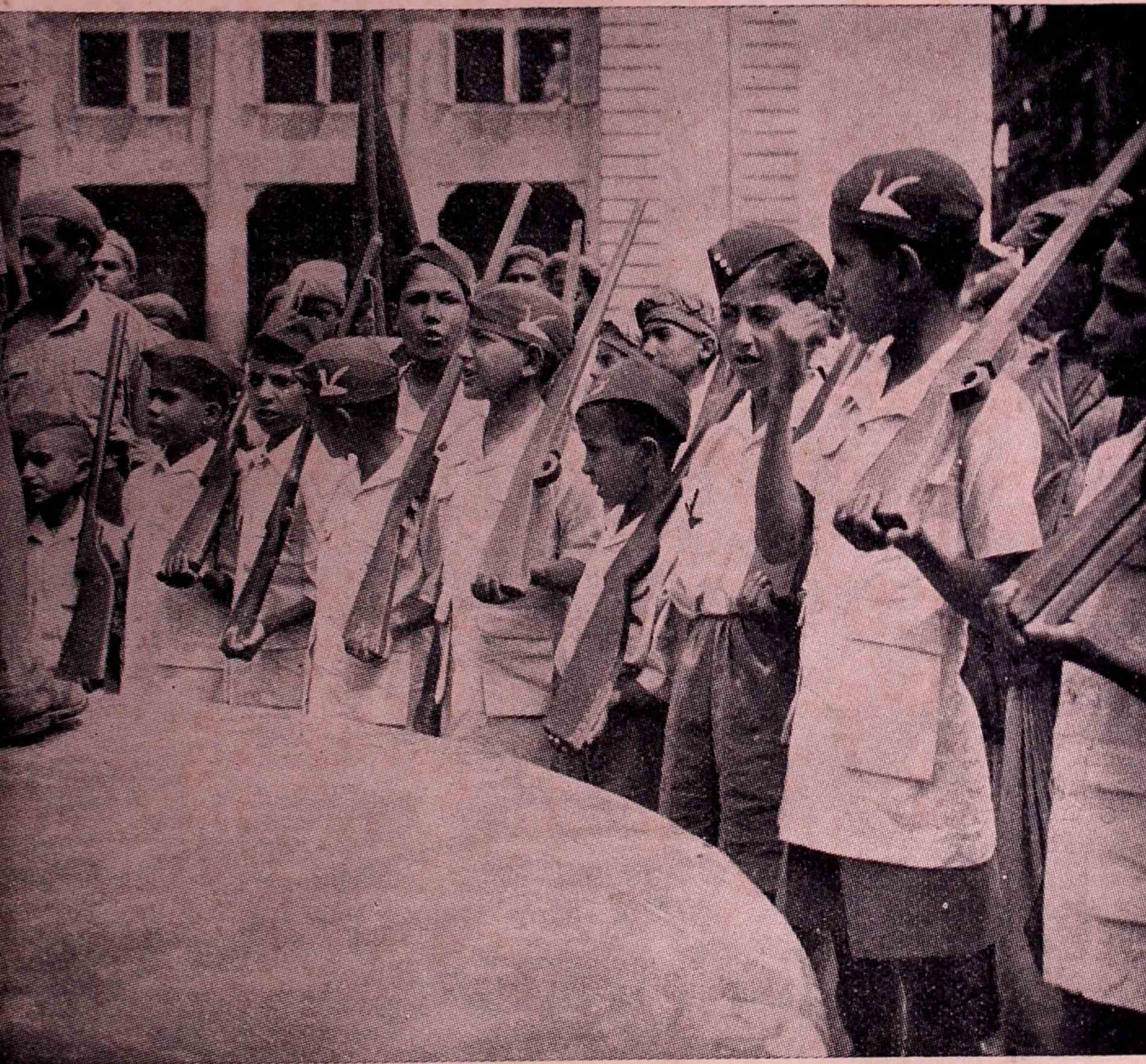
हमारा देश ही हमारा भविष्य है



बाल सैनिक

हमलावर हों खबरदार !
हम कश्मीरी हैं तैयार !!

के महाराजा ने २४ अक्टूबर १९४७ को प्रथम बार भारत से सहायता माँगी। अखिल जम्मू और काश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के सभापति शेरे काश्मीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने काश्मीर की ओर से भारत सरकार से सहायता माँगी। तथा इसी लिये २५ अक्टूबर की शाम को वे दिल्ली आए और रियासत के प्रधान मंत्री श्री मेहरचन्द महाजन भी महाराजा तथा काश्मीर सरकार की ओर से २६ अक्टूबर १९४७ को प्रातःकाल दिल्ली आए।

८९३१ भारत की प्रजातंत्रीय भक्ति

भारत सरकार ने काश्मीर के इस प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए काश्मीर निवासियों के नेता शेरे काश्मीर और प्रधान मंत्री श्री मेहरचन्द महाजन से विचार विनिमय किया। यह अन्तिम महत्त्वपूर्ण संकटमय समय था। कुछ ही और घंटों के विलम्ब का अर्थ तमाम रियासत को पाकिस्तान के लुटेरों और कबाइली हिंसक पशुओं के हाथ सौंपना था। अतः भारत सरकार ने बड़े सोच विचार के पश्चात् काश्मीरी जनता तथा सरकार दोनों की ओर से सम्मिलित रूप में सहायतार्थ दिया हुआ आवेदन २६ अक्टूबर १९४७ के दिन स्वीकार किया। किन्तु वह सहायता उसी अवस्था में भेज सकती थी जब कि रियासत भारत संघ में सम्मिलित हो जाए। ऐसी दशा में भारत सरकार ने काश्मीर के सम्मिलन को अस्थिर रूप में स्वीकार किया तथा यह घोषित किया कि स्थिति ठीक हो जाने पर जनता की राय मालूम करके रियासत को स्थिर रूप से भारत संघ में सम्मिलित करने का निर्णय किया जायगा। यह भारत के प्रजातंत्रवाद में प्रगाढ़ विश्वास का ज्वलन्त उदाहरण है।

८९४ भारतीय सेना काश्मीर में

काश्मीर को भारत संघ में सम्मिलित करने के पश्चात् भारत का यह कर्तव्य था कि वह उसकी रक्षा के लिये उपाय करता। चूंकि आक्रमणकारी बारामूला पर अधिकार कर लेने के कारण श्रीनगर से केवल ३० मील ही रह गए थे, अतः भारत सरकार ने हवाई मार्ग से सेना भेजने का प्रबन्ध

किया। २७ अक्टूबर १९४७ को ऊषाकाल में ही भारतीय फौजों का एक दस्ता काश्मीर घाटी को भेजा गया और भारत के सिपाहियों को लिये हुए कई वायुयान पहली बार सुबह के नौ बज कर दस मिनट पर पहुंचे। ये वायुयान सिपाहियों को लिए हुए श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरते, और वापस आते समय उन लोगों को अपने साथ ले आते थे जो भारत में आना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला उसी दिन प्रातःकाल दिल्ली से वापस काश्मीर आए और उन्होंने देश की रक्षा के लिये संकटकालीन सरकार बनाना स्वीकार किया। उन्होंने काश्मीर निवासियों से अनुरोध किया कि वे संगठन और वीरता के साथ आक्रमण का मुकाबला करें। नेशनल कांफ्रेंस के होम गार्ड श्रीनगर के बाजारों में पूर्ववत् घूम रहे थे और इस प्रकार लोगों को नैतिक बल प्रदान कर रहे थे।

बारामूला पर लुटेरों का पूर्ण आधिपत्य २७ अक्टूबर के अशुभ प्रभात में हुआ। भारत के मुट्ठी भर सिपाही श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने पूर्ण प्रबन्ध किये बिना ही शीघ्र बारामूला पहुँच कर आक्रमणकारियों की प्रगति को रोक दिया। अब काश्मीरी जनता की लड़ाई उन लुटेरों क साथ हो गई, जिन्होंने उनके देश पर हमला किया था तथा उनको गुलाम बना कर लूटना चाहते थे। काश्मीर की जनता की सहायतार्थ ही भारत की सेना थी, जो कि हवाई तथा स्थलीय दोनों मार्गों से काश्मीर पहुंच रही थी।

भारत के सिपाहियों ने नेशनल कांफ्रेंस के दस हजार स्वयंसेवकों तथा शेरे काश्मीर की संकटकालीन सरकार की सहायता से स्थिति को पूर्णरूप से नियंत्रित किया। स्थानीय प्लेडियम टाकीज में नेशनल काँफ्रेंस का केन्द्र स्थान (हेड क्वार्टर) स्थापित किया गया।

भारतीय सेना के जो ये थोड़े से सिपाही बारामूला पहुंचे, वे कबाइली लोगों के हथियारों से सुसज्जित होने के कारण तथा उनकी बहुसंख्या की वजह से बारामूला के स्थान से ६ मील पीछे हट गए। वह स्थान श्रीनगर से २६ मील की दूरी पर है। इस कार्य में इन सिपाहियों का नायक कर्नल राय (महावीरचक्र) कई अन्य सिपाहियों के साथ काश्मीर को बचाने के लिये पाकिस्तानी हिंसक जन्तुओं का शिकार हुआ।

८९५ लुटेरों का कानवेन्ट पर हमला

बारामूला पर अधिकार जमा लेने के पश्चात् लुटेरों ने यहाँ के कानवेन्ट (ईसाइयों का धार्मिक स्थान) पर हमला किया तथा यूरोपियनों को मारा। उन्होंने असिस्टेंट मदर सुपीरियर, एक अंग्रेज अफसर और उसकी पत्नी को जान से मार दिया तथा उनके बच्चों को अन्य २० अंग्रेजों के सहित कहीं गुम कर दिया।

८९६ लुटेरे काश्मीर घाटी में

अब लुटेरे अन्य मार्गों से काश्मीर घाटी में बढ़ते गए। इनकी बहु-संख्या ने भारतीय सिपाहियों को पट्टन के कस्बे की ओर पीछे हटने पर विवश किया। वह श्रीनगर से केवल १८ मील की दूरी पर है। यहाँ श्रीनगर कोहाला सड़क पर लुटेरों को पूर्ण रूप से रोक दिया गया। किन्तु रोकने के बावजूद वे इधर उधर बिखर गए। वे गुलमर्ग की तरफ आगे बढ़ते गए और बड़गाम के उत्तर में एक स्थान पर पहुंचे जो श्रीनगर के पश्चिम में केवल पाँच मील की दूरी पर है। इस तरफ लुटेरों की इस पार्टी की संख्या ७०० थी। कबाइलियों में महसूदी, वजीरी, अफरीदी और हजारा, मरी तथा रावलपिंडी के पाकिस्तान निवासी थे। वे काश्मीर की घाटी में अन्य दिशाओं में बिखर कर सुम्बल और गान्दरबल के प्रदेशों में पहुंच गए।

८९७ जम्मू के मोर्चे का श्रीगणेश

पाकिस्तान के लुटेरों ने जम्मू प्रान्त की सीमाओं के साथ साथ जो झड़पें इस समय तक की थीं, अब वे भयानक रूप धारण कर चुकी थीं। काश्मीर घाटी की लड़ाई के बीच लुटेरों ने जेहलम मीरपुर सड़क और गुजरात भिम्बर सड़क से जम्मू प्रान्त में प्रविष्ट होकर पुंछ, मीरपुर, कोटली, भिम्बर के प्रदेशों तथा अन्य ग्रामों पर हमला आरम्भ कर दिया। रियासत के सिपाही पाकिस्तान में से होकर हमले के लिये आए हुए और हथियार बाँधे हुए इन हजारों लुटेरों को रोकने में सर्वथा

असफल रहे। इन आक्रमणकारियों ने रियासत की रक्षा करने वाली सेनाओं को मीरपुर, पुंछ, नोशहरा, राजोरी, झंगड़ और बेरीपटन में घेर लिया।

आक्रमणकारियों की अतुलित शक्ति को देख कर भारत की सेनाओं को जम्मू प्रान्त के बचाने के लिये तथा रियासत के सिपाहियों की सहायता के लिये भेज दिया गया। भारत की हवाई सेनाओं ने कोटली के स्थान पर हवाई आक्रमण किए और पुंछ और मीरपुर के रक्षा करने वाले रियासत के सिपाहियों को बराबर सहायता प्रदान की। रियासत के लगभग ३ हजार सिपाहियों को चार स्थानों पर आक्रमणकारियों ने घेर लिया।

८९८ काश्मीर का मोर्चा

६ नवम्बर १९४७ तक लुटेरों को गान्दरबल, बेहामा, तुलामुला, लार, नुन्नर और अन्य स्थानों से मार भगाया। भारतीय सिपाही घाटी के भीतर प्रत्येक दिशा में बढ़ते गए और उन्होंने सुरक्षा सेना की सहायता से काश्मीर घाटी से लुटेरों का अन्त करना शुरू किया। संग्राम पर भी भारतीय सिपाहियों ने अपना अधिकार कर लिया जो कि बारामूला श्रीनगर सड़क पर एक चौराहा है।

८९८१ बड़गाम की लड़ाई

काश्मीर घाटी में लुटेरों का उद्देश्य हवाई अड्डे पर अधिकार जमाना था, ताकि भारतीय सहायता का अन्त हो सके। अतः लुटेरों की एक बड़ी संख्या बड़गाम की तरफ आई। यहाँ पर इनका भारतीय सिपाहियों के साथ घोर युद्ध हुआ। लुटेरे पराजित होकर भाग गए। यह युद्ध श्रीनगर के पश्चिम में साढ़े चार मील की दूरी पर हुआ और इस निर्णायक युद्ध में भारतीय सेना के एक वीर जनरल मेजर सोमनाथ शर्मा ने परमवीर गति प्राप्त की, जिससे कि युद्ध का पासा बदल गया।

बड़गाम की लड़ाई ने लुटेरों के अपवित्र विचारों को समाप्त कर दिया। इस युद्ध में उनको हराने के पश्चात् भारतीय सिपाहियों ने इनका लगातार पीछा किया। अब सब लुटेरे पराजित होकर भाग गए। किन्तु जो कुछ हाथ लगा लूटते गए। भारतीय सिपाही बराबर प्रगति करते रहे और उन्होंने इन लुटेरों को बड़गाम, मागाम, नारबल, शालटेंक, मुजगंड, शादीपुर, सुंबल, पटन तथा अन्य प्रदेशों से मार भगाया।

८९८२ बारामूला पर पुनः अधिकार

भारतीय सिपाहियों ने लुटेरों को श्रीनगर कोहाला सड़क पर पटन से भी पीछे हटा दिया और इनका पीछा करते हुए काश्मीर की घाटी के फाटक बारामूला पर ८ नवम्बर १९४७ को दुबारा अधिकार किया। अधिकार लेते समय इस नगर की दशा नितान्त दयनीय थी। ठीक इसी दिन अर्थात् ८ नवम्बर १९४७ को पठानकोट जम्मू के मार्ग द्वारा भारतीय सेनाएँ और हल्की तोपें श्रीनगर में सुरक्षित रूप से पहुंच गईं।

८९८३ महोरा पर अधिकार

बारामूला पर अधिकार जमा लेने के पश्चात् भारतीय सिपाहियों ने कोहाला श्रीनगर सड़क के साथ बढ़ना आरम्भ किया। वे लुटेरों का पीछा करते हुए महोरा पहुंचे। यहाँ के बिजली घर पर भारतीय फौजों का अधिकार हो गया।

८९८४ ऊड़ी पर अधिकार

काश्मीर घाटी में लुटेरों का अन्त करने के बाद बारामूला से भी लुटेरों को भगाया गया और जहाँ कहीं भी वे छिपे हुए थे उनका अन्त किया गया। भारतीय सिपाही ऐसा करने के पश्चात् महोरा से आगे भी प्रगति करते रहे। उन्होंने रामपुर पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। यहाँ से आगे लुटेरों ने पुलों को काट दिया। इसलिये भारतीय फौजों की चाल में कुछ कमी

आ गई। अन्त में ये कठिनाइयाँ उनके आगे बढ़ने की चाल में अधिक समय तक बाधा न डाल सकीं, और वे ११ नवम्बर १९४७ को ऊड़ी पहुंच गए। यहाँ पर भारतीय सिपाहियों ने अपनी चाल को पूर्णतः रोक दिया। ऊड़ी पर अधिकार कर लेने के पश्चात् काश्मीर का मोरचा इस ओर इसी कस्बे से परे रहा, क्योंकि भारतीय सिपाहियों ने आक्रामक हमले करने बन्द कर दिये। वे मोरचे के बचाने में व्यस्त रहे। यदि हिन्दुस्तानी फौजें ऊड़ी से भी आगे बढ़ती तो चिनारी, गढ़ी, दोमेल और मुजफ्फराबाद पर भी उनका अधिकार हो जाता, लेकिन रक्षा के लिये भारतीय फौजें ऊड़ी से आगे नहीं बढ़ीं।

८९९१ काश्मीर घाटी में लुटेरों का अन्त

ऊड़ी पर चाल बन्द करने के बाद काश्मीर घाटी में लुटेरों का अन्त करने की चेष्टाएं फिर होती रहीं तथा उनको सब ओर से भगाया गया। जो भी कोई मिला उसका काम तमाम किया गया। लुटेरे गुलमर्ग, टंगमर्ग, हन्दवाड़ा, बाँडीपुर तथा अन्य प्रदेशों को छोड़ भागे, किन्तु जो कुछ उनको मिला उसको लूटते गए। और जहाँ कहीं वे छिपे हुए थे वहाँ के मनुष्यों से बुरा बर्ताव कर उनके घरों को जलाते गए। इस प्रकार काश्मीर की रमणीक घाटी को दयाहीन नृशंस लुटेरों से आज़ाद कर लिया गया।

८९९२ गिलगित पर लुटेरों का अधिकार

सैनिक दृष्टिकोण से गिलगित का प्रदेश बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह पहाड़ी और अर्धवनीय है। इसका क्षेत्रफल १४,००० वर्गमील है और जनसंख्या ७६,५२६ है। काश्मीर घाटी से भाग जाने के बाद लुटेरों ने सीमा-प्रान्तीय प्रदेशों पर छा जाने का कार्य आरम्भ कर दिया। गिलगित पर सवात के कबाइली लोगों का आक्रमण हुआ। उन्होंने इसको अपने अधिकार में कर लिया। रियासत के सिपाहियों ने अनुभव किया कि वे उनके सम्मुख बहुत बलहीन हैं। अतः विवश होकर वे बूंजे की ओर हटने लगे। ठीक उसी समय हुंजा, यासीन और नगर इन तीन छोटे कबाइली प्रदेशों ने पाकिस्तान

मं सम्मिलित होने की घोषणा की। इनकी सीमाएं काश्मीर के उत्तर पश्चिम की ओर अफगानिस्तान, रूस और पाकिस्तान की सीमाओं से मिलती हैं। ये काश्मीर राज्य के अधीन थे। इन्होंने गिलगित में लुटेरों को सहायता दी, जिसके फलस्वरूप यह प्रदेश बड़ी आसानी के साथ उनके अधिकार में आ गया।

८९९२१ गिलगित के निकल जाने पर गुत्थियां

यहाँ यह बता देने की आवश्यकता है कि गिलगित पर लुटेरों का अधिकार हो जाना रियासत के लिये विशेष रूप से और भारत के लिये साधारण रूप से भयावह है। इस स्थान के सैनिक महत्त्व को देखते हुए अंग्रेजों ने काश्मीर राज्य से सन्धि करके इसे अपने ही देख रेख में रखना उचित समझा था। पहली अगस्त १९४७ को भारत से प्रस्थान करते समय उन्होंने इसे काश्मीर राज्य को वापस कर दिया। काश्मीर राज्य ने ब्रिगेडियर घनसारसिंह को इसका तथा अन्य सीमावर्ती प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया। इस समय लुटेरों का अन्त करने के लिए भारतीय सेनाएं गिलगित नहीं भेजी जा सकती थीं, क्योंकि जाड़े के कारण वहाँ तक पहुंचने के सब मार्ग हिमाच्छादित थे।

८९९३ अस्टोर पर लुटेरों का अधिकार

लुटेरों ने गिलगित पर अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपनी लूट मार को प्रवाहित रखा और गिलगित के स्काउट और सीमाप्रान्त के सिपाहियों की सहायता से आगे बढ़ना आरम्भ किया। रियासत की सेना के स्टोर पर लुटेरों का आधिपत्य हो गया। यह श्रीनगर से १५० मील की दूरी पर है।

सीमाप्रान्त तथा गिलगित के गवर्नर ब्रिगेडियर घनसारसिंह लुटेरों के हमलों को रोकने के लिये रियासत के सिपाहियों की कमान करते रहे। किन्तु लुटेरों की बहुसंख्या के कारण वे उनके घेरे में आ गए। रियासत के सिपाहियों की थोड़ी संख्या गिलगित से हटती हुई बुंजे पहुंची और यहाँ

से वह श्रीनगर की ओर हटती हुई प्रतापपुरा के समीप आ गई। यह स्थान श्रीनगर से १७२ मील की दूरी पर है। यहाँ पर इन रियासत के सिपाहियों ने प्रतापपुरा पुल पर पुनः अधिकार कर लिया और तत्पश्चात् उसको सर्वथा नष्ट भ्रष्ट कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जाड़े में लुटेरों का आगे बढ़ना कठिन हो गया।

८९९३१ लुटेरे गुरेज में

सीमावर्ती प्रदेश में लुटेरों के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। क्योंकि वहाँ भारत की सेनाएं नहीं पहुंच सकती थी। जाड़े का यौवन काल था और इन प्रदेशों में पहुंचने के सब मार्ग हिमाच्छादित थे। लुटेरे इन शान्तिप्रिय और विवश मनुष्यों को बिना किसी रोक टोक के लूटते रहे। वे सब प्रदेशों में फैल गए और अस्टोर पर आधिपत्य जमा कर गुरेज तक पहुंच गए।

८९९४ जम्मू का मोर्चा

पाकिस्तान से आए हुए सहस्त्रों आक्रमणकारियों ने रियासत की स्वल्प सुरक्षा सेना को घेर लिया, किन्तु फिर भी इन साहसी वीरों ने हार स्वीकार नहीं की और वे युद्ध करते रहे। इन सिपाहियों के लिये पुंछ, मीरपुर, कोटली, झंगड़ और नौशहरा स्थानों पर वायुयान द्वारा खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामग्री डाली गई। १० नवम्बर १९४७ को रियासत के सिपाहियों की एक टोली ने पुंछ जाने के लिये एक मार्ग निकाल लिया। यह टोली पुंछ जागीर के बाग कस्बे में घिरी हुई थी। किसी न किसी प्रकार ये सिपाही बाग को छोड़ कर ३० मील की दूरी पर पुंछ आ गए और इस प्रकार बाग पर लुटेरों का अधिकार हो गया।

जम्मू के उत्तर पश्चिम की ओर ७०, ८० तथा ९० मील हवाई मार्ग की दूरी पर तीन बड़ी सुरक्षा सेनाएं मीरपुर, कोटली और पुंछ में थी। इनके अतिरिक्त इन्हीं प्रदेशों में भिम्बर, झंगड़, और नौशहरा की सुरक्षा सेनाएं थी, जिनपर वर्तमान युद्ध सामग्री से सुसज्जित होकर सहस्त्रों

आक्रमणकारियों ने अलग अलग घेरा डाल रखा था। इन सब घिरे हुए सैनिकों के लिये वायुयान द्वारा तब तक खाद्य पदार्थ भिजवाए गए, जब तक उनको मुक्त न करवा लिया गया।

१८ नवम्बर १९४७ को नौशहरा की घिरी हुई सेना के साथ भारत की सेनाओं का सम्बन्ध स्थापित हो गया, और १९ नवम्बर १९४७ को झंगड़ में घिरी हुई रियासत की सेना को मुक्त करवाया गया।

८९९४१ बेरी पट्टन पर पुनः अधिकार

लुटेरों की संख्या दिनों दिन अधिक हो रही थी। वे वर्तमान युद्ध सामग्री से सुसज्जित हो रहे थे और उनको पाकिस्तान की सीमा द्वारा खाद्य पदार्थ तथा अन्य साधन पहुंचाये जाते थे। १८ नवम्बर १९४७ को इन पाकिस्तानी लुटेरों ने राजोरी पर अधिकार जमा लिया और हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने उसी दिन पट्टन को लुटेरों से छुड़ा लिया।

२१ नवम्बर १९४७ को भारतीय सेनाओं ने पुंछ नगर में घिरे हुए रियासत के सिपाहियों को मुक्त करवा लिया। लुटेरों ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया, तथापि भारत की सेनाओं ने अपनी सैनिक कार्यवाही को बहुत तेज करके रियासत की सेनाओं को पराजय और लोगों को नष्ट भ्रष्ट होने से बचा लिया।

८९९४२ झंगड़ और कोटली पर पुनः अधिकार

१८ नवम्बर १९४७ को भारतीय सेना ने मीरपुर से १२ मील दूरी पर झंगड़ पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर अधिकार जमाने के बाद भारत की फौजें मीरपुर और कोटली की ओर बढ़ीं। २६ नवम्बर १९४७ को उन्होंने कोटली पर अधिकार प्राप्त किया और रियासत के दूसरे सिपाहियों के साथ भी अपना सम्बन्ध बना रखा। २८ नवम्बर १९४७ को घिरे हुए रियासत के सिपाहियों ने मीरपुर को छोड़ दिया। घिरी हुई सुरक्षा सेनाओं के साथ सम्बन्ध रखा गया। परन्तु इसके साथ साथ मोर्चा भी बढ़ता गया। मोर्चे की लम्बाई ९० मील तक पहुंच गई, जो पलन्दरी से पाकिस्तान

की सीमा के साथ साथ अखनूर के दक्षिण तक था। खाद्य पदार्थ तथा सहायता की लाइन को कम करने और जनता को बाहर निकालने के पश्चात् भारत के सिपाहियों को विवश होकर कोटली छोड़ना पड़ा और इस प्रकार कोटली फिर से लुटेरों के अधिकार में आ गया।

८९९४३ छंब पर अधिकार

भारत की सेनाएं सब ओर से आगे बढ़ीं। उन्होंने आगे बढ़ते हुए मनावर को पार करके छंब पर अधिकार कर लिया जो अखनूर के पश्चिम में २० मील की दूरी पर है। १३ दिसम्बर १९४७ को पहली बार हजारों लुटेरे पहाड़ियों से निकल कर झंगड़ के प्रदेश में संगठित रूप से युद्ध करने के लिये मैदान में आए। यहाँ पर भारतीय सिपाहियों ने एक हजार से अधिक लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया।

८९९४४ बमवर्षा की आवश्यकता

चूंकि लुटेरों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही थी, उनको सब प्रकार के आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त थे और वे गोरिल्ला युद्ध पद्धति को धारण कर चुके थे, इसलिये भारतीय सेनाओं के लिये आगे बढ़ने में बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हुईं।

तथापि युद्ध की गति को तीव्र किया गया और लुटेरों के जमघटों पर बम और राकट बम गिराए गए। जम्मू प्रान्त में प्रथम बार रॉयल इंडियन एयर फोर्स के बम फेंकने वाले वायुयान ने एक हजार पौंड के वजन वाले बम मीरपुर के निकट लुटेरों के केन्द्र स्थान पर गिराए। यह स्थान जम्मू पाकिस्तान सीमा से केवल ५ मील की दूरी पर है। ३१दिसम्बर ४७ को भारतके बम फेंकने वाले वायुयान पर पाकिस्तानकी सीमा के दूसरी ओर से गोली चलाई गई।

८९९४५ लुटेरों का सुसंगठित आक्रमण

लुटेरों ने ६ जनवरी १९४८ को पहली बार भारतीय सेनाओं पर दिन के समय में हल्ला बोल दिया। इससे पहले भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र

संघ (यू. एन. ओ.) की सुरक्षा परिषद् को अपने मेमोरेंडम में बतलाया था कि उनका पाकिस्तान के प्रदेश में लुटेरों के समूह पर बम फेंकने का कार्य औचित्य पूर्ण होगा, तथा इस प्रकार से वे उनके खाद्य पदार्थ और युद्ध सामग्री के साधनों का विच्छेद कर देंगे।

६ जनवरी १९४८ को चार हजार लुटेरों ने संगठित होकर नौशहरा के प्रदेश में भारतीय सेनाओं के मोर्चे पर आक्रमण कर दिया, किन्तु रॉयल इंडियन एयर फोर्स के बम फेंकने वाले वायुयानों ने बम वर्षा द्वारा उन्हें पीछे भगा दिया। लुटेरों ने अपने आक्रमण में मशीनगनों, मारटरों और तोपखाने का विशेष प्रयोग किया। पुंछ प्रदेश में लुटेरे मशीनगनों, मारटरों और तोपखाने तथा अन्य अस्त्रों द्वारा भारतीय सेनाओं के मोर्चों पर नियमित रूप से आक्रमण करते रहे।

८९९४६ पठानकोट जम्मू सड़क संकट में

२३ जनवरी १९४८ को हजारों लुटेरे रामगढ़ और बिसनहा के बीच से चार पांच मील रियासत की सीमा में प्रविष्ट हो गए। उनकी सहायक सेना नियमित पोशाक पहने हुए मशीनगन, मारटर और आग भड़काने वाली बन्दूकें लिए हुए थे। इन हजारों लुटेरों का उद्देश्य पठानकोट जम्मू सड़क काटने का था, और इस प्रकार रियासत को भारत से पृथक् करके रियासत में भारतीय सेनाओं को घेरे में लाना था। इनकी प्रगति ने जम्मू पठानकोट सड़क को खतरे में डाल दिया। वे इस सड़क के समीप बढते हुए आ रहे थे और यहां तक कि वे मूल सड़क से केवल १ मील की दूरी पर पहुंच गए। ठीक उसी समय भारतीय सिपाहियों ने उनके साथ बलपूर्वक युद्ध किया और अन्त में उनको अपने उद्देश्य में असफल कर दिया और भाग जाने पर विवश किया।

८९९५ नोशहरा का वीर

६ फरवरी १९४८ को ११ हजार लुटेरों ने दिन के समय नोशहरा के पास भारतीय सेनाओं की चौकियों पर आक्रमण किया, किन्तु भारतीय

सेनाओं ने उनको पीछे हटने के लिये विवश कर दिया। इस युद्ध में लुटेरों के तीन सौ आदमी मारे गये।

उसी दिन भारत के सिपाहियों ने ब्रिगेडियर मुहम्मद उसमान के अधीन शत्रु पर आक्रमण के बदले में आक्रमण किया और उनकी सुदृढ़ चौकी कोट पर अधिकार स्थापित किया, जो कि नोशहरा के उत्तर पूर्व में चार मील की दूरी पर है। ब्रिगेडियर उसमान की इस सफलता और वीरता के कारण उनको "नोशहरा का वीर" की पदवी से विभूषित किया गया, और प्रत्येक भारतीय और काश्मीर के नेताओं और सैनिक अफसरों ने इस शानदार विजय पर बधाई के सन्देश भेजे। नोशहरा के इस युद्ध में भारतीय सेनाओं के आक्रमण के कारण लगभग २ हजार लुटेरे खेत रहे। ब्रिगेडियर उसमान की इस अनुपम सैनिक कार्यवाही को देख कर लुटेरों के सरदारों ने उनको बन्दी बनाने के लिये पुरस्कार देने की घोषणा की। किन्तु यह भारत का दुर्भाग्य था कि यह प्राणों की बाजी लगाने वाला वीर सिपाही शत्रु से युद्ध करते हुए ३ जुलाई १९४८ को काश्मीर की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिये लुटेरों की गोली का शिकार बना और अभी जब कि उसकी अतीव आवश्यकता थी, सदा के लिए हम से पृथक् हो गया। "नोशहरा के वीर" के धर्म हेतु प्राण त्याग पर भारत में शोक और पाकिस्तान में आनन्द की तरंगें उठने लगी। इनके शव को नई दिल्ली में लाया गया और भारत तथा काश्मीर के बड़े-बड़े नेताओं और सैनिक अफसरों ने शोक सभा में सम्मिलित होकर उन्हें पृथ्वी की गोद में सुला दिया। यह स्मरण रहे कि नोशहरा का यह युद्ध काश्मीर महायुद्ध में सबसे बडा युद्ध माना गया है।

८९९६ श्वेत पत्र

५ मार्च १९४८ को भारत सरकार ने काश्मीर पर व्हाइट पेपर प्रकाशित किया, जिसमें यह रहस्य प्रगट किया गया :

"काश्मीर के विरुद्ध इस समय तक ८६,००० और ८८,००० के बीच पठान धार्मिक युद्ध कर रहे हैं। फरवरी में नोशहरा के समीप जो सैनिक युद्ध

कर्तव्य-वेदी पर बलि



ब्रिगडियर मुहम्मद उसमान (नौशेहरा का महावीर)
भारतीय रक्षामन्त्री सरदार बलदेवसिंह के साथ

"चाहे कितनी ही कीमत देनी पड़े और चाहे कितनी ही विघ्नबाधाएं क्यों न आएं, हमने काश्मीर को स्वतन्त्र करने के लिए बचन दे दिया है।"

सरदार बलदेवसिंह
(२७ अक्तूबर, १९४७)

हुआ उससे यह भी प्रगट हुआ कि आक्रमणकारी निम्नलिखित लोगों में से हैं :

७० प्रतिशत रियासत देर और रियासत सवात के पठान और मुसलमान हैं ;

२० प्रतिशत रियासत के भगोड़े सिपाही हैं ;

५ प्रतिशत पुंछी हैं; और

५ प्रति शत संडाके हैं।

८८,००० पठानों की सारी संख्या में से ७३,००० और ७५,००० के बीच पाकिस्तान के भिन्न भिन्न केन्द्र स्थानों पर एकत्रित हैं और लगभग १३,००० काश्मीर पर आक्रमण किए हुए हैं।

पाकिस्तान में पठानों के जमघटे विश्वस्त रूप से निम्नलिखित हैं :

एबटाबाद	६,००० से ८,००० तक	रावलपिंडी	५,०००
दर्रा कोहाट	१०,०००	गूजरखां	४,०००
सरगोधा	७,०००	गुजरात	१०,०००
जेहलम	५,०००	चक अमरू	२,०००
वजीराबाद	८,०००	चक सुखो	२००
शिकारगढ़	७००	चक पंडरा	
सियालकोट	३,५००	सहोटी	८,०००
लाहोर	३,०००		

सम्पूर्ण जोड़ लगभग ७३,००० से ७५,०००

८९९७ झंगड पर पुनः अधिकार

झंगड़ नोशहरा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ से नोशहरा, मीरपुर कोटली और पुंछ को मार्ग जाते हैं। भारतीय सेना की एक टोली ने ८ मार्च० १९४८ के दिन इसको शत्रु के पंजे से मुक्त करा लिया। इस पर भारतीय सेनाओं के अधिकार होजाने के कारण लुटेरों को खाद्य पदार्थ तथा सैनिक

मुजफ्फराबाद केवल १७ मील की दूरी पर स्थित है। भारतीय सिपाहियों की सैनिक प्रगति को समाप्त करने के लिये १३ अक्टूबर १९४८ को टीठवाल के दक्षिण और पश्चिम की तरफ दुश्मन के दो हजार सिपाहियों ने दो महान् आक्रमण किये। इन आक्रमणों का रूप व्यवस्थित और विशाल था। ये निरन्तर २६ घंटे तक चलते रहे। प्रातः काल ६ बजे आक्रमण प्रारम्भ हुआ, किन्तु भारतीय सिपाहियों के सामने शत्रु के सब बिचार निष्फल रहे। अन्त में उनको महती क्षति के साथ पीछे हटना पड़ा।

८९९९७ जम्मू में प्रगति

१६ अक्टूबर १९४८ को राजौरी के उत्तर और उत्तर पश्चिम में भारतीय सिपाहियों ने पीरकलेवा को शत्रु से खाली करवाया और १८ अक्टूबर १९४८ को थानामंडी के प्रदेश से लुटेरों को मार भगाया।

८ नवम्बर १९४८ को भिम्बर गली पर भारतीय सिपाहियों ने पुनः अधिकार जमाया।

एक महत्त्वपूर्ण चोटी पीर मारगाट को १९,२० नवम्बर १९४८ को शत्रु से मुक्त कराया। भारतीय सेनाओं ने अपनी प्रगति यथापूर्व रखते हुए २६ नवम्बर १९४८ को बुद्दल पर कब्जा कर लिया जो जम्मू के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में १०० मील की दूरी पर है।

८९९९८ काश्मीर में प्रगति

द्रास पर अधिकार: भारतीय सिपाहियों ने प्रथम आक्रमण करने की नीति का प्रयोग किया और उन्होंने सोनामर्ग से आगे शत्रु को दर्रा ज़ोजीला से मार भगाया। इस ऊंचे दर्रे से गुजर कर वे लद्दाख की घाटी की ओर बढते गए। हिम पात की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे और श्रीनगर गिलगित मार्ग के एक विशेष स्थान द्रास पर अधिकार कर लिया। इसी स्थान से गिलगित और लद्दाख की ओर मार्ग जाते हैं।

करगिल पर अधिकार: द्रास से भी आगे भारतीय सिपाही लुटेरों का

पीछा करते हुए आगे बढ़ते गये। इस प्रचंड गति ने शत्रु के छक्के छुड़ा दिये और भारतीय सिपाहियों ने सुगमतापूर्वक २३ नवम्बर १९४८ को करगिल को मुक्त करा लिया, जो कि द्रास से २५ मील उत्तर की ओर है। इस महत्त्व-पूर्ण स्थान पर भारतीय सिपाहियों का अधिकार हो जाने के पश्चात् शत्रु साहस विहीन हो गए। लद्दाख की घाटी को जो भय की आशंका थी वह भी पूर्णतया दूर हो गई तथा फलस्वरूप लेह में घिरी हुई सेना को मुक्त कर लिया।

८९९९९१ खूनखराबी का अन्त

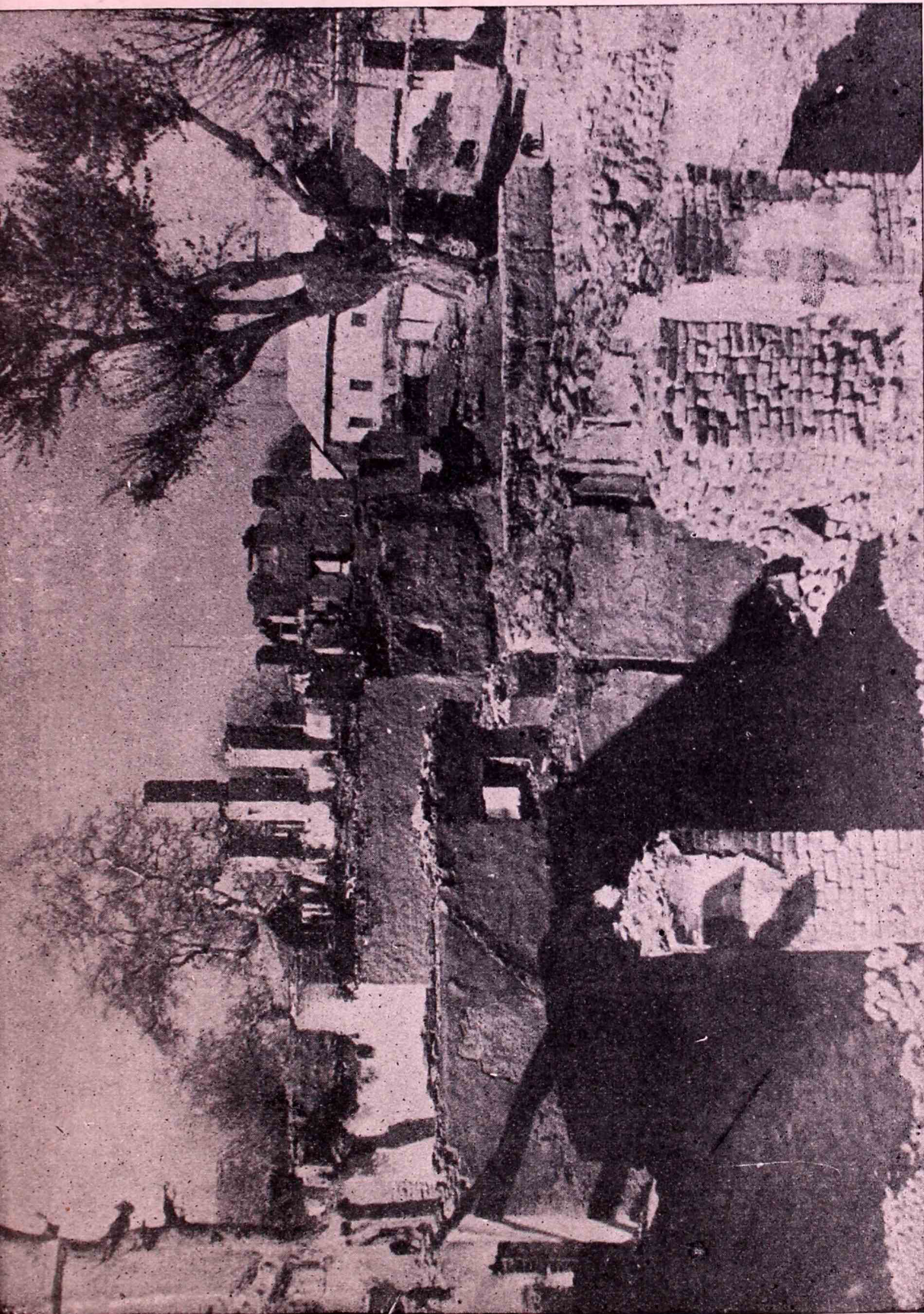
१ दिसम्बर १९४८ से १ जनवरी १९४९ तक भारतीय सेनाओं की प्रगति अपने ही प्रदेश तक सीमित रही, क्योंकि दिसम्बर के तीसरे सप्ताह के आरम्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ का काश्मीर कमीशन मार काट समाप्त कराने के लिये नवीन योजना लेकर भारत पहुंच चुका था और उनके 'युद्ध रोको' प्रस्ताव पर भारत विचार कर रहा था। तत्पश्चात् काश्मीर कमीशन कराँची गया और वहाँ पाकिस्तान राज्य के समक्ष भी 'युद्ध रोको' का प्रस्ताव रखा। निदान प्रथम जनवरी १९४९ की रात को ११ बजकर ५९ मिनट पर युद्ध रोको प्रस्ताव कार्यान्वित हो गया। भारत तथा पाकिस्तान ने काश्मीर में मार काट बन्द कर दी और काश्मीर कमीशन के १३ अगस्त १९४८ और ५ जनवरी १९४९ के प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणत करने का निर्णय किया गया। इस प्रकार ४३२ दिन वाला युद्ध समाप्त हुआ और सवा साल हत्याकांड, क्षय तथा विध्वंस, मार काट और लूट खसोट के पश्चात पाकिस्तान ने यह भी मान लिया कि काश्मीर के भाग्य का निर्णय स्वयं काश्मीरी जनता ही कर सकती है।

८९९९९२ अधिकृत प्रदेश

प्रथम जनवरी १९४९ तक भारतीय सेना ने शत्रु से बहुत से इलाके को छुड़ा लिया था। वे एक हजार मील लम्बे मोर्चे पर मुकाबला करते रहे, जो उत्तर में लद्दाख के केन्द्रीय और संसार के सबसे ऊंचे स्थान लेह और दक्षिण में मैदानी इलाके पठानकोट तक फैला हुआ था। भारतीय सेना

लद्दाख में करगिल और द्रास तक, अस्टोर के जिले में गुरेज तक, काश्मीर में टीठवाल और उड़ी तक, पुंछ के इलाके में मेंढर और बाग तक और जम्मू पाकिस्तान सरहद के लगभग २ मील तक पहुंच चुकी थी। गिलगित, टीठवाल के पश्चिम में मुजफ्फराबाद का इलाका, पुंछ और मीरपुर के वे इलाके जो पाकिस्तान की सरहद से १० मील के समीप हैं, पाकिस्तान के अधिकार में हैं। गिलगित पर तो पाकिस्तान ने अपना पोलिटिकल एजेन्ट नियुक्त किया है।

—:०:—



नवां अध्याय

पाकिस्तानी आक्रमण से काश्मीर का विनाश

पाकिस्तान की सेनाओं ने काश्मीर पर सब ओर से चढ़ाई की। उन्होंने पूर्वी प्रदेश को छोड़ कर उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की ओर लेह से लेकर पठानकोट तक १,००० मील लम्बा मोर्चा बनाया। ये आक्रमणकारी गिलगित के सीमावर्ती प्रदेश किरगल तक, काश्मीर प्रान्त के प्रदेश ऊड़ी और टेठवाल तक और पाकिस्तान की सीमा के साथ-साथ पुंछ और मीरपुर के प्रदेश अधिकार में किए हुए हैं। तात्पर्य यह है कि काश्मीर दो भागों में विभक्त हो चुका है। आक्रमण के आरम्भ में पाकिस्तान के लुटेरे श्रीनगर के द्वार पर आ चुके थे और काश्मीर प्रान्त का अधिकांश भाग उनके हाथ में आ चुका था। काश्मीर घाटी में वे श्रीनगर के पश्चिम और उत्तर की ओर फैले हुए थे। और जम्मू प्रान्त में जम्मू से कोई १० मील दूर तक पहुंच चुके थे। सीमावर्ती प्रदेश में दर्रा ज़ोजीला से भी आगे फैल रहे थे और सोनामर्ग में डेरा डाले हुए थे। इतने भाग को अधिकार में लाने पश्चात् वे सम्पूर्ण काश्मीर को निगल जाने का स्वप्न देख रहे थे। किन्तु परिस्थिति सर्वथा बदल गई। भारतीय सेना ने शत्रु से बहुत सा प्रदेश छीन लिया, जिसके कारण आज शत्रु हाथ पर हाथ धरे बैठा है। काश्मीर घाटी को लुटेरों से मुक्त किया गया। सीमावर्ती प्रदेशों से लुटेरों को भगाया गया। लद्दाख घाटी की आपत्ति दूर की गई तथा जम्म प्रान्त में भी उनके पांव उखाड़ दिए गए। पाकिस्तान अपना अधिकार जमाने का भरसक प्रयत्न कर रहा था, किन्तु उनको सब ओर से पराजित होने के लिये विवश होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ के काश्मीर कमीशन के "युद्ध

रोको" प्रस्ताव के अनुसार हत्या करना तो बन्द हो गया, किन्तु शत्रुओं के द्वारा विजित प्रदेशों पर पाकिस्तान का पूर्ववत् अधिकार है। ये प्रदेश काश्मीर राज्य के अधीन नहीं हैं और बाकी रियासत से सर्वथा पृथक् हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि काश्मीर के दो भाग अस्तित्व में आ चुके हैं।

९११ लुटेरों की संख्या

लुटेरों ने काश्मीर पर आक्रमण करने के पश्चात् अपनी संख्या की बहुत वृद्धि की। पहले पहल वे समझते थे कि उनमेंके कई हजार कबाइली ही काश्मीर को पूर्णतया निगल सकते हैं। किन्तु काश्मीरियों के और हिन्दुस्तानी सेनाओं के जबरदस्त मुकाबले के सामने उनको यह सौदा बहुत मंहगा पड़ा। पाकिस्तान की सेनाएं नियमित रूप से काश्मीर की युद्ध भूमि पर लड़ती रहीं और पाकिस्तान आक्रमणकारियों को प्रगट रूप से युद्ध सामग्री देता रहा। आक्रमण के आरम्भ में उनकी संख्या २०,००० के लगभग बतलाई गई और जनवरी १९४८ ई० में उनकी संख्या आधे लाख से अधिक हो गई।

२ जनवरी १९४८ ई० को नई दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस में पं० जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया :

"काश्मीर में लगभग पचास हजार लुटेरे हैं और एक लाख तक पाकिस्तान प्रदेश में युद्ध सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।" लुटेरों के नेता स्व० इब्राहिम ने भी १२ जनवरी १९४८ को कराची के एक वक्तव्य में इस तथ्य को स्वीकार किया। २३ जनवरी १९४८ ई० को एम्. सी. सीतलवाद ने सुरक्षा परिषद् में उनकी संख्या ६० हजार बतलाई। इसके उपरान्त मार्च १९४८ में भारत सरकार के श्वेतपत्र में बताया गया कि काश्मीर के "धार्मिक युद्ध" में ८६,००० और ८८,००० के बीच पठान सम्मिलित हैं और प्रथम जनवरी १९४९ को "युद्ध रोको" प्रस्ताव के पश्चात् मालूम हुआ कि उनकी संख्या एक लाख तक पहुंच चुकी थी।

लुटेरों की सेना में कबाइली, तथाकथित "आजाद काश्मीर" के सिपाही और पाकिस्तान के नियमित सैनिक सम्मिलित हैं। कबाइली लोगों की

संख्या आरम्भ में अधिक थी। किन्तु अन्त में पाकिस्तान की सेना की संख्या में वृद्धि की गई। "युद्ध रोको" के समय कबाइलियों के ६ लश्कर, पाकिस्तान सेना के ६ ब्रिगेड और "आजाद काश्मीर" के ३,००० सिपाही काश्मीर के मोर्चों पर थे। पाकिस्तान के प्रधान सेनानायक जनरल ग्रेसी के कथनानुसार कबाइली लोगोंकी संख्या ६,००० थी। इनमें से ७०० टीठवाल, ८०० ऊड़ी और १,६५० नोशहरा के युद्ध स्थलों पर थे। इसके अतिरिक्त भिम्बर प्रदेश में उनकी संख्या २२० और नोशहरा के इलाके में १,२०० थी।

९१२ लुटेरों के विचार

सब संसार को यह मालूम हो गया है कि एक लाख पाकिस्तानी लुटेरों का काश्मीर के भीतर आने का क्या अभिप्राय था, तथा उन्होंने किसकी प्रेरणा से और कैसे चढाई की। इन सहस्रों लुटेरों ने काश्मीर की पवित्र भूमि पर कैसी लज्जाजनक तथा निर्दयतापूर्ण चेष्टाएं की, काश्मीर के मनोहर देश को किस प्रकार नष्ट भ्रष्ट किया, और अपने पाशविक तथा क्रूर हाथों से काश्मीर की निरीह जनता पर कैसे घोर अत्याचार किये, यह सबको मालूम हो चुका है।

इसका सारा उत्तरदायित्व पाकिस्तान पर है, और इसीलिए, भारत ने पाकिस्तान को होश में लाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में उसके विरुद्ध आरोप लगाए। पाकिस्तान की स्वीकृति और तटस्थता का रुख अधिक देर तक टिक न सका। और अन्त में उसको स्वीकार करना पड़ा कि उसने अपनी सेनाएं काश्मीर में भेजी हैं। यद्यपि आक्रमण के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान के प्रधान मंत्री मि. लियाकत अली खां ने ४ नवम्बर, १९४८ को पाकिस्तान रेडियो से ब्राडकास्ट करते हुए कहा था कि लुटेरे काश्मीर के "पीडित" हैं। पाकिस्तान के अन्य उत्तरदायी अफसरों ने बार-बार यह व्यक्त किया कि काश्मीर के आक्रमणकारी "धार्मिक योद्धा" हैं और वे काश्मीर राज्य के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। यद्यपि उसके प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् की सभा में भी भारत के इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया तथा काश्मीर में पाकिस्तान की सेनाओं की उपस्थिति या उनकी

सहायता से असम्बन्ध प्रकट किया, किन्तु जुलाई १९४८ में ये सब छल कपट और कूट मन्त्र संसार के सामने प्रगट हो गए जब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के काश्मीर कमीशन के सम्मुख पाकिस्तान को विवश होकर काश्मीर में पाकिस्तान की फौजों के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा। उस समय संसार को मालूम हुआ कि पाकिस्तान के अपवित्र विचार क्या हैं; और काश्मीर पर चढाई करने वाले कौन हैं।

९१३ पाकिस्तान का रंग

इस वास्तविकता का सबको पता लग गया है कि काश्मीरी जनता ने धर्म तथा सम्प्रदाय के विषय में एक संयुक्त जातीय मोर्चा खड़ा कर पाकिस्तान के लुटेरों और सेनाओं का मुकाबला किया। काश्मीर के गृह रक्षकों ने (होम गार्ड्स) जिनमें अधिकांश मुसलमान हैं, देश को पाकिस्तान से सुरक्षित रखा और राष्ट्रीय सेना ने भी भारतीय सेनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर लुटेरों को समाप्त करने में पूरा भाग लिया। कुछ भी हो, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने ४ नवम्बर १९४७ को स्वीकार कर ही लिया था कि इन लुटेरों के साथ कुछ "सहानुभूति रखने वाले" हैं जो इनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री मि. गजनफर अली खां ने भी १० नवम्बर १९४७ को अपने वक्तव्य में कहा था कि "पाकिस्तान के लिये यह असम्भव है कि वह रजाकारों को रियासत की सीमा के भीतर प्रवेश करने से पूर्णतया रोक सके।" लुटेरों के सरदार ने भी लेक सक्सेस में १९ जनवरी १९४८ को एक बयान में यह बताया कि, "कबाइली लोगों ने उनकी आवाज पर अच्छा उत्तर दिया।"

अतः ये आक्रमणकारी किसी प्रकार से काश्मीरी नहीं कहे जा सकते। जिन लोगों ने पाकिस्तान से होकर रियासत पर आक्रमण किया वे लोग पाकिस्तान के रहने वाले थे और वहाँ के रहने वाले हैं। वे काश्मीर को तलवार के बल पर लेना चाहते थे ताकि उसे पाकिस्तान में सम्मिलित करा लें। इसलिये काश्मीर की सुन्दर तथा पुनीत भूमि पर पाकिस्तानी आक्रमण और पाकिस्तान की ओर से बिना सूचना के युद्ध के पश्चात् जो भी कुछ हुआ,

पाकिस्तान इसके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। इसके बल, बुलावे और सहायता से कबाइली और पाकिस्तानी सिपाही काश्मीर की जनता के विरुद्ध लड़ते रहे, जिनको भारतीय सेनाएं सहायता देती रहीं। जो लूट खसोट, तबाही तथा बरबादी काश्मीर निवासियों की इस पवित्र भूमि पर की गई उससे कोई व्यक्ति अपरिचित नहीं है, किन्तु सबसे अधिक दुखदायक और भयानक तबाही काश्मीर के तीसरे बड़े कस्बे बारामूला और जम्मू के एक बड़े कस्बे राजौरी में की गई।

९१४ बारामूला की हृदय विदारक तस्वीर

बारामूला काश्मीर की राजधानी श्रीनगर से, कोहाला श्रीनगर सड़क पर ३५ मील की दूरी पर स्थित है। यह कस्बा काश्मीर घाटी का पश्चिमी द्वार है। इस पर पाकिस्तान के लुटेरों का आधिपत्य २६ अक्टूबर १९४७ई० को हुआ और १३ दिन तक पूर्णतया उनकी दया पर आश्रित रहा; जबकि ८ नवम्बर १९४७ ई० को प्रातः काल के समय भारतीय सिपाहियों ने इसे इन पाकिस्तान के हिंसक पशुओं से मुक्त करा लिया।

बारामूला नगर की जनसंख्या १४,००० थी। इनमें से केवल २,००० ही लुटेरों की कुक्रीड़ा, हत्या तथा उड़ाई जाने से बची। पाकिस्तान के लुटेरों ने ये कुकर्म काश्मीर में किए। जब लुटेरों को भगाने के पश्चात् भारतीय सेनाओं के जनरल आफिसर कमान्डिग मेजर जनरल कुलवन्त सिंह बड़े सैनिक अफसरों और संकटकालीन सरकार के डिप्टी चीफ बख्शी गुलाम मुहम्मद के साथ, ८ नवम्बर १९४७ को प्रातः बारामूला आए तो उस समय नगर की दशा एक भयानक दृश्य उपस्थित कर रही थी। उसकी हालत इस तरह बयान की गई है।

लुटेरों ने प्रत्येक वस्तु, जो कि उनके हाथ आई लूट ली और वे वर्तमान काल के सब हथियारों से सुसज्जित थे। लूट के माल को स्त्रियों की एक बड़ी संख्या सहित २६० ट्रकों के द्वारा उड़ाया गया। कितनी ही अबलाओं के कानों और हाथों के आभूषण उतार लिए गए. दुकानें

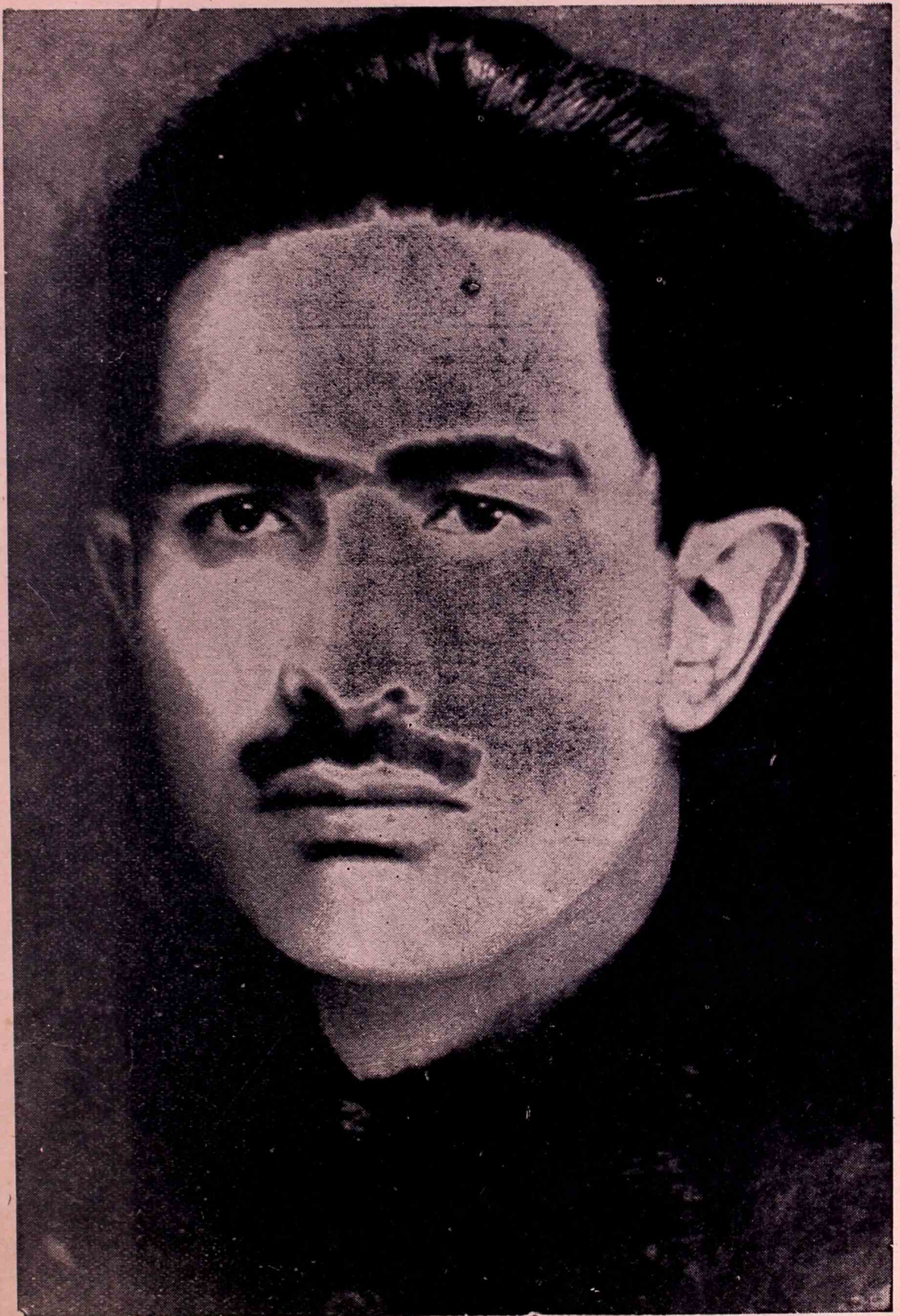
और मकान सर्वथा नष्ट भ्रष्ट कर दिये गये और अन्धाधुन्ध लूट मार की गईं। किन्तु ये कुकृत्य अमुस्लिम और कुछ स्थानीय नेशनल कान्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं के साथ ही किए गए। उनमें से एक नेशनल कांफ्रेंस के प्रसिद्ध नेता मकबूल शेरवानी महोदय भी थे, जो कि उनके शिकार बने। उन्हें खम्बे के साथ बांध कर घोषणा सहित गोलियों से शहीद किया गया। सेन्ट जोजेफ कान्वेन्ट और कान्वेन्ट अस्पताल की कोठी की अधिक क्षति हुई। कर्नल डाइक्स, मिसेज डाइक्स, असिस्टेंट मदर सुपीरियर और तीन मठवासिनियों को कत्ल कर दिया गया। मदर सुपीरियर बुरी तरह घायल हुईं। मि. और मिसेज डाइक्स की एक लड़की को भी, सैकड़ों अन्य मुस्लिम और अमुस्लिम कन्याओं और अबलाओं सहित उड़ा लिया गया। हजरत ईसामसीह और कुंवारी मेरी की मूर्तियों को गिरा दिया गया और उनके मुखमंडल को मिट्टी से पोता गया। तमाम पुस्तकें, सरकारी कागज, औषधियां, अस्पताल का सामान छिन्न भिन्न कर दिया गया और गिर्जाघर में नितान्त, अनुचित रूप से क्रूरताएं दिखलाई गईं।

पाकिस्तान के रेडियो ने यह इलजाम लगाया था कि कानवेन्ट पर हिन्दुस्तानियों ने बमबर्षा की थी। किन्तु यह बात असत्य निकली। जब कानवेन्ट की खून खराबी की खबर सारी दुनिया में फैली तब बेगम शाहनवाज भी वहाँ पर गईं थीं।

लोगों का अनुमान है कि सैकड़ों अमुस्लिम मारे गये। अधिकांश को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया और लगभग ५,००० को जमानत के रूप में ले लिया गया। लूट पाट के सामान से भरी हुई २८० लारियां एबटाबाद भेजी गईं। मि. शेरवानी को एक खम्बे के साथ बांध कर उन पर ब्रेनगन की गोलियां चलाई गईं। तदुपरान्त उनके माथे पर कीलें ठोक कर एक नोटिस लगाया गया, जिसमें लिखा था कि वे "देशद्रोही" थे।

युनाइटेड प्रेस आफ इंडिया के कथनानुसार २०० स्त्रियों को उड़ाया गया। १४ और ३० वर्ष के बीच अवस्था वाली स्त्रियों और पुरुषों को पहाड़ी

स्वतन्त्रता युद्ध में आहुति



मक़बूल शेरवानी

"अपनी हिन्दू, सिख और मुस्लिम बहनों को आक्रमणकारियों के नृशंस हाथों से बचाने के लिए मैं अपना आत्मसमर्पण करता हूँ।"

पर एक जेल घर में रोका गया। सब स्त्रियों को सताया गया। पचास स्त्रियों ने, जब कि उनको जेल में लिया जा रहा था, अपने सतीत्व के रक्षार्थ नदी में छलांगे लगाई।

तदुपरान्त जांच करने पर मालूम हुआ कि लुटेरों ने नगर में दो नजरबन्द कैम्प स्थापित किये थे जहांपर वे लोगों को एकत्रित करके उन्हें कठोर शारीरिक कष्ट देते थे। उनको नग्न करके लगातार तीन दिन तक भोजन और पानी के बिना सूखी लकड़ी और सीमेन्ट के फर्श पर बिठाया गया और यह दंड उनसे गुप्त बहुमूल्य आभूषणों का पता लगाने के लिये दिया जाता था। इस प्रकार का शारीरिक दंड शिशिर काल में देना अपने आप पाकिस्तानी लोगों की पाशविकता को प्रकट करता है। 'ग्लोब' ने भी अपने एक वर्णन में लुटेरों के इस पाशविक अत्याचार, लूट पाट और निर्दयता की रूपरेखा दी है जो इन लुटेरों द्वारा इस नगर के शान्तिप्रिय और अरक्षित मनुष्यों पर की गई। इस प्रकार बारामूला में लुटेरों द्वारा १३ दिन के शारीरिक दंड, लूट पाट और मार काट आदि समाप्त हुए जो २६ अक्टूबर १९४७ की अशुभ घड़ी में इन पाकिस्तान के हिंसक पशुओं के अधिकार में आया था।

१७ नवम्बर १९४७ को सर तेज बहादुर सप्रू ने काश्मीर के लोगों के सहायतार्थ, जिन्हें पाकिस्तान के धार्मिक ठेकेदारों ने गृह विहीन और कुटुम्ब हीन बना दिया था, एक अपील में कहा :

> "इसके (काश्मीर के) चित्रमय इतिहास में कभी इस देश के शान्तिप्रिय नागरिकों के साथ इतना भारी विश्वासघात और मान भग नहीं किया गया जो इस समय प्रकाश में आया है। मुझे समाचार पत्रों से अब पता लगा है कि बारामूला में, जहां लगभग १५,००० की जनसंख्या थी, ४,००० से अधिक मनुष्यों की हत्या की गई।"

९१५ काश्मीर घाटी में लूट पाट

इन पाकिस्तानी लुटेरों ने जो भयानक उपद्रव किये तथा जहां कहीं वे गए उन स्थानों पर जो पाशविक अत्याचार किए वे हृदय विदारक दृश्य उपस्थित करते हैं।

लुटेरोंने साधारणतया काश्मीर घाटी में और श्रीनगर में बिजली पहुं-चाने वाले महोरा के बिजलीघर को बिलकुल छिन्न भिन्न कर दिया था, जिससे काश्मीर घाटी और श्रीनगर में बिजली से चलने वाले कारखाने और मशीनें इत्यादि सब बन्द हो गये। यहां से कुछ मील पूर्व की ओर एक लोहे के शहतीरों का पुल भी उड़ा दिया गया।

एक रमणीय स्वास्थ्यवर्धक स्थान गुलमर्ग, जो कि श्रीनगर के पश्चिम में २८ मील की दूरी पर है, पाकिस्तान के इन अधिकारियों द्वारा सर्वथा लूट लिया गया। यहां पर लुटेरों ने बड़े ईसाईघर में घुस कर धार्मिक पात्रों को तोड़ा और बहुमूल्य वस्तुओं को उठा लेगए। उन्होंने इस लूट के माल को ले जाने के लिए खच्चर और घोड़ों का प्रयोग किया। लूट के माल में ये कालीन, गद्दे तकिए यहां तक कि गुलमर्ग क्लब के ताश तक ले गए। यहां के होटलों, बंगलों और अन्य मकानों को भी दिल खोल कर लूटा।

लुटेरों ने बड़गांव की पराजय के उपरान्त काश्मीर घाटी से भागना आरम्भ किया और भागते हुए मार्ग के प्रत्येक स्थान, मकान और ग्राम को लूटते हुए प्राप्त सामग्री को अपने साथ लेते गए और जिस किसी मनुष्य ने लुटेरों के सम्मुख थोड़ी सी आनाकानी की उसका बध कर दिया गया। तात्पर्य यह कि काश्मीरी जनता को इन पाकिस्तानी हिंस्र जन्तुओं के समक्ष अपने घर खुले रखने पड़े और ये जिन्ना के अनुगामी अपने आपको काश्मीर के कष्ट निवारक बता कर काश्मीर निवासियों की हत्या करते गए। और उन्हें बिल्कुल गृह विहीन, विवश और कुटुम्बहीन करते गए। एक प्रत्यक्ष-दर्शी के कथनानुसार लुटेरे काश्मीर की घाटी से लूट का माल ५०० से अधिक पाकिस्तानी ट्रकों में ले गए।

९१६ शेरे काश्मीर का निमंत्रण

जो हानि, क्षय और लूट पाट काश्मीर में हुआ उसको देख कर प्रत्येक मनुष्य के हृदय से रक्त बहने लगता है। किन्तु इन लुटेरों के पृष्ठपोषक, जो अपनेको स्वतंत्रता प्रदान करने वाले कहते हैं, उनके इस प्रकार की मारकाट, पाशविकता, अत्याचार और अनुचित बल प्रयोग और कुकृत्य से आखें मूंद

लेते हैं, और इन्हें इस बात से कुछ भी लज्जा नहीं आती कि ये लुटेरे काश्मीर में क्या करते रहे और इन्होंने इस्लाम के पवित्र नाम पर क्या क्या लज्जाजनक और भयानक कुकर्म किए। हां, निस्सन्देह, वे काश्मीर निवासियों के लिये धर्म के ठेकेदार बन कर उन्हें नितान्त नष्ट भ्रष्ट करके पददलित और पीड़ित बनाते गए। ऐसे लोग जो इन भयानक घटनाओं और दृश्यों से मुख मोड़ते हैं और काश्मीर के मुसलमानों के दुख निवारक होने का दम भरते हैं, उन्हें काश्मीर निवासियों के यथार्थ दुख निवारक, रक्षक और निर्माणकर्ता, शेरे काश्मीर अन्य काश्मीर के मुसलमानों सहित काश्मीर की दयनीय दशा देखने के लिये निमंत्रित करते हैं ताकि वे स्वयं आकर देखें कि इन इस्लाम के विश्वासघातियों ने काश्मीर की मनोहर घाटी, भूमि और इसके शान्ति-प्रिय मनुष्यों के साथ क्या क्या दुराचार किए हैं। १६ नवम्बर १९४७ ई० को शेख अब्दुल्ला ने कहा :

"काश्मीर के लोगों की ओर से मैं सब देशों को विशेषकर मुस्लिम राष्ट्रों के प्रेक्षकों को, काश्मीर आने के लिये निमंत्रित करता हूं, ताकि वे स्वयं अपनी आंखों से देखें कि लुटेरों ने उन्हीं मुसलमानों के घरों को किस प्रकार नष्ट भ्रष्ट किया जिनको छुटकारा दिलाने के लिये उन्होंने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के मित्र होने का बहाना किया।

लुटेरों ने स्त्रियों को उड़ाया, बच्चों को मारा और प्रत्येक वस्तु को लूटा। यहां तक कि उन्होंने पुनीत कुरान शरीफ का भी अपमान किया और मस्जिदों को वेश्यागृह बना दिया। इसके फलस्वरूप आज प्रत्येक काश्मीरी, कबाइली आक्रमणकारी और उनके नीच सहायकों से घृणा करते हैं जो कि उस मुस्लिम बहुल देश में आतंक फैलाने के उत्तरदायी हैं। उनकी लूट मार से यहाँ पर अभाव और निर्धनता ही शेष रह गई है।"

१९ नवम्बर १९४७ को शेख साहब ने एक बार फिर निमंत्रण प्रस्तुत किया, ताकि संसार यह देख ले कि पाकिस्तान ने काश्मीर में क्या रंग चढ़ाया है। उन्होंने इस वक्तव्य के बीच कहा :

"आक्रमणकारियों ने बिजली की भांति हमारे ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हमारी पृथ्वी को झुलसाया। हमारे घरों को नष्ट भ्रष्ट किया। महिलाओं को अपमानित किया। सैकड़ों ग्रामों को उजाड़ दिया। मुजफ्फराबाद, ऊड़ी, पट्टन जैसे व्यापारिक कस्बे, जो कि राजधानी श्रीनगर के राजमार्ग पर व्यापार के केन्द्र थे, वहां इस समय धूम्र और ध्वंसावशेष ईंट पत्थर के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहा।

ये लुटेरे पाकिस्तान के नाम पर आए ताकि हमें विश्वास हो जाय कि वे इस्लाम के सच्चे प्रचारक हैं। पाकिस्तान के इन मित्रों ने पवित्र कुरान शरीफ को भी अपमानित किया और हमारी मस्जिदों में कुकृत्य फैलाए और उनको उड़ाई हुई महिलाओं के साथ विषय वासना पूर्ति करने के लिए वेश्यालयों में परिवर्तित किया गया। प्रत्येक काश्मीरी के नाम से मैं पीर माँकी शरीफ को लुटेरों के सरदार के पद पर आरूढ होने के कारण अपनी आत्मा को ढूंढने के लिये कह रहा हूं। हमने इस्लाम के इन द्रोहियों को पराजित करके मार भगाया है।"

९१७ राजौरी में मार काट

जम्मू की ओर लुटेरों ने इससे भी अधिक अत्याचार किए। लूट और विनाश का बाजार जारी रखा और फिर भी पाकिस्तान ने दावा किया कि वे धार्मिक योद्धा और स्वतंत्रता दिलानेवाले हैं। काश्मीर को स्वतंत्र कराने आए हैं और मुसलमानों के विशेष रूप से समदुखी हैं। इस ओर जो कस्बा सबसे अधिक तबाही का शिकार बना वह जम्मू का अन्नागार राजौरी है। यह मनोहर प्राचीन मुगल सड़क पर नोशहरा से ३० मील उत्तर की ओर स्थित है और यह भी ऐसी तहसील है जहां पर मुस्लिमों की संख्या ८५ प्रतिशत है। लुटेरों ने इस नगर को सर्वथा लूट खसोट कर उजाड़ डाला। मार काट का बाजार गरम किया। निःशस्त्र जनता को मौत की नींद सुलाया और असंख्य महिलाओं को उड़ाया। यह सुन्दर कस्बा आज खंडहरों का नमूना बना हुआ है और इन धार्मिक योद्धाओं के कुकृत्यों का साक्षी बन रहा है।

इस नगर के बारह हजार हिन्दुओं और सिक्खों को निर्दयता के साथ मार डाला गया। इस प्रकार पाकिस्तानियों ने इस नगर के चारों ओर के प्रदेशों में चंगेज और तैमूर की स्मृति को पुनः सजीव कर दिया। उन्होंने २० हजार आदमियों को मौत के घाट उतारा और दो हजार स्त्रियों को उड़ाया।

१२ अप्रैल १९४८ को इस कस्बे पर भारतीय सेनाओं ने अधिकार प्राप्त किया। उस समय जो दशा देखी गई वह अत्यन्त भयानक थी। चारों ओर ध्वंसावशेष ही दृष्टिगोचरहोते थे और आबादी का नाम निशान भी नहीं था। कस्बे के बाहिर तीन बड़े गढ़े पाए गए जो कि शव-परिपूर्ण थे और जिनके ऊपर गृद्ध मंडरा रहे थे। अन्धाधुन्ध मार काट करने के अतिरिक्त पाकिस्तानी धार्मिक योद्धाओं ने नगर के बाहर ७०० स्त्रियों को भी उड़ाया। सब स्वस्थ युवकों को जिनकी अवस्था २० और ५० वर्ष के बीच थी उन्हें लुटेरों के साथ बलपूर्वक मजदूरी करने के लिए बाध्य किया गया और कस्बे से जाते समय अन्त में उनको मौत की नींद सुलाया गया।

९१८ जम्मू के प्रदेशों का भयानक दृश्य

पाकिस्तानी धार्मिक योद्धाओं ने जम्मू पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ सब ग्रामों को अग्नि की भेंट किया और जहां कहीं वे गये मन चाही लूट खसोट की। आज ये सब ग्राम पाकिस्तानी दुराचारों की रूप रेखा बता रहे हैं। इन ग्रामों में अब ध्वंसावशेष ही दिखाई देते हैं। कहीं भी आबादी का चिन्ह नहीं। यहां तक कि अन्न का एक कण भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इस प्रदेश में अन्य ग्रामों तथा नगरों के अतिरिक्त राह और बेटीपटन के ग्रामों को पूर्णतया मटियामेट किया गया है।

लुटेरों ने देवबताला के समीप ४० ग्रामों को जला डाला और जनता की हत्या करके उनकी धन सम्पत्ति को लूट लिया। यह दशा उस समय देखनी चाहिए थी जब कि भारतीय सेनाओं ने उन इलाकों पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। खास पाकिस्तान की करतूतों का प्रदर्शन, पाकिस्तान का उद्देश्य और

कबाइली लोगों की हिंसा सब आंखों के सामने आ जाती है। किन्तु वे प्रदेश जो अब भी उन लुटेरों के अधीन हैं वहाँ की अवस्था अभी देखनी शेष है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि उन प्रदेशों की दशा इन प्रदेशों की अपेक्षा, जहां कि उनके पैर उखड़ गए थे, बहुत अधिक दयनीय और भयानक होगी। युद्ध रोको प्रस्ताव के मानने से अब जब कि युद्धबन्द हो गया है तब भी सहस्रों व्यक्ति लुटेरों के अधीन प्रदेशों से निकल कर जम्मू और काश्मीर आ रहे हैं। उनकी दयनीय दशा को देख कर मानव हृदय से रक्त बहने लगता है। उनके सम्बन्धी, स्त्रियां और बच्चे जिनको इन पाकिस्तान के हिंसक पशुओं ने उनकी आंखों के सामने ही सदा के लिये नष्ट कर दिया, पाकिस्तान की समवेदना को प्रकट कर रहे हैं।

काश्मीर के उपप्रधान मंत्री गुलाम मुहम्मद, जो उस समय जम्मू प्रान्त के चीफ एमर्जेन्सी अफसर थे, जम्मू के गवर्नर के साथ २४ नवम्बर १९४७ को जम्मू की सीमा का निरीक्षण करने गए। उन्होंने सीमाओं के भ्रमण के उपरान्त कहा :

> "जहां कहीं मैं गया, मैंने यह देखा कि ग्रामों को पूर्णतया भस्म कर दिया गया था। खेती को लूटी हुई और नष्ट भ्रष्ट देखा। लुटेरों ने मुस्लिमों और अमुस्लिमों को उनकी सम्पत्ति सहित समान रूप से लूटा।"

यह भी देखा गया कि लुटेरों ने जहाँ कहीं उनके अपवित्र पैर जा सके, भोजन और वस्त्रों सहित यथासंभव प्रत्येक वस्तु लूट ली। उन्होंने काश्मीर प्रान्त में बारामूला, सोपोर, पटन, बांडीपुर, बड़गांव, हिन्दवाड़ा, गुलमर्ग, ऊड़ी, मुजफ्फराबाद और जम्मू प्रान्त में सब सीमावर्ती कस्बों और ग्रामों को अपनी लूट खसोट, मार काट, अग्निदाह और अत्याचार का शिकार बनाया।

९१९१ एक और निमंत्रण पत्र

नाम्बला (ऊड़ी) के राजा मुहम्मद अफजल खां को लुटेरों ने लूटा।

उन्होंने मिस्टर जिन्ना और उनके अनुगामियों को उनके धार्मिक योद्धाओं के कुकृत्यों को देखने के लिए निमंत्रित किया। उन्होंने २६ जनवरी १९४८ को घोषित किया :

"हमने पाकिस्तान को बहुत कुछ देखा। इन धार्मिक योद्धाओं ने अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिये धर्म की आड़ ली। इन्होंने इस्लाम को बहुत अयोग्यता के साथ प्रकाशित किया। मि० जिन्ना या उनके किसी पृष्टपोषक को आना चाहिए ताकि वे अपने आप देख सकें कि इस्लाम के इन मित्रों ने काश्मीर की इस मनोरम घाटी को कितना अधिक नष्ट भ्रष्ट तथा खंडित किया है। मैं उन्हें इन आजाद काश्मीर के सिपाहियों के ढाए हुए अत्याचारों के प्रत्यक्षदर्शी विवरण, अग्निदाह, सतीत्व भ्रंशन और लूट खसोट की जीवित जागृत सनदें उपस्थित करने के लिये तैयार हूं। मैं मिस्टर अब्दुल कयूम खां को निमंत्रण देता हूं कि वे स्वयं आकर अपने कर्मों और परिश्रमों का फल देखें। सब प्रेक्षकों को आकर स्वयं देखना चाहिए कि किस तरह इन लुटेरों ने गुप्त रूप से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिये इस्लाम के प्यारे नाम से अनुचित लाभ उठाया है। और किस प्रकार से उन्होंने काश्मीर के निर्धन मुसलमानों को गृहविहीन और परमुखापेक्षी बना दिया है।

"कतिपय हिन्दुओं की नारियां, जिन्हें मैंने शरण दे दी थी, खोज निकाली गईं और उनको उड़ाया गया। बिना किसी भेद भाव के नाम्बला, बालाकोट, बारकोट, सालीकोट साहुरा और हथलगा जैसे ग्रामों को जहां १०० प्रतिशत मुस्लिम ही मुस्लिम हैं, पूर्णतया लूटा गया और जलाया गया। गरीब ग्रामवालों को मृत्यु का भय दिखा कर लूट का माल अपनी पीठ पर उठा कर ले जाने के लिये बाध्य किया गया।"

९१९२ महिलाओं के साथ अत्याचार

पाकिस्तानी लुटेरों ने महिलाओं के साथ अत्यन्त अमानुषिक और अत्याचारपूर्ण आचरण किया। प्रत्येक काश्मीर निवासी के प्रति उनका यह नारा

था, 'जर बिदह ओ जन बिदहू' अर्थात् धन सम्पत्ति, रुपया पैसा, सोना चांदी और इसके अतिरिक्त अपनी स्त्रियों को चाहे वे उनकी मां हों, बहिन हों, या पुत्री हों पेश करो। इसलिए जो कोई आदमी इस प्रकार की पाशविकता और मानहानि पर आनाकानी करता तो उसका फिर बदला लिया जाता और स्त्री को बलपूर्वक घसीट कर ले जाया जाता। बारामूला में एक ही घर के सात आदमी इसी पाशविकता का मुकाबला करते हुए मौत के घाट उतारे गए।

कान की बालियों को छीनने के लिये स्त्रियों और बच्चों के कानों को काटा गया। कंगन निकालने के लिये भुजाओं से हाथों को पृथक किया गया और भी रोमांचकारी शारीरिक कष्टकारक कार्यों का प्रयोग किया गया। पुरुषों को भी भांति भांति के शारीरिक कष्ट दिए गए। इन से अनुचित काम लिया गया और अधिकांश को उड़ाया या मार डाला गया। महिलाओं के साथ सब तरह के असभ्य व्यवहार किए गए। उनको उड़ाया गया और उनका सतीत्व नष्ट किया गया। उनको जेलों में बन्द रखा गया, जहां उन्हें सताया गया और उनकी मान मर्यादा का नाश किया गया। राजा मुहम्मद मकबूल खां के वर्णन के अनुसार उनके बच्चों को भी इस प्रकार के अत्याचार और पाशविकता का शिकार होना पड़ा। सारांश यह कि इन अत्याचारी हिंस्र जन्तुओं के सामने स्त्रियों के कान हाथ इत्यादि रक्तरंजित होकर पड़े रहे।

९१९३ अन्धाधुन्ध लूट खसोट

काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रेषित "धार्मिक योद्धाओं" ने काश्मीर निवासियों को अंधाधुन्ध लूटा। लूटने की आज्ञा बड़े-बड़े पाकिस्तान के अफसरों ने दी थी। उन्हें काश्मीर पर आक्रमण करना था और चढ़ाई में भाग लेने के लिये कबायली लोगों को प्रेरित करना था। मि० रेडी का बयान है :

"फलतः यह निर्णय कर लिया गया कि काश्मीर पर आक्रमणकारियों की यथार्थ मानव-शक्ति कबाइली लोग होंगे और उन्हें स्पष्ट कह दिया जायगा कि तुम्हें मनमानी लूट मार करने का अधिकार होगा। इस नवीन कार्यपद्धति और कार्यविधि ने कबाइली लोगों पर विद्युत

जैसा प्रभाव डाला, क्योंकि इससे अच्छी भेंट उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। उन्हें यह देख कर प्रसन्नता हुई कि जो पोलिटिकल एजेन्ट कभी लूट मार के कारण उन्हें दंड देते थे वे अब स्वयं आकर उन्हें लूटने की खुली छुट्टी और पूर्ण स्वतंत्रता का सन्देश दे रहे हैं। लूट मार और बदला लेने का क्षेत्र व्यापक होता गया। यहां तक कि पूरा कबाइली इलाका इसके प्रभाव में आ गया। काश्मीर के विरुद्ध धार्मिक युद्ध की अग्नि भड़क उठी। बड़े-बड़े अपराधियों के वारंट रद्दी कर दिये गये और साधारण क्षमा की घोषणा कर दी गई, ताकि उन्हें यह अनुभव हो कि पाकिस्तान की स्थापना से उन्हें भी पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है, अर्थात् पड़ोसी देशों में लूट मार करने का आज्ञा-पत्र मिल गया है।

"कबाइली लोग यद्यपि कुशल योद्धा थे लेकिन उन्होंने लूट का माल एकत्रित करने और इकेले दुकेले सिक्खों की खोज में बहुत सा समय नष्ट कर दिया। अब उनके पास लूट का बहुत सा माल जमा हो गया था, जिसे वे अपने घर ले जाने के लिये बहुत ही उत्सुक थे। खुर्शीद अनवर, जो कि इन कबाइली लोगों की कमान कर रहा था, लूट में व्यस्त रहा। पाकिस्तान के अन्य अफसर भी लूट का माल जमा करने और स्त्रियों की खोज में भ्रमण कर रहे थे।

"खुर्शीद अनवर ने कोई प्रशंसनीय काम नहीं किया बल्कि वह लूट का माल एकत्रित करने में व्यस्त हो गया और जब एबटाबाद में उसके मकान की तलाशी ली गई तो उसमें से आभूषणों के ९२ संदूक और दो लाख कारतूसों के अतिरिक्त ब्रेनगनों और रिवाल्वरों की एक बड़ी संख्या पुलिस के अधिकार में आई।

"रावलपिंडी में इस पाकिस्तानी कमिश्नर का बंगला एक प्रकार का शस्त्रागार है, जहां आवश्यकता से अधिक युद्ध सामग्री एकत्रित रहती है। इसके अतिरिक्त लूट की तमाम सम्पत्ति इसकी कोठी में संगृहीत रहती है। उदाहरणार्थ मीरपुर के अमुस्लिमों से आठ लाख रुपया नकद और अत्यधिक परिमाण में सोना लूटा गया। बल्कि इन अमुस्लिमों से तो इनकी सब धन सम्पत्ति लूट ली गई थी।

"कबाइली लोग लम्बी लड़ाई से घबरा गए और लूट की संभावनाएं भी समाप्त हो चुकी हैं। वे पश्चिमी पंजाब में इतने बदनाम हो चुके हैं कि जनता उनके नाम से दुखी दिखाई देती है और उनसे घृणा करती है। उन्होंने रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, वजीराबाद, और सियालकोट के मुसलमानों को भी लूटा जिसके फलस्वरूप पश्चिमी पंजाब में बहुत कोलाहल हुआ।"

११९४ बौद्धों का निर्दयतापूर्ण वध

पाकिस्तानी लुटेरों ने सीमावर्ती प्रान्तों में शान्तिप्रिय बौद्धों को भी शान्ति पूर्वक नहीं रहने दिया और उन्हें पाकिस्तान का दृश्य दिखाया। इस दुर्घटना पर २३ अगस्त १९४८ को भारत की महाबोधि सोसाइटी ने दृढ़ प्रतिकार के स्वरूप निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :

"महाबोधि सोसाइटी, गास्कर पदम के मठ के लामा की निर्दयतापूर्ण हत्या, गिलिगित स्काउट्स और पाकिस्तान सीमा के कान्स्टलबरी की की हुई लूट खसोटों और अग्निदाह, तथा लद्दाख घाटी में ५०० बौद्धों की निर्दयतापूर्ण हत्या और तलवार की नोक पर बौद्धों के धर्म परिवर्तन को अत्यन्त क्रोध और आशंका के साथ सुनती है।"

सोसायटी ने हिन्दुस्तान, बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन, स्याम और अन्य बौद्ध और हिन्दू देशों और साथ ही साथ तमाम सभ्य देशों से प्रार्थना की है कि वे ऐसे पैशाची अपराधों के रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही करें।

११९५ नितान्त निर्दय और विनाशकारी चित्र

"स्टेट्स्मैन" समाचारपत्र के विशेष संवाददाता ने पश्चिमी काश्मीर के इलाकों का भ्रमण करके रावलपिंडी में १० फरवरी १९४९ को कहा :

"पाकिस्तान के आजाद काश्मीर इलाके में युद्ध या राजनीति की दशा नहीं, वरन उजड़े हुए मनुष्यों की कहानियां हैं। मीरपुरमें आधे से अधिक घर जलाये गए हैं और कोटली के शरणार्थियों की दशा

दयनीय है। यहां कोई घर पूर्ण और छत सहित नहीं है। मार्गों पर पत्थर ईंटे और जली हुई शहतीरें दिखाई देती हैं।

"दक्षिणी सीमा के निकट अलीबेग कैम्प में १२३३ हिन्दू हैं जो मीरपुर और कोटली के इलाके के हैं। और उनमें से कतिपय बलपूर्वक मुसलमान बनाए गए हैं। कैम्प पहले बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में था, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रबन्ध में आने से परिस्थिति कुछ बदल रही है।"

११ फरवरी १९४९ को इसी संवाददाता ने प्रगट किया :

"वह प्रदेश जिसे पाकिस्तानी काश्मीर का आजाद किया हुआ प्रदेश कहा जाता है सनसनीपूर्ण निर्धनता और अभाव का शिकार बना हुआ है। गन्दगी से परिपूर्ण और उत्पातों से नष्ट भ्रष्ट काश्मीर का यह हृदयहारी भाग नितान्त दुखदायक चित्र प्रदर्शित कर रहा है।"

यही संवाददाता १४ फरवरी १९४९ को ऊड़ी से कहता है :

"लुटेरों ने ऊड़ी के नगर को पूर्णतया जला दिया है और पाकिस्तानियों के बताए हुए आजाद काश्मीर इलाके में तमाम सड़क पर मकानों और किसानों की झोपड़ियां जला दी गई हैं। दोमेल, चकोठी और गढी दोपट्टा के बीच केवल कुछ दीवारों का ढांचा विद्यमान है। चिनारी ग्राम का आधा भाग नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है और चकोठी सर्वथा मटियामेट कर दिया गया है।"

जब कि मीरपुर के केम्प से कबाइली लोग वापस लौट रहे थे तो मसऊदी कबीले के एक आदमी ने इसी संवाददाता से कहा:

"हमें मारने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सिखाया गया है और अब हमें क्या करना है।"

९१९६ पाकिस्तान का दृश्य

पाकिस्तान ने अपनी स्वार्थपूर्ण और पाशविक इच्छाओं को पूरा करने क लिये काश्मीर की निःशस्त्र जनता पर कबाइली लुटेरे और अन्य सैनिक

को स्वतंत्र कराने के लिये आया था और उसके प्रेषित हिंसक पशु काश्मीर की स्वतंत्रता के ध्वजधारी थे।

९११७ काश्मीरियों का उत्पीड़न

पाकिस्तान ने काश्मीरियों को भयानक कष्ट दिए हैं और अब भी पाकिस्तान देना चाहता है।

२२ जुलाई १९४९ को वाह कैम्प पर, कैम्बलपुर, पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तानी रक्षकों द्वारा, जो गोली चलाई गई थी, उसके परिणामस्वरूप लगभग १५० व्यक्ति मारे गये तथा २२ घायल हुए। पुंछ ग्राम के निवासी रमजान की लड़की की, जो कि कैम्प में निवास करती थी, एक पाकिस्तानी सैनिक आफिसर द्वारा निर्दयतापूर्ण हत्या किये जाने से क्रोधित होकर शरणार्थियोंने कैम्प कमांडेंटके घर पर आक्रमण किया। इस बात पर पाकिस्तानी रक्षकों ने गोली चलाई जिसके परिणाम स्वरूप भी हानियाँ हुई।

शरणार्थी नवयवती स्त्रियों पर इस प्रकार के आक्रमणों की बहुत बार अगणित रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जबकि वे पाकिस्तानी सैनिकों से वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ का राशन प्राप्त करना चाहती थी। वस्त्र बिना मूल्य के केवल बालिकाओं तथा नवयुवती स्त्रियों को बाँटा जाता था, दूसरों को नहीं। यह शिकायत भी मिली है कि लुटेरे १५० नवयुवती बालिकाओं को कैम्प में से उठा ले गये, जिस कैम्प में काश्मीर से आए हुए मुस्लिम शरणार्थी रहते थे। यह सिर्फ इतना ही नहीं है। बहुत से काश्मीरी मुसलमान भेदी माने जाने के कारण पाकिस्तान में बन्दी बनाये गये हैं। लाहौर, मरी तथा रावलपिंडी में कई मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों को लूटा गया और उनको कष्ट दिया गया। गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम तथा वाह के कैम्पों में काश्मीरी शरणार्थियों पर कठोर दृष्टि रखी जाती है। कोई काश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान में अपनी प्रतिष्ठा तथा जीवन को सुरक्षित नहीं पाता है।

शेख अब्दुल्ला ने तमाम क्रूरताओं का वर्णन करते हुए ५ नवम्बर १९४९ को कहा :

"काश्मीर के निःशस्त्र लोगों के साथ पाकिस्तानी धार्मिक योद्धाओं का बर्ताव इस्लाम के पवित्र नाम पर न मिटनेवाला कलंक है। यह बात कितनी अधिक घृणित है कि तमाम क्रूर कर्म इस्लाम के नाम पर किए गए तथा उसकी कीर्ति को बढ़ाने के लिये किए गए हों, यह दिखलाया गया।"

११९७१ लुटेरों की बर्बरता

पाकिस्तान के कबाइली लोगों और अन्य लुटेरों की हिंसा का वर्णन सुन कर मानव हृदय से रक्त प्रवाहित होने लगता है। और यह सब पाशविकता और हिंसा पाकिस्तान के आक्रमण का ही परिणाम है। पाकिस्तान के इन धार्मिक योद्धाओं के अतीव अत्याचार, अनुचित चेष्टाएं अंधाधुंध लूट खसोट, परिमाण रहित हिंसा और मानसिक उत्तेजना की पाशविकता से भी निकृष्ट स्थितियों को जानने के कारण प्रत्येक काश्मीर का निवासी पाकिस्तान से अत्यधिक घृणा प्रदर्शन कर रहा है। महाकवि हजरत जोश मलीहाबादी के कुछ पद्य लुटेरों की पाशविकता को प्रकट करते हुए ग्रन्थकार की उर्दू की पुस्तक "तस्वीरे काश्मीर" में लिखे गए हैं।

११९८ जन की हानियां

पाकिस्तान की चढ़ाई के फलस्वरूप लाखों काश्मीरियों के गृह विहीन और सहस्रों के दुखदायी बध किए जाने के अतिरिक्त सहस्रों रियासत निवासी और भारतीय सिपाही काश्मीर को बचाने और काश्मीर की जनता की स्वतंत्रता को विद्यमान रखने के लिये मृत्यु के शिकार हो गए और उनसे कई गुना अधिक आहत हुए।

२ फरवरी १९४९ को हिन्दुस्तान के रक्षा मंत्री सरदार बलदेवसिंह ने हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में युद्ध में आहत हुए और मारे गए मनुष्यों की संख्या ९५० प्रकाशित की थी जो कि इस तरह विभक्त की जाती है :

पद	मृत्यु	आहत	अविदित	पूर्ण संख्या
अफसर	७	१८	४	२९
वी० सी० ओ० और अन्य सिपाही	२९३	५५०	७८	९२१

भारतीय सिपाहियों ने श्रीनगर में पहुंचने के समय अर्थात् २७ अक्टूबर, १९४७ से लेकर इस समय तक १,००० मील लम्बे मोरचे पर शत्रु का मोकाबिला किया और १,५०० से भी अधिक पर्वतों की चोटियों पर काश्मीर की रक्षा के लिये युद्ध करते रहे। उन्होंने काश्मीर के जाड़े में भी जबकि चारों ओर बरफ के ढेर लगे रहते हैं और प्रत्येक वस्तु हिमाच्छन्न हो जाती है, काश्मीर की स्वतंत्रता और काश्मीर निवासियों की मान प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये इन ऊँची और पार न की जाने वाली चोटियों पर मृत्यु के साथ खिलवाड़ करते रहे। और शत्रु को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। काश्मीर हिन्दुस्तान के सिपाहियों का बहुत अनुगृहीत है। उनके वीर जनरल कर्नल राय, मेजर शर्मा और ब्रिगेडियर उस्मान ने इसी इलाके की रक्षा के लिये अन्य जनरलों सहित अपना बलिदान दिया और रियासत की सेना के वीर जनरल राजेन्द्रसिंह ने भी एक मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ अपनी जान की आहुति दी। काश्मीर के स्वातंत्र्य युद्ध में ये माता को गौरवान्वित करने वाले सपूत सदा के लिये जीवित रहेंगे।

हिन्दुस्तान के सिपाहियों ने एक वर्ष के भीतर अर्थात् २७ अक्टूबर १९४८ तक शत्रु के १५,००० सिपाहियों को समाप्त किया। नोशहरा के इलाके में ही ६ फरवरी १९४८ को २,००० से अधिक लुटेरे मौत के घाट उतारे गये। जन हानि की अनुपात १: १५ रही है अर्थात् प्रत्येक भारतीय सिपाही का बदला १५ लुटेरों से लिया गया है।

९१९९१ सहायता की योजनाएं

काश्मीर राज्य और भारत सरकार लाखों पीड़ित और असहाय काश्मीरियों की पर्याप्त सहायता कर रही है। लगभग २५,००० शरणार्थी श्रीनगर

के समीप ग्रामों में कई सहायता केन्द्रों में रखे गये और १५,००० से अधिक श्रीनगर के ३० शरणार्थी कैम्पों में लाए गए। जम्मू के नगरोटा कैम्प में लगभग एक लाख शरणार्थी हैं, जिनकी सम्पूर्ण देख रेख भारत सरकार कर रही है। और यह कैम्प सीधे उनके प्रबन्ध में है। किंग्सवे कैम्प दिल्ली, सफदर-जंग कैम्प न्यू दिल्ली, और बनारस के कैम्प में जो काश्मीरी शरणार्थी हैं उन्हें भारत सरकार के अतिरिक्त काश्मीर की सरकार, काश्मीर के महा-राजा और महारानी सब के सब पर्याप्त सहायता कर रहे हैं।

काश्मीर की शरणार्थी सहायता, पुनः संघटन संस्था ने गत वर्ष की २० जनवरी तक ही एक लाख रुपया एकत्रित किया था, जिसमें २५,००० रुपये काश्मीर सरकार ने दिये थे। इस नकदी के अतिरिक्त २,००० तोशे, १५,००० नमदे, १,००० ऊनी गंजियां और १,००० चादरें श्रीनगर के शरणार्थियों को दिये गये। उन्हें १,००० मन गेहूं और १४४ मन चावल बिना मूल्य बांटे गये।

नेशनल कांफ्रेंस ने इससे पहले २०,००० रुपये जम्मू के शरणार्थियों को दिये थे। इसके अतिरिक्त ३५,००० रुपया इकट्ठा किया गया और २५,००० रुपया महारानी काश्मीर ने दिया। उक्त महारानी ने दिल्ली के कैम्पों में भी शरणार्थियों की सहायता के लिये सहस्रों रुपया बांटा है।

सरदार पटेल ने १९४८ की सर्दी में बख्शी गुलाम मुहम्मद को एक लाख रुपया और पं० नेहरू ने १०,००० रुपये का चेक भेजा, पिछली सर्दी में भी उन्होंने उतनी ही रकमें फिर भेजी थी। भारत सरकार ने मि० होरेश एलेक्जेन्डर को, १९ नवम्बर १९४७ को काश्मीरियों के फिर बसाने के लिये भेजा। इसके अतिरिक्त भारत के लोगों ने इन लाखों शरणार्थियों की सहा-यता के लिये काश्मीर रिलीफ फंड खोला।

हाल ही में काश्मीर सरकार ने लगभग ६ लाख रुपये की रकम शरणा-र्थियों की सहायता के लिये स्वीकार की है। किन्तु लाखों गृहविहीन और अस-हाय काश्मीरियों को फिर से बसाने के लिये कई करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। १३ फरवरी १९४९ को शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने पुनः संस्थापन का

व्यय १५ करोड़ बताया। तात्पर्य यह है कि यह सब हानि और विनाश पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप है।

९११९२ पुनः संस्थापन का कार्य

श्रीनगर और उसके निकटवर्ती कैम्पों में ४०,००० और जम्मू के नगरोटा कैम्प में १,००,००० से अधिक शरणार्थी पड़े हुए हैं। नवीनतम परिस्थितियों से पता चला है कि केवल पुंछ के इलाके में ८०,००० मुस्लिम शरणार्थी हैं।

काश्मीर सरकार ने पुनः संस्थापन का कार्य तीव्रगति से प्रारम्भ कर दिया है। उसने पुंछ, हवेली और सारेन के इलाकों में २१ नवम्बर १९४८ के उपरान्त १,००,००० शरणार्थी फिर से बसाए हैं, जिनमें से ८०,००० के लगभग केवल मुसलमान हैं।

नोशेहरा, राजौरी और भिम्बर के स्वतंत्र किये हुए इलाकों में भी १,००,००० शरणार्थी फिर से बसाए गए हैं। जिनमें से ७०,००० मुसलमान और ३०,००० हिन्दू हैं।

पुंछ उपनगर में १,००,००० हिन्दू और सिख शरणार्थी हैं जो पलन्दरी बाग, और मुजफ्फराबाद के इलाकों से आए हुए हैं। ये एक लाख शरणार्थी अभी तक फिर से नहीं बसाए गए।

राजौरी के इलाके में २८ अगस्त १९४८ तक ही १४,००० शरणार्थी बसाए गए और १२० ग्रामों को पुनः संस्थापित किया गया।

इससे पहले १८ अगस्त १९४८ को मुजफ्फराबाद के ३,००० मुसलमान पीरपंचाल की ऊंची चोटियों को पार करते हुए ३० मील से अधिक दुर्गम जंगलों से होकर पाकिस्तानी प्रदेशों को छोड़ कर चकोठी की ओर भारतीय प्रदेशों में आए। इन सब शरणार्थियों की दयनीय दशा थी। उनमें से एक स्त्री ने कहा : पाकिस्तान ने हमें निर्दयता से लूट लिया है।

१८ अक्टूबर १९४८ को दरहाल की घाटी में १५,००० मुसलमान पाकिस्तानी प्रदेशों से भाग कर आ गए। यह घाटी राजौरी थाना मंडी सड़क के पूर्व में स्थित है। ये शरणार्थी भूख और भय से सताए हुए थे और इनकी आकृति जीर्ण शीर्ण वस्त्रों से और अर्ध नग्न दशा से अत्यधिक दुखदायक थी।

युद्ध रोको के पश्चात् नोशेहरा के इलाके में कतिपय सहस्र शरणार्थी पाकिस्तान के अधिकृत प्रदेश से भाग कर काश्मीर आ गए इसी प्रकार दूसरे इलाकों से भी मुसलमान शरणार्थी धड़ा-धड़ आ रहे हैं। इन सबकी दशा बड़ी हृदय विदारक और दयनीय है। जम्मू तथा काश्मीर सरकार इन सबको पुनः बसाने का नियमित प्रबन्ध कर रही है।

मेंढर और पुंछ के इलाके में भारतीय सिपाहियों ने २० मार्च १९४९ तक पाकिस्तान के अधीन प्रदेशों से आए हुए १,२०,००० मुसलमान शरणार्थियों को बसाया।

जाड़े के तीन महीनों में भारतीय सिपाहियों ने काश्मीर की घाटी में ६,००० उजड़े हुए काश्मीरियों को रियासत के अफसरों की सहायता से फिर बसाया। ऊड़ी के प्रदेश में १६ ग्राम पूर्णतया बसाए गए। टीठवाल के क्षेत्र में ६०० और करगिल के क्षेत्र में ७०० शरणार्थियों को फिर से बसाया गया। टीठवाल के प्रदेश में ४,००० रोगियों की भारतीय डाक्टरों ने मुफ्त चिकित्सा की।

काश्मीर सरकार सम्वत् २००६ (१९४९–५०) में विस्थापित जनों को बसाने में ३१,६४,९५३ रुपये व्यय करेगी और शरणार्थी विद्यार्थियों के लिये भी ४६ लाख रुपया खर्च करेगी। रियासत में इस समय ३,९७,००० शरणार्थी हैं और शत्रु के इलाके से भी २,००,००० शरणार्थी प्रविष्ट हुए हैं।

रिलीफ कैम्पों में शरणार्थियों की संख्या इस प्रकार है :

जम्मू	४३,०००	काश्मीर प्रान्त	१०,०००
पंजाब	५,०००	उत्तर प्रदेश	७,०००
चकराटा	१,५००	भारत के अन्य प्रदेश	५,०००

हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने काश्मीर सरकार के सहयोग से नवम्बर १९४८ से १५ जुलाई १९४९ तक लद्दाख के उस प्रदेश में ३० हजार लोगों को फिर बसाया जो बानहाल से शेवक तक फैला हुआ है। करगिल और द्रास में २३ स्कूल खोले गये और ६०,००० लोगों को चेचक से बचने के टीके लगाए गए।

—:०:—

पाकिस्तानी अत्याचार



पुंछ के शरणार्थी, जिनका सर्वस्व नष्ट हो चुका है।

"जो तथाकथित काश्मीर के उद्धारक के रूपमें आए थे, न्होंने जाति और वर्गके भेद बिना काश्मीरियों को जी भर कर टा। यह सब इस्लाम के नाम पर किया गया।"

शेख मुहम्मद अब्दुल्ला
(११ नवम्बर १९४७)

दसवां अध्याय

काश्मीर और संयुक्त-राष्ट्र-संघ

९२१ पाकिस्तान से निवेदन

काश्मीर पर आक्रमण होने के पश्चात् जब रियासत हिन्दुस्तान के साथ मिलने पर विवश हुई, उस समय बहुत से व्यक्तियों को विश्वास न आ सका कि यह आक्रमण पाकिस्तान ने किया था और जो कबाइली तथा अन्य आक्रमणकारी काश्मीर को विजय करने की इच्छा से आये थे वे पाकिस्तान के भेजे हुये थे। पाकिस्तान ने संसार की आंखों में धूल डालने के लिये उन लुटेरों और आक्रमणकारियों को रियासत के निवासी का नाम देकर कहा कि महाराजा कश्मीर के विरुद्ध लड़ रहे हैं और देश की स्वतंत्रता के धार्मिक योद्धा हैं। परन्तु यह बात भी अधिक समय तक न रह सकी और संसार को भली भांति ज्ञात हो गया कि पाकिस्तान ने रियासत को हस्तगत करने की इच्छा से अपने सैनिक और नागरिक आक्रमण करने के लिये भेजे और उनको हर प्रकार की सहायता दी। इस लिये २८ अक्टूबर १९४७ को अर्थात् काश्मीर के भारत में सम्मिलित होने के दूसरे दिन ही भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की कि वह काश्मीर में लुटेरों की सहायता करना बन्द कर दे, क्योंकि काश्मीर की रियासत संमिलन के कारण भारत का एक अंग बन गई है। इसके पश्चात् कई बार भारत सरकार ने अपनी प्रार्थना को फिर दुहराया। २२ दिसम्बर १९४७ को अन्तिम बार प्रार्थना की। २६ दिसम्बर

१९४७ को इसके बारे में एक तार भी भेजा परन्तु पाकिस्तान के कान पर जूं तक न रेंगी। वह उल्टा बहाने बनाता रहा। भारत ने बार बार स्पष्ट किया कि काश्मीर केवल अस्थायी रूप में सम्मिलित हुआ है और सम्मिलन का अन्तिम निर्णय जनमत से किया जायगा। परन्तु पाकिस्तान यह न माना और लड़ाई को लम्बा करता ही गया।

९२२ संयुक्त-राष्ट्र-संघ से निवेदन

लुटेरों के अड्डे, रसद और युद्ध के सामान केन्द्र पाकिस्तानी भागों में थे इसलिये भारत के लिये लुटेरों के साथ निबटना सुगम न रहा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान से बार-बार प्रार्थना करने पर भी कोई लाभ न हुआ। युद्ध लम्बा होता जा रहा था और भय प्रत्येक दिशा में बढ़ रहा था। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के भंग होने की संभावना हो सकती थी। अतः अन्त में विवश होकर भारत ने संयुक्त-राष्ट्र-संघ के द्वार खटखटाये और घोषणा की कि वह युद्ध को रोकने के लिये पाकिस्तान के विरुद्ध शिकायत करने को खड़ा हुआ है और वह चाहता है कि निर्णय सभ्यता से किया जाय। ३१ दिसम्बर १९४७ को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा ३५ के अनुसार सुरक्षा-परिषद के प्रधान को एक स्मृतिपत्र भेजा।

९२३ भारतवर्ष का स्मृतिपत्र

भारतवर्ष के स्मृतिपत्र में यह कहा गया था :

"भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति का कारण बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर के विरुद्ध जिसने भारत के उपनिवेश में सम्मिलन किया है और जो भारत का एक अंग है, आक्रमणकारियों की सहायता करता है, जिनमें पाकिस्तान के देशवासी और पाकिस्तान से मिले हुये उत्तर पश्चिमी भाग के कबाइली हैं।"

"भारत सरकार सुरक्षा परिषद से प्रार्थना करती है कि वह पाकिस्तान से कह दे कि वह ऐसी सहायता देना बन्द करदे,

क्योंकि यह भारत के विरुद्ध एक प्रकार का आक्रमण सा है। यदि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा तो भारत-सरकार आत्मरक्षार्थ आक्रमणकारियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिये पाकिस्तानी भाग में प्रवेश करने पर विवश होगी। इस लिये इस समस्या को शीघ्र कार्यरूप में परिणत करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति को रोकने के लिये परिषद का ध्यान इस ओर खींचा जाता है।

निम्न घटनाएं पूर्णतया स्पष्ट करती हैं :

क. कि आक्रमणकारियों को पाकिस्तानी भाग पार करने की अनुमति दी जाती है।

ख. कि इन्हें सैनिक-कार्य के लिये केन्द्रीय कैम्प बनाने के लिये पाकिस्तानी भाग को प्रयोग में लाने की अनुमति दी गई है।

ग. कि उनमें पाकिस्तान के देशवासी सम्मिलित हैं।

घ. कि वे प्रायः युद्ध-सामग्री, यातायात और रसद पैट्रोल आदि पाकिस्तान से प्राप्त करते हैं।

ङ. कि पाकिस्तान के अधिकारी उन्हें सैनिक-शिक्षा, नेतृत्व तथा अन्य कई साधनों से उनको तीव्रता से सहायता प्रदान करते रहे हैं।

और पाकिस्तान के सिवा और कोई ऐसा नहीं है जहाँ से वे आधुनिक युग के सैनिक—सामान को इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त कर सकें।"

"भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की थी कि वह आक्रमणकारियों के लिये सब सुविधायें बन्द कर दे। कारण सुविधायें देना भारत के प्रति एक प्रकार से आक्रमण और शत्रुता भरा कर्म है, परन्तु इसका कोई उत्तर न मिला।"

"इस उद्देश्य को देखते हुये आक्रमणकारियों को भारतीय भाग से निकालने और नया आक्रमण करने से शीघ्र ही रोकने के लिये भारतीय सेना को पाकिस्तानी प्रदेश में प्रवेश करना पड़ेगा-इस प्रकार आक्रमण-

कारियों को केन्द्रीय कैम्प के प्रयोग करने की आज्ञा न मिल सकेगी और पाकिस्तान में उनके रसद और सहायता के मार्ग कट जायेंगे।"

"यह सहायता, जो कि आक्रमणकारियों को पाकिस्तान से मिल रही है भारत के विरुद्ध एक आक्रमण है। अतः भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आक्रमणकारियों को दबाने के लिये अपने सशस्त्र सैनिकों को पाकिस्तानी भागों में भेजने को स्वतंत्र है।

इसलिये भारत सरकार का सुरक्षा परिषद से यह प्रार्थना करना न्याय-संगत है, कि वह सुरक्षा परिषद से माँग करे:

१. पाकिस्तान के सैनिकों और नागरिकों को रियासत जम्मू और काश्मीर के आक्रमण में भाग लेने या सहायता करने से रोक दे।

२. अन्य पाकिस्तानी देशवासियों को रियासत जम्मू और काश्मीर के युद्ध में भाग लेने से रोके।

३. आक्रमणकारियों को:

क. काश्मीर के विरुद्ध सैनिक-कार्यवाही में अपने प्रदेश से गुजरने और उसे प्रयोग में लाने से

ख. सैनिक और दूसरे सामान रसद को प्राप्त करने और

ग. सहायता के सारे अन्य साधनों से

जो आधुनिक युद्ध को लम्बा करने के कारण हों रोके।"

९२४ सुरक्षा परिषद की कार्यवाही

सुरक्षा परिषद ने ६ जनवरी १९४८ को कार्यसूची पर यह प्रश्न रखा। भारतवर्ष और पाकिस्तान ने इस बीच में अपने अपने प्रतिनिधियों को लेक-सक्सेस भेजा। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के नेता श्री एन. गोपाल स्वामी आयंगर, भूतपूर्व प्रधान मंत्री काश्मीर, थे और प्रतिनिधि-मंडल के अन्य सदस्य शेरे काश्मीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला, एम० सी० सीतलवाद और कर्नल बी० एम० कौल थे। पाकिस्तान ने अपना प्रतिनिधि सर मुहम्मद

जफरुल्ला खां को नियुक्त किया। सुरक्षा परिषद ने चार्टर की धारा ३१ के अनुसार दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों को वाद विवाद करने की स्वीकृति दी, परन्तु उन्हें मत आदि देने का कोई अधिकार न दिया गया।

२५ जनवरी १९४८ को श्री आयंगर ने भारतवर्ष का मामला पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया:

> "काश्मीर की भूमि से लुटेरों और आक्रमणकारियों को हटाना और भगाना तथा युद्ध को शीघ्र बन्द कराना पहला और परमावश्यक प्रश्न है जिस की ओर हमें अपने आपको लगाना चाहिए।"

२७ जनवरी १९४८ को परिषद ने एक योजना स्वीकार की जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भारतवर्ष और पाकिस्तान की परिस्थिति को सुधारने के लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिए और स्थिति को खराब न करने के लिये बयान देने से बचना चाहिए।

२० जनवरी १९४८ को सुरक्षा परिषद ने एक और योजना स्वीकार की जिसके अनुसार ३ सदस्यों का एक कमीशन स्थापित किया गया। इसका कर्तव्य यह था कि परिषद के द्वारा समय समय पर निकाले हुए आदेशों को कार्यान्वित करे तथा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच झगड़े में मध्यस्थता करे।

इस योजना के अनुसार भारतवर्ष और पाकिस्तान को एक एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। भारतवर्ष ने चैकोस्लोवेकिया को कमीशन का सदस्य नियुक्त किया।

बाद में कमीशन के सदस्यों की संख्या ५ तक बढ़ा दी गई। सुरक्षा परिषद ने काश्मीर के मामले को पेचीदा बना डाला और इस कारण से भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता न हो सका। फिर भी २२ जनवरी १९४८ से ४ फरवरी १९४८ तक परिषद की ८ बैठकें हुई।

२३ जनवरी १९४८ को भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के एक सदस्य श्री एम० सी० सीतलवाद ने परिषद की बैठक में कहा:

> "पाकिस्तान ने कबाइली सैनिकों को अपने प्रदेश से गुजरने की

अनुमति देकर स्पष्टतया अन्तर्राष्ट्रीय सन्धी की अवहेलना की है। कबाइली लोग लुटेरों की एक संस्था नहीं हैं, वरन् एक सेना है जो आफिसरों के कमान में आधुनिक युद्ध के हथियारों से सुसज्जित और सैनिक दृष्टि से सुशिक्षित हैं। यह स्वतंत्रता प्रदान करने वाली सेना नहीं है, वरन् हिन्दुओं, मुसलमानों और सिखों पर बराबर मृत्यु तथा तबाही मचाने वाली हत्यारों की जमात है।"

१२५ सुरक्षा परिषद का झुकाव

इसके पश्चात् किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये सुरक्षा-परिषद के प्रधान के साथ भारतवर्ष और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच पृथक पृथक और साथ साथ निजी तरीके से बातें होती रही, किन्तु इन दो प्रतिनिधियों के बीच समझौता की खाई चौड़ी होती गई। फिर भी परिषद के प्रधान ने इन वार्तालापों के आधार पर कुछ प्रस्तावों के मसविदे बनाये। इससे पहले, परिषद के प्रधान ने २९ जनवरी को दो प्रस्तावों का मसविदा पेश किया था, जिसको उन्होंने ६ फरवरी १९४८ के दिन परिषद के समक्ष रखा। इसमें बहुत सी ऐसी तजवीजें थी जो भारतीय दृष्टिकोण के विरुद्ध थीं। पाकिस्तान केवल दो बातों पर अधिक जोर देता था :

१. शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की सरकार को हटाना, और
२. काश्मीर से भारतीय सैनिकों का बाहर करना।

श्री आयंगर ने ३ फरवरी १९४८ को ही स्पष्ट किया:

"जनमत के मामले में परिषद को कोई अधिकार नहीं है। यह मामला पूर्णतया रियासत जम्मू और काश्मीर और इसके लोगों के अधिकार में है।"

परिषद के प्रस्तावों पर आलोचना करने के पश्चात उन्होंने ६ फरवरी १९४८ को एक बार फिर दुहराया:

"इन कबाइलियों की सामाजिक स्थिति ही क्या है, जिन्हें यह माँग करने का अधिकार दिया जाता है कि जनमत उनके लिये सन्तोष-

जनक हो। हमने यह मान लिया है कि काश्मीर सरकार का भविष्य और संमिलन का प्रश्न काश्मीरी जनता के निर्णय पर अवलम्बित होगा।"

शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने भी ५ फरवरी १९४८ को सुरक्षा परिषद में बताया:

"इन लुटेरों ने, जो हमारे देश में आये, हजारों लड़कियों का अपहरण किया और हमारी सम्पत्ति को लूटा। अकस्मात पाकिस्तान संसार के न्यायालय के सामने आ खड़ा होता है और कहता है कि हम काश्मीरियों की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। संसार को हिटलर और गोबल्स से छुटकारा मिला है, किन्तु जो कुछ मेरे देश में हुआ है और हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी आत्माएँ पाकिस्तान में फिर से जन्म ले रही है।

हम चाहते हैं कि जम्मू और काश्मीर में ४० लाख जनता को जिनमें हिन्दू मुसलमान और सिख सम्मिलित हैं अपने भाग्य को बदलने और अपनी सरकार को काबू में रखने का अधिकार हो। हम चाहते हैं कि काश्मीर के इस मामले में पाकिस्तान का साक्षात् या परोस में कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये।"

अतः मसविदे की बहुत सी बातें भारतीय दृष्टिकोण के विरुद्ध थीं, इसलिये भारतवर्ष के प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार के सामने सारा मामला पेश करने और उनसे पूर्णतया परामर्श लेने के लिये भारत वापिस आने का निर्णय कर लिया। ११ फरवरी १९४८ को श्री आयंगर ने सुरक्षा परिषद को कहा:

"हमें कम से कम हथियार डाल कर एक दूसरे से लड़ाई बन्द करनी चाहिये। हमारा मामला यह है कि पाकिस्तान ने काश्मीर में लुटेरों और आततायियों को सहायता दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यह सहायता बन्द करदी जाय। जिस प्रश्न को लेकर हम यहाँ आये वह दूसरे मामलों के बंडलों में छिपा दिया गया है।"

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू में १८ फरवरी १९४८ को सुरक्षा परिषद की नीति पर आलोचना करते हुए कहा:

"भारतवर्ष को कोई बात छिपाने की आवश्यकता नहीं है। रियासती जनता की सहायता करना भारतवर्ष का कर्तव्य था, जबकि उन्होंने सहायता के लिये पुकारा।

भारतवर्ष काश्मीर की कठिनाइयों को लम्बा करना नहीं चाहता और भारतवर्ष यह भी नहीं चाहता था कि काश्मीर की लड़ाई भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच एक महान युद्ध का रूप धारण करे। इसलिये पूरे सोच विचार के पश्चात् भारत सरकार ने झगड़ा संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सामने पेश किया है। हमारे विचाराधीन प्रश्नों पर निष्पक्ष रीति से विचार विमर्श करने के स्थान पर, उस संस्था में प्रतिनिधित्व रखने वाले संसार के राष्ट्र शक्ति-संतुलन और राजनीति के दाँव-पेचों में फंस गए।"

११ फरवरी को पाकिस्तान के प्रतिनिधि सर जफरुल्ला खां ने सुरक्षा परिषद में बताया:

"कबाइलियों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहिये कि यदि वह शस्त्र डाल देंगे तो इसके पश्चात् क्या होगा। पिछले सितम्बर से जब शेख अब्दुल्ला जेल से छूट गये या उससे पूर्व भी उन्होंने महाराजा की कठपुतली बनना स्वीकार किया। उन्होंने काश्मीर के स्वतंत्रता-युद्ध में कोई भाग नहीं लिया है। यह स्पष्ट है कि यदि जनमत हिन्दुस्तानी बन्दूकों की छाया में होगा तो आजाद काश्मीर के लोग शस्त्र नहीं डालेंगे।"

१२ फरवरी १९४८ को भारतीय प्रतिनिधि मंडल लेकसेक्सस से भारत वापिस लौटा, जो १५ फरवरी १९४८ को बम्बई में जहाज से उतरने के समय शेरे काश्मीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने घोषणा की:

"यह सब राजनैतिक दाँव पेच हैं और वहाँ न्याय के लिये कोई स्थान नहीं है।"

९२६ भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के लौटने पर

सुरक्षा परिषद ने भारतीय प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में काश्मीर के मामले पर विचार करना स्थगित कर दिया। प्रतिनिधि मार्च १९४८ के पहले सप्ताह में पुनः लेकसेक्सस लौटा, किन्तु इस बार शेख साहिब प्रतिनिधियों के साथ न जा सके। लेकसेक्सस वापिस पहुंचने पर १० मार्च १९४८ को फिर से सुरक्षा परिषद में बहस होनी आरम्भ हुई। इसके अतिरिक्त उभय-सम्मत समझौते पर पहुंचने के लिये भारतवर्ष और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होती रही। इस प्रकार परामर्श लेने का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में चीन के प्रतिनिधि डाक्टर स्यांग ने पेश किया था।

कार्रवाई आरम्भ होने पर १० मार्च १९४८ को श्री गोपाल स्वामी आयंगर ने परिषद में बताया:

"सुरक्षा परिषद इस बात की माँग करना चाहती है कि स्वतंत्र राज्य के आन्तरिक शासन की बागडोर एक ऐसी एजेन्सी के हाथ में ऐसी हो सौप दी जाय जो राज्य से कोई सम्बन्ध न रखती हो अथवा कदाचित् जो जनता के लिये विश्वासपात्र न हो। इस प्रकार का उद्योग सर्वथा अविचार्य है और मैं सुरक्षा परिषद से सादर प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे विचार को हम पर न लादे।

"यह मानना हमारे लिये असंभव है कि जो सरकार इस समय शासन चला रही है इसको समाप्त कर दिया जाय और उसके स्थान पर किसी ऐसी बाहरी एजेन्सी या ऐसी एजेन्सी को लाया जाय जिसे रियासत की जनता का समर्थन न प्राप्त हो।"

इसके विरुद्ध सर जफरुल्ला खां नें लुटेरों की ओर से दावा पेश किया और उन्होंने भी १० मार्च १९४८ को वक्तव्य दिया:

"काश्मीर में वास्तविक प्रश्न तो यह है कि शेख अब्दुल्ला अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो महाराजा काश्मीर अथवा भारत सरकार द्वारा बलात् लादा गया हो और जिसे काश्मीर की जनता न मानती हो,

कारण वह उसी महाराजा के विरुद्ध युद्ध करती रही हो...ऐसा व्यक्ति शासन की बागडोर संभाले और जबकि सारा प्रश्न जनमत के द्वारा निर्णय किया जाने वाला हो।"

९२७ चीनी प्रतिनिधि का सुझाव

१८ मार्च १९४८ को चीन के प्रतिनिधि डाक्टर टी० एफ० सियांग ने सुरक्षा परिषद में एक तजबीज रखी जिसके तीन भाग थे:

१. शान्ति की पुनः स्थापना
२. जनमत संग्रह
३. साधारण शर्तें।

डाक्टर सियांग ने इस तजवीज को पेश करते हुए कहा:

"यह तजवीज जनमत की पूर्ण अभिव्यक्ति की जमानत देती है।"

भारत इस तजवीज को मान लेता यदि बहस के दौरान में उसे बदल न दिया गया होता।

पाकिस्तान के प्रतिनिधि सर जफरुल्ला खां ने १८ मार्च १९४८ को इस तजवीज पर बहस करते हुए कहा:

> "मैं सुरक्षा परिषद से साग्रह तथा अनुरोध करता हूं कि ऐसा कोई भी जनमत जो इस सरकार के अधीन हो, जिसका प्रधान शेख मुहम्मद अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति हो और जिस राज्य पर एक तरफ के सिपाही भारतीय सैनिक अधिकार किये हुए हों, किसी को इस बात की तसल्ली नहीं दे सकता कि वह निष्पक्ष होगा। दूसरी बातों के अलावा जो भी प्रस्ताव परिषद पास करे उसे आजाद काश्मीर की जनता को पूरी तरह सन्तुष्ट करना होगा ताकि वे युद्ध बन्द कर दें।"

अंग्रेजों के प्रतिनिधि मिस्टर फिलप नोवेल बीकर ने इस तजवीज पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा:

"यह प्रस्ताव पाकिस्तान पर लड़ाई बन्द करने के लिये एक भारी जिम्मेवारी डालता है। और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिये उसे रास्ता दिखाता है। इसमें स्वयं पाकिस्तान का स्थायी हित निहित है।"

९२८ छः राष्ट्रों का सम्मिलित प्रस्ताव

१७ अप्रेल १९४८ को सुरक्षा-परिषद के अध्यक्ष डाक्टर लोपज़ ने छ: राष्ट्रों (बैलजियम, कनाडा, चीन, कोलम्बिया, इंग्लैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) की सम्मिलित तजवीज पेश की।

इसमें ५ सदस्यों के एक कमीशन को रियासत जम्मू और काश्मीर में भेजने की सिफारिश की गई।

इस प्रस्ताव ने बहस के दौरान में एक नई शक्ल अख्त्यार कर ली। अन्त में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के विरोध के बावजूद सुरक्षा परिषद ने २१ अप्रेल १९४८ को इस प्रस्ताव को पास कर दिया।

श्री गोपाल स्वामी आयंगर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए १९ अप्रेल १९४८ को परिषद में बताया:

"काश्मीर का भारत में सम्मिलन जो २६ अक्टूबर १९४७ को हुआ है, ठीक और कानूनी है। काश्मीर के सम्मिलन से उस पर आ पड़ने वाली जिम्मेदारियों को भारत पूरी करता रहा है। और अब भी वह काश्मीर की भारी जनसंख्या की बाहरी लुटेरों से रक्षा कर रहा है।

"हम इसको भी एकदम साफ करना जरूरी समझते हैं कि जब युद्ध बन्द होगा और शान्ति स्थापित की जायगी तो काश्मीर का सम्मिलन भारत के साथ बना रहेगा। जब तक जनमत संग्रह न होगा तब तक बाहर से रक्षा और आन्तरिक शान्ति स्थापित करने की भारत की जिम्मेदारी भी बनी रहेगी। प्रस्ताव के प्रस्तुत रूप का भारत जोरदार विरोध करता है। फिर भी हमारे विरोध और जिम्मेवारियों के बावजूद यह प्रस्ताव पास हो गया तो यह हमारी सरकार को तै करना होगा कि वह इस नई परिस्थिति में क्या कदम उठाये।"

इसके खिलाफ पाकिस्तान के प्रतिनिधि सर जफरुला खां ने १९ अप्रेल १९४८ को प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा:

"इस प्रस्ताव के मूल में वे ही सिद्धान्त हैं जिन्हें सुरक्षा-परिषद ने पहले से ही आवश्यक समझा है। पाकिस्तान को अपने कर्तव्य को निभाने के लिये कुछ अपने सिपाही रखने चाहिये जो युद्ध बन्द करने और कबाइलियों की वापिसी में सहायता दें।"

शेरे काश्मीर शेख अब्दुल्ला ने २१ अप्रेल १९४८ को सुरक्षा परिषद की इस तजवीज को नामंजूर कर दिया। २१ अप्रेल १९४८ को श्री आयंगर ने कौंसिल में बताया:

"जनमत संग्रह का प्रबन्ध जम्मू और काश्मीर सरकार के आधीन होना है। इसलिये इसका सम्बन्ध किसी बाहरी मुल्क से नहीं हो सकता और न ही काश्मीर सरकार से यह कहना चाहिये कि वह अपनी अन्दरूनी जिम्मेवारियों को पूरी करने के लिये बाहरी देश से सेना मंगाये।"

"यह साफ है कि कमीशन के आधीन कोई फौज नहीं होगी और जनमत-संग्रह में सहायता देने के लिये पाकिस्तानी सिपाहियों को बुलाने पर भी मुझे ऐतराज है।"

सुरक्षा परिषद के रवैये पर विचार प्रकट करते हुए न्यू स्टेट्समैन एंड नेशन ने २४ अप्रेल १९४८ को बताया:

"सुरक्षा-परिषद युद्ध को बन्द करने का प्रयत्न कर रही है। परन्तु इसका आरम्भ गलत हुआ। भारतवर्ष के मामले की उपेक्षा करके और भारतीय भावनाओं को गहरा घाव लगा कर इस बात को स्पष्ट किया है। हम इससे इन्कार नहीं करते कि उससे भारतवर्ष की शिकायत का कारण यह है कि बड़ी ताकतों ने अपने मतलब से पहले पहल पाकिस्तानियों का पक्ष लिया है।"

१२८१ भारतवर्ष की प्रतिक्रिया

२४ अप्रेल १९४८ को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बम्बई में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के अधिवेशन में सुरक्षा-परिषद के प्रस्ताव को रद्द करते हुए कहा:

"हम संयुक्त राष्ट्र में काश्मीर की समस्या पर एक आसान और साफ मामला लेकर गये। यह किसी देखने वाले के लिये दिन की रोशनी की तरह साफ था कि कबाइली जिन्होंने काश्मीर पर आक्रमण किया, पाकिस्तान सरकार की गुप्त स्वीकृति के बिना काश्मीर के प्रदेश में नहीं पहुंच सकते थे। इस साफ मामले की ओर से सुरक्षा परिषद ने आँखें मूंद ली। यद्यपि हमने बारबार नम्रता से कहा कि लुटेरों को पाकिस्तान सरकार की सहायता और गुप्त स्वीकृति प्राप्त थी।

"यह भारतवर्ष के लिये असम्भव था कि वह सुरक्षा-परिषद में पास हुए प्रस्ताव को स्वीकार करे।"

२६ अप्रेल १९४८ को उन्होंने फिर बताया:

"संयुक्त-राष्ट्र संघ का काश्मीर के मामले पर कुछ भी निर्णय हो, परन्तु भारत सरकार रियासती जनता के साथ अपने वचन को पूरा करके ही दम लेगी।"

९२८२ काश्मीर की प्रतिक्रिया

जम्मू और काश्मीर नेशनल काँफ्रैंस की जनरल कौंसिल ने सर्वसम्मति से सुरक्षा परिषद में पास किए हुए प्रस्ताव को रद्द करते हुए २२ अप्रेल १९४८ को घोषणा की:

"सुरक्षा-परिषद के प्रस्ताव का उद्देश्य जम्मू और काश्मीर के व्यक्तियों को परतंत्रता में जकड़ने के लिये बाध्य करना है और नेशनल काँफ्रैंस उस स्वतंत्रता में किसी बाहरी हस्तक्षेप को कभी सहन नहीं कर सकती, जो इसके लोगों ने १७ साल के संघर्ष के बाद हासिल की है। हमने वर्तमान स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिये बहुत अधिक बलिदान दिये हैं और हम इसकी रक्षा करने के लिये इससे भी अधिक बलिदान करने के लिये तैयार हैं।

"संयुक्त राष्ट्र संघ को रियासती जनता की इच्छा के विरुद्ध एक अनुचित निर्णय थोपने का कोई अधिकार नहीं है।"

शेरे काश्मीर ने १२ मई १९४८ को एक प्रेस-काँफ्रैंस में बताया:–

"संयुक्त राष्ट्र संघ का काश्मीर कमीशन हमारी रजामन्दी के बिना कार्य नहीं कर सकता और न ही संयुक्त-राष्ट्र संघ हम पर कोई अपना निर्णय थोप सकता है। हमने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रद्द कर दिया और यदि कोई यहाँ आकर अपनी आँखों से स्थिति को देखे तो मैं प्रसन्न हूंगा।"

काश्मीर ने बारामूला, मुजफराबाद, उरी, राजोरी और अन्य स्थानों पर पाकिस्तान के असली रूप को देखा है।

"सुरक्षा परिषद मनमानी शर्तें ठोंस नहीं सकती है। हमारी नीति अब भी पहले जैसी है।"

१२८३ भारत का उत्तर

५ मई १९४८ को भारत सरकार ने इस प्रस्ताव के पास होने पर सुरक्षा-परिषद के प्रधान के नाम एक पत्र भेजा जिसमें भारत ने साफ कहा :

"भारत को अफसोस है कि उनके लिये प्रस्तावों के उन अंशों को कार्यान्वित करना असंभव है जिनका हमारे प्रतिनिधि-मंडल ने स्पष्ट शब्दों में विरोध किया था। प्रतिनिधि-मंडल से परामर्श करने के पश्चात भारत सरकार इन आक्षेपों का पूर्णतया समर्थन करती है।"

भारतीय केबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करते हुए ६ मई १९४८ को घोषणा की :

"प्रस्ताव में जो लिखी योजना है भारतवर्ष उसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह बुनियादी उसूलों पर नहीं झुक सकता।"

१२८४ पाकिस्तान के विचार

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री लियाकतअली खां ने इस प्रस्ताव के बारे में ३ मई १९४८ को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा :

"हमारी समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार कबाइलियों को काश्मीर के मुसलमानों के साथ अच्छे बर्ताव का यकीन दिलाएं जबकि

हम आप ही यह नहीं समझते कि इस प्रस्ताव के आधीन स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत-संग्रह होगा। यही हमारी पहली समस्या है। और दूसरी बड़ी समस्या शेख अब्दुल्ला की उपस्थिति है जो रियासत के सबसे बड़े अधिकारी हैं।"

७ मई १९४८ को पाकिस्तान सरकार ने अपना मत प्रकट करते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सर जफरुल्ला को एक पत्र भेजा गया जिसमें लिखा :

"यह प्रस्ताव उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अपर्याप्त है जिसका इसके पहले ही से जिकर किया गया है। अतः पाकिस्तान सरकार इसे अस्वीकार करती है।"

सर जफरुल्ला ने भी ७ मई को एक बयान दिया :

"हमें विश्वास है कि अब कमीशन को शीघ्रतया इकट्ठे होना संभव हो गया है, ताकि यह शीघ्र ही कानूनी जिम्मेवारियों को पूरा करें जो कौंसिल के प्रस्ताव ने इस पर डाली हैं।"

१२९१ कमीशन की नियुक्ति

७ मई १९४८ को सुरक्षा-परिषद ने काश्मीर कमीशन के सदस्य पूरे कर दिये। भारत ने पहले ही चैकोस्लोवेकिया को नामजद किया था। पाकिस्तान ने अर्जन्टाइना का नाम पेश किया। सुरक्षा परिषद ने बेलिजयम और कोलम्बिया का नाम चुना। पांचवां सदस्य अमेरिका रखा गया।

सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :

मि० जोज़फकार बैल (नया सदस्य) डाक्टर चाइल	चेकोस्लोवाकिया
मि० रिकार्ड विजय (नया सदस्य) सी० ए० लीगोसमसजम	अर्जनटाइना
डाक्टर एलफ्रेड लोज़ानो	कोलम्बिया
मि० ऐगबरटग्रेफी	बेलजियम
मि० जे० कलबरैडल	संयुक्तराज्य अमेरिका

१० मई १९४८ को सुरक्षा-परिषद ने भारत के सामने समझौते का मसौदा पेश किया।

९२९११ सुरक्षा-परिषद की तजवीज

३ जून १९४८ को कौंसिल में एक तजवीज पेश की गई जो ८ रायों की अधिकता से पास हो गई। चीन, रूस और यूक्रेन ने मत विभाजन में हिस्सा नहीं लिया।

भारत की अस्वीकृति के बाद सुरक्षा-परिषद के प्रधान ने भारत सरकार को विश्वास दिलाया कि कौंसिल १७ जनवरी १९४८, २० जनवरी १९४८और २१ अप्रैल १९४८ के प्रस्तावों पर फिर से जोर देती है और ३ जून १९४८ का प्रस्ताव कमीशन को अधिक जानकारी प्राप्त करने के वास्ते जिसे वह दोनों देशों में मेल जोल कराने के लिए उचित समझता है, करने का आदेश देता है।

प्रधान-कौंसिल के पत्र में यह भी लिखा गया था कि भारत का वह पत्र जिसमें भारत ने इस मामले या अन्य सवालों के बारे में, जिन पर कमीशन उससे बातचीत करना चाहता है, पहले से सूचना देने की प्रार्थना की थी।

९२९१२ कमीशन जनेवा में

कमीशन की पहली बैठक १५ जून, १९४८ को जनेवा में हुई। और उसने अपने कार्यक्रम को निश्चित करने के लिये ३ जुलाई १९४८ तक जनेवा में ही ११ बैठकें की।

कमीशन ने २३ जून १९४८ को एक तार भारत सरकार को भेजा जिसमें यह स्पष्ट किया :

"कमीशन रियासत जम्मू और काश्मीर के सवाल को सुलझाने के लिये आपकी और पाकिस्तान सरकार की सच्ची सेवा की इच्छा से हृदय सहित भारत में आ रहा है और अगले प्रबन्ध के लिये कमीशन का निर्णय गुप्त रखा गया है।"

भारत सरकार की ओर से इसका उत्तर २६ जून १९४८ को दिया गया जिसमें स्पष्ट किया गया :

"भारत सरकार कमीशन के साथ बातचीत करके खुश होगी जब वह देहली आयेगा। कमीशन के प्रतिनिधि तथा उनके अमले के लिये, और दफ्तरी कार्य के लिये और रहने का स्थान ढूंढने में जो कुछ सहायता हम कर सकते हैं, करेंगे। अभी हमें यह भी नहीं बताया गया कि कमीशन हमसे किन विषयों पर बातचीत करने का इच्छुक है। हमें खुशी होगी अगर हमें इसकी सूचना शीघ्र दे दी जाय।"

इसका कमीशन के प्रधान ने यह उत्तर दिया :

"रियासत जम्मू और काश्मीर के सवाल को शान्तिपूर्वक सुलझाने के विचार से कमीशन भारत और पाकिस्तान आ रहा है। इसके कार्य के बीच में अन्य कार्यवाहियों के विषय में निर्णय को गुप्त रखते हुये यह आपकी सरकार से विभिन्न विषयों पर जो इस विषय पर प्रकाश डालें, विचार करने का इच्छुक है।"

इसके पश्चात भारत सरकार और कमीशन के बीच कोई और पत्र व्यवहार नहीं हुआ और कमीशन ५ जुलाई १९४८ को जनेवा से भारत को रवाना हो गया। यहां वह २२ सितम्बर १९४८ तक रहा और उसने वापिसी पर सुरक्षा-परिषद को अस्थाई रिपोर्ट की दो बड़ी जिल्दें पेश कीं।

९२९२ कमीशन की कार्रवाई

कमीशन ७ जुलाई १९४८ को कराची पहुंचा और यहां उसने पाकिस्तान के विदेशी विभाग के मंत्री सर जफरुल्लाखां के साथ दो दिन भेंट की। जिसके बीच में सर जफरुल्लाखां ने बेशरमी के साथ कमीशन के सामने मान लिया कि जब भारतीय सेना ने वसन्त ऋतु में भयंकर आक्रमण प्रारम्भ किये तो पाकिस्तान ने अपनी सेना के तीन ब्रिगेड मई के आरम्भ में काश्मीर भेजे।

कमीशन १० जुलाई १९४८ को नई दिल्ली आया और यहां इसने १३ जुलाई को विदेशी विभाग के बड़े सचिव सर गिरजाशंकर वाजपेयी से

बातचीत की। सर वाजपेयी ने कहा कि सुरक्षा-परिषद की २१ अप्रैल १९४८ के प्रस्ताव के पश्चात परिस्थिति पूर्ण रूप से बदल गई है और भारतीय सेना जम्मू और काश्मीर के युद्ध के तमाम मोर्चों पर पाकिस्तान की शिक्षित सेना के साथ लड़ रही है। इस समय जो युद्ध हो रहा है वह भारत और पाकिस्तान की बिना घोषणा का युद्ध है।

१७ और १८ जुलाई १९४८ को कमीशन का एक मिशन सर जफरुल्ला खां से कराची में फिर मिला। जहां उन्होंने युद्ध बन्द कराने के लिये कम से कम नीचे की तीन शर्तों पर विचार करना आवश्यक समझा :

१. रियासत से भारतीय सेना का बाहर हो जाना।
२. शान्ति स्थापित करना और मुसलमानों की रक्षा।
३. तथाकथित "आजाद काश्मीर" सरकार के दृष्टिकोण पर विचार करना।

कमीशन के कई सदस्यों ने अन्त में रावलपिंडी जाकर तथाकथित "आजाद काश्मीर" आन्दोलन के कई उत्तरदायी नेताओं से भी भेंट की। जब सर जफरुल्ला खां से पाकिस्तानी सेना की उपस्थिति के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तीन कारणों के आधार पर :

१. भारतीय सेना के भयंकर आक्रमण के कारण से पाकिस्तानी प्रदेश की रक्षा।
२. काश्मीर में भारत सरकार के निर्णय को रोकना, तथा
३. पाकिस्तान में शरणार्थियों के आने के कारण पाकिस्तानी सिपाहियों को काश्मीर भेजा गया है।

जुलाई के अन्त में कमीशन ने भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू और भारत के दूसरे प्रतिनिधियों से भेंट की जिन्होंने लड़ाई बन्द करने के लिये यह बातें सामने रखीं :

१. जम्मू और काश्मीर से पाकिस्तानी सेना तथा नागरिकों को बाहर निकालना,

२. छोड़े हुए प्रदेश पर अस्थाई रूप से स्थानीय अधिकारियों का प्रबन्ध कराना जो भारत और पाकिस्तान के झगड़ों के निर्णय से अलग जम्मू और काश्मीर की सरकार के अधीन हों।

३. भारतीय सेनाओं का रियासत में महत्वपूर्ण फौजी स्थानों पर रहना काश्मीर में पाकिस्तानी सेनाओं की उपस्थिति का ऐलान स्पष्ट-तया सिविल एंड मिलिटरी गजट लाहौर ने ३१ जुलाई १९४८ को ही किया था।

१५ अगस्त १९४८ को कमीशन ने उन सिद्धान्तों पर विचार किया जिसके आधीन इसने लड़ाई रोको की तजवीज तैयार की। ९ अगस्त १९४८ को पाकिस्तान के कमांडर ने अपनी ओर से लड़ाई रोकने के लिये अनुमति दी। सैनिक-प्रेक्षकों को नियुक्त करने पर भी जोर दिया। इसके पश्चात कमीशन ने लड़ाई रोको की तजवीज को तैयार करना आरम्भ किया और अपने चालीसवीं बैठक में इसने एक प्रस्ताव स्वीकार किया। यह प्रस्ताव इसने १४ अगस्त १९४८ को भारत तथा पाकिस्तान सरकार के सामने पेश किया।

१२९३ अगस्त १९४८ का विधान

संयुक्त-राष्ट्र संघ के काश्मीर आयोग ने १३ अगस्त १९४८ को कराची में निम्न लिखित प्रस्ताव पास किया :

पहिला भाग

युद्ध बन्द हो

"कमीशन की यह राय है कि सारी परिस्थिति को जांच करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि काश्मीर में लड़ाई तुरन्त बन्द करदेनी चाहिये क्योंकि इसके जारी रहने से विश्व शान्ति भंग होने की की सम्भावना है। इसलिये कमीशन निम्नलिखित प्रस्तावों को भारत और पाकिस्तान की सरकारों के सामने एक साथ पेश करता है।

अ. भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस बात को मान लें

कि उनके हाईकमांड पृथक पृथक और एक ही समय रियासत जम्मू और काश्मीर में अपनी सारी सेना को युद्ध बन्द करने की आज्ञा इन तजवीजों को स्वीकार करने के ४ दिन पश्चात जारी करेंगे।

आ. भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के हाईकमांड ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे कटुता या अशान्ति पैदा होने की सम्भावना हो। इन प्रस्तावों में उनके काबू की फौजों का अभिप्राय वह सारी सेनाएं हैं जो संगठित, असंगठित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने रूप में अपनी ओर से युद्ध में हिस्सा ले रही हैं।

इ. भारत और पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ तुरन्त ही परस्पर की बातचीत करके वर्तमान प्रबन्ध में ऐसे आवश्यक स्थानीय परिवर्तन कर दें जो लड़ाई रोकने के काम को सरल कर दें।

ई. कमीशन अपने विवेक और जहां तक संभव देखेगा वह अपनी इच्छा से सेना के सलाहकार नियुक्त करेगा जो कमीशन के अधीन और दोनों सरकारों के हाईकमांड के सहयोग से लड़ाई बन्द करने के प्रबन्ध की देख भाल करेंगे।

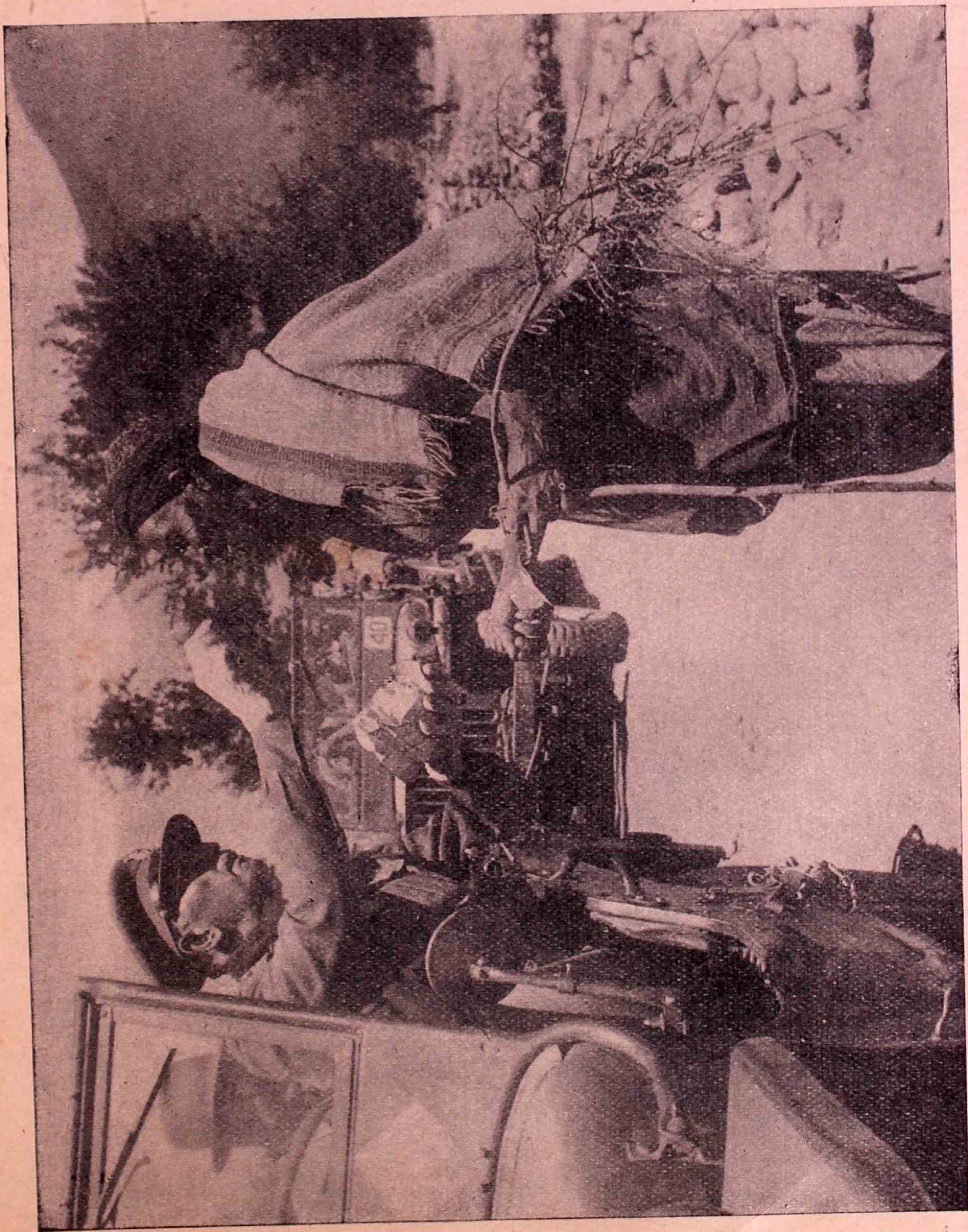
उ. भारत और पाकिस्तान सरकारें दोनों अपनी जनता से यह प्रार्थना करना स्वीकार करती हैं कि जनता उन्हें ऐसा वातावरण उत्पन्न करने और बनाये रखने में सहायता दे जो बातचीत को आगे चलाने के अनुकूल हो।

दूसरा भाग

अस्थायी सन्धि

युद्ध को शीघ्र बन्द कराने की तजवीज को जो पहले भाग में दी गयी है, एक ही समय मानने पर, दोनों सरकारें निम्नलिखित मुद्दों को सन्धि की शर्तों के तौर पर स्वीकार करती हैं। इसका पूरा विस्तार दोनों सरकारों के प्रतिनिधि कमीशन की सम्मति से करेंगे :

क. १. क्योंकि रियासत जम्मू और काश्मीर के भाग में पाकिस्तानी



सैनिकों की उपस्थिति ने नई परिस्थिति पैदा करदी है जिसके कारण वे परिस्थितियां एकदम बदल गई हैं जिनको पाकिस्तान ने सुरक्षा-परिषद के सम्मुख रखा था। इसलिये पाकिस्तान तुरन्त ही रियासत जम्मू और काश्मीर से अपनी सेना उठा ले।

२. पाकिस्तान सरकार रियासत से कबाइली पठानों और पाकिस्तानी नागरिकों को जो रियासत के निवासी नहीं हैं और जो रियासत में केवल युद्ध करने की इच्छा से प्रविष्ट हुए हैं, निकालने के लिये पूरा प्रयत्न करेगी।

३. जब तक अन्तिम निर्णय न हो जाय पाकिस्तानी सेना के छोड़े हुए भाग का प्रबन्ध कमीशन की देख भाल में स्थानीय अधिकारी करेंगे।

ख. १. जब कमीशन भारत सरकार को सूचित करेगा कि कबाइली और पाकिस्तानी जिनका वर्णन क. २ में किया गया है काश्मीर से निकल गये और इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी सेना भी रियासत जम्मू और काश्मीर की सीमा से बाहर हो गई तब भारत सरकार अपनी सेना की अधिक संख्या को काश्मीर से बाहर निकालना आरम्भ कर देगी। इसका निर्णय कमीशन के साथ बातचीत के द्वारा किया जायगा।

२. जब तक रियासत जम्मू और काश्मीर की समस्या का कोई आखिरी हल नहीं हो जाता, भारत इस भाग पर अपना आधिपत्य रखेगा जो युद्ध बन्द करते समय भारतीय सेनाओं के अधिकार में होगा। यह सेना कमीशन के परामर्श से शान्ति को स्थापित रखने के लिये स्थानीय अधिकारियों को सहायता देने के लिये आवश्यक होगी। इसी प्रकार जहां कहीं वह आवश्यक समझे प्रेक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

३. भारत सरकार इस बात का उत्तरदायित्व लेगी कि जम्मू और काश्मीर की सरकार रियासत में आन्तरिक शान्ति को बनाये रखेगी और नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की रक्षा की जायगी।

तीसरा भाग

जनमत-संग्रह

भारत और पाकिस्तान की सरकारें दोनों इस इच्छा को दोहराती हैं कि काश्मीर के भविष्य का फैसला जनता की इच्छा के अनुसार होगा और इसके लिये अस्थायी सन्धि की शर्तों के पूरा करने के पश्चात् दोनों सरकारें कमीशन के साथ परामर्श करेंगी ताकि स्वतंत्र मत लेने के लिये अनुकूल और न्याययुक्त परिस्थिति पैदा की जा सके।"

१२९३१ भारत सरकार का उत्तर

कमीशन के साथ कई धाराओं पर बातचीत करने के पश्चात् २० अगस्त १९४८ को भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने भारत सरकार की ओर से कमीशन के प्रधान को उसी दिन नीचे का पत्र भेजा :

"माननीय महोदय,

१७ अगस्त को मैं और मेरे साथी श्री आयंगर ने आप और आपके साथियों के साथ उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बात चीत की जो १४ अगस्त को आपने हमारे सम्मुख रखा था। १८ अगस्त को मैंने आपके साथ फिर बातचीत की, उस समय मैंने आपको वे शंकाएं और कठिनाइयां बताई थीं जो कमीशन के प्रस्ताव के बारे में मेरे साथियों और काश्मीर सरकार के प्रतिनिधियों ने पेश की थी।

पंडितजी ने आगे लिखा कि

"जब कमीशन के सामने उसके पहली बार दिल्ली आने पर हमने इस बात का सबल प्रमाण दिया कि पाकिस्तान ने भारत के प्रदेश काश्मीर में भारतीयों के मुकाबले में अपनी सेना भेजी जो पहले अप्रत्यक्ष और फिर प्रत्यक्ष अनुचित आक्रमण का कारण बनी, तो पाकिस्तान सरकार ने आरम्भ में इसको स्वीकार न

किया, परन्तु अब उन्होंने कमीशन के सामने स्वीकार कर लिया है कि इसकी नियमित सेनाएं काश्मीर में लड़ रही हैं। यद्यपि पाकिस्तान ने अभी तक भारत को इसके सम्बन्ध में नियमानुसार कोई सूचना नहीं दी। पाकिस्तान के यह स्वीकार करने के पश्चात इसकी नियमित सेना काश्मीर में लड़ रही है, परिस्थिति असाधारणरूप से बदल गई है। पाकिस्तान सरकार को चाहिये था कि यह इसके सम्बन्ध में सुरक्षा-परिषद को सूचना देता किन्तु इसने अभी तक कुछभी नहीं किया। कमीशन इस सत्य को स्वीकार करेगा कि पाकिस्तान सरकार की नीति न केवल नैतिकता की दृष्टि से आपत्तिजनक है बल्कि कानूनी दृष्टि से भी आक्षेपपूर्ण है। और इससे अत्यन्त नाजुक परिस्थिति पैदा हो गई है। मेरी सरकार की हार्दिक इच्छा है कि आक्रामक कार्रवाई को समाप्त करके शान्ति का वातावरण उत्पन्न किया जाय; किन्तु पाकिस्तान के स्वीकार करने पर जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे निबटना मेरी सरकार के लिये आवश्यक है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि कमीशन इन सारे हालात पर विचार करेगा।

"मेरी सरकार ने १८ अगस्त की भेंट के पश्चात कमीशन के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया है। इसके कई पहलू हैं उनके साथ ही काश्मीर की परिस्थिति पर भी गौर करना है और इस बात को भी सामने रखना है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत के प्रदेशों पर दिन-दहाड़े आक्रमण किया है। यदि काश्मीर के सम्बन्ध में ऐसा फैसला हो जाय जिसमें खून बहाने की आवश्यकता न हो तो हम ऐसे फैसले का स्वागत करेंगे। इसी भावना से प्रेरित मैंने माननीय महोदय के सामने निम्नलिखित तजवीजें विचारने के लिये रखी थीं :

१. प्रस्ताव के दूसरे भाग के पैरा क ३ का पूरा स्पष्टीकरण न किया जाय और न ही उसे कार्यान्वित किया जाय ताकि :

क. जम्मू और काश्मीर की सरकार पाकिस्तानी सेना द्वारा खाली किये हुए प्रदेश पर अधिकार रखे।

ख. तथाकथित "आजाद काश्मीर" सरकार को किसी प्रकार की मान्यता न दी जाय और

ग. उस प्रदेश को सन्धि के बीच में रियासत के हित के विरुद्ध न रखा जाय।

२. पिछले दस महीनों से जो बाह्य आक्रमण हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए और इस बात को देखते हुए कि आन्तरिक शासन और शान्ति की रक्षा करने की बहुत आवश्यकता है, भारतीय सेना की काफी संख्या को रियासत में रखना आवश्यक हैं।

३. प्रस्ताव के तीसरे भाग को देखते हुए यदि काश्मीर का निर्णय जनमत के द्वारा होना इष्ट हो तो इसमें पाकिस्तान का हस्ताक्षेप न होना चाहिये और न रियासत की आन्तरिक सरकारको इसमें टांग अड़ाने दी जाय।

४. यदि मैंने आपके प्रस्ताव को ठीक समझा है तो इसके दूसरे भाग के क ३ का अभिप्राय स्पष्ट यह है कि जो भाग काश्मीर सरकारने खाली किया है इस पर जम्मू और काश्मीर सरकार के अतिरिक्त कोई और सरकार नहीं रखी जावेगी।

पैराग्राफ ३ (२) के विचार से कमीशन ने यह स्वीकार कर लिया है कि काश्मीर के प्रदेश में रक्षा की आवश्यकता है और भारतीय सेना कब और किस गति से हटाई जाय और रियासत में इनकी संख्या कितनी विद्यमान रहे इस बात का निर्णय कमीशन और भारत ही मिल कर कर सकते हैं।

माननीय महोदय, आपने यह स्वीकार किया है कि दूसरा भाग जैसा कि बाकायदा पेश किया गया है, जनमत में पाकिस्तान के भाग लेने के अधिकार को नहीं मानता है।

५. इस स्पष्टीकरण के प्रकाश में मेरी सरकार ने शान्ति को सच्चे दिल से स्थापित रखने और इस प्रकार संयुक्त-राष्ट्र संघ के सिद्धान्त

और प्रतिष्ठा बनाये रखने की पवित्र भावना से प्रेरित होकर प्रस्ताव को स्वीकार किया है।

हस्ताक्षर
जवाहरलाल नेहरू
प्रधानमंत्री, भारत

९२९३२ कमीशन के प्रधान का पत्र

कमीशन के प्रधान ने २५ अगस्त १९४८ को पंडितजी को इस पत्र का निम्नलिखित उत्तर भेजा :

"आपको अपना दृष्टिकोण पेश करने के लिये कमीशन मुझे से यह प्रार्थना करता है कि प्रस्ताव की वह व्याख्या जो आपके पत्र के पैराग्राफ ४ में दी गई है स्वयं कमीशन की व्याख्या के साथ मेल खाती है और इसको समझते हुए अ की घ धारा का अभिप्राय यह है कि छोड़े हुए प्रदेश में स्थानीय व्यक्तियों को राजनैतिक कार्यों में स्वतंत्रता होगी। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में छोड़े हुए प्रदेश के वाक्य का अभिप्राय जम्मू और काश्मीर की रियासत का वह प्रदेश है जो उस समय पाकिस्तान के हाईकमांड के पूरे अधिकार में है। कमीशन ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि भारत सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और वह इस भावना की प्रशंसा करता है जिसमें यह निर्णय किया गया है।"

हस्ताक्षर
जोजफ कारबेल

९२९३३ पुनः स्पष्टीकरण

अगस्त १९४८ के प्रस्ताव पर वाद-विवाद करते समय भारत सरकार के प्रधान मंत्री और काश्मीर कमीशन के प्रधान जोजफ कारबेल के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था उसमें कई प्रदेशों के भविष्य का प्रश्न उठाया गया था। पंडित नेहरू ने अपने २० अगस्त १९४८ के पत्र में रियासत जम्मू और काश्मीर

के उत्तर के पहाड़ी प्रदेश का वर्णन किया था जहां जनसंख्या बहुत बिखरी हुई है। उन्होंने अपने पत्र में पूछा कि प्रस्ताव में इस भाग की रक्षा का कोई जिकर नहीं किया गया है।

पंडित नेहरू ने आगे कहा कि क्योंकि सारे शासन सम्बन्धी प्रदेश पर जम्मू और काश्मीर सरकार को सूचना नहीं दी गई है इसलिये प्रबन्ध के कार्यों में इसके उत्तरदायित्व रियासती सरकार और रक्षा का कार्य भारत सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिये। केवल गिलगित के सम्बन्ध में भारत अपने अधिकार को छोड़ने को तैयार है। इसके पश्चात भारत अपनी सेना रखने के बारे में अन्य जगहों का प्रबन्ध करनेके लिये स्वतंत्र होगा और यह फौजें कबाइलियों के प्रवेश को रोकने के लिये जो किसी की आज्ञा नहीं मानते और रियासत से मध्य एशिया की ओर बड़े व्यापारिक मार्गों की रक्षा करने में दोहरी जिम्मेदारी पूरी करेंगी।

कमीशन के प्रधान ने अपने २५ अगस्त १९४८ के उत्तर में इस बात को मान लिया कि इस प्रदेश में खास परिस्थितियों के कारण से कमीशन ने अपने २३ अगस्त वाले प्रस्ताव में इस समस्या के सैनिक महत्व का वर्णन नहीं किया। उत्तर में यह भी कहा गया कि प्रधान मंत्री ने जो प्रश्न उठाया है उस पर प्रस्ताव को कार्यरूप में लाते समय विचार किया जायगा।

९२९३४ पाकिस्तान का उत्तर

पाकिस्तान सरकार ने उत्तर भेजने में आनाकानी की। अन्त में २६ सितम्बर १९४८ को सर मुहम्मद जफरुल्ला खां ने कमीशन को सूचना दी कि पाकिस्तान सरकार ने २३ अगस्त १९४८ के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के कारण रद्द कर दिया है।

इसी दिन सर मुहम्मद जफरुल्ला खां ने कमीशन के प्रधान को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था :

"जैसा कि कमीशन को पहले ही बताया जा चुका है कि "आजाद काश्मीर" के सिपाही "आजाद काश्मीर" सरकार के अधिकार में हैं

और यह केवल उसी सरकार के अधीन है कि वह अपने सिपाहियों को युद्ध बन्द करने की आज्ञा दे और अस्थायी सन्धि की शर्तों को पूरा कर सकें जो उन सिपाहियों पर लागू है।

"भारत सरकार और पाकिस्तान की सेना दोनों सरकारों के हाईकमांड और कमीशन के परामर्श से हटाई जावें और वह सारा प्रदेश जो पाकिस्तान हाई कमांड के अधिकार में है और जिसमें गिलगित और दूसरे प्रदेश भी सम्मिलित हैं जो "आजाद काश्मीर" के अधिकार में हैं, अस्थायी सन्धि के बीच में उन्हीं शासकों के आधीन रहेंगे जो युद्ध बन्द करने के समय उस पर अधिकार रखते होंगे और भारत सरकार या रियासती सरकार का कोई सैनिक या नागरिक कर्मचारी यहां प्रवेश न करेगा और न ही उसे कोई अधिकार होगा।

"आजाद काश्मीर" के सिपाही उसी प्रकार बने रहेंगे और वे नि:शस्त्र या फौज से न हटाये जा सकेंगे। कमीशन का निरन्तर यह प्रयत्न होना चाहिये कि वह रियासत जम्मू और काश्मीर में जनमत के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जिससे दोनों सरकारें भारत और पाकिस्तान बिलकुल बराबरी और लाभ में रहें।

भारत सरकार से सुरक्षा परिषद को २१ अप्रैल १९४८ के प्रस्ताव के भाग २ धारा ६ से १५ के कम से कम उन शर्तों की स्वीकृति ले लेनी चाहिये जिससे स्वतंत्रतापूर्वक और निष्पक्ष जनमत हो सके।"

(२१ अप्रैल १९४८ के प्रस्ताव में बताया गया है कि जनमत लेते समय रियासत की सरकार में रियासत की बड़ी राजनैतिक पार्टियों को भी लिया जाय और पर्याप्त अधिकार के साथ जनमत के लिये एक पृथक अधिकारी प्रबन्ध का हो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सैक्रेटरी की ओर से चुना जाय।)

९२९३४१ पाकिस्तान का इन्कार

कमीशन के प्रधान जोजफ कारबेल ने ६ सितम्बर १९४८ को इस पत्र का उत्तर सर जफरुल्ला खां को भेजा जिसमें कहा :

"कमीशन का विचार है कि आपकी सरकार ने १३ अगस्त १९४८ के प्रस्ताव को अपवाद रहित मानने से इन्कार किया है।"

९२९३५ कमीशन की घोषणा

६ सितम्बर १९४८ को कमीशन ने घोषणा की :

"दोनों सरकारों के उत्तरों से प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने शान्ति स्थापित रखने की इच्छा से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इसके विपरीत पाकिस्तान की स्वीकृति ऐसी है जिसका मतलब होता है नामंजूरी"।

कमीशन ने यह भी स्पष्ट किया कि :

"जम्मू और काश्मीर के प्रदेश में पाकिस्तानी सैनिकों की उपस्थिति से उस समय से हालात असाधारण रूप से बदल गये हैं जिस समय उस को पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा-परिषद के सामने इन्कार किया था। इसलिये पाकिस्तान सरकार को रियासत से अपनी सेना के हटाने पर सहमत होना चाहिये।

"पाकिस्तान सरकार को कबाइलियों और पाकिस्तानी नागरिकों को भी हटाने का पर्याप्त प्रयत्न करना चाहिये।

"स्थानीय अधिकारियों को शान्ति को पुनः स्थापित करने में सहायता देने के लिये जितना आवश्यक हो, कमीशन के परामर्श से भारत सरकार को अपनी सेना उतनी बाकी रखनी चाहिये।"

९ सितम्बर १९४८ को कमीशन ने पंडित नेहरू से पाकिस्तान के उत्तर के सम्बन्ध में बिना शर्त युद्ध बन्द करने पर मत लिया किन्तु उनके साफ इन्कार करने पर कमीशन ने १९ सितम्बर १९४८ को सर जफरुल्ला खां के पत्र का उत्तर दिया जिसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि कमीशन ने भारत तथा पाकिस्तान को युद्ध रोको के प्रस्ताव को मानने के लिये कहा है और उसे आशा है कि पाकिस्तान सरकार पुनर्विचार के बाद इन तजवीजों को स्वीकार कर लेगी।

कमीशन ने २९ सितम्बर १९४८ को दोनों सरकारों से प्रार्थना की कि उन्हें वर्तमान संघर्ष को कम करने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि झगड़े को शान्ति से सुलझाने के लिये गुंजाइश हो सके।

कमीशन ने यह भी कहा कि उसे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि पाकिस्तान सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जिसके कारण "शीघ्र युद्ध बन्द करने और समस्या को शान्ति से सुलझाने के लिये दोनों सरकारों और कमीशन के साथ बातचीत को असंभव बना दिया।" इक्यावनवी बैठक करके २१ सितम्बर १९४८ को कमीशन श्रीनगर से चल दिया और नई दिल्ली और कराची से होता हुआ २५ सितम्बर १९४८ को जनेवा पहुंचा जहां उसने सुरक्षा-परिषद के लिये आन्तरिक रिपोर्ट तैयार की।

९२९४ मार्शल की अपील

अमेरिका के विदेश सचिव श्रीयुत मार्शल ने संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में २३ सितम्बर १९४८ को कहा :

"काश्मीर की समस्या पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत जारी रखनी चाहिये ताकि इस समस्या को जिसको सख्त खतरे का कारण समझा गया है शान्ति से सुलझाया जाय।"

९२९५ कमीशन की असफलता

कमीशन की असफलता पर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने २५ सितम्बर १९४८ को हिजरत बिल, श्रीनगर में स्पष्ट किया :

"काश्मीर कमीशन आया और चला गया किन्तु काश्मीर की समस्या स्वयं काश्मीर की जनता ही हल करेगी।"

पंडित नेहरू ने ११ अक्टूबर १९४८ को श्रीनगर में कहा :

"हमें काश्मीर कमीशन का प्रस्ताव पसन्द न था, केवल शान्ति बनाये रखने के कारण हमने इसे स्वीकार कर लिया, परन्तु

६. क. रियासत के उन निवासियों को जो गड़बड़ के कारण रियासत से बाहर चले गये हैं, वापिस आने का निमंत्रण दिया जायेगा और वे लौटने के लिए स्वतंत्र होंगे ताकि वे अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। उन्हें वापिस लाने के सम्बन्ध में दो कमीशन नियुक्त किए जाएंगे जिनमें से एक भारत और दूसरा पाकिस्तान का नामज़द किया हुआ होगा। यह दोनों, कमीशन प्रबन्धक के अधीन कार्य करेंगे। और भारत और पाकिस्तान की सरकारें और रियासत जम्मू और काश्मीर के भीतर के सारे अधिकारी इस शर्त को व्यवहारिक रूप देने के लिये प्रबन्धक का हाथ बटाएंगें।

ख. उन सारे व्यक्तियों को, जो रियासत के निवासी नहीं हैं और जो १५ अगस्त १९४७ के दिन या उसके पश्चात गैर कानूनी रियासत में आये हैं, रियासत से चला जाना होगा।

७, रियासत जम्मू और काश्मीर के सारे अधिकारी प्रबन्धक से मिलकर इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि :

क. जनमत के समय मतदाताओं के साथ डराना, धमकाना, ज़ोर ज़बरदस्ती, रिश्वत या और कोई अनुचित दबाव डालना इत्यादि नहीं किया जायगा।

ख. सारी रियासत में कानूनों को मानते हुए उचित राजनैतिक प्रवृत्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा और रियासत के तमाम निवासी धर्म, जाति तथा दल का भेद किये बिना सुरक्षित होंगे। अतः भारत या पाकिस्तान में रियासत के मिलाने के सम्बन्ध में प्रत्येक मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट कर सकेगा। रियासत में बोलने, लिखने तथा सफर की पूर्णतया स्वतंत्रता होगी।

ग. सारे राजनैतिक बन्दी छोड़ दिये जाएंगे।

घ. रियासत के सारे भागों में अल्प संख्यकों की उचित रक्षा की जाएगी।

ङ. अपने विरोधी विचारों के कारण किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी।

८. जनमत प्रबन्धकर्ता संयुक्त-राष्ट्र के काश्मीर कमीशन के सामने वे समस्याएं पेश करेगा जिसमें उसे सहायता तथा परामर्श लेना होगा और कमीशन जब चाहे प्रबन्धक उनमें से किसी ज़िम्मेदारी को सम्भालने का आदेश दे सकेगा, जो कमीशन को सौंपी गई हैं।

९. जनमत लिया जा चुकने पर प्रबन्धक इसके परिणाम से कमीशन को सूचित करेगा और जम्मू काश्मीर सरकार को इसकी सूचना देगा। तब कमीशन सुरक्षा-परिषद को सूचित करेगा कि जनमत स्वतंत्र तथा निष्पक्ष हुआ है या नहीं।

१०. युद्ध की अस्थायी सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात उन ऊपर लिखी तजवीज़ों की सूची को, जो कमीशन की १३ अगस्त १९४८ के प्रस्ताव के भाग ३ में दी गई है, आपस की स्वीकृति से पूर्ण किया जायगा और इसके बारे में जनमत प्रबन्धक से भी परामर्श लिया जायगा।

ग्यारहवां अध्याय

'युद्ध रोको' और उसके पश्चात

९३१ डाक्टर लोजानो की सफलता

"युद्ध रोको" पर भारत सरकार ने एक सरकारी विज्ञप्ति निकाली जिसमें कहा गया :

"हाल में ही संयुक्त राष्ट्र के काश्मीर कमीशन के एक सदस्य डाक्टर लोजानो ने, अपने विकल्प, श्रीयुत सैम्पर और संयुक्त राष्ट्र के प्रधान मंत्री के निजी प्रतिनिधि डाक्टर एरक काल्बन के साथ १३ अगस्त १९४८ के प्रस्ताव के भाग ३ के परिशिष्ट के सम्बन्ध में कुछ तजवीजों पर देहली और कराची में दोनों सरकारों के साथ बातचीत की। यह तजवीजें हालात के साधारण होने पर जम्मू और काश्मीर में जनमत कराने के लिए कई सिद्धान्तों के सम्बन्ध में थी। डाक्टर लोजानो का मिशन सफल रहा और वह कमीशन की रिपोर्ट पेश करने के लिये २६ दिसम्बर को न्यूयार्क वापिस चले गये जहां ३ जनवरी १९४९ को कमीशन की बैठक होने वाली है।"

९३२ प्रस्ताव क्या है ?

५ जनवरी, १९४९ की यह तजवीज १३ अगस्त १९४८ के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित है। इसके तीन भाग हैं। युद्ध बन्द होने क पश्चात् इस प्रस्ताव

का दूसरा 'भाग अस्थायी सन्धि प्रस्ताव' कार्य रूप में लाना आवश्यक है। इन दो भागों पर पूरी तरह कार्य करने के पश्चात् ही जनमत लिया जायगा।

जिन शर्तों की भारतवर्ष ने मांग की थी वे लगभग सब मान ली गई हैं। और इन तजवीजों से काश्मीर में न केवल युद्ध बन्द होगा वरन् सारे आक्रमण-कारी चाहे वे कबाइली हों, या पाकिस्तानी सेना से सम्बन्धित हों उनको शीघ्र ही रियासत से चले जाना होगा और जो इलाका आक्रमणकारी खाली कर जायगे उसका प्रबन्ध स्थानीय अफसरों की सहायता से काश्मीर कमीशन करेगा।

भारतीय सेना की पूर्णतया वापिसी की मांग नहीं की गई है और इनकी पर्याप्त संख्या शान्ति स्थापित रखने के लिये उपस्थित रहेगी। और रियासत की रक्षा की जिम्मेवारी भी भारत सरकार पर ही डाली गई है। जनमत प्रबन्धकर्ता भारत सरकार के परामर्श से इस बात का निर्णय करेगा कि रियासत में कितनी सेना की आवश्यकता है तथा भारतीय सेना को किस परिस्थिति में भेजा जाय। रियासत में उचित राजनैतिक प्रचार की आज्ञा होगी और बाहर से किसी प्रचार का हस्ताक्षेप न हो सकेगा।

९३२१ अगस्त के प्रस्ताव से भेद

वर्तमान तजवीज १३ अगस्त १९४८ के प्रस्ताव से कई सूरतों में पूर्णतया अच्छी और उत्साहवर्धक है। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो निम्नलिखित हैं:

सुरक्षा-परिषद की स्कीम से वह शर्त हटा दी गई है जिसके द्वारा काश्मीर में मिली जुली सरकार बनाने के लिये कहा गया था। वर्तमान प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि काश्मीर की वर्तमान सरकार हर अवस्था में बनी रहेगी।

तथा कथित 'आजाद काश्मीर' सरकार को नहीं माना गया और इसकी सेना भंग तथा निशस्त्र कर दी जाएगी।

जनमत प्रबन्धकर्ता को जम्मू और काश्मीर सरकार से अधिकार प्राप्त होगें और इसका कार्य सीमित होगा अतः इसको कोई शासन सम्बन्धी अधि-कार प्राप्त नहीं होंगे।

रियासत में शान्ति बनाये रखने के लिये केवल भारतीय सेना रहेगी।

१३३ भारत का वक्तव्य

तजवीज़ के प्रकाशित होने के पश्चात कमीशन के इस प्रस्ताव पर भारत और पाकिस्तान की अलग अलग व्याख्याओं ने उनके बीच में गहरी खाई पैदा कर दी। भारत सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और डाक्टर एल-फ्रैड लोजानो की २१ और २२ दिसम्बर १९४८ की सारी बातचीत के पूरे लेख को जिसका नाम '**एड मेमायर**' दिया गया है २६ जनवरी १९४९ को प्रकाशित किया इसमें लिखा था :

भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि :

१. यदि भारत सरकार कमीशन की जनमत की तजवीजों को स्वीकार करे तो इसको तब तक कार्यान्वित न किया जाय जब तक अगस्त प्रस्ताव के भाग १ और भाग २ पर पूरी तरह से अमल न किया जा चुके।

२. यदि पाकिस्तान इनको अस्वीकार कर दे या स्वीकार करने के पश्चात १३ अगस्त के प्रस्ताव के भाग १ और भाग २ को पूर्णतया कार्यरूप में लाये तो उस अवस्था में भारत सरकार की यह स्वीकृति भारत को इसपर अमल करनेके लिये बाधित नहीं कर सकती।

३. वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार जनमत कराने पर दृढ़ है। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में काश्मीर में जनमत कराने की कठिनाइयों को देख कर काश्मीरियों के मत को मालूम करने के लिये दूसरे साधनों की भी खोज की जाय। अतः कमीशन ने काश्मीर में जनमत की कठिनाइयों को अपने आप भी अनुभव किया है।

क. डाक्टर लोजानो ने जनमत प्रबन्धकर्ता के अधिकारों के बारे में उत्तर देते हुये कहा कि, "इसके अधिकार और कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत कराने तक ही सीमित रहेंगे।"

४. ख. डाक्टर लोजानो ने यह भी कहा कि कमीशन का यह इरादा

नहीं है कि पाकिस्तान का कमीशन पाकिस्तान से बाहर काम करे और इस प्रकार पाकिस्तान का कमीशन १३ अगस्त के प्रस्ताव के भाग २ के क ३ में बताये हुए इलाके में कार्य नहीं करेगा।

ख. ५. यह मान लिया गया है कि जम्मू और काश्मीर सरकार को यह निर्णय करना होगा कि कौन व्यक्ति उचित या अनुचित रीति से रियासत में दाखिल हुआ है।

ख. ६. भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। अतः धार्मिक उन्माद को उचित राजनीतिक प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता। इस पर डाक्टर लोजानो ने मान लिया कि कोई राजनैतिक कार्य, जो शान्ति को भंग करने का कारण हो, उचित नहीं कहा जा सकता और यही मत प्रेस और प्लेटफार्म की स्वतंत्रता के लिये भी है।

रियासत में उचित प्रवेश तथा निष्क्रमण का कार्य रियासत की रक्षा और शान्ति की दृष्टि से जम्मू और काश्मीर सरकार के हाथ में होगा और उसके लिये डाक्टर लोजानो ने कहा कि प्रायः परमिट पद्धति की आवश्यकता पड़ेगी।"

२२ दिसम्बर १९४८ को ११ बजे भारत के प्रधान मंत्री के साथ डाक्टर लोजानो और श्रीयुत कालबन फिर मिले।

डाक्टर लोजानो ने कहा कि कमीशन के प्रस्ताव के ख. ४ ख. के सम्बन्ध में 'ऐडिस मेमोयर' में "आजाद काश्मीर" सेना के बड़े पैमाने पर निशस्त्र करने का वाक्यांश प्रयुक्त किया गया है और कमीशन का इरादा है कि इन सेनाओं को तोड़ दिया जाय और इसके पश्चात निशस्त्र करने का काम होगा।

इसके उत्तर में भारत के प्रधान मंत्री ने कहा कि तोड़ने का अभिप्राय निशस्त्र करना नहीं है। पाकिस्तान के पास लगभग २८ और ३० हजार सैनिकों के ३५ दस्ते खड़े किये गये हैं और यह सब "आजाद काश्मीर" सेना का अंग हैं। सेना को भंग करने के बाद भी व्यक्तियों की इतनी बड़ी संख्या जम्मू और काश्मीर के हिस्से के लिए खतरे का कारण होगी जो भारतीय और रियासती सैनिकों के अधिकार में है। अतः १३ अगस्त के प्रस्ताव के भाग २ के क. ३

में बताये गए उन निवासियों के लिये भी खतरा होगा जो पाकिस्तानी दृष्टि-कोण से सहमत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त रियासत के इलाकों में उन निवासियों के प्रवेश का विचार रखना भी आवश्यक है जो वर्तमान गड़बड़ के कारण घर छोड़ गये हैं। उन इलाकों के पहले निवासी जो भिन्न राजनैतिक दृष्टिकोण रखते थे, सशस्त्र आजाद काश्मीर सैनिकों की इतनी बड़ी संख्या होते हुये पुनः आने की हिम्मत न करेंगे और इस प्रकार से वे स्वतंत्र और अपक्षपाती जनमत में भाग लेने से वंचित कर दिये जायेंगे।

डाक्टर लोजानो ने मान लिया कि इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर निशस्त्र करना ठीक है और यह कमीशन के विचार को सही व्यक्त करता है।

जैसा कि वर्तमान शब्दों में बताया गया है ख. ९. के शब्दों का अर्थ व्याख्या करने से यह निकाला जा सकता था कि अस्थायी सन्धि पर हस्ताक्षर होते ही जनमत के प्रबन्धकर्ता के साथ शीघ्र परामर्श प्रारम्भ कर दिये ।जायेंगे यह स्पष्टतः उचित नहीं था।

डाक्टर लोजानो और श्रीयुत कालबन ने मान लिया कि ख ९ में बताई हुई बातचीत को केवल इस समय अमल में लाया जायगा जब कमीशन को विश्वास होगा कि प्रस्ताव के दूसरे भाग पर सन्तोषजनक रूप में अमल हो रहा है। जिसका अभिप्राय यह है कि कबाइली शत्रु, पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी नागरिक जो जम्मू और काश्मीर में लड़ने की इच्छा से प्रविष्ट हुए हैं, रियासती इलाके से चले गये हैं।

डाक्टर लोजानो ने कहा कि जम्मू और काश्मीर की भावी स्थिति के बारे में लोगों की इच्छा को जानने के लिये दूसरी तजवीजों के सम्बन्ध में २१ दिसम्बर, १९४८ का बयान जो 'ऐडिस मेमोयर' के पैरा नम्बर ३ में दिया गया है, कमीशन के अपने प्रमाण जैसा ही है।

९३४ पाकिस्तान की व्याख्या

पाकिस्तान ने १७ जनवरी १९४९ को कमीशन के प्रस्ताव का लेख

और स्पष्टीकरण जो डाक्टर लोजानो ने पाकिस्तान सरकार को दिया था और पाकिस्तान सरकार की २५ दिसम्बर १९४९ का वह पत्र जिसमें उसने कमीशन के प्रस्ताव को डाक्टर लोजानो की व्याख्या और स्पष्टीकरण करने पर स्वीकार कर लिया था प्रकाशित किया। इनमें कहा गया :

"यह बात मान ली गई है कि कमीशन की ५ जनवरी १९४९ की तजवीज़ २३ अगस्त १९४८ के प्रस्ताव का परिशिष्ट है। और इन दोनों में काश्मीर की समस्या सुलझाने के लिये तीन विभिन्न अवस्थाओं की कल्पना की गई है।"

इसके दूसरे भाग के अस्थायी सन्धि प्रस्ताव का अर्थ यह है :

१. रियासत से सारे पाकिस्तानी सैनिकों और भारतीय सैनिकों की एक बड़ी संख्या की वापसी।

२७ अगस्त १९४८ के पत्र में पाकिस्तान सरकार को बताया गया कि दोनों सरकारों के सशस्त्र सैनिकों की एक साथ वापसी का निर्णय उनके हाईकमांड और कमीशन के बीच ही किया जायगा।

२. १९ सितम्बर १९४८ के पत्र में कमीशन ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी हाईकमांड के अधीन सैनिकों का इलाका आजाद काश्मीर सैनिकों के अधीन रहेगा।

३. पाकिस्तान सरकार कबाइलियों और पाकिस्तानी नागरिकों को जो रियासती निवासी नहीं हैं और जो वहां लड़ने की इच्छा से प्रविष्ट हुए हैं बाहर निकालने में काफी कोशिश करेगी।

४. पाकिस्तानी सिपाहियों के छोड़े हुए इलाके पर अन्तिम निर्णय होने तक कमीशन की देख रेख में स्थानीय अधिकारियों की सरकार होगी। कमीशन ने स्पष्ट किया कि स्थानीय अधिकारियों के वाक्य का अभिप्राय आजाद काश्मीर सरकार है। यद्यपि कमीशन ने न तो इस सरकार को स्वीकार किया न वह ऐसा कर सकता था। देख रेख का अभिप्राय यथार्थ अधिकार या पूरी देख भाल नहीं है वरन् कमीशन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि स्थानीय अधिकारी 'युद्धरोको' और अस्थाई सन्धि का भंग न करें और कमीशन ने

यह भी स्पष्ट किया कि वह गिलगित के प्रबन्ध की देख रेख की कल्पना नहीं करते जो अस्थाई रूप में पाकिस्तान सरकार के राजनैतिक एजेन्ट के अधीन हैं। अतः कमीशन ने यह स्पष्ट किया कि महाराजा की सरकार को किसी अवस्था में भी स्थानीय अधिकारियों के अधीन प्रदेशों में हस्तक्षेप करने या किसी सैनिक या नागरिक अधिकारी को भेजने की आज्ञा न होगी।

५. भारत सरकार इस बात का बचन देगी कि जम्मू और काश्मीर सरकार सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करेगी कि शान्ति की रक्षा की जायगी तथा सारे मानव और राजनैतिक अधिकारों की स्वतंत्रता होगी। कमीशन पाकिस्तानी सैनिकों के छोड़े हुए प्रदेश में भी स्थानीय अधिकारियों से ऐसी ही अवस्था की आशा रखता है।

६. डाक्टर लोजानो ने स्पष्ट किया कि जनमत के प्रबन्ध को रस्मी तौर पर जम्मू और काश्मीर सरकार नियुक्त करेगी का अर्थ यह नहीं है कि वह जम्मू और काश्मीर सरकार का एक कर्मचारी होगा या अधीन रहेगा, वरन् यथार्थ में वह अन्तर्राष्ट्रीय, ख्यातिप्राप्त और सबका विश्वासपात्र होगा।

९३५ फौजी प्रेक्षक

'युद्धरोको' की देख रेख के लिए सुरक्षा-परिषद् ने कमीशन की मांग करने पर लैफ्टीनैंट जनरल मारेस डैलवाई को कमीशन के साथ मुख्य सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। इसके अधीन ३७ फौजी प्रेक्षकों के गिरोह की स्वीकृति दी गई जिनमें से जून १९४९ तक ३५ प्रेक्षक जम्मू और काश्मीर के दोनों इलाकों में फौज देख-रेख के लिए नियुक्त किये जा चुके हैं। प्रेक्षकों में १७ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ४ कनाडा, ४ नारवे, ४ बेलजियम और ८ मैक्सिको के देशों से लिये गये हैं। जनरल डलवाई ने काश्मीर के मोर्चों का दौरा करके प्रेक्षकों को नियुक्त किया। १३ मार्च १९४९ को कमीशन ने भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से मिल कर मनावर से लेकर टिठ-

वाल तक 'युद्ध रोको' की अस्थाई सीमा पंक्ति नियुक्त की। जनरल डेलवाई भी इसमें सम्मिलित थे। अतः १७ फौजी प्रेक्षक लड़ाई रोको सीमा के भारतीय इलाके की ओर और १८ पाकिस्तानी इलाके की ओर नियुक्त किये गये हैं।

९३६ जनमत प्रबन्धकर्ता

भारत और पाकिस्तान की स्वीकृति पर नौ सेनाध्यक्ष चेस्टर निमित्ज को संयुक्त-राष्ट्र संघ ने जनमत प्रबन्धकर्ता नियुक्त किया। श्रीयुत निमित्ज पहले दूसरे महायुद्ध में संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के कमांडर थे। वह बेड़े के सेनापति बनाए गए और बाद में बेड़े के सेनानायक बन गये। निमित्ज ने घोषणा की कि वे ३० अप्रैल १९४९ को भारत के लिए चल पड़ेंगे परन्तु 'युद्ध रोको' के दूसरे भाग अस्थाई सन्धि पर जिद हो जाने से उन्होंने अपना विचार स्थगित किया। सन्धि की शर्तों पर भारत और पाकिस्तान के हस्ताक्षर होने के पश्चात ही वह भारत आ सकेंगे। नौ सेनाध्यक्ष निमित्ज अपनी नियुक्ति के दिन से जनमत प्रबन्धक के नाते संयुक्त-राष्ट्र संघ से ४०००० डालर वार्षिक वेतन पा रहे हैं।

शेरे काश्मीर ने १६ अप्रैल १९४९ को एक प्रेस कांफ्रेंस में नौ सेनानायक निमित्ज के नियुक्त किये जाने के बारे में काश्मीर सरकार की ओर से इस प्रकार कहा :

> "यद्यपि नौ सेनानायक निमित्ज को जनमत का प्रबन्धकर्ता नियुक्त किया गया है किन्तु उनको जब तक काश्मीर सरकार की ओर से नियुक्त नहीं किया जायगा, जब तक 'युद्ध रोको' की शर्तों पर हस्ताक्षर नहीं होंगे।"

९३७ नये प्रस्ताव

'युद्ध रोको' की शर्तों के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान में मतभेद हो गया। भारत 'ऐडिस मेमोयर' में दी हुई शर्तों पर सख्ती के साथ पाबन्द है। इसके आधार पर कमीशन ने उसे विश्वास दिलाया है कि तथाकथित 'आजाद काश्मीर' सिपाहियों को तोड़ा और निशस्त्र किया जायगा और इस इलाके

पर भी काश्मीर सरकार का आधिपत्य होगा। पाकिस्तान इस शर्तको पूरा करने के लिए राजी नहीं है।

अत: कमीशन ने १६ अप्रैल १९४९ को भारत और पाकिस्तान की सरकारों के सामने एक नया प्रस्ताव रखा। इसके सम्बन्ध में कमीशन के प्रधान डाक्टर ऐलफर्ड लोजानो (कोलम्बिया), और सी० ए० लीगो मेजेमन (अर्जनटाइना) ने १७ और १८ अप्रैल १९४९ को भारत सरकार के प्रतिनिधियों से कई बार बातचीत की। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि उस समय तक बातचीत होनी कठिन है, जब तक तथाकथित 'आजाद काश्मीर' सिपाहियों को तोड़ा और निशस्त्र नहीं किया जाता और 'आजाद काश्मीर' इलाके की निशस्त्र वर्तमान स्थिति को स्पष्ट न किया जाय। साथ ही सारे पाकिस्तानी और कबाइली सिपाहियों को काश्मीर से हटाया न जाय।

कमीशन ने २८ अप्रैल १९४९ को 'युद्ध रोको' की अन्तिम शर्तें भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार को पेश की। इसने यह भी घोषणा की कि इसका उत्तर एक सप्ताह के अन्दर दिया जाय। बाद में कमीशन ने समय की पाबन्दी को हटा दिया। डाक्टर लोजानो और डाक्टर चहल, चैकोस्लावेकिया, ने कई बार भारत सरकार के प्रतिनिधियों से भेंट करके शर्तों की व्याख्या की। भारत सरकार ने इसका उत्तर डाक्टर लोजानो को १८ मई को दिया। पाकिस्तान सरकार ने ३० मई १९४९ को सर राबर्ट मैकटी, प्रधान कमीशन के हाथ प्रस्ताव का उत्तर कराची में दिया।

३१ मई १९४९ को श्रीनगर में कमीशन ने एक साथ दोनों सरकारों के उत्तर पढ़े और ७ जून १९४९ को यह घोषणा की कि दोनों सरकारों ने अन्तिम प्रस्ताव को बिना शर्त मानने से इन्कार कर दिया है। ९ जून १९४९ को कमीशन ने निर्णय किया कि डाक्टर लोजानो भारत सरकार के उत्तर को और स्पष्ट कराने के लिए दिल्ली आयें। चुनाचे अब डाक्टर लोजानो फिर नई दिल्ली आये।

संयुक्त-राष्ट्र संघ के प्रधान मंत्री त्रिग्वेली ने २५ जून १९४९ को

लेसेक्सस में कहा कि वह काश्मीर के बारे में वर्तमान जगडे को समाप्त करने में सफल न रहेंगे।

२५ जून १९४९ को कमीशन ने टिठवाल और करगिल के बीच में कुछ और प्रेक्षक नियुक्त करने के लिये संयुक्त-राष्ट्र संघ से प्रार्थना की।

९३८ डाक्टर लोजानो का पदत्याग

डाक्टर लोज़ानो ने, जो कमीशन के एक प्रमुख सदस्य थे, २४ जून, १९४९ को कमीशन के सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया। इसका कारण कोलम्बिया में मंत्रिमंडल का परिवर्तन था। उन्होंने एक महीने पहले अपना त्यागपत्र दे दिया था, परन्तु कमीशन के प्रधान के अनुरोध करने पर इन्होंने कार्य को जारी रखा। २५ जुलाई १९४९ को वह श्रीनगर से कोलम्बिया चल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने एक विज्ञापन में कहा :

"कमीशन किसी दूसरे प्रस्ताव को सोचने से पहले किसी भी संभव उपाय को निकालने की इच्छा रखता है।"

डाक्टर लोज़ानो के स्थान पर श्रीयुत सैम्पर को कमीशन का सदस्य बनाया गया।

९३८१ स्थानीय युद्ध विराम सीमा

कमीशन ने अपने ४ जुलाई १९४९ के पत्र में अपनी इस इच्छा को प्रकट किया कि दोनों सरकारों के फौजी प्रतिनिधियों की एक कांफ्रेंस कराची में बुलाई जाये जिसमें स्थायी "युद्ध रोको" की स्थायी लाइन निश्चित की जाय। तदनुसार भारत और पाकिस्तान के फौजी प्रतिनिधियों की एक कांफ्रेंस १८ जुलाई १९४९ तक कराची में हुई। इस कांफ्रेंस में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने मिल कर जम्मू तथा काश्मीर के सारे इलाके के लिये "युद्ध रोको" सीमा को निश्चत किया।

नई सीमा दक्षिण में मनावर से आरम्भ होती है और केरन से होती हुई गुरेज तक जाती है। गुरेज से आगे यह किशन गंगा नदी के दक्षिण से

तावबट के दक्षिण में एक स्थान पर जाती है। इस स्थान से यह गुरेज और तलेल घाटी तक किश्न गंगा नदी के उत्तर से जाती है। फिर चोरवान के उत्तर में नाला बरजुल को पार करती है। इस सीमा की लम्बाई ८०० मील है जो मनावर से लेकर उत्तर में श्योक ग्लेश्यर तक निश्चित की गई है।

९३९२ संयुक्त बैठक का प्रस्ताव

कराची कांफ्रेंस की सफलता ने कमीशन को प्रोत्साहित किया। फलतः कमीशन ने एक संयुक्त बैठक नई दिल्ली में बुलाने का प्रस्ताव दोनों सरकारों को भेजा। परन्तु इसकी यह कोशिश असफल रही क्योंकि पाकिस्तान ने "आजाद काश्मीर" फौज की ३२ पल्टनों को निशस्त्र करने और तोड़ने तथा उत्तरीय इलाकों के प्रबन्ध को बैठक की कार्यसूची में रखने का विरोध किया; परन्तु भारत ने इनको कार्य सूची में रखने पर जोर दिया।

९३९३ पंच प्रस्ताव

कमीशन ने २६ अगस्त १९४९ को एक प्रस्ताव पास किया, जो इसने २९-३० अगस्त १९४९ को भारत और पाकिस्तान की सरकारों को भेजा। कमीशन ने इस स्मारकपत्र में इस पर प्रसन्नता प्रकट की कि कराची में १८ से २८ जुलाई तक जो फौजी कांफ्रेंस हुई उसमें "युद्ध रोको" सीमा के सम्बन्ध में निश्चय हो गया है। इस प्रकार से १३ अगस्त १९४८ के प्रस्ताव के पहले भाग पर कार्य समाप्त हो गया। इसके पश्चात कमीशन ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कांफ्रेंस के बुलाने का निमंत्रण भेजा। परन्तु दोनों सरकारों की ओर से असन्तोषजनक उत्तर मिलने के कारण कमीशन को अपना निमंत्रण वापिस लेना पड़ा। और इसने यह स्मारक पत्र पास किया। इसकी धारा ५ में यह प्रस्ताव था :

वर्तमान स्थिति में कमीशन ने दोनों सरकारों से यह पूछने का निश्चय किया है कि क्या वे अस्थायी सन्धि करने के लिये निम्नलिखित कार्य प्रणाली के लिये सहमत हैं :

१. दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि :

क. इन सारे झगड़े वाले प्रश्नों को जो कमीशन के १३ अगस्त १९४८ के प्रस्ताव के दूसरे भाग को अमली रूप देने से उत्पन्न होते हैं, एक पंच के हवाले कर दिया जाय। पंच न्याय से इन प्रश्नों का निर्णय करेगा और इस निर्णय को दोनों सरकारों को मानना होगा।

ख. अस्थायी सन्धि की शरतों का निर्णय होते ही पंच का काम समाप्त हो जायगा।

ग. एडमिरल निमित्ज पंच नियुक्त होगे।

घ. पंच फैसले की कार्य प्रणाली तदनन्तर निश्चित की जायेगी।

ङ. क्योंकि पंच का कार्य अस्थायी सन्धि तक सीमित रहेगा इसलिये कमीशन अपना कार्य चालू रखेगा। पंच के निर्णय के पश्चात् कमीशन को ५ जनवरी १९४९ के प्रस्ताव के आधीन जो कार्य सौंपा गया है इस पर वह कार्य जारी रहेगा।

२. जब तक दोनों पार्टियां इस प्रस्ताव पर सहमत न हों जायेंगी तब तक पंच की कार्य प्रणाली की व्याख्या करना निरर्थक होगा।

९३९३१ अनुचित हस्तक्षेप

प्रेसिडेन्ट ट्रूमेन और प्रधान मंत्री एटली ने भारत तथा पाकिस्तान सरकार को ३१ अगस्त १९४९ को एक पत्र भेजा और उनसे अपील की कि वह कमीशन का २१ अगस्त १९४९ का प्रस्ताव स्वीकार करें। पाकिस्तान ने इस अपील को मान लिया। परन्तु भारत ने इसको गंभीर हस्तक्षेप का नाम देकर अस्वीकार किया। यह एक प्रकार से सुरक्षा-परिषद तथा संयुक्त-राष्ट्र संघ के साथ धोखा था। इसी बात को काश्मीर कमीशन के एक सदस्य डाक्टर चायल ने अपनी एक रिपोर्ट में जो कि उसने सुरक्षा-परिषद को पेश की दोहराया। उन्होंने संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका और युनाइटेड किंगडम को इस अनुचित हस्तक्षेप के लिये अपराधी ठहराया।

९३९३२ भारत का उत्तर

श्री गिरिजाशंकर वाजपेयी, मुख्य मंत्री विदेश विभाग ने ८ सितम्बर १९४९ को कमीशन के प्रधान को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा :

"आपने ३० अगस्त को काश्मीर कमीशन की ओर से मुझे जो स्मारक-पत्र दिया उस सम्बन्ध में अपनी सरकार के दृष्टिकोण को मैं लिखित रूप में आपके पास भेजता हूं।

दो प्रश्न

"३० अगस्त को मैंने राजदूत काल्बन और आपसे जो बातचीत की थी उसमें मैंने दो प्रश्न पूछे थे :

१. क्या कमीशन उन सवालों को जिनके सम्बन्ध में पंचनिर्णय कराना है पंच को बतलाएगा ?

२. क्या कमीशन पंच को उन सारे हालात से अच्छी प्रकार परिचित कराएगा जो वर्तमान स्थिति का कारण बने और क्या कमीशन तथाकथित "आजाद काश्मीर" की सेना को तोड़ने जैसे सवालों के सम्बन्ध में जिनके बारे में कमीशन एक निर्णय पर पहुंच गया है पंच को बताएगा ?

"पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि कमीशन यह पसंद करेगा कि दोनों पार्टियां धारा ५ के १ क को स्वीकार कर लें और तब पंच के सामने उन प्रश्नों को रखें जिनके बारे में दोनों सरकार पंच निर्णय चाहती हैं। इसके पश्चात यह निर्णय करना पंच का काम होगा कि दोनों पार्टियों ने जो प्रश्न उठाये हैं वे कहां तक समझौते से सम्बद्ध हैं।

"दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि कमीशन इस समस्या पर एक नये दृष्टिकोण से विचार कर रहा है। इसलिये वह बीती हुई बातों में जाना नहीं चाहता है। प्रत्येक पक्ष को ऐतिहासिक प्रसंग में उन प्रश्नों के बारे में जो पंच के हवाले किये जायँ अपने विचार सीमित रखने चाहिये।

"आपने मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा इसका तो यही अर्थ हो सकता है कि पंच को इस बारे में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा कि वह कौन से प्रश्नों में अपना निर्णय दे। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है वह कार्य प्रणाली अनोखी है इस प्रकार का भूतकाल में भी कोई दृष्टान्त नहीं मिलता और इसे उचित नहीं कहा जा सकता।

जहां तक दूसरे प्रश्न के उत्तर का सम्बन्ध है भारत सरकार कमीशन के इस रुख पर आश्चर्य तथा निराशा प्रकट किये बिना नहीं रह सकती। अलावा इसके कि प्रत्येक पार्टी पिछली घटनाओं को केवल अपने जामें मे पेश करे, यह अत्यन्त न्याययुक्त तथा अच्छा होता कि कमीशन जो पिछले कई तीन महीनों से सारी बातों पर विचार कर रहा है इन घटनाओं को जिनका उसे पूर्ण ज्ञान है निष्पक्ष और सही रूप में पंच के सामने रखता और वे आश्वासन भी उसे देता जो वह हमें देता रहा है।

"कमीशन के १३ अगस्त के प्रस्ताव के दूसरे भाग में अस्थायी सन्धि के बारे में जो प्रस्ताव रखे गये हैं उनको उन घटनाओं तथा वादा विवाद से जो भारत सरकार की स्वीकृति से पहले या पीछे हुएहैं अलग नहीं किया जा सकता

"जम्मू व काश्मीर प्रदेश में पाकिस्तानी सेना का होना ही जम्मू व काश्मीर प्रदेश पर पाकिस्तानी आक्रमण का प्रमाण है। भारत के साथ मिलने के कारण जम्मू व काश्मीर भारत का एक अंग बन गया है। कमीशन ने भी इस सम्मिलन की न्यायता पर कभी सन्देह नहीं किया और नहीं यथार्थ में इसपर सन्देह किया जा सकता है।

"काश्मीर पर सबसे पहले कबाइलियों और दूसरे पाकिस्तानी निवासियों ने आक्रमण किया। पाकिस्तान ने इनकी सहायता की और उनको उकसाया। इसके पश्चात पाकिस्तान की बाकायदा व्यवस्थित सेना भी लड़ने के लिये आई और पाकिस्तान ने भारत तथा रियासत की सेना से युद्ध जारी रखा। नाम मात्र "आजाद काश्मीर" सेना यथार्थ में पाकिस्तान सेना के आधीन थी। पाकिस्तान ने नाम मात्र "आजाद काश्मीर" सेना को तोड़ने का प्रतिरोध करने से यह प्रमाणित किया है कि वह अपने आक्रमणकारी प्रवृत्ति में कोई तबदीली नहीं करना चाहता।

"पिछले दिसम्बर में प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाक्टर लोजानो को यह बात साफ साफ बता दी थी कि "आजाद काश्मीर" सेना रियासत की रक्षा के लिये बड़ा खतरा है और उनके होते हुये रियासत में स्वतंत्र और पक्षपात रहित जनमत होना असंभव है।

"श्रीयुत कोरबेल ने अपने २५ अगस्त १९४८ के पत्र में प्रधान मंत्री को यह आश्वासन दिया था कि काश्मीर के कम आबादी वाले तथा पहाड़ी इलाके के प्रबन्ध और रक्षा की समस्या पर १३ अगस्त के प्रस्ताव के दूसरे भाग को कार्य रूप में लाने के समय विचार किया जा सकता है। भारत सरकार ने कमीशन के सामने और बाहर भी बहुत बार इस बात को दोहराया है कि जम्मू व काश्मीर की समस्या का इस समय तक न्याययुक्त और स्थायी हल नहीं निकल सकता जब तक कि आक्रमण के कार्य में निहित नैतिक तत्व को ध्यान में न लाया जाय।

"यह बात अस्थायी सन्धि के सम्बन्ध में उतनी ही सत्य है जितनी कि रियासत के भविष्य का फैसला करने के बारे में कमीशन की अपनी निष्पक्षता के अभाव में इस सारी समस्या को फिर से पंच के सामने वादविवाद के लिए फिर से रखना। इसका यह अर्थ होगा कि यह प्रश्न अनिवार्यतः विस्तार पकड़ जायेगा और अगस्त के प्रस्ताव के दूसरे भाग पर शीघ्र कार्य होना अनिश्चित समय तक रुका पड़ा रहेगा।

"पाकिस्तान ने "आजाद काश्मीर" की सेना को बड़े पैमाने पर निशस्त्र कर लेने और तोड़ने के बारे में जो रुख अख्तियार किया है वह भारत सरकार के विचार में जनमत के लिए शान्त वातावरण उत्पन्न करने में एक खतरनाक रुकावट उत्पन्न करता है। हमारी समझ में पाकिस्तान का यह मत है कि १३ अगस्त के प्रस्ताव में "आजाद काश्मीर" सेना को तोड़ने का कोई संकेत नहीं, अतः इस प्रश्न पर विवाद नहीं हो सकता। परन्तु पाकिस्तान शायद इस बात को भूल रहा है कि प्रस्ताव के पास होने से पहले हमारे और कमीशन के बीच इस प्रश्न पर बातचीत हुई थी और कमीशन ने हमें स्पष्टतया बता दिया था कि "आजाद काश्मीर" की सेना को न तोड़ने से शरणार्थियों को फिर बसाने

में कठिनाई होगी और इस प्रकार से निष्पक्ष जनमत नहीं हो सकेगा। डा० लोजानो ने प्रधान मंत्री के इस सबल तर्क को स्वीकार किया था और हमें बताया था कि कमीशन की इच्छा यह है कि "आजाद काश्मीर" सेना को बड़े पैमाने पर निशस्त्र करके तोड़ दिया जाय। अब इस समस्या पर नये सिरे से विचार करना न्याययुक्त नहीं। अगर पंच इस बात का निर्णय कर दें कि इस सेना को न तोड़ा जाय तो न्याययुक्त और निष्पक्ष जनमत नहीं हो सकता। और अगर पंच इस पर विचार करना स्थगित कर दें तो भारतीय सेना के रियासत से वापिस चले जाने पर रियासत की सुरक्षा खतरे में पड़ जायगी। भारत सरकार इस खतरे को मोल नहीं ले सकती और वह यह नहीं चाहती कि अक्टूबर १९४७, के आक्रमण के अत्याचारों को दोहराया जाय। "आजाद काश्मीर" सेना की संख्या अब बहुत अधिक बढ़ गई है और रियासत की रक्षा के लिए वह बड़ा खतरा है। यह सेना पाकिस्तान सेना का ही एक अंग है। पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी है तथा यह पाकिस्तान ही की फौजी कमान में है। पीछे जाने वाले आक्रमणकारियों को अपने पीछे सुसज्जित और युद्ध तत्पर सेना की ३२ बटालियन छोड़कर जाने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। ऐसे हालात में भारत सरकार को पूर्ण विश्वास है कि "आजाद काश्मीर" सेना को बड़ी संख्या में निशस्त्र करने और तोड़े जाने का अहम सवाल पंच सुपुर्द नहीं किया जा सकता। इस सवाल पर तो तुरन्त निर्णय करने की जरूरत है।

"भारत सरकार को पंच नियुक्त करने के प्रस्ताव के विषय में बड़ी आपत्ति यह है जैसे कि पिछले दो पैरों में कहा गया है कि इसमें प्रमुख सवाल हल नहीं किया जा सकता। इसका यह अर्थ है कि वह स्मारकपत्र के धारा नं० ५ १ अ में दिये हुए सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकती है। स्मारक पत्र के धारा नं० ५ १ अ में दी हुई कार्य प्रणाली को अस्वीकार करते हुये भी मेरी सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि वह पंच निर्णय के सिद्धान्त के खिलाफ नहीं है।

"अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अब भी यह मानती है कि जम्मू व काश्मीर के लोगों को अपने भविष्य के बारे में स्वयं निर्णय

करना चाहिये। वह दृढ़ता से इस वचन पर आरुढ़ है तथा रियासत जम्मू व काश्मीर के भारत में स्थायी सम्मिलन के प्रश्न को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से जनमत के सार्वलौकिक ढंग से तय करने के लिये तैयार है; बशर्ते कि जनमत को सचमुच स्वतंत्र तथा अपक्षपाती बनाने के लिये आवश्यक वातावरण उत्पन्न किया जाय।"

९३९३३ पाकिस्तान का उत्तर

७ सितम्बर १९४९ को पाकिस्तान के काश्मीर विभाग के मंत्री श्रीयुत गुरमानी ने काश्मीर कमीशन के प्रधान को निम्नलिखित पत्र लिखा :

> "मैं आपका ध्यान इस स्मारकपत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो आपने कमीशन की ओर से पाकिस्तान के विदेशी विभाग के मंत्री को २९ अगस्त १९४९ को दिया। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार कमीशन के अगस्त के प्रस्ताव के दूसरे भाग को कार्यरूप में लाने के लिये स्मारकपत्र की धारा ५ को स्वीकार करती है।"

९३९३५ काश्मीर का विरोध

शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कांफ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन में सभापति के भाषण में २४ सितम्बर १९४९ को श्रीनगर में कहा :

> "मेरे मन में इस सम्बन्ध में कोई शक नहीं कि अभी तक शान्ति भंग को प्रोत्साहन देने वाले सब विषयों की अपेक्षा पंच निर्णय के प्रस्ताव में भविष्य में होने वाले झगड़ों की संभावनाएं सबसे अधिक निहित हैं। हम काश्मीर में "म्यूनिच" को दोहराना नहीं चाहते। हम साफ साफ महसूस करते हैं कि पंच निर्णय का मतलब हमलाआवर के सामने घुटने टेकने के सिवा और कुछ नहीं है। जिन प्रयासों के द्वारा आक्रामक को अधिक झुक कर खुश करने की कोशिश की जाती है, उन सबके खिलाफ हिटलर के हाथों चेकोस्लोवाकिया की दुर्गति एक चेतावनी का काम देती है।

"पंच निर्णय का अर्थ होगा वस्तुस्थिति से आंखें बन्द करना और काश्मीर को बलि का बकरा बनाना। हम ४० लाख लोगों के भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते . . . .और मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों हम से अन्यायपूर्ण निर्णय स्वीकार करने के लिए कहा जाता है।"

उससे अगले दिन २५ सितम्बर १९४९ को नेशनल कांफ्रेंस ने अपने १५०० शब्दों के लम्बे प्रस्ताव में स्पष्ट घोषणा की कि पंच निर्णय का प्रस्ताव एक और ऐसी ही चाल है जिसके द्वारा काश्मीर की जनता को न्याय से वंचित कर दिया जाय और हमलाआवर को खुश किया जाय। कांफ्रेंस ने अपना यह विश्वास फिर से दोहराया कि वह काश्मीर की ४० लाख जनता के और उसकी स्वतंत्र इच्छा से अपने भविष्य का निर्णय करने के हक की संरक्षक है। किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह काश्मीर के लोगों का भाग्य निर्णय नहीं करने दे सकती। इन २१ महीनों में काश्मीर की जनता को सदैव यह आशा बनी रही है कि आक्रामक और हमलाआवर का नाम ले दिया जायगा, परन्तु उन्हें अन्त में निराश होना पड़ा है। काश्मीर की जनता राष्ट्रपति ट्रूमन और प्रधानमंत्री एटली के पंच निर्णय के सुझाव को शक की नजर से देखती है कांफ्रेंस ने घोषणा की कि काश्मीर की जनता अपने प्राण देकर भी अपनी स्वतंत्रता और सबसे अधिक अपने भाग्य निर्णय करने के हक की रक्षा करेगी।

९३९३६ कमीशन का भारत को उत्तर

भारत सरकार के ८ सितम्बर १९४९ के पत्र का उत्तर देते हुए कमीशन के सभापति ने कहा :

"कमीशन को यह जानकर चिन्ता हुई है कि जिन दो सवालों ने आपकी सरकार के उत्तर के स्वरूप को निश्चित किया प्रतीत होता है, उनके सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी हो गई है।

"कमीशन की राय में पहला प्रश्न यह है कि प्रस्तुत कार्य पद्धति के संबंध में दोनों सरकारों की स्वीकृति पहले, प्राप्त कर ली जाय और तब आगे की कार्य विधि के सम्बन्ध में अनेक तरीकों पर

उनसे सलाह की जाय। आपके प्रश्न में निहित कार्य विधि उन अनेक तरीकों में से ही एक होगी, उनसे बाहर नहीं।

"दूसरे सवाल के सम्बन्ध में, कमीशन आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वह पंच की हर प्रकार की सेवा के लिए हर समय तैयार रहेगा और वह उस सब जानकारी को, जो उसके पास है उस पंच के सामने रख देगा।

"स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत के लक्ष्य जनमत को वस्तुत: स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक शर्तों सम्बन्धी नियमों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

"इस सम्बन्ध में आपने "आजाद काश्मीर" की सेना को निशस्त्र करने और तोड़ने का जिकर किया है। कमीशन की राय में दोनों सरकारों ने इस शर्त को मान लिया है कि जनमत संग्रह से पहले "आज़ाद काश्मीर" सेना को बड़े पैमाने पर निशस्त्र कर दिया जाय और तोड़ दिया जाय। दोनों सरकारों में इसके सम्बन्ध में जो मतभेद पैदा हो गया है वह तात्विक न होकर विस्तार तरीके और समय से सम्बन्ध रखता है। पंच का निर्णय केवल इसी के सम्बन्ध में होगा।

कमीशन को आशा है कि इस सफाई के प्रकाश में ३० अगस्त को आपको दिये गये उप पत्र पर आपकी सरकार फिर से विचार करेगी।"

रावर्ट ली मेकटी
सभापति

९३९३७ **भारत का पत्र**

भारत सरकार के विदेश विभाग के मुख्य सचिव ने १५ सितम्बर १९४९ को कमीशन के सभापति को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा:

"आपके पत्र को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने कमीशन के उपपत्र पर पूरा गौर किया है। मैं आपको पहले ही यह बता देना चाहता हूं कि कमीशन के ३० अगस्त के उपपत्र में प्रस्तुत प्रस्तावों का भारत

देश की रक्षा घरकी रक्षा है



वीराङ्गना रक्षा दल

"पाकिस्तान में मिलने की अपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर है"

शेख मुहम्मद अब्दुल्ला
(१६ मार्च १९४८)

सरकार ने जो उत्तर भेजा था, उसका आधार कोई अन्य विचार न था, बल्कि यह मौलिक बात थी कि जनता में विश्वास पैदा करना और शान्त वातावरण को तैयार करना जनमत की तैयारी के लिए सर्व प्रथम आवश्यकता है। इस शर्त को भारत सरकार और कमीशन दोनों ने मान लिया है और इसलिये इसे पंच के निर्णय पर नहीं छोड़ा जा सकता।

आजाद काश्मीर" सेना को निशस्त्र करना और तोड़ना एक ऐसा सवाल है जिसका फैसला पंच द्वारा नहीं कराया जा सकता।

"भारत सरकार के विचार से, पंच के सामने कौन कौन से सवाल फैसले के लिये पेश किये जायं यह दोनों सरकारों की सलाह से पंच प्रस्ताव के मंजूर किये जाने से पहले ही तय हो जाना चाहिये न कि इसके बाद। पंच निर्णय होगा या नहीं होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों सरकारें जिन सवालों पर उन्हें पंच से निर्णय करवाना है, उन पर सहमत हैं। यह कार्यप्रणाली अधिक युक्तिसंगत और उचित होगी।"

९३९३८ कमीशन का अन्तिम उत्तर

कमीशन के सभापति ने १९ सितम्बर ४९ को, भारत सरकार के विदेश विभाग के सचिव और पाकिस्तान के विदेशी कामों के मंत्री को क्रमशः एक एक पत्र भेजा :

भारत को पत्र

"आपके ८ सितम्बर और १५ सितम्बर के पत्रों से कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि भारत सरकार स्मृति पत्र उपपत्र में सुझाई नई कार्यप्रणाली को स्वीकार करने में असमर्थ है।

"इन हालात में, कमीशन ने नियमानुसार यह निश्चय किया है कि वह पिछली अन्तरिम रिपोर्ट के बाद इस महाद्वीप पर किये गये

अपने कामों की रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को दे।"

पाकिस्तान को पत्र

"कमीशन इस बात पर सन्तोष प्रकट करता है कि उक्त उपपत्र के ५ वें पैरा में कमीशन द्वारा प्रस्तुत कार्यप्रणाली को आपकी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कमीशन को भारत सरकार का भी उत्तर प्राप्त हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि भारत सरकार उस सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ है।"

९३९४ कमीशन की असफलता

कमीशन ने दोनों सरकारों से अपना प्रस्ताव मंजूर कराने के लिए लम्बे समय तक बार बार कोशिश की और प्रत्येक मंजिल पर पैदा होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रख कर उसने अपने प्रस्ताव में बहुत से फेर बदल भी किये, परन्तु इस सबके बावजूद वह असफल रहा। असफलता अनिवार्य भी थी क्योंकि उसके सामने दो सरकारों के "आजाद काश्मीर" सेना को भंग करना, सेनाओं को वापस हटाना और उत्तरी प्रदेश के शासन और रक्षा, जैसे सवालों पर परस्पर विरोधी विचार उपस्थित थे। यह सभी सवाल मौलिक समस्या के अन्तिम हल से घनिष्ट सम्बन्ध रखते थे। कमीशन ने हमला करने वाले और जिस पर हमला किया गया था दोनों को एक स्तर पर रख दिया। पाकिस्तान आक्रामक देश था और उसे काश्मीर में रहने का कोई हक नहीं था, जब कि भारत का काश्मीर में रहने का हक भी था और कानून भी उसके पक्ष में था। कमीशन ने इस मोटे भेद को नहीं पहचाना। इसने अपने पुराने वायदों को भी पूरा नहीं किया और आक्रामक को खुश करने की कोशिश करता रहा। इसलिए उसकी असफलता स्वाभाविक थी।

९३९४१ कमीशन की वापसी

अपने प्रयत्नों में असफल होने पर कमीशन ने सारा मामला फिर से सुरक्षा-परिषद के सामने पेश करने का निश्चय किया। अतः वह अपनी तीसरी

अन्तरिम रिपोर्ट लिखने के लिए २५ अगस्त १९४९ जेनेवा के लिए रवाना हो गया।

९३९५ डेलवी प्रसंग

जनरल डेलवी काश्मीर कमीशन के सैनिक सलाहकार थे। उन्होंने काश्मीर सरकार की अनुमति लिए बिना २८ सितम्बर ४९ को सोने चांदी के जेवरों से भरे ७ बक्सों को यू. ए. के खास हवाई जहाज में रखकर रावलपिंडी पहुंचा दिया। यह बक्स श्रीनगर के एक बैंक में सेफ डिपोजिट में रखे थे। यह बक्स सरदार और बेगम इफैन्दी के थे, जो इस समय काश्मीर सरकार के खिलाफ "आजाद काश्मीर" सेनाओं को सहायता पहुंचा रहे थे। इसलिए काश्मीर सरकार ने उन्हें 'शत्रु एजेन्ट' घोषित कर दिया था।

काश्मीर और भारत दोनों सरकारों ने इस स्थिति को गंभीर समझा और भारत सरकार ने ३ अक्टूबर ४९ को काश्मीर कमीशन के पास जनरल डेलवी द्वारा दौतिक विशेषाधिकारों के भंग करने के सवाल पर एक पत्र भेजा। जनरल डेलवी ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने वे बक्स अनजान में हटाये थे और उसे इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं था कि इफेन्दी शत्रु एजेन्ट घोषित कर दिया गया है। कमीशन ने उसे वापस बुला लिया। फलतः ८ नवम्बर ४९ को वह भारत से जेनेवा के लिए रवाना हो गए।

९३९६ सुरक्षा-परिषद में कमीशन की रिपोर्ट

काश्मीर समस्या को एक साल तक सुलझाने की कोशिश करने के बाद, काश्मीर कमीशन ने १२ दिसम्बर ४९ को सुरक्षा-परिषद में अपनी असफलता की रिपोर्ट पेश की। सवाल की ऐतिहासिक विवेचना करने के बाद, रिपोर्ट में झगड़े का आधार इन तीन प्रश्नों को बताया गया :

१. आजाद काश्मीर सेना का विन्यास।

२. राज्य से भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं की वापसी, और

३. उत्तरी क्षेत्रों का सवाल।

उसके बाद रिपोर्ट में दोनों सरकारों की स्थिति, जैसी उन्होंने कमीशन के सामने पेश की थी, बयान की गई। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है :

भारतीय पक्ष "अक्टूबर १९४७ में काश्मीर के भारत में शामिल हो जाने के बाद से भारत वहां रहना अपना कानूनी हक समझता है। सम्मिलन के बाद काश्मीर की रक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार की हो जाती है। जनमत संग्रह इसी सम्मिलन को पक्का करने के लिए होगा जो अब भी सब प्रकार से संपूर्ण हो चुका है। भारतीय पक्ष का केन्द्र बिन्दु यह है कि भारत काश्मीर में में अपने अधिकार के कारण है, और पाकिस्तान को वहां बराबरी का दर्जा पाने का कोई हक नहीं है।

पाकिस्तान का पक्ष "पाकिस्तान का कहना है कि काश्मीर का सन् ४७ का भारत में सम्मिलन गैर कानूनी है। काश्मीर राज्य ने १५ अगस्त १९४७ को पाकिस्तान के साथ 'यथा पूर्व' समझौता किया था। उस समझौते के अनुसार काश्मीर को किसी दूसरे राज्य से बातचीत चलाना या समझौता करना मना था। सम्मिलन हिंसा और छल से सम्पन्न हुआ है अतः अमान्य है। अपने प्रदेश की भारतीय सेना के आक्रमण से रक्षा करने के लिए पाकिस्तानी फौजों का काश्मीर में घुसना जरूरी था।

"आज़ाद काश्मीर" सेना "आजाद काश्मीर" के पास इस समय भली भांति सुसज्जित ३२ बटालियन सेना है। उसके पास पाकिस्तान सेना के भी काफी दस्ते हैं जो उनके साथ पूरा सहयोग करते रहे हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि "आजाद" फौज के पास अब इतनी शक्ति है जिस ने सैनिक स्थिति को बदल दिया है। इसने उस हद तक नियमित सेनाओं की वापसी को, खासकर भारतीय सेना की वापसी को, अत्यन्त कठिन बना दिया है क्योंकि "आजाद" फौज नियमित सेना की परिभाषा में नहीं आती।

"यद्यपि इसमें मतभेद हो सकता है कि "आजाद काश्मीर" की फौज की संख्या तब से वस्तुतः बढ गई है, तथापि इसमें मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान सेना के साथ काम करते रहने से उसमें पाकिस्तान अफसर होने से और पाकिस्तानी सेना द्वारा उन्हें शिक्षण मिलने के कारण,

आजाद काश्मीर फौजों की लड़ने की शक्ति काफी बढ़ गई है।"

सेनाओं की वापसी "पाकिस्तान शुरू से ही इस बात की मांग करता रहा है कि दोनों तरफ ही सैनाओं की वापसी एक साथ हो। भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है।

"भारत काश्मीर स्थित अपनी सेना के अधिकांश भाग को उस समय तक हटाने के लिये तैयार नहीं है, जब तक 'आजाद काश्मीर' फौज को बड़े पैमाने पर निशस्त्र करने और तोड़ने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ समझौता न हो जाय।

"जब तक भारत सरकार इस बात पर जमी हुई है कि दोनों पक्षों द्वारा अस्थायी सन्धि मंजूर होने से पहले पाकिस्तान को भारतीय सेना की वापसी के स्वरूप और समय की कोई जानकारी नहीं होनी चाहिये। जब तक पाकिस्तान इस बात पर दृढ़ है कि केवल यह जानकारी ही उस बात का सबूत है कि दोनों सेनाओं की वापसी एक ही साथ होगी, तब तक अस्थायी सन्धि को कार्यान्वित करने की संभावना बहुत कम है।

"इसका साफ अर्थ यह है कि पिछले वर्ष राज्य में जो घटनाएं घटी हैं उनके कारण असैनीकरण की मूल योजना में तबदीली करने की जरूरत पैदा हो गयी है। इस तबदीली को करते समय, असैनीकरण के सवाल को किसी भेदभाव के बिना, समग्र दृष्टिसे देखना चाहिये।"

कमीशन ने अन्त में कहा :

"युद्ध विराम सीमा के उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना के प्रवेश से लाजमी तौर से युद्ध पुनः आरम्भ हो जायगा।"

रिपोर्ट पर केवल चार सदस्यों के अर्जनटाइना, बेल्जियम, कोलम्बिया और संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के नुमाइन्दों के हस्ताक्षर थे। चेकोस्लावेकिया के नुमाइन्दे डा० चाइल के हस्ताक्षर शिफारिशों के नीचे नहीं थे। बाद में उसनें १८ दिसम्बर ४९ को सुरक्षा-परिषद को अपनी अल्पमत रिपोर्ट पेश की, जिसमें असफलता के लिए कमीशन को ही दोषी ठहराया गया। बेल्जियम के नुमाइन्दे श्री करयोव ने भी, कमीशन के परिणामों के साथ, अलग से अपनी एक टिप्पणी लिखी।

९३९६१ बेल्जियम के नुमाइन्दे की टिप्पणी

भारतीय संविधान-परिषद में काश्मीर के नुमाइन्दों के लिये जाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान का विरोध कमीशन ने सुरक्षा-परिषद को बताया और कहा कि यद्यपि स्थानीय कारणों के बल पर भारत सरकार के इस कदम का विरोध करना मुश्किल है। राजनीतिक दृष्टि से यह कदम अवांछनीय है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

श्री करयोव ने अपनी टिप्पणी में कहा :

"बेल्जियम का प्रतिनिधि इस बात की तरफ सुरक्षा परिषद का गंभीर ध्यान खींचना अपना कर्तव्य समझता है, क्योंकि यह समस्या के एक ऐसे पहलू का उद्घाटन करता है जिसके कारण काश्मीर सवाल को शान्ति से हल करने में कठिनाइयां पैदा करेंगे। इस नीति के गंभीर परिणाम होंगे।"

९३९६२ कमीशन के सुझाव

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस कार्य को आगे करते रहने के लिये पांच आदमियों के कमीशन के लचीलेपन और वांछनीयता पर शंका प्रकट की और एक व्यक्ति को मध्यस्थ बनाने का सुझाव पेश किया। उसने एक सुझाव और रखा कि सुरक्षा-परिषद भारत और पाकिस्तान में झगड़े के सवालों पर समझौता कराने के लिए मध्यस्थ को विस्तृत अधिकार दे और उस व्यक्ति के कार्य की सीमा और नियम निश्चित करने के लिए वह भारत और पाकिस्तान के नुमाइन्दों से सलाह करे। कमीशन ने सुरक्षा-परिषद से यह भी सिफारिश की कि वह भारत और पाकिस्तान से 'युद्ध रोको' को विश्वास के साथ पालन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही पहले से ही करने की प्रार्थना करे। पंच निर्णय की संभावनाओं पर गौर करने पर भी जोर दिया।

९३९७ कमीशन का भंडाफोड़

चेकोस्लावेकिया के प्रतिनिधि डा० चाइल ने अपनी 'अल्पमत रिपोर्ट'

१७ सितम्बर १९४९ को प्रकाशित की और उसने कमीशन पर यह दोष लगाया कि उसने बातचीत के दौरान में बहुत सी गलतियां की हैं। उसका प्रासंगिक अंश नीचे दिया जाता है :

"कमीशन ने सम्मिलत राजनीतिक कांफ्रेंस को रद्द कर भारी गलती की। वह कांफ्रेंस दोनों सरकारों की सहमति से २२ अगस्त १९४९ को नई दिल्ली में बुलाई गई थी।

"उसने अस्थाई सन्धि के सम्बन्धों में पंच का अनधिकृता प्रस्ताव रख कर अपनी अधिकार सीमा का उलंघन किया।

"कमीशन का पंच सम्बन्धी गुप्त प्रस्ताव दोनों सरकारों को पेश करने से पहले ही संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और इंग्लैंड की सरकारों को दे दिया गया और इसके फलस्वरूप राष्ट्रपति ट्रूमन और प्रधानमंत्री एटली ने इसको सार्वजनिक दबाव के रूप में इस्तेमाल किया।

"कमीशन ने अपना १३ अगस्त ४८ का प्रस्ताव रखते समय पर्याप्त चातुर्य का परिचय नहीं दिया, क्योंकि उसमें आजाद काश्मीर फौज के महत्व को बहुत कम आंका गया था और वह उत्तरी प्रदेश की स्थिति को समझने में एकदम असफल रहा।

"दोनों ओर की जनता के विश्वास को प्राप्त करने में भी वह नाकाम रहा। इसलिए कमीशन की असफलता का सारा दोष भारत और पाकिस्तान सरकारों की समझौता विरुद्ध नीति पर नहीं मढ़ा जा सकता।

"कमीशन की रिपोर्ट में समझौते के रास्ते में तीन बड़ी बाधाएं गिनाई हैं। . . .परन्तु समस्या के न सुलझाने के कारणों की खोज १३ अगस्त १९४८ के प्रस्ताव में निहित थी।

"उस प्रस्ताव के दूसरे भाग में 'आजाद फौज' का कोई जिकर नहीं है, जो इसी बीच बढ़ कर सन् ४९ के बसन्त तक सुसज्जित ३२ बटालियन तक पहुंच गई, जो एक सैनिक सलाहकार के अनुसार 'भयानक शक्ति' बन गई है।

"इसका उक्त प्रस्ताव के भाग १ खंड २ से एकदम विरोध है जिसमें दोनों सरकारों को फौजी शक्ति बढ़ान से रोक दिया गया था। अतः परिस्थिति में एक मौलिक तबदीली पैदा हो गई, जिसके कारण प्रस्ताव की अर्थ सीमामें काश्मीर स्थित भारतीय सेना की मात्रा में और सवाल पैदा हो गया। इसी-लिए स्वभावतः आजाद काश्मीर सेना को निशस्त्र करने और सेनाओं को वापस भेजने के सम्बन्ध में अनेक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं।

"इसी प्रकार कमीशन की चतुराई के कारण उत्तरी प्रदेश की समस्या को हल करना और मुश्किल हो गया।

"दोनों सरकारों के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव के दौरान में कमीशन ने युद्ध की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण काश्मीर के उत्तरी प्रदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार ने इस कमी को पहचान कर १३ अगस्त ४८ प्रस्ताव पर एक संरक्षण पेश किया कि उत्तरी प्रदेशों पर शासन का अधिकार भारत का है। इस गलती को सुधारने के बजाय, कमीशन ने २५ अगस्त ४८ को भारत सरकार को उत्तर दिया कि इस प्रश्न पर १३ अगस्त ४८ के प्रस्ताव को अमल में लाते समय विचार किया जा सकता है।

"कानून की दृष्टि से पाकिस्तान सरकार २५ अगस्त के इस पत्र को मान्य नहीं करती। यह स्वाभाविक ही है कि अपने अपने दृष्टिकोण से भारत और पाकिस्तान सरकारों के विचार सर्वथा विरोधी हों।

"परिस्थिति को समझने में कमीशन की असफलता के कारण, उत्तरी प्रदेश के सम्बन्ध में बाद में होने वाली कानूनी बहसों की जड़ यही है जिन्हें समाप्त करने में कमीशन नाकाम रहा है। 'उत्तरी प्रदेश' की स्थिति में महत्वपूर्ण तबदीली के कारण कमीशन को यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि २० अगस्त ४८ का भारत सरकार का संरक्षण कानूनी तौर पर सही हो सकता है, उसे कार्यान्वित करना एकदम असंभव है।

"१३ अगस्त ४८ के प्रस्ताव की इस खामी को कानूनी तरीके से दूर न करने के लिए चाहे जो भी कारण रहे हों, इस दूसरे मुख्य सवाल को हल करने में उसकी असफलता का कारण कमीशन की अपनी ही भूल रही है।

"जून ४९ के शुरू से ही अमेरिका का प्रतिनिधि कमीशन से इस विचार को मनवाने में प्रयत्नशील रहा है कि अस्थायी सन्धी के सवाल को पंच के सिपुर्द कर दिया जाय।"

डा० चाइल ने उसके बाद अडमिरल निमित्ज को अस्थायी सन्धी के लिए पंच नियुक्त करने के प्रस्ताव पर आपत्ति की और कहा कि उन्होंने पहले सम्मिलित राजनीतिक काँफ्रेंस बुलानें का प्रस्ताव रखा था। इसके बावजूद पंच का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने आगे कहा:

"अपनी अधिकार सीमा के भीतर कमीशन को अस्थायी सन्धि के लिए पंच प्रस्ताव करने का कोई अधिकार नहीं था। तब भी उसने यह प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान में यह कदम साफ हो गया कि कमीशन बाहरी दबाव से मुक्त नहीं है।"

"कमीशन दुवारा समय पर और ठीक सूचना दिये जाने पर ही राष्ट्र-पति ट्रूमैन और प्रधान मंत्री एटली का हस्तक्षेप संभव हो सका। अगर सब सदस्य राष्ट्र इसी प्रकार हस्तक्षेप करें तो बीच बचाव का प्रत्येक प्रयत्न असंभव हो जायगा और यह संयुक्त-राष्ट्र संध की जड़ काटना होगा।

"अगर कमीशन को इस सवाल का शान्तिपूर्ण हल निकालना था तो उसे चाहिये था कि वह कुछ बड़े राष्ट्रों का स्वार्थ साधन न बनता।"

डा० चाइल ने यह दो सुझाव पेश किये:

१. हरएक प्रकार के बाहरी प्रभाव से मुक्त एक नया मध्यस्थ का प्रयत्न होना चाहिये।

२. परिषद के ११ सदस्यों से बना एक नया काश्मीर कमीशन होना चाहिये।

१३९८ मामला सुरक्षा-परिषद में

सुरक्षा-परिषद ने काश्मीर प्रश्न पर १७ दिसम्बर ४९ को फिर से विचार करना शुरू किया। कमीशन ने इससे पहले ही रिपोर्ट पेश कर दी थी और उसके अधिकाँश सदस्य जेनेवा से लेकसक्सेस पहुंच गये थे। सर बी० एन०

राव के नेतृत्व में भारत का प्रतिनिधि मंडल और श्री एम० ए० गुरमानी के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल भी भाग लेने के लिए वहाँ उपस्थित थे। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में श्री गिरिजा शंकर वाजपेयी, शेख मुहम्मद अब्दुल्ला तथा श्री डी० पी० दर और थे।

कमीशन की रिपोर्ट पेश करते समय, श्री सेम्पर ने युद्ध विराम का पालन करने सम्बन्धी भारत और पाकिस्तान के प्रयत्नों की सराहना की। उसने यह भी साफ बतलाया कि क्यों कमीशन अपने काम में नाकाम रहा। डा० चाइल ने अपनी अल्पमत रिपोर्ट एक दिन बाद पेश की। उसने परिषद पर बम सा गिरा दिया।

९३९८१ नार्वे का सुझाव

१७ दिसम्बर को सुरक्षा-परिषद में बोलते हुए नार्वे के प्रतिनिधि डा० सन्डे ने यह सुझाव रखा :

"मुझे इस प्रश्न पर परिषद में और अधिक बहस करने की उपयोगिता में साफ सन्देह है। मेरा सुझाव है कि अध्यक्ष महोदय, दोनों पक्षोंसे अनियमितरूप में मिलें और काश्मीर समस्या को सुलझाने का दोनों के लिए सन्तोषजनक रास्ता निकालें।

"इस बातचीत के दौरान में जो प्रस्ताव सामनें आएं, अध्यक्ष उनकी सूचना परिषद को दें।"

इंग्लैंड और फ्रांस ने डा० संडे के सुझाव का समर्थन किया परन्तु रूस ने विरोध। तब राय ली जाने पर वह नौ मतों से पास हो गया, रूस और युक्रेन ने राय नहीं दी। तदनुसार परिषद के अध्यक्ष जनरल ए० जी० एल० मेकनाटन से भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से बातचीत करने की प्रार्थना की गई।

९३९९१ मेकनाटन का प्रस्ताव

जनरल मेकनाटन कनाडा, ने १८ दिसम्बर ४९ को दोनों पक्षों से बात-

चीत शुरू की और २२ दिसम्बर को उन्होंने भारत और पाकिस्तान के सामने अपना प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव का मुख्य आधार कमीशन की रिपोर्ट होने के कारण भारत ने उसे रद्द कर दिया। डा० चाइल ने चेतावनी दी थी कि कमीशन के १३ अगस्त ४८ और ५ जनवरी ४९ के प्रस्तावों का काश्मीर की वर्तमान स्थिति के साथ कोई मेल नहीं है। अत: उनके आधार पर दोनों सरकारों को स्वीकार्य समझौते का मार्ग निकाला नहीं जा सकता। मेकनाटन के प्रस्ताव में डा० चाइल की इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं नहीं दिया गया था।

जनरल मेकनाटन ने अपने प्रस्ताव में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सुझावों को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन किये और बातचीत को आगे चलाने का निश्चय किया। उन्होंने ३१ दिसम्बर ४९ को परिषद से प्रार्थना की कि वह एक दूसरे द्वारा प्रस्तुत सुझावों के प्रत्येक पहलू पर पूरा विचार करने के लिए दोनों पक्षों को उचित समय दे। परिषद ने जनरल मेकनाटन को १ जनवरी ५० के बाद भी जब परिषद के अध्यक्ष उनके स्थान पर चीन के प्रतिनिधि डा० टी० एफ० स्याँग बन गये, बातचीत को जारी रखने का अधिकार दे दिया।

असेनीकरण अनिवार्य

मेकनाटन प्रस्ताव के दूसरे पैरा में क्रमशः वर्तमान असेनीकरण का कार्यक्रम रखा गया था जिसका मुख्य सिद्धान्त सेनाओं की वापसी उनके निशस्त्रीकरण और भंग के द्वारा युद्ध विराम रेखा के दोनों और सशस्त्र सेनाओं में कमी करना था। पहली बार काश्मीर राज्य की ,मिलिशिया' का प्रश्न उठाया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि असेनीकरण के कार्यक्रम में एक तरफ काश्मीर राज्य के मिलिशिया और दूसरी तरफ आजाद फौज जैसा स्थानीय सेनाओं का निशस्त्रीशरण और भंग भी शामिल होगा तथा यू० एन० ओ० के निरीक्षण में उत्तरी प्रदेश का शासन वहाँ के वर्तमान स्थानीय अधिकारी करते रहेंगे।

९३९९११ परस्पर विरोधी संशोधन

जनरल मेकनाटन का असेनीकरण का प्रस्ताव भारत के किसी भी तरह अनुकूल नहीं था। उसमें तो एक तरह के भारत द्वारा प्रस्तुत हकों और दावों की उपेक्षा की गई थी। प्रस्ताव के प्रस्तुत स्वरूप में आक्रामक और आक्रान्ता को बराबर का स्थान दे दिया गया। पाकिस्तान को भारत समान ही मान लिया गया और कमीशन द्वारा भारत को दिये गये आश्वासनों को पूरी तरह नजर अन्दाज कर दिया गया है।

इसलिए भारत ने दूसरे पैरे में ये संशोधन रखे:

१. काश्मीर की सेना और मिलिशिया का हवाला उड़ा दिया जाय।

२. 'उत्तरी प्रदेश' की रक्षा और शासन की जिम्मेवारी क्रमशः भारत और काश्मीर सरकार की होनी चाहिये।

पाकिस्तान ने दूसरे पैरे में इतना और जोड़ने की माँग की कि:

"राज्य में बची हुई सेना के अन्तिम विन्यास का निश्चय कमीशन के ५ जनवरी ४९ के प्रस्ताव के मातहत जनमत प्रबन्ध कर्ता करेगा।"

९३९९१२ मेकनाटन की असफलता

जनरल मेकनाटन ने ७ फरवरी १९५० को १८ पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट सुरक्षा-परिषद के सामने पेश की। रिपोर्ट में जनरल मेकनाटन द्वारा २२ दिसम्बर को प्रस्तुत असेनीकरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध म भारत और पाकिस्तान के उत्तर, उस पर प्रत्येक के संशोधन, संशोधनों पर प्रत्येक की टीका और अन्त के दो पृष्ठों में जनरल मेकनाटन के विचार दिये गये थे। जनरल मेकनाटन ने साफ स्वीकार किया था, "मैं नहीं समझता मेरी तरफ से आगे कोई कार्रवाई कुछ भी लाभप्रद होगी।"

जाहिर है, यह प्रस्ताव कमीशन के पूर्व प्रस्तावों के समान ही था। इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान में विद्यमान मौलिक मतभेदों को सुल-

झाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसलिए उस को असफलता लाजमी थी।

१३९९२ राव की तेजस्वी सफाई

सर बी० एन० राव ने ७ फरवरी को सुरक्षा-परिषद के सामने, अपनी तेजस्वी वक्तृता में काश्मीर के संबंध में विस्तार सहित भारत का पक्ष उपस्थित किया और शीघ्र जनमत लिये जाने के रास्ते में पाकिस्तान द्वारा उपस्थित असंख्य बाधाओं को विस्तार से बतलाया।

मेकनाटन प्रस्ताव का विश्लेषण करते हुए भी राव ने कहा:

"राज्य की प्रादेशिक एकता इत्यादि के सम्बन्ध में संरक्षण वर्तमान प्रस्ताव में छोड़ दिया गया है।" अपनी दलील को जारी रखते हुए उन्होंने बताया कि मेकनाटन प्रस्ताव में उत्तरी 'प्रदेश' के सम्बन्ध में, राज्य की प्रभुसत्ता को कोई संरक्षण दिये बिना, वर्तमान अधिकारियों को जारी रखने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, १३ अगस्त ४८ और ५ जनवरी ४९ के प्रस्तावों से इसमें दो और महत्वपूर्ण भेद हैं। पहले कभी भी काश्मीर राज्य की सेना को निशस्त्र करने अथवा भंग करने का सुझाव नहीं रखा गया था। उसे निशस्त्र करने और भंग करने का प्रस्ताव एक दम नया है और इसी प्रकार राज्य मिलिशिया सम्बन्धी प्रस्ताव भी।

इस प्रकार भारत मेकनाटन प्रस्ताव को उसके वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने कमीशन द्वारा भारत को दिये गये सभी आश्वासनों को, जिन पर विश्वास करके भारत ने कमीशन के १३ अगस्त ४८ और ५ जनवरी ४९ के प्रस्तावों को मंजूर किया था, उसमें, विशेष कर, सवाल के कानूनी और नैतिक पहलू की ओर से तो एकदम आँखें बन्द कर ली गई थी।

१३९९३ जनमत ही निर्णय करे

पाकिस्तान के प्रतिनिधि सर जफरुल्ला खां ने ८ फरवरी १९४९ को सुरक्षा परिषद में कहा:

"काश्मीर पर अधिकार भारत को न तो आर्थिक लाभ ही पहुंचा सकता है और न रक्षा सम्बन्धी। दूसरी तरफ, पाकिस्तान के लिए वह प्राण के समान है।"

इसका उत्तर देते हुए, १० फरवरी १९५० को श्री राव ने कहा कि सवाल का निपटारा भारत और पाकिस्तान की तुलनात्मक आवश्यकताओं द्वारा नहीं बल्कि जनता की राय द्वारा होगा। इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहा:

"भेड़िये को मेमने की तीव्र आवश्यकता है, परन्तु इस सम्बन्ध में मेमने की राय दूसरी हो सकती है। भारत को काश्मीर का शोषण करने की कोई जरूरत नहीं और वह उसे पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक आजादी दे सकता है। यही कारण है काश्मीर के अधिकाँश मुसलमान भारत के साथ रहना चाहते हैं।

"पूरे राज्य में जनमत लेने और पूरे प्रदेश पर राज्य की प्रभु-सत्ता का अटूट सम्बन्ध है। मैं फिर अनुरोध करता हूं कि जनमत लेने से पहले अन्याय का पूरी तरह से निवारण हो जाना चाहिये।

९३९९४ चार राष्ट्रों का प्रस्ताव

२४ फरवरी १९५० को सुरक्षा-परिषद ने एक प्रस्ताव द्वारा काश्मीर कमीशन को समाप्त कर दिया और उसकी जिम्मेवारियों को संभालने के लिए यू. एन. ओ. का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया। प्रस्ताव डा. कार-लोस लाँको क्यूबा, परिषद के अध्यक्ष ने पेश किया और अमेरिका, ब्रिटेन और बेल्जियम ने उसका समर्थन किया। प्रस्ताव में कहा गया:

"सुरक्षा-परिषद भारत और पाकिस्तान सरकार से अनुरोध करती है कि वे अपने हकों को हानि पहुंचाये बिना और शान्ति और व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तुरन्त ऐसा प्रबन्ध कर दें कि जेनरल मेकनाटन के प्रस्ताव के दूसरे पैरे में वर्णित सिद्धान्तों के आधार पर असैनीकरण का एक कार्यक्रम तैयार करके ५ महीने में

उसे अमल में लाया जा सके । प्रस्ताव में ऐसा संशोधन भी किया जा सकता है जो दोनों को मान्य हो। ''

"असैनीकरण का कार्यक्रम बनाने में सहायता देने और उसे अमली रूप देने के लिए एक यू. एन. प्रतिनिधि को नियुक्त कर दिया गया।

९३९९४१ प्रस्ताव की व्याख्या

८ मार्च १९५० को सर टिरेस शोन ब्रिटेन ने प्रवर्तकों की ओर से प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने कहा "असैनीकरण का कार्यक्रम मेकनाटन प्रस्ताव के सिद्धान्तों के आधार पर ही सर्वाधिक तरह आगे बढ़ सकता है और सारे असैनीकरण के कार्यक्रम पर एक समय के अन्दर अमल होना चाहिये तथा यह राज्य प्रदेशों पर, उत्तरी प्रदेश पर भी लागू होना चाहिये।"

सर शोन ने यह साफ कर दिया कि यद्यपि यू. एन. प्रतिनिधि सामान्यतः मेकनाटन प्रस्ताव के आधार पर ही कार्य करेगा तो भी उसे नवीन स्थिति पैदा हो जानेपर तबदीली करने की एक हद तक स्वतंत्रता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि परिषद उन सुझावों की केवल सिफारिश कर सकती है। असैनी-करण के कार्यक्रम से दोनों पक्षों के हकों और दावों को कोई हानि नहीं होगी और उसमें शान्ति और व्यावस्था पर भी पूरा ध्यान रखा जायगा।

> "उत्तरी प्रदेश के अस्थायी शासन के सम्बन्ध में ऐसा सोचा गया है कि वहाँ के नागरिक शासन प्रबन्ध में परिवर्तन करने का इस समय कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे विचार में इस प्रकार परिवर्तन करने से बदअमनी बढ़ जाने का डर है।"

यदि यू० एन० प्रतिनिधि इस विचार को अनावश्यक समझे तो यह प्रस्ताव उन पर झगड़े के स्थायी और शीघ्रकारी हल के तौर पर अन्य उचित और न्याययुक्त प्रबन्ध सुझाने पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लगाता। यू० एन० प्रतिनिधि कोई भी ऐसा सुझाव पेश कर सकता है जो उसके विचार में सवाल को स्थायी ढंग से हल करने में सहायक हो। सर शोन ने कहा कि हाँ, ऐसा कोई भी सुझाव सर्वसम्मत लक्ष्य जनमत

संग्रह के अनुरूप होना चाहिये। परन्तु यदि यह मौके पर जाँच के बाद इस लक्ष्य को अव्यवहार्य समझे, तो इस लक्ष्य का विरोधी सुझाव देने में स्वतंत्र होगा।

९३९९४२ भारत का उत्तर

श्री बी० एन० राव ने ८ मार्च १९५० को सुरक्षा-परिषद में कहा:

"प्रस्ताव के पहले पैरे में भारत और पाकिस्तान सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मेकनाटन प्रस्ताव के दूसरे पैरे में वर्णित सिद्धान्तों के आधार पर अथवा उसके परस्पर सम्मत संशोधित रूप के आधार पर, असैनीकरण के कार्यक्रम को ५ महीने के अन्दर अमली रूप दे दें।

"मैंनें ७ फरवरी को काश्मीर प्रश्न में निहित कानूनी और नैतिक विषयों पर तथा मेकनाटन प्रस्ताव पर अपनी सरकार के विचार पूरी तरह बताये थे। वह विचार डालने की भावनासे प्रेरित नहीं थे बल्कि युक्ति संगत पूर्णतः उचित थे और हैं। मेरी सरकार अब भी उन पर दृढ़ है।

"दूसरे पैरा में, इस प्रस्ताव में वर्णित कार्यो को करने के लिए एक यू० एन० प्रतिनिधि को नियुक्त करने की बात कही गयी है। मेरी सरकार यह बता देना चाहती है कि जो भी प्रतिनिधि चुना जाय वह उससे भी स्वीकृत होना चाहिये।

"प्रस्ताव के दूसरे पैरा के उपपैरा 'घ' में बताया गया है कि यू० एन० प्रतिनिधि का काम, और कामों के साथ, यह भी होगा कि वह असेनीकरण कार्यक्रम की तैयारी करे और उसे कार्यान्वित करने के निरीक्षण में सहायता करे असेनीकरण के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में होने वाले समझौतों की व्याख्या करे।

"भारत सरकार का विचार है कि यहाँ वे समझौते निर्दिष्ट हैं जो दोनों पक्षों में अब आगे असैनीकरण के सम्बन्ध में होंगे।"

९३९९४३ पाकिस्तान का उत्तर

प्रस्ताव पर राय जाहिर करते हुए सर मुहम्मद जफरुल्ला खां ने सर शोन की इस व्याख्या पर आपत्ति की कि यह प्रस्ताव 'उत्तरी प्रदेश' के शासन के सम्बन्ध में यू० एन० प्रतिनिधि को उचित और न्याय प्रबन्ध के सुझाने पर कोई पाबन्दी नहीं लगाता। सर जफरुल्लाखां ने कहा "इसका क्या मतलब है? यह एक मौलिक सवाल है। कोई भी परिवर्तन करने का आधार क्या होगा? मेरी सरकार इस वाक्य का अर्थ जानना चाहेगी कि यदि यू० एन० प्रतिनिधि मौके की जाँच के बाद सर्व सम्मत लक्ष्य निष्पक्ष जनमत को अव्यवहार्य समझे तो वह इस लक्ष्य का विरोधी सुझाव देने में स्वतंत्र होगा।

"मान लीजिए एक पक्ष, जो निष्पक्ष जनमत नहीं चाहता, जनमत को अव्यवहार्य बना देने वाली अवस्था पैदा कर देता है। तब यू० एन० प्रतिनिधि के लिए क्या यह कहना उचित होगा कि वह सर्वमान्य राय का विरोधी सुझाव देने में अपने अधिकार सीमा के अन्दर काम कर रहा है।

"प्रस्ताव का मुख्य स्वरूप सन्तोषजनक है और इसकी स्वीकृति विशेष करके ऊपर के प्रश्न की सफाई पर निर्भर करेगी।"

९३९९४४ प्रस्ताव स्वीकृत

सुरक्षा-परिषद ने १४ मार्च १९५० को काश्मीर में एक मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव के पक्ष में आठ मत आये और विपक्ष में एक भी नहीं। परिषद के अध्यक्ष डा० वितृला फन्टे, इक्वेडोर, ने कहा:

"प्रस्ताव वस्तुपरक और न्याय दोनों है और निष्पक्ष भी। इसमें दोनों पक्षों को झगड़े का हल ढूंढ़ने में सहायता करने की कोशिश की गई है।"

राय लेने के तुरन्त बाद, एम० निनसिक (युगोस्लाविया) ने कहा "काश्मीर के सवाल को एकदम दो दलों के बीच जिच्च नहीं सम-

झना चाहिये परन्तु उसे वहाँ के जनता के हित की दृष्टि से देखना चाहिये। और परिषद की प्रत्येक प्रस्तावित कार्यवाही को इस दृष्टि से खूब तोल लेना चाहिये कि भारत और पाकिस्तान की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।"

१३९९४५ भारत की अस्थायी स्वीकृति

सर बी० एन० राव ने १४ मार्च ५० को सुरक्षा-परिषद में कहा:

"मेकनाटन प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार की स्थिति को मैंने अपने ९ मार्च के वक्तव्य में दोहराया था। मेरी सरकार अब भी उस पर दृढ़ है और अपनी राय बदलने के लिए कोई कारण नहीं देखती, बशर्ते कि मेरी सरकार उस प्रस्ताव को मंजूर कर ले"।

१३९९४६ पाकिस्तान की स्वीकृति

१४ मार्च को सर जफरुल्ला खां ने सुरक्षा-परिषद में प्रस्ताव पर पाकिस्तान की स्वीकृति देते हुए कहा:

"मुझे परिषद को यह याद दिलाने की शायद ही आवश्यकता हो कि इस प्रस्ताव के प्रति पाकिस्तान का रवैया सामान्यतया यह रहा है कि वह मेकनाटन प्रस्ताव पर आधारित हो।"

१३९९४७ विरोधी दृष्टिकोण

प्रस्ताव को स्वीकार करते समय भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये। भारत की स्वीकृति उन शर्तों के साथ है, जो सर बी० एन० राव ने अपने भाषण में ७ फरवरी ५० को बताई थी और ८ तथा १४ मार्च को जिन्हें फिर दोहराया था। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह मेकनाटन प्रस्तावों को, क्योंकि उसे उन पर आपत्ति है। कार्यान्वित नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान के प्रतिनिधि सर मुहम्मद जफरुल्लाखां ने इस प्रस्ताव को, क्योंकि वह मेकनाटन प्रस्तावों पर आधारित है, स्वीकार कर लिया।

मेकनाटन के असेनीकरण के सिद्धान्त पर भारत और पाकिस्तान की अपनी अपनी व्याख्या के कारण और उस पर उनके विरोधी संशोधनों के कारण इस नये प्रस्ताव पर भारत और पाकिस्तान की स्वीकृति को अनिश्चित ही समझना चाहिये।

९३९९५ मध्यस्थ नियुक्त

सर ओवन डिक्सन, आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और वहाँ के कानूनदानों में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हैं। वे काश्मीर में यू० एन० के प्रतिनिधि स्वीकार कर लिये गये। सुरक्षा-परिषद ने १२ अप्रेल ५० को उनकी यथाविधि पुष्टि कर दी।

इससे पहले अद्मिरल निमित्ज और डा० राल्फ बुन्चे, जो पहले फिलस्तीन में स्थानापन्न मध्यस्थ का कामकर चुके थे, के नाम मध्यस्थ के लिए सुझाये गये थे परन्तु वे भारत ने स्वीकार नहीं किये।

९३९९५२ डिक्सन के प्रयत्न

सर ओवन डिक्सन २६ अप्रेल सन् १९५० को सिडनी से लेकसक्सेस के लिये रवाना हुए और २१ मई तक इस प्रश्न से सम्बद्ध जानकारी प्राप्त करके २७ को भारत पहुंचे। भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से नई दिल्ली में कई बार मिले और भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद तथा भारत के उपप्रधान मंत्री से भी मिले। इन भेटों के समय भारत का पक्ष इनके सामने उपस्थित किया गया।

नई दिल्ली आने से पहले सर डिक्सन में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री लियाकत अली खां से दो बार मिले जो उन दिनों अमेरिका का दौराकर रहे थे। इसके अतिरिक्त सर डिक्सन तीन सप्ताह से अधिक काश्मीर के सवाल को समझने के लिये लेकसेक्सस में रह चुके थे।

सर डिक्सन जून ५० को दिल्ली से कराँची गये। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री सर मुहम्मद जफरुल्ला खां और काश्मीर मंत्री नवाब

मुश्ताक अहमद गुरमानी से कई भेंटें की। इन भेटों में उनके सम्मुख पाकिस्तान का पक्ष रखा गया।

इसके बाद सर डिक्सन ७ जून को श्रीनगर गये जहाँ काश्मीर के प्रधान मंत्री से बातचीत की और 'युद्ध रोको' सीमा के दोनों ओर जाकर परिस्थिति का स्वयं निरीक्षण किया। उन्होंने सवाल को प्रत्येक पहलू से समझने की कोशिश की।

९३९९५२ संयुक्त सम्मेलन

जून १९५० में सर डिक्सन फिर नई दिल्ली आये और पं० नेहरू से भेंट करने के पश्चात् कराची चले गये। इसके बाद उन्होंनें समझौता कराने के लिये २० जुलाई १९५० को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त सम्मेलन बुलाया जो पाँच दिन तक होता रहा। इसमें डिक्सन साहब बराबर शामिल होते रहे। इस सम्मेलन में सेनाओं को निःशस्त्र करने और राज्य में सही जनमत गणना कराने के लिये आवश्यक स्थिति पैदा करने का यत्न किया गया। परन्तु पाकिस्तान की इस माँग के कारण सब प्रयत्न विफल रहे कि पाकिस्तानी सेना के साथ साथ भारतीय सेना और राज्य मिलिशिया को भी निःशस्त्र कर दिया जाय। इस सम्मेलन से अलबत्ता यह साफ हो गया कि वर्तमान स्थिति में राज्य में निष्पक्ष जनमत गणना असंभव है।

९३९९५३ अन्य प्रस्ताव

प्रधान मंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन की निष्फलता के बाद भी सर डिक्सन ने समझौता कराने का प्रयत्न जारी रखा और वे पं० नेहरू और भारत के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से मिले तथा उनके सामने ६ अन्य प्रस्ताव रखे। ३० अगस्त तक दिल्ली में रहने के बाद सर डिक्सन कराची गये और वहाँ श्री लियाकतअली खां तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिये अनुरोध किया। इन अन्य प्रस्तावों

में एक प्रस्ताव विभाजन का था, जिस पर सर डिक्सन विशेष जोर देते थे। इस बीच वे एक बार पुनः दिल्ली आये और पं० नेहरू से विचार विनिमय करके वापस कराची चले गये। भारत विभाजन के प्रस्ताव पर भी विचार करने को तैयार हो गया बशर्ते कि किसी भी हालत में पाकिस्तान को भारत की समानता का पद न दिया जाय। इसके पीछे भारत की यह इच्छा काम कर रही थी कि काश्मीर के झगड़े का निबटारा शीघ्र हो जाय। परन्तु पाकिस्तान ने असत्य की विजय की खातिर विभाजन के प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया। बाद में वह इस पर गौर करने के लिये तैयार हुआ बशर्ते कि काश्मीर की वर्तमान वैधानिक सरकार को तोड़ दिया जाय और राज्य को राष्ट्र-संघ के अधिकार में दे दिया जाय। भारत ने ऐसी कुत्सित शर्त के साथ विभाजन पर विचार करने से इनकार कर दिया।

१९९५४ नया प्रस्ताव

१५ अगस्त को सर डिक्सन ने पं० नेहरू को कराची से एक तार भेजा, जिसमें कहा :

"मुझे यहां काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, परन्तु अब वे सब समाप्त हो गई हैं।

"पाकिस्तान इस आधार पर सम्मेलन में भाग लेने के लिये तैयार हो गया कि मेरी योजना में निहित सीमित जनमत गणना की शर्त को मान लिया जाय।"

काश्मीरियों को सत्ताच्युत करने की चाल

"मैं आपको पहले ही यह बता देना चाहता हूं कि मेरी योजना में एक शर्त यह है कि जनमत गणना लिये जाने वाले सीमित क्षेत्र में मतगणना का परिणाम घोषित किये जाने तक एक ऐसी सरकार होगी, जिसका प्रधान, मत गणना शासक या उसका प्रतिनिधि होगा। राष्ट्र-संघ के अन्य अधिकारी भी उसके सहायक होंगे। यदि किसी काम के लिये

वह आवश्यक समझेंगे तो उनकी प्रार्थना पर दोनों पक्षों को अपनी सेना भेजनी होगी। वे इसका प्रबन्ध करेंगे कि काश्मीर की जनता के सामने भारत और पाकिस्तान समान रूप से अपना पक्ष रख सकें।

"यह शर्त मैंने इसलिये रखी है कि जनमत गणना स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सके। इस पर आप को कोई आपत्ति है? यदि है तो कृपया मुझे सूचित करें। नहीं तो अब केवल योजना तैयार करने का काम ही मेरे लिए शेष रह जाता है।"

१३९९५५ भारत सरकार का इन्कार

१६ अगस्त को पं० नेहरू ने सर डिक्सन को तार से उत्तर भेजा:

"आपकी योजना से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जनमत गणना सम्बन्धी मुख्य शर्त एक दम नई है। पिछले दो वर्ष से अधिक के अर्से में उसकी कभी चर्चा नहीं हुई।"

जनमत-गणना का विरोध नहीं

"हमने पूरे राज्य में जनमत लेने का कभी विरोध नहीं किया। परन्तु आपने यह समझ कर कि ऐसी जनमत गणना के लिये प्राथमिक शर्तों के सम्बन्ध में समझौता होना असंभव है, कुछ नये सुझाव रखे थे। इस आधार पर मैंने आपको यह सूचना दी थी कि यदि पाकिस्तान तैयार हो तो भारत सीमित जनमत गणना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये तैयार है।"

काश्मीर ही अपना निर्णायक

"हमारा सदैव यह मत रहा है कि जनमत गणना की स्थिति में काश्मीर की जनता ही अपने भविष्य का निर्णय करे। इसलिए मेरे विचार से उनकी जनमत गणना में भाग लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं हो सकता।

"जो कुछ भी हो, परन्तु हमारे विचार से राज्य की सुरक्षा को

खतरे में नहीं डाला जा सकता। हमें एक बार आक्रमण का कटु अनुभव हो चुका है। दुबारा उस प्रकार का खतरा हम नहीं उठा सकते। किसी भी दशा में हम पाकिस्तानी सेना को जनमत गणना के प्रदेश में नहीं आने देंगे।"

१३९९५६ डिक्सन का स्पष्टीकरण

१८ अगस्त को सर डिक्सन ने नेहरू जी के उपर्युक्त तार के उत्तर में एक तार दिया :

"इस योजना के अनुसार, जनमत गणना के लिये सीमित प्रदेश को छोड़ कर जब काश्मीर और जम्मू का बाकी प्रदेश भारत और पाकिस्तान में एक बार बांट दिया जायगा, तब दोनों राष्ट्रों का अपने अपने प्रदेशों पर वैधानिक अधिकार हो जायगा। उस समय उस प्रदेश में पाकिस्तान आक्रामक नहीं कहा जा सकेगा।

राष्ट्रसंघ का शासन आवश्यक

"जनमतगणना के सीमित प्रदेश में जनमत-शासक के अधीन राष्ट्र का शासन काश्मीर सरकार के उसी प्रकार अधीन होगा जिस प्रकार किसी अन्य प्रान्त या जिले का शासन विभाजन में पाकिस्तान को दिये गये प्रदेश के अलावा बाकी प्रदेश भू पर काश्मीर सरकार का पूरा पूरा राज्य रहेगा। जनमत गणना के क्षेत्र में उसकी बहुत सी व्यवस्था वैसी ही चलती रहेगी। परन्तु वहां नियंत्रण राष्ट्र-संघ का रहेगा। निष्पक्ष और उचित जनमत गणना के लिये तथा उसके सम्बन्ध में सभी शंकाओं को दूर करने के लिये उस क्षेत्र में राष्ट्र-संघ की अस्थायी शासन व्यवस्था को मैं आवश्यक समझता हूं।"

१३९९५७ डिक्सन का अन्तिम उत्तर

"मैं मूलभूत प्रश्न के सम्बन्ध में दोनों सरकारों में समझौता कराने में असमर्थ रहा हूं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों

राष्ट्रों की सेनाएं युद्ध बन्दी की सीमा के दोनों ओर भविष्य में भी युद्ध के लिये तैयार खड़ी रहें। उस लाइन पर आने और जाने वालों का नियंत्रण पुलिस चौकियों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि दो मित्र राष्ट्रों की परस्पर स्थल सीमाओं पर हुआ करता है। ऐसी स्थिति लाने के लिए एक सैनिक योजना आवश्यक है। मेरी राय में यह काम पूर्णतः दोनों राष्ट्रों के सेना नायकों का है।

"मेरा निवेदन है कि एक पखवाड़े के अन्दर ही ऐसी मीटिंग हो जानी चाहिए।"

१३९९५८ भारत सरकार का रुख

पं० नेहरू ने सर डिक्सन के उत्तर में २७ अगस्त को कहा :

"हम इस समय भारत और पाकिस्तान के सेना नायकों के बीच मीटिंग को हितकर नहीं समझते। परन्तु हम स्वेच्छा से, काश्मीर और जम्मू में स्थित भारतीय सेना में २० से २५ प्रतिशत तक कमी करने के लिये तैयार है। चौकियों द्वारा युद्धबन्दी लाइन की रखवाली करने का सुझाव व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। जब तक काश्मीर के झगड़े का फैसला नहीं हो जाता तब तक संभावित आक्रमण से रक्षा करने के लिये प्रभावकारी उपाय आवश्यक हैं।"

१३९९५९ डिक्सन का बयान

२४ अगस्त १९५० को सर डिक्सन ने कराची से अपनी असफलता स्वीकार करते हुए १००० शब्दों का एक बयान प्रकाशित किया :

"मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि काश्मीर के झगड़े को शीघ्र हल करनेके लिए भारत और पाकिस्तान सरकारों में समझौते की कोई संभावना नहीं है।

"मैंने दोनों राष्ट्रों के प्रधान मंत्रियों को मिलने के लिये २० जुलाई को दिल्ली बुलाया। मैंने उचित जनमत गणना के लिये अन्य

आज़ादी के लिए ख़ून



राष्ट्रीय रक्षा दल

"काश्मीरी गान्धी जी के ध्वज को ऊंचा रखने के लिए और आक्रमण-कारियों से अन्त तक मुक़ाबला करने के लिए सर्वथा कटिबद्ध हैं, जिस के परिणाम स्वरूप काश्मीर की भूमि पर ही द्विराष्ट्रसिद्धान्त का अन्तिम शवदाह किया जा सकेगा।"

शेख मुहम्मद अब्दुल्ला
(१७ अगस्त १९४८)

सुझाव भी रखे। परन्तु यह स्पष्ट हो गया कि मेरे सुझावों में से एक को भी भारत के प्रधान मंत्री स्वीकार नहीं कर सकते थे तथा दोनों पक्षों ने और ही सुझाव पेश किये। अन्त में दोनों प्रधानमंत्री इसी नतीजे पर पहुंचे कि जनमत गणना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के सम्बन्ध में समझौते होने की कोई संभावना नहीं है।

"ऐसी परिस्थिति में मैंने अन्य उपायों पर विचार करना आवश्यक समझा। इसलिए मैंने दोनों प्रधान मंत्रियों से संभावित प्रस्तावों पर विचार करने का निवेदन किया।

विभाजन योजना

"एक प्रस्ताव यह था कि जिस प्रदेश के निवासियों की इच्छा पहले से मालूम है उन्हें उनकी इच्छानुसार भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाय। यह करते समय भौगोलिक तथा राजनैतिक परिस्थिति का ध्यान रखा जाय। लेकिन जिस प्रदेश की इच्छा मालूम न हो, उस प्रदेश में जनमत गणना हो। इस प्रकार जनमत गणना एक सीमित क्षेत्र में की जाय।

"मुझे मालूम हुआ कि भारत समझौते के लिये इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है और इसको कार्यान्वित करने के लिए उसके पास कुछ सुझाव भी हैं.......परन्तु पाकिस्तान सरकार इस बात पर अड़ी रही कि काश्मीर कमीशन के गत प्रस्तावों के अनुसार जनमत पूरे कश्मीर में होनी चाहिए।

"जनमत गणना के बिना भी, विभाजन से झगड़े का निबटारा हो सकता था। परन्तु इस हालत में प्रत्येक पक्ष काश्मीर की घाटी को प्राप्त करने की जिद्द करता।

"इस स्थिति में कोई और सम्मेलन बुलाना बेकार था। भारत और मुझ में इतना मतभेद था कि मैंने अपना प्रस्ताव पेश करना बन्द कर दिया। मेरे लिए अब कोई काम नहीं रहा..... मैं अब स्वभावतः सुरक्षा-परिषद में अपनी रिपोर्ट पेश करूंगा।

"मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इस गुत्थी को सुलझाने के सवाल पर इतने विचार के बाद भी दोनों सरकार परस्पर समझौता न कर सकीं।"

१३९९५९२ पाकिस्तान का बयान

२३ अगस्त १९५० को श्री लियाकत अली खां ने करांची में प्रेस कान्फ्रेन्स में एक बयान दिया जिसमें कहा :

"भारत का काश्मीरसे सेना हटाने से इनकार करना राज्य में स्थित सेना को निःशस्त्र करने में बाधक हुआ है और भारत ने उत्तरी प्रदेश के शासन को अपने हाथों में लेने की मांग करके 'युद्ध बन्दी' लाइन को भी पार करने की कोशिश की है।

"राज्य में सेना को निःशस्त्र करने में रुकावट डालने के बावजूद भारत के प्रधान मंत्री ने उत्तरी प्रदेश और 'आजाद काश्मीर' के शासन को अपना हक बताया, जो न केवल अनुचित था बल्कि स्वीकृत समझौते के खिलाफ था।

"सर डिक्सन ने जनमत गणना के बिना समझौता कराने की इच्छा प्रगट की। उनके मन में यह योजना थी कि केवल कश्मीर की घाटी में जनमत गणना हो और बाकी राज्य को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाय। हमने कहा . . .पाकिस्तान १३ अगस्त १९४८ और ५ जनवरी १९४९ के प्रस्तावों पर दृढ़ है जिनके अनुसार कश्मीर और जम्मू राज्य के भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के प्रश्न का निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत गणना द्वारा किया जाना चाहिए।

"सर डिक्सन ने विभाजन तथा सीमित क्षेत्र में जनमत गणना के आधार पर बातचीत की। शीघ्र ही यह मालूम हो गया कि भार तइस सीमित क्षेत्र में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत गणना के लिये तैयार नहीं है।

"यह स्पष्ट है कि भारत उस प्रदेश में भी स्वतंत्र जनमत गणना

के लिये तयार नहीं है जहां वह स्थानीय जनता के समर्थन का दावा करता है। भारतीय सेना वहां पर हो, भारत की सहायता से बनाई हुई सरकार वहां पर राज्य करती हो और पाकिस्तान को वहां पर घुसने की इजाजत न हो, इन शर्तों पर लिया गया जनमत पूर्णत: नकली होगा।

"विश्व को अब यह मान लेना चाहिए कि भारत का अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने से इनकार करना ही सही जनमत गणना के रास्ते में बाधक है।

"मुसलमान राज्य में हिन्दू महाराजा के अत्याचार की सहायता से भारतीय सेनाओं का कश्मीर पर अधिकार करना उस पर आक्रमण ही है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान ही की आर्थिक नाकाबन्दी करना और उसे घेरलेना है। सुरक्षा-परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार भारत का अपनी सेना को हटाने से इनकार करना राष्ट्र-संघ को एक चुनौती है। सुरक्षा-परिषद् पर एक भारी उत्तरदायित्व आ पड़ा है। उसे परिस्थिति को समझना और यह देखना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को कार्यान्वित किया जाता है या नहीं। पाकिस्तान सरकार और जनता तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक वे कश्मीर को स्वतंत्र नहीं कर लेंगे और वहां की जनता को अपने भविष्य का निर्णय करने के लिए परिस्थिति पैदा नहीं कर देंगे।"

१३९९५९३ भारत का बयान

२४ अगस्त १९५० को पं० नेहरू ने नई दिल्ली की प्रेस कांफ्रेंस में काश्मीर के सम्बन्ध में अपने वक्तव्य में कहा :

"सर डिक्सन की सीमित क्षेत्र में जनमत लेने के लिए शर्तें और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा समझौते के लिए किए गये प्रयत्नों की असफलता की जिम्मेवारी भारत पर डालना एक आश्चर्यजनक पहेली है। जनमत गणना को निष्पक्ष बनाने के फेर में सर डिक्सन अपने प्रस्ताव द्वारा ९०

प्रतिशत विजय तो पाकिस्तान को पहले ही दे देते हैं। पाकिस्तान अब भारत को ही आक्रामक कहने लगा। 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे।"

"मेरी राय में तमाम झगड़े की जिम्मेवारी शत प्रतिशत पाकिस्तान की है और सर डिक्सन के प्रयास की असफलता के बाद हम फिर वहीं लौट आते हैं जहां से चले थे। सीमित जनमत गणना के सम्बन्ध में सर डिक्सन के दिमाग में कुछ और भी प्रस्ताव थे। एक था काश्मीर की वर्तमान सरकार के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय शासन।

इस प्रस्ताव से हमें अत्यन्त आश्चर्य हुआ। गत ढाई वर्ष से अधिक के अर्से में ऐसा प्रस्ताव भी कभी नहीं रखा गया और यदि रखा भी जाता तो उसे हम उसी दम अस्वीकार कर देते।

"हमें कभी यह नहीं कहा कि पाकिस्तानी सेना की वापसी और हमारी सेना की वापसी समानता के आधार पर होगी। कश्मीर की रक्षा हमारी जिम्मेवारी मान ली गई थी। यह भी स्वीकार कर लिया गया था कि कश्मीर पर आक्रमण किया गया है तथा हमें फिर से अपनी सेना हटा कर आक्रामक को मौका नहीं देना चाहिए।

"शुरू से ही हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे जो कश्मीर के लिए अहितकर हो, जो हमारी प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध हो और जो भारत की प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। हम अब भी इसी स्थिति पर दृढ़ हैं।

"मैंने इसे 'आश्चर्यजनक व्यापार' कहा है। वह इसलिए कि आक्रामक आता है। हम शान्ति रखने की इच्छा से एक के बाद एक बात मानते जाते हैं। समय आता है आक्रामक हर बात में हम से समानता की मांग करता है और कुछ ही समय के पश्चात् आक्रामक सब बातों में अपने लिए श्रेष्ठता का दावा करता है। राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सभी दृष्टि से यह स्थिति बड़ी भयानक है।"

आक्रामक का तुष्टीकरण

"मुझे कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण ज्ञात नहीं है जब जनमत गणना के

समय शासन का भार सरकार की ओर से किसी जनमत गणना या आयोग शासक को सौप दिया गया हो या ऐसा प्रस्ताव किसी सरकार ने मंजूर किया हो, सिवाय ऐसी हालत के जहां और जब सरकार ही काम न कर रही हो।"

"काश्मीर की वर्तमान सरकार को हटाने का प्रस्ताव आक्रामक को सन्तुष्ट करने का प्रस्ताव है, वह संसार के सामने इसकी घोषणा है कि आप आक्रामक की सफलता चाहते हैं।"

"निष्पक्ष जनमत गणना के लिये सरकारें नहीं बदली जाती। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसका एकदम उलटा करते हैं और जनमत को निष्पक्ष बनाने के रास्ते में एक बाधा बन जाते हैं।"

प्रस्ताव अस्वीकार

"हमने बार बार कहा है, जितना निरीक्षण आप करना चाहें कीजिए। सैकड़ों नहीं हजारों परीक्षक बुला लीजिए और राज्य के कोने कोने में, प्रत्येक चौराहे पर, और प्रत्येक निर्वाचन स्थल पर जहां भी चाहें उन्हें बैठा दीजिए। परन्तु परीक्षकों को ही सरकार बना देना दूसरी बात हो जाती है।"

"मेरी राय में इस प्रश्न को सुलझाने का यह ढंग एक दम युक्तिहीन और असंगत है। जो भी परिणाम हो, भारत सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकी।"

आक्रामक कौन ?

"असली सवाल है, आक्रामक कौन है ? हमारा कहना है पाकिस्तान आक्रामक है। सुरक्षा-परिषद इस सीधे-सादे सवाल का उत्तर देने में आनाकानी करती रही है। यही हमारी परेशानी है।

"श्री लियाकतअली खां ने कल कहा है कि हमने कश्मीर पर आक्रमण किया है। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इसी सवाल पर कानूनी, वैधानिक और व्यावहारिक प्रत्येक पहलू से विचार किया जाय। इस मूल बात पर विचार न करना ही सारी परेशानी का कारण है।"

पाकिस्तानी चाल

"हमने जनमत के सम्बन्ध में कोई नया प्रस्ताव इसलिए नहीं रखा

क्योंकि पाकिस्तान हरबार जनमत गणना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्राप्त करने का यत्न करता रहा है। उस का यह रुख रहा है कि स्वयं तो वह किसी बात का वचन नहीं देता और दूसरे के वचन से लाभ उठाने का यत्न करता रहा है।

भारत का मत

"हम काश्मीर कमीशन के १८ अगस्त १९४८ और ५ जनवरी १९४९ के प्रस्तावों पर, उनकी हम को बताई गई व्याख्या के आधार पर, अब भी दृढ़ हैं।"

"हमने शुरू से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरे राज्य पर, पाकिस्तान अधिकृत प्रदेश को लेकर, कश्मीर सरकार की प्रभुसत्ता है।"

"हम जनमत गणना से अलग रहने के लिये तैयार हैं और पाकिस्तान को भी जनमत गणना से निश्चय ही पृथक रहना चाहिए।"

१३९९५९४ डिक्सन की रिपोर्ट

सर डिक्सन ने १९ सितम्बर १९५० को सुरक्षा-परिषद में अपनी अस्सफलता की रिपोर्ट पेश की जिसमें यह स्पष्ट घोषित किया गया कि सशत्र-कबाइलियों का कश्मीर में घुसना और पाकिस्तानी सेना का कश्मीर की सीमा में प्रवेश करना दोनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भंग किया गया। डिक्सन साहब ने कहा :

पाकिस्तान आक्रामक

"१ जनवरी १९४९ से ही, जब कश्मीर का झगड़ा सुरक्षा-परिषद के सामने पेश किया गया, भारत ने बार बार यह कहा है और जिसका मैंने भी अपनी रिपोर्ट में जिकर किया है कि पाकिस्तान आक्रामक राष्ट्र है तथा राष्ट्र-संघ को वैसी घोषणा कर देनी चाहिए। भारत के प्रधान मंत्री ने हमारी मीटिंग के शुरू में इसी बात को फिर दोहराया और मीटिंग के दौरान में भी कई बार इसकी मांग की कि पाकिस्तान को आक्रामक घोषित कर देना चाहिए।"

"मैंने कहा पहले तो सुरक्षा-परिषद् ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, दूसरे इसका न मुझे अधिकार है और न मैंने इस विषय की कानूनी जांच ही की है। किन्तु तीसरे इस विषय के कारणों में बिना जाये, क्योंकि इसके कारण इस उपमहाद्वीप के इतिहास का एक अंग बन गये हैं, मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि कबाइली लोगों ने २० अक्टूबर ४७ को काश्मीर और जम्मू राज्य की सीमा में प्रवेश करके अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भंग किया और इसी प्रकार २ मई १९४८ में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर सीमा में दाखिल होकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून की खिलाफवर्जी की।"

असैनीकरण का कार्यक्रम

"इसलिए मैंने सुझाया कि असैनीकरण की दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि एक निश्चित दिन से शुरू करके पाकिस्तानी सेना कश्मीर से हट जाय। इसके काफी दिन बाद 'युद्ध बन्दी' लाइन के दोनों तरफ यह काम जहां तक हो सके साथ-साथ हो।"

"मैंने मांग की : १. भारतीय सेना वापस चली जाय २. कश्मीर व जम्मू राज्य की सेना वापस हो अथवा निःशस्त्र कर दी जाय और तोड़ दी जाय। ३. कश्मीर व जम्मू का नेशनल मिलिशिया भी तोड़ दिया जाय।

पाकिस्तान में मैंने मांग की कि वह १. आजाद कश्मीर सेना उत्तरी स्काउटों को निःशस्त्र तथा भंग कर दें।

"मैंने कहा कि कुछ, संभावित कारणों के अलावा वहां सेना की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती।

"भारत के प्रधान मंत्री ने कई कारणों से मेरी इस योजना को अस्वीकार कर दिया। उन सब कारणों को यहां बताना असंभव है।

"पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने इस पर विचार तक नहीं किया।

"असैनीकरण के लिए मेरा प्रयत्न निष्फल हो गया। दोनों पक्षों में से किसी ने भी इस कठिनाई को हल करने के लिए कोई नया सुझाव भी नहीं रखा।

स्वतंत्र जनमत हो

"मैंने जनमत गणना स्वतंत्र हो इस दृष्टि से कुछ शर्तें पेश की।

१. प्रत्येक जिला मेजिस्ट्रेट के साथ राष्ट्र-संघ का एक अधिकारी नियुक्त किया जाय।

२. उसे मेजिस्ट्रेट और उसके नीचे के सारे अधिकारियों के लेख तथा कार्रवाई देखने का अधिकार हो।

३. उसका काम निरीक्षण, प्रेक्षण, विरोध प्रदर्शन और रिपोर्ट करना होगा।

४. उसकी अनुमति प्राप्त किये बिना मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आज्ञा जारी न कर सकेगा।

"भारत के प्रधान मंत्री ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे सरकार के पूर्ण रूप से कर्तव्य पालन में बाधा पड़ सकती है।

एक सरकार की योजना

"मैंने जनमत गणना की अवधि के लिये पूरे काश्मीर में एक सरकार बनाने की योजना पेश की और उसके लिए सम्मिलित सरकार का सुझाव रखा।

"भारत के प्रधान मंत्री को इनमें से एक भी बात पसन्द न आई।

विभाजन योजना

"पाकिस्तान, के प्रधानमंत्री के रुख के बावजूद, मैंने यह अनुभव किया कि जब तक काश्मीर का विभाजन न कर दिया जाय अथवा केवल कश्मीर घाटी के सीमित क्षेत्र में जनमत लेकर बाकी राज्य को न बांट दिया जायगा तब तक काश्मीर के झगड़े का निबटारा असंभव है।

"इस सम्बन्ध में भारत का निश्चित रुख जानने के लिये मैं कुछ समय दिल्ली में रुका रहा। काफी विचार के बाद मुझे बताया गया कि कुछ निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर भारत सरकार कश्मीर प्रश्न के समझौते की दृष्टि से विचार करने के लिए तैयार है। वे सिद्धान्त ये थे :

१. कश्मीर घाटी में जनमत गणना हो। मुजफ्फराबाद जिले का कुछ हिस्सा भी उसमें शामिल किया जाय।

२. नीचे लिखे प्रदेश भारतको मिलने चाहिये।

अ. कुछ संशोधन के अधीन छोड़ कर 'युद्ध बन्दी' लाइन के पूर्व का सारा जम्मू प्रान्त।

आ. लद्दाख जिले की लद्दाख और कारगिल तहसीलें। सूर नदी के पार का प्रदेश जनमत के अनुसार भारत या पाकिस्तान को मिले।

३. गिलगित, गिलगित एजेन्सी, गिलगित वज़ारत, राजनीतिक जिले और कबाइली इलाके, बाल्टिस्तान तथा युद्ध बन्दी लाइन के पार का जम्मू प्रान्त पाकिस्तान को मिले।"

"पाकिस्तान ने कांफ्रेंस में भाग लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि पूरे राज्य का भाग्य निर्णय पूरे राज्य की जनमत गणना द्वारा ही किया जाय।

"परन्तु विचार विनिमय के बाद मुझे पता लगा कि यदि कश्मीरघाटी पाकिस्तान को मिल जाय तो वह विभाजन के लिए तैयार है।

"भारत के प्रधान मंत्री ने इसको मानने से कतई इनकार कर दिया कि सम्पूर्ण कश्मीर का विभाजन कर लिया जाय और कश्मीर घाटी पाकिस्तान को दे दी जाय।

"पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की बातचीत से मुझेपता लगा कि अब मैं कश्मीर के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं करा सकता। दोनों प्रधान मंत्रियों ने भी इसे स्वीकार किया।

विभाजन की अन्तिम योजना

"अन्तिम संभावना के रूपमें मैंने एक प्रस्ताव और रखा : कश्मीर घाटी के सीमित क्षेत्र में जनमत गणना और बाकी राज्य का विभाजन हो जाय। मैं चाहता था कि एक कांफ्रेंस बुलाऊं और अपनी योजना को स्वीकृति, या संशोधन के लिये उसमें पेश करूं।

"यद्यपि यह योजना पूरे राज्य में जनमत लिये जाने के खिलाफ थी, तो भी पाकिस्तान मेरे कहने पर कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। परन्तु उसने एक शर्त रखी।

कानूनी सरकार की समाप्ति

"मैं चाहता था कि जनमत लिये जाने वाले प्रदेश में राष्ट्र-संघ के अधिकारियों की एक शासन संस्था हो। जनमत शासक उसका प्रधान हो और जनमत गणना के परिणाम की घोषणा होने तक यही संस्था उस प्रदेश में सरकार के सब काम सरंजाम दे।

"भारत के उत्तर के अधीन, पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया।

"भारत के प्रधान मंत्री ने तार द्वारा ऐसे किसी भी प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर भारत की मुख्य आपत्ति यह थी कि पाकिस्तान आक्रामक राष्ट्र है इसलिए उसे जनमत गणना में भागीदार बनाना आक्रमण के सामने घुटने टेकना होगा।

"मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि मेरे प्रस्ताव पर भारत द्वारा की गई आपत्तियों को कार्यान्वित करना एकदम असंभव है।

असफलता स्वीकार

"पाकिस्तान का कहना है कि जनमत गणना के लिए प्राथमिक शर्तों को पूरा करने में भारत असफल रहा है और यह असफलता उसकी पूर्व निश्चित नीति का परिणाम है। परन्तु पूर्व प्रस्तावों के अनुसार राज्य में जनमत गणना के लिये यह शर्त है कि उसमें अनुसरण की जाने वाली कार्य पद्धति से भारत सहमत हो। भारत उससे सहमत नहीं है। कश्मीर कमीशन समझौता करवाने के अपने प्रयत्नों में जिस प्रकार असफल रहा, उसी प्रकार मैं भी नाकाम रहा हूं। किसी पक्ष ने कोईनया सुझाव पेश नहीं किया और दोनों ही इस बात पर सहमत प्रतीत हुए कि अब समझौते की कोई संभावना नहीं है। पाकिस्तान का यह कहना कुछ भी सहायक साबित नहीं हुआ कि सहमत होना भारत का कर्तव्य है।

विभाजन ही एकमात्र रास्ता

"पूरे राज्य को दोनों राष्ट्रों में बांट देना ही एक मात्र विकल्प है। परन्तु दुर्भाग्य से कश्मीर घाटी के टुकड़े नहीं किये जा सकते और इसे दोनों ही चाहते हैं। विभाजन की किसी भी योजना के लिए यह आवश्यक है कि काश्मीर घाटी को किसी एक राष्ट्र को दे दिया जाय।

"हर हालत में मेरी राय यह है कि काश्मीर झगड़े के हल की यदि कोई संभावना है तो वह सारे राज्य की जन गणना में नहीं है, बल्कि राज्य के विभाजन में है और विशेष कर कश्मीर घाटी का निर्णय किये जाने के उपाय में निहित है।

"कश्मीर व जम्मू राज्य भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से एक इकाई नहीं है। लोगों का हित न्याय और स्थायी समझौता तथा शरणार्थी समस्या को बचाने की आवश्यकता, यह सभी राज्य के विभाजन की ओर संकेत करती हैं। सारे राज्य में जनमत गणना के विचार को तो त्याग ही देना चाहिए।

सुरक्षा परिषद को मेरी सिफारिश

"मेरे विचार से यह अच्छा होगा कि इस प्रश्न पर समझौता करने का भार दोनों राष्ट्रों पर ही छोड़ दिया जाय, वे ही इस बात का फैसला करें कि उन्हें कश्मीर और जम्मू राज्य को किस प्रकार बांटना है।"

९३९९५९५ डिक्सन की असफलता

यह पहले से ही साफ जाहिर था कि सर डिक्सन सुरक्षा-परिषद के १४ मार्च १९५० के प्रस्ताव के अधीन दोनों राष्ट्रों में समझौता नहीं करा सकेंगे। क्योंकि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में दोनों राष्ट्रों की राय परस्पर विरुद्ध थी और दोनों राष्ट्रों की व्याख्या में जमीन आसमान का अन्तर था। इसी कारण से डिक्सन साहेब की २० जुलाई की कांफ्रेंस निष्फल रही और वे स्वयं भी भांप गये कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य में जनमत गणना असंभव है। किन्तु इन्होंने इसके बाद अन्य सुझाव रखे जिनमें से एक महत्वपूर्ण सुझाव विभाजन का था। इस योजना के द्वारा वे आक्रामक को समानता का पद

तो दे ही रहे थे, इसके अतिरिक्त भारत की शक्ति को खतम कर वहां पर एंग्लो अमरीकी ब्लाक का अधिकार करा देना चाहते थे। डिक्सन साहेब ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह शर्त पेश की कि कश्मीर की कानूनी सरकार को तोड़कर ६ मास के लिए कश्मीर घाटी में राष्ट्र-संघ का शासन स्थापित किया जाय। इसका अर्थ स्वतंत्र जनमत गणना के बजाय इस प्रदेश में गैर कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना था। डिक्सन ने सत्य की ओर से आंखें बन्द करके कमीशन की भांति सवाल को और भी पेचीदा बना दिया। आक्रामक को खुश करने और एंग्लो अमरीकी स्वार्थ साधने के लिये उसने यह चाल चलने की कोशिश की थी, इसलिये उसमें असफलता निश्चित थी।

यद्यपि उन्होंने एक प्रसिद्ध विधान पंडित के नाते, अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट घोषणा की कि कबाइली लोगों और पाकिस्तानी सेना का कश्मीर की सीमा में प्रवेश करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भंग था, तो भी उन्होंने इसके युक्ति युक्त परिणाम पर अमल करने से इनकार किया। एक ओर तो उसे आक्रामक कहा और दूसरी ओर उसे हर बात में भारत के समान पद दिया। यही नहीं कई बातों में हिन्द से भी अधिक महत्व उसे दे दिया। इसका स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि वे यथार्थ और धोखा, सत्य और झूठ तथा आक्रामक और आक्रान्त में भेद न कर सके।

डिक्सन साहेब ने राज्य से सेनाओं को निकालने के लिए पाकिस्तान और भारत को एक समान माना और इसके द्वारा राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत से छीन लेने का यत्न किया। क्या उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि पाकिस्तान में भी 'जहाद' के लिये लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में राज्य को रक्षा हीन छोड़ना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती।

कोरिया के सम्बन्ध में सुरक्षा-परिषद ने उत्तरी कोरिया को झट आक्रामक घोषित कर दिया और दक्षिणी कोरिया को सहायता देने का निर्णय कर दिया। क्यों? क्योंकि उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया की सीमा में प्रविष्ट होकर उस पर आक्रमण किया। अब राष्ट्र-संघ की सेनाएं उत्तरी कोरिया की सेनाओं का उनके घर में भी पीछा कर रही हैं।

लेकिन भारत के सम्बन्ध में एंग्लो अमरीकी राष्ट्रों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और सत्य की उपेक्षा की। आक्रामक का नाम तक नहीं लिया गया बल्कि उसे बराबर का साझीदार बना लिया। डिक्सन ने यद्यपि पाकिस्तान को आक्रामक तो कहा परन्तु उसे कश्मीर खाली करने के लिए नहीं कहा। अगर वे वास्तविकता को ध्यान में रख कर चलते तो झगड़े का निर्णय अवश्य हो जाता। सवाल यहां भी वही है जो कोरिया में था। पाकिस्तान ने कश्मीर में दाखिल होकर भारत पर आक्रमण किया है। उसे वहां से निकाला जाय। एंग्लो अमरीकी राष्ट्रों ने मुख्य प्रश्न से आंखें बन्द कर कश्मीर को अपने राजनैतिक पैतरेबाजी का अखाड़ा बना लिया। यही नहीं, उलटे भारत पर ही दबाव डालने लगे। इस प्रकार के प्रत्येक प्रयत्न का निष्फल होना निश्चित है। इसीलिए डिक्सन भी असफल रहे।

९३९९५९६ भारत का उत्तर

डिक्सन की रिपोर्ट पर भारत की स्थिति को साफ करते हुए पं० नेहरू ने ३० सितम्बर १९५० को एक वक्तव्य दिया :

"कश्मीर के सम्बन्ध में हमारे ५ सिद्धान्त रहे हैं :

१. कश्मीर पर निर्लज्जता पूर्ण आक्रमण किया गया है, हम उसके आगे झुकेंगे नहीं, उसका मुकाबिला करेंगे।
२. कश्मीर की जनता ही अपने भविष्य का निर्णय करेगी।
३. जहां तक हो सके, झगड़े का निबटारा शान्तिमय उपायों से किया जाय।
४. कश्मीरके सम्बन्ध में किसी भी हालत में हम दो राष्ट्र का सिद्धान्त नहीं मान सकते और
५. कश्मीरी जनता की रक्षा करना हमारा कानूनी और नैतिक कर्तव्य है।

"प्रश्न है पाकिस्तान के आक्रमण को स्वीकार करना। कश्मीर कमीशन ने इसे अप्रत्यक्ष रूप में मान लिया था और अब डिक्सन ने उसे स्पष्ट घोषित कर दिया है।

भारत की दृढ़ता

जहां तक हमारा सम्बन्ध है कश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान की धमकियों से हम अपनी नीति से जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। हम शान्ति पथ पर चलेंगे। यदि शान्ति पर ही कोई खतरा पड़े तो हम पूरी शक्ति और विश्वास के साथ उसका मुकाबिला करेंगे।

"प्रत्येक जिला मेजिस्ट्रेट के साथ राष्ट्र-संघ के अधिकारियों पर भारत को कोई आपत्ति नहीं थी। भारत का कथन इतना ही था कि राष्ट्र-संघ के अधिकारियों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख हो जाना चाहिए ताकि वे जनमत गणना की स्वतंत्रता की रक्षा से आगे बढ़कर राज्य के आवश्यक कर्तव्य पालन में कोई बाधा न डाल सके।

सीमित जनमत गणना

सर डिक्सन ने सीमित क्षेत्र में जनमत लिये जाने के प्रस्ताव पर हमारी स्वीकृति चाही जिसके अनुसार उस प्रदेश में जनमत गणना का परिणाम घोषित होने तक राष्ट्र संघ की शासन संस्था काम करेगी।

"इस प्रस्ताव के अनुसार न केवल शेख अब्दुल्ला की सरकार काफी समय के लिये समाप्त हो जाती है बल्कि पाकिस्तान को, जो आक्रामक है, उस क्षेत्र में अपनी सेना भेजने का अधिकार देकर, भारत के समान ही दर्जा भी दे दिया गया था।

प्रस्ताव अस्वीकृत

विभाजन पर विचार करने के लिए भारत इसलिए तैयार हुआ कि हम कश्मीर की भूमि के किसी भाग पर पाकिस्तान का दावा स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि इसलिये कि शान्ति से झगड़े को निबटाना चाहते हैं। आक्रमण के सामने घुटने टेकने के प्रति हमारी गहरी घृणा के बावजूद हमने उस पर विचार करना स्वीकार किया।

"जनमत गणना के लिये हम इसलिए तैयार नहीं हुए कि हम पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं या कश्मीर की जनमत गणना के परिणाम में हम

पाकिस्तान को स्वीकार करते हैं, बल्कि इसलिए कि कश्मीर की या उसके किसी भाग की जनता अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करे।"

१३९९५९७ पाकिस्तान का कथन

५ अक्टूबर १९५० को पाकिस्तान पार्लियामेंट में श्री लियाकतअलीखां ने कहा :

"यह साफ है कि भारत असेनीकरण के लिए अथवा कश्मीरी जनता को स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत व्यक्त करने का मौका देने के लिये तैयार नहीं था।

"अक्टूबर सन् ४७ में अपने पीड़ित भाइयों की सहायता के लिये कबाइली कश्मीर में गये थे। "आजाद कश्मीर" सरकार और "आजाद कश्मीर सेना" सन् ४७ से ही वर्तमान है। सन् ४९ के हेमन्त में भारत ने ज़ोरदार आक्रमण किया 'आजाद काश्मीर सरकार' के तीव्र अनुरोध पर और पाकिस्तान के हितों की रक्षार्थ मई ४८ में पाकिस्तान सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया।

"भौगोलिक, धार्मिक, आर्थिक और सामरिक सभी दृष्टियों से कश्मीर पाकिस्तान का एक अंग होना चाहिये। कश्मीर पाकिस्तान के लिये प्राणभूत आवश्यकता है, जब कि भारत के लिये वह एक साम्राज्य वादी साहसी कार्य है।"

१३९९५९८ काश्मीर की आवाज़

शेख अब्दुल्ला ने डिक्सन की रिपोर्ट के बारे में १९ कक्टूबर १९५ को नई दिल्ली में कहा :

"सर डिक्सन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विधान पंडित ने जब एक बार स्पष्ट भाषा में यह घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण करके अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भंग किया है, तब हमें इसके तर्क सिद्ध परिणाम की जोरदार मांग करनी चाहिए।"

"काश्मीर से आक्रामक को निकालिए।"

९३९९६ कॉमनवेल्थ कान्फरेन्स

४ जनवरी १९५१ से १६ जनवरी १९५१ तक लन्दन में कॉमनवेल्थ के प्रधानमन्त्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें काश्मीर की समस्या चर्चा का विषय बनी थी। इसमें कॉमनवेल्थ के दूसरे प्रधानमन्त्रियों ने काश्मीर में जनमत ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित तीन योजनाएं प्रस्तुत कीं:——

१. दूसरे कॉमनवेल्थ के देश अपने खर्चे पर जनमत ग्रहण करने के काम में शान्ति, सुरक्षा और बचाव की जिम्मेदारी लेने के लिए अपनी सेनाएं काश्मीर में भेजें।

२. जनमत ग्रहण करने के काल में भारत और पाकिस्तान की संयुक्त सेना रखी जाए।

३. जनमत ग्रहण के अध्यक्ष एडमिरल निमित्ज़ काश्मीरियों की स्थानीय सेना प्रस्तुत करें, जिससे हिन्द, पाकिस्तान और अन्य सब फौजें या तो हटा ली जाएं या उन्हें निःशस्त्र कर दिया जाए।

पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री मि० लियाकत अली खां ने इस कान्फरेन्स के विषय में अपना वक्तव्य १५ जनवरी १९५१ को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने काश्मीर में जनमत ग्रहण कराने के लिए ऊपर लिखी हुई प्रस्तावित तीनों योजनाएं मान ली थीं। किन्तु पण्डित नेहरूने तीनों को रद्द कर दिया।

पण्डित नेहरू ने १६ जनवरी, १९५१ को मि० लियाकत अली खां के वक्तव्य का जवाब दिया और कहा कि हिन्दुस्तान यह नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो काश्मीर में आक्रमणकारी हैं उसे फौजें रखने या शासन में सहयोगी बनाने के लिए हिन्दुस्तान के समान अधिकार दिए जाए।

९३९९७ एंग्लो अमरीकी प्रस्ताव

काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् में २१ फरवरी १९५१ को फिर से उपस्थित हुआ। इसमें ब्रिटेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने प्रश्न

को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसमें कहा गया,

"सुरक्षा परिषद् इस बात को दोहराती है कि ऑल जम्मू व काश्मीर नेशनल कान्फरेन्स की जनरल कौन्सिल द्वारा प्रस्तावित विधान सम्मेलन को बुलाया जाना तथा सारे राज्य अथवा उसके किसी भाग के भविष्य रूप अथवा सम्मिलन को निश्चित करने के लिए वह विधान सम्मेलन जिस किसी कदम को ले वह सब पूर्वोक्त सिद्धान्त (१९४८, १९४९ के प्रस्ताव) के अनुसार राज्यका सौंपा जाना नहीं माना जा सकेगा।"

"सर ओवन डिकसन की जगह संयुक्तराष्ट्र संघ का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए।

"संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधिको यह अधिकार दिया जाता है कि वह जनमत ग्रहण कराने और सेना को निःशस्त्र कराने के काम में मदद देने के लिए यदि किसी सेना की आवश्यकता पड़े तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य राष्ट्रके द्वारा दी जाए, अथवा स्थानीय रूप में प्रस्तुत की जाए।

"यदि रियासत के संमिलन का प्रश्न सर्व व्याप जनमत ग्रहण के आधार पर सुलझाया जाए तो इससे प्रदेश के अनुसार जनमत ग्रहण कराने में कोई रुकावट न होगी।

"दोनों पक्षों से यह कहा जाता है कि पूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के असफल होने पर विवाद-ग्रस्त विषयों पर प्रमाण पुरुष (Arbitrator) द्वारा निर्णय कराया जाएगा।"

९३९९७१ काश्मीर का मत

२४ फरवरी १९५१ को शेख अब्दुल्ला ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा:,—

"यह प्रस्ताव इस समस्या के मुख्य प्रश्न की पुनः उपेक्षा कर रहा है। मुख्य प्रश्न तो यह है:—सबसे पहली बात तो यह स्वीकार

करना है कि पाकिस्तान आक्रमणकारी है। उसके साथ उसी दृष्टि से वर्ताव किया जाना आवश्यक है। इस प्रश्न का समाधान यह है कि इस तथ्य का अन्त तक पीछा किया जाए। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्य के न्यायपूर्ण शासन की सार्वभौम सत्ता को पुनः स्थापित किया जाए और उसके बाद लोगों की राय को जानने के लिए शान्तिपूर्ण वातावरण उत्पन्न किया जाए।

"डिकसन की योजना, कॉमनवेल्थ के प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन तथा अब यह अन्तिम प्रस्ताव ये सब एक ही प्रकार की राजनीतिक चालबाजी है, जिसका उद्देश्य केवल यही है कि हमारे देश को विभाजित कर छिन्न-भिन्न कर देना, राज्य की सार्वभौम सत्तापर अंकुश लगाना तथा मध्यस्थ के एकतन्त्रात्मक अधिकारों से न्यायपूर्ण शासन को कुचल देना है।"

९३९९७२ भारत का मत

१ मार्च १९५१ को भारत ने एंग्लो अमरिकी प्रस्ताव को रद्द कर दिया, जब कि सुरक्षा परिषद् ने काश्मीर के प्रश्न पर बहस शुरू कर दी। भारत के प्रतिनिधि सर बी० एन्० राव ने कहा कि उनकी सरकार किसी प्रकार उस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार न थी।

उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव से वह भी फिर से अनिश्चित हो जाएगा जो पहले ही निश्चित हो चुका है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो इसका अर्थ संयुक्त राष्ट्र संघ कमीशन के उस निर्णय को रद्द कर देना होगा जो दोनों पक्षों ने सहमति से पहले ही तय कर लिया है। इससे उन आश्वासनों की समाप्ति हो जाती है जो कमीशन ने भारत को दिए हैं।

सर राव ने कहा, "स्वतन्त्र क्षेत्र में प्रत्येक राज्य को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, विधान सम्मेलन का अर्थ यह नहीं कि सुरक्षा परिषद् के विचाराधीन प्रश्न को प्रभावित करे अथवा उसके मार्ग में रोड़े अटकाए।

"हमारी सरकार इस प्रस्ताव को आधार के रूप में मानने के लिए लेशमात्र भी तत्पर नहीं है। न वह इसी बात के लिए तैयार है कि किसी नये प्रतिनिधि को इतने महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय करने का अधिकार दे दिया जाये।

"संयुक्त राष्ट्र संघ कमीशन ने स्वयं तथा आगे चलकर हमारी सम्मति से जो कुछ किया है उस पर हम पानी फेर देना नहीं चाहते। राज्य में अथवा भारत के किसी भाग में विदेशी सैनिकों का प्रवेश मानने में हम पूर्णतया असमर्थ हैं।"

"वर्तमान संकट का मूल कारण यह है कि पाकिस्तान ने राज्य के प्रायः आधे भाग को ग़ैरकानूनी तौर पर कब्ज़े में कर रखा है और उस भाग में प्रतिक्रियावादी शक्तियों को और अधिकारियों को जन्म दे रखा है। जब तक उस बात को जारी रखने दिया जाता है तबतक उस समस्या का सुलझाव नहीं हो सकता।"

९३९९७३ पाकिस्तान का मत

सर मुहम्मद जफरुल्ला खांने प्रस्ताव के मुख्य तत्त्वों को मानते हुए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थ को एकतन्त्रात्मक अधिकार दिये जाने की मांग उपस्थित करते हुए ६ मार्च १९५१ को सुरक्षा परिषद् से कहाः—

"नग्न सत्य तो यह है कि काश्मीर के हिन्दू महाराजा तथा भारत के नेताओं के बीच एक षड्यन्त्र रचा गया था और उसीके परिणाम स्वरूप भारतने काश्मीर पर अधिकार जमा लिया था। उस षड्यन्त्र के शिकार काश्मीर के निवासी ही हुए।

"भारत का बलपूर्वक लगातार काश्मीर में अधिकार जमाए रखना तथा वहाँ अपनी सेनाओं को बनाए रखने की जिद एक प्रकार का अत्यन्त भयानक आक्रमण रूपी कृत्य है। यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए अत्यन्त संकटपूर्ण भय है।

"भारत से यह कहा जाना चाहिए कि वह काश्मीर में संविधान सभा न बुलाये और राज्य के भविष्य का एकतरफा निर्णय करने के लिए कोई उद्योग न करे।

"जितनी भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं उनका कारण यह है कि भारत ने निष्पक्ष लोकमत के मार्ग में सदा रोड़े अटकाये हैं।"

९३९९७४ राव का यथार्थ उत्तर

९ मार्च, १९५१ को सर बी० एन्० राव ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि सर जफरुल्ला खां के वक्तव्य का उत्तर देते हुए कहा:—

"काश्मीर भारत संघ का एक अंग है। वहाँ अब तक विधानसभा बुलाई नहीं गई है। राज्य का विधान अब भी बनाना बाकी है।

"भारत का प्रतिवाद जनमत ग्रहण काल में न तो सेना को कम करने के लिए था और न उसकी समाप्ति के लिए था। किन्तु उसका प्रतिवाद सेना को उस सीमा तक कम करने में था जिसमें राज्य की सुरक्षा संकट में आ जाये। उसका प्रतिवाद उन उपायों से भी था जो राज्य की सार्वभौम सत्ता को अनावश्यक रूप से पददलित करे।"

९३९९७५ नेहरू का वक्तव्य

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने १३ मार्च, १९५१ को नई दिल्ली के प्रेस सम्मेलन में यह घोषणा की:—

"अगर काश्मीर पर आक्रमण हुआ तो उसे भारत पर आक्रमण माना जायेगा। इस बात पर ऐकमत्य हो गया था कि जम्मू व काश्मीर के पूरे प्रदेश पर वर्तमान सरकार का अधिकार मान लिया जायेगा और जनमत के लिए जनमत अध्यक्ष की नियुक्ति भी काश्मीर की न्यायपूर्ण सरकार ही विधिवत् करेगी।

"काश्मीर भारत का ही एक अङ्ग है। भारत ने जान बूझकर संयुक्त राष्ट्रसंघ में पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित करने का प्रश्न नहीं उठाया, जिससे समझौते के मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न न हो। किन्तु इस अवस्था में जब कि दूसरी ओर 'जेहाद' की बातें हो रही हैं, साक्षात् वार्तालाप का प्रश्न ही नहीं उठता।"

९३९९७६ प्रस्ताव का संशोधन

अतः भारत सरकार ने १ मार्च १९५१ के प्रस्ताव को रद्द कर दिया और ९ मार्च १९५१ को अपने मन्तव्य का पोषण किया, प्रस्ताव के प्रस्तावकों को उसमें संशोधन करने के सिवा कोई चारा ही न था वह संशोधन को इस प्रकार करना चाहते थे जो उनके और पाकिस्तान की स्थिति के अनुकूल हो और उन बातों पर अधिक जोर देना चाहते थे जो उनकी सम्मति के अनुसार काश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए आवश्यक थीं।

प्रस्तावित संशोधन में मूल प्रस्ताव के चौथे अनुच्छेद को हटा कर एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया है। वह यह है:—

"दोनों पक्षों से कहा जाता है कि वे रियासत में सेना को निःशस्त्र कराने और उसके असैनिकीकरण करने में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के साथ पूर्णतम रीति से सहयोग करें।"

"संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि को आदेश दिया जाता है कि वह उपमहाद्वीप पर पहुंचने के तीन मासके बीच सुरक्षा परिषद् को अपनी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत कर दे।"

इस प्रकार इस धारा में "जनमत गणना" तथा रियासत में विदेशी सैनिकों को बुलाना हटा दिया गया है।

९३९९७७ प्रस्ताव का विश्लेषण

ब्रिटिश प्रतिनिधि सर ग्लेडविम जेब ने संशोधित प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए २१ मार्च, १९५१ को सुरक्षा परिषद में कहा:—

"नि:सन्देह ऐसे प्रश्न पर जहाँ दो सरकारों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हैं, मुझे केवल मध्यस्थवाही एक मात्र उपाय दिखाई पड़ता है जो व्याख्या तथा प्रयोग के विषय में मतभेदों का निर्णय करे।

"श्री राव ने यह कल्पना की है कि संमिलन निश्चित रूप से हो गया है तथा अब जो कुछ भी करना है वह इतना ही है कि राज्य के निवासियों को ऐसा अवसर दिया जाये जिसमें वे यह निर्णय करें कि वे अन्तत: भारत में ही रहें अथवा नहीं। ये दो बातें मेरी सरकार की संमति में उन सिद्धान्तों की भी सर्वथा हत्या ही करती हैं जिनके आधार पर परिषद् तथा दोनों पक्ष का समझौता कराने के लिए यत्न करते आ रहे हैं।"

श्री जेब ने श्री राव से अपील की और कहा कि वे यह स्पष्ट रूप से "नि:सन्देह" समझायें कि उनकी सरकार ऐसे किसी भी कार्य को न होने देने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करेगी जो सुरक्षा परिषद् के सारे काम पर पानी फेर दे।

श्री अर्नेस्ट ग्रास (अमेरिका), ने संशोधित प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा:—

"संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार मध्यस्थता योजना को प्रस्ताव का एक मुख्य अङ्ग मानती है। काश्मीर में प्रस्तावित विधान सम्मेलन की चर्चा करते हुए श्री ग्रास ने कहा कि सुरक्षा परिषद् इस बात पर जोर दे सकती है और उसे देना भी चाहिए कि राज्य (काश्मीर) के अन्तिम सौंपे जाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघके अधीन लिए जानेवाली मतगणना के आधार पर निर्णीत होगा।

"काश्मीर के अन्तिम सौंपे जाने का प्रश्न एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है यह एक ऐसी समस्या है जिसे सुरक्षा परिषद् तीन वर्ष से अधिक समय से अपने विचारधीन रखती आई है।

"अत: परिषद् को यह मान लेने का अधिकार है कि भारतीय

सरकार काश्मीर सरकार को ऐसे किसी कार्य को करने से रोकेगी जो परिषद् के उत्तर दायित्वों में हस्तक्षेप करे।"

९३९९९८ भारत की प्रतिक्रिया

पंडित नेहरू ने भारतीय संसद् में २८ मार्च, १९५१ को कहा :

"हम किसी भी अवस्था में पाकिस्तान या उसके समर्थकों को प्रसन्न रखने के लिए काश्मीर में शून्यभाग नहीं उत्पन्न कर सकते। न तो हम काश्मीर को भाग्य के भरोसे छोड़ सकते हैं, और न इसकी सत्ता को समाप्त करके किसी बाहरी सिविल या सैनिक शक्ति को इसका शासन संभालने देंगे।....भारत की सारी शक्ति काश्मीर के पीछे है। और काश्मीर कानूनी और राजनीतिक रूप में भारतका ही एक अविच्छेद्य अङ्ग है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत

सर बी० एन्० राव ने २९ मार्च, १९५१ को सुरक्षा परिषद् में भारत की ओर से इस प्रस्ताव पर घोषणा की कि प्रस्ताव का मसविदा उन प्रश्नों को पाकिस्तान के पक्ष में दुबारा खोलने की कोशिश करता है जो अगस्त ११४८ के प्रस्ताव के द्वारा निर्णीत किए जा चुके हैं।

"सर्व प्रथम, यह पाकिस्तान को उन विषयों में अधिकार देना है जिनमें उसे आक्रान्ता की हैसियत से पहले के प्रस्ताव में सही तौर पर अस्वीकृत किया गया था। दूसरे, यह प्रमाण पुरुष को महत्त्वपूर्ण निर्णय करने का अधिकार देना है जिनको पहले के प्रस्ताव के अनुसार भारत की स्वीकृति से निश्चित होना आवश्यक है। यह पाकिस्तान के लिए नई सुविधाएँ हैं। परिषद् को यह आश्चर्य करने का विषय नहीं है कि पाकिस्तान इसको स्वीकृत करने के लिए सर्वथा तत्पर है और भारत उसे अस्वीकार करना चाहता है।

"मैं सर ग्लेडविन से केवल यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ब्रिटेन सैनिक सुरक्षा के विषय में जो उसके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हों

ऐसे मामलों का निर्णय कराने के लिए यह मान सकता है कि उसका निर्णय न उसकी सरकार से किया जाए, न उसकी संमति से किया जाए। बल्कि उन प्रमाण पुरुषों से किया जाए जो उसी देशकी संमति से किसी दूसरी शक्ति द्वारा नियोजित हों, जिस देशने ब्रिटिश भूमिपर आक्रमण किया हो।"

उन्होंने यह कहा कि भारत इस प्रस्ताव को किसी भी रूप में स्वीकृत हीं कर सकता।न

१३९९९९१ प्रस्ताव स्वीकृत

३० मार्च, १९५१ को सुरक्षा परिषद् में संशोधित एँग्लो–अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। यद्यपि भारत के प्रतिनिधि सर राव ने इसको भारत की सरकार की ओर से पूर्णतया रद्द कर दिया। प्रस्ताव के पक्ष में ८ मत आए। रूस और युगोस्लाविया ने मत-दान में भाग नहीं लिया।

इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से सुरक्षा परिषद् एक संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधि को नियुक्त करेगी जो दोनों देशों के बीच सेना के निःशस्त्रीकरण के विषय में समझौता कराने का प्रयत्न करेगा और मतभेदों को परिषद् में उपस्थित करेगा जिन पर समझौता न हो सके। उनका निर्णय प्रमाण-पुरुष के द्वारा कराया जाएगा।

प्रस्ताव के स्वीकृत होने से पहले सुरक्षा परिषद् के प्रत्येक सदस्य ने प्रस्ताव के पक्ष में भाषण दिए। किन्तु यह बाद में प्रकट हुआ कि ब्रिटेन और अमेरिका ने टर्की और फ्रांस पर दबाव डालकर मत देने के लिए उन्हें बाध्य किया, कारण वे (अमेरिका और ब्रिटेन) किसी भी प्रकार से काश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने के लिए कटिबद्ध थे।

पाकिस्तान की स्वीकृति

पाकिस्तान के प्रतिनिधि सरजफरुल्ला खां ने २ एप्रिल १९५१ को सुरक्षा परिषद् में कहा कि उनकी सरकार इस प्रस्ताव के हर हिस्से और पहलू को स्वीकार करते है और पाकिस्तान के मान के लिए यही एक मार्ग है।

१३९९९९२ भारत का रुख

एंग्लो–अमेरिकी प्रस्ताव भारत के गौरव को आह्वान है, कारण काश्मीर भारत का ही एक अङ्ग है। इसके भविष्य का निर्णय इसके ४० लाख निवासी ही कर सकते हैं और किसी एक प्रमाण पुरुष को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

पंडित नेहरू ने २ अप्रैल १९५१ को श्रीनगर में नैशनल कान्फरेन्स के कार्य कर्ताओं के सामने साफ साफ घोषणा की :—

> "भारत ने काश्मीर के सम्बन्ध में एंग्लो--अमेरिकी प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया और इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने से जो परिणाम होंगे भारत उनका मुकाबला करेगा। प्रस्ताव के स्वीकृत होने से इसके विपक्ष में भारत के विरोध की मात्रा कम नहीं हुई और न इससे भारत के रुख में कोई परिवर्तन हो सकता है। हमें अपने मान और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए इस नये आह्वान का मुकाबला करना है। और मुझे लेशमात्र भी संशय नहीं है कि हम इसका सफल रीति से सामना करेंगे।"

विधान सम्मेलन के बारे में उन्होंने कहा कि हमने बार बार साफ साफ बताया है कि यह हमारा घरेलू मामला है।

शेख़ अब्दुल्ला ने भी २ एप्रिल, १९५१ को कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका पाकिस्तान का इस लिए पक्ष करते हैं कि उन्हें विश्व युद्ध में वहां फौजी अड्डे मिल सकते हैं। हिंदुस्तान का रुख़ इसके बिलकुल विरुद्ध है।

> उन्होंने कहा, "जब तक कि पंडित नेहरू और भारत विद्यमान हैं, हम काश्मीर के गौरव को किसी दूसरी शक्ति से पददलित न होने देंगे।"

बारहवां अध्याय

काश्मीर की नाव भंवर में

९४१ अघोषित युद्ध

पाकिस्तान ने संसार की आंखों में धूल डालने के लिये अपने व्यवस्थित आक्रमण के आरम्भ में काश्मीरी मुसलमानों की बगावतको राजविद्रोहका नाम दिया। परन्तु जब कबाइली लुटेरों की पाशविक, असभ्य तथा जालिमाना करतूतो का परदा फाश हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी गलती को छिपाने के लिए इन आक्रमणकारियों को 'मुजाहिदीन' का नाम दिया; और कहा कि यह 'मुजाहिद' धार्मिक उन्माद के कारण मुसलमानों की सहायता पर उतर आये हैं। परन्तु थोड़े ही समय में यह पता लग गया कि यह निस्सन्देह पाकिस्तान तथा पाकिस्तानियों का व्यवस्थित सैनिक पाशविक और क्रूरतापूर्ण आक्रमण है। इस सत्य को पाकिस्तान ने ८ मास तक छिपाने का असफल प्रयत्न किया। संयुक्त-राष्ट्र संघ की सुरक्षा-परिषद में इस सत्य को मानने से इनकार किया और हर प्रकार से कपट, जालसाजी और झूठ को बढ़ाता रहा। परन्तु वह यह धोखा अधिक समय तक न दे सका और आंखों से देखने वालों को अंधा न बना सका। अन्त में राज़ खुल गया और वस्तुस्थिति सामने आई। पाकिस्तान ने कम से कम अपनी फौजों की उपस्थिति को मान लिया। परन्तु पाकिस्तान ने इस बात को भी हिन्दुस्तान और काश्मीर के सामने नहीं माना क्योंकि इसका अर्थ घोषित युद्ध होता।

'टाइम्स' लंदनके संवाददादाता ने १६ जनवरी १९४८ को ही लिखा था :

"यह मानी हुई बात है कि पाकिस्तान गैर सरकारी तौर पर लुटेरों को सहायता कर रहा है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं कि वह हथियार, लड़ाई का सामान और रसद 'आजाद काश्मीर' फौजियों को पहुंचा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ पाकिस्तानी अफसर भी इनकी फौजी कार्रवाई की कमान कर रहे हैं ।"

९४२ पाकिस्तान की स्वीकृति

पाकिस्तान लुटेरों और आक्रमणकारियों के साथ अपने सम्बन्धों से अधिक देर तक इन्कार न कर सका और मजबूर होकर अन्त में काश्मीर कमीशन के सामने काश्मीर में अपनी फौजों की उपस्थिति उसे माननी पड़ी। मगर ६ सितम्बर की शाम को ४ बजे तक यह सब कुछ छिपा हुआ भेद था। इसी दिन कमीशन ने 'लड़ाई रोको' के प्रस्ताव को प्रकाशित करके संसार के सामने पाकिस्तान की शरारत की पोल खोल दी। पाकिस्तान ने बेशर्मी से अपने इस कपट और जालसाजी को कमीशन के सामने इन शब्दों में व्यक्त किया :

"हिन्दुस्तान धीरे-धीरे अपनी सशस्त्र सेना को बढ़ाता गया। यह बढ़ाने का सिलसिला २१ अप्रैल १९४८ को बन्द नहीं हुआ। बल्कि इसको जारी रखा गया और अधिक तेज किया गया। अप्रैल के आरम्भ में हिन्दुस्तानी सेना ने एक बड़ा भयंकर आक्रमण कर दिया जिसके कारण हालात में असाधारण तबदीली आ गई। यह भयंकर आक्रमण उस समय से लगातार जारी रहा। हिन्द सरकार का प्रकट अभिप्राय जम्मू तथा काश्मीर में फौजी फैसला कराना था और इस प्रकार से संयुक्त-राष्ट्रसंघ के सामने अपना आखिरी फैसला पेश करना था। इन हालातोंने न केवल 'आजाद काश्मीर' सरकार के अधीन की सारी जनसंख्या को खतरे में डाल दिया और काश्मीर में से शरणार्थियों की बाढ़ का कारण बना, बल्कि इसके अतिरिक्त इससे

पाकिस्तान की रक्षा को प्रत्यक्ष खतरा पैदा हो गया। यही कारण था कि पाकिस्तान सरकार अपनी फौजें अपनी रक्षार्थ कई स्थानों पर भेजने के लिए विवश हो गई।"

परन्तु यह कई स्थान थे कहां ? यह सब काश्मीर में थे, जो भारत का अंग है। पाकिस्तान के लिये रक्षा के स्थान दूसरे देश में होना एक विशेष अर्थ रखता है। इसका यह उत्तर उन नाज़ी फासिस्ट राजनीतिज्ञों का सा है जो जर्मनी की रक्षा के मोरचों को आस्ट्रिया और चेकोस्लावेकिया में ख्याल करते थे।

पाकिस्तान के इस भेद के प्रकट करने से बहुत पहले पाकिस्तान के एक समाचार पत्र 'सिविल एंड मिलिटरी गजट' लाहौर ने अपने ३१ जुलाई १९४८ के अंक में पाकिस्तान की इस स्वीकृति को प्रकाशित किया। उसमें लिखा था कि पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने संयुक्त-राष्ट्र संघ कमीशन को सूचित किया कि पाकिस्तानी सेना काश्मीर की लड़ाई में भाग लेने के लिये विवश थी ताकि पाकिस्तान भारत की धमकीपूर्ण युद्ध प्रवृत्तियों का मुकाबला कर सके।

'न्यू स्टेटस्मैन एंड नेशन' ने सितम्बर १९४८ में अपने 'दो उपनिवेशों में युद्ध' नामक अग्रलेख लिखा :

> "यह सत्य पहले से ही साफ है कि पाकिस्तानी सेना काश्मीर के युद्ध में भाग ले रही है। सरकारी तौर पर इसे स्वीकार करना इसको और भी अधिक भयानक बना देता है। सारे झगड़े में पाकिस्तान का यह व्यवहार हमारे सामने उसे अपराधी प्रकट करता है।"

९४३ संयुक्त-राष्ट्र संघ को धोखा

भारत ने पाकिस्तान के इस कपटपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए १ जनवरी ४८ को संयुक्त-राष्ट्र संघ के दरवाजे को खटखटाया। उसने इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से प्रार्थना की कि वह पाकिस्तान को विवश करे कि वह आक्रमणकारियों को सहायता देना बन्द कर दे। सुरक्षा-परिषद इस सरल समस्या को हल करने के बदले राजनैतिक दौड़ में व्यग्र हो गई, जिससे यह समस्या और भी पेचीदा बन गई और एक कमीशन को भारत तथा पाकिस्तान

भेजने के अतिरिक्त वह किसी निर्णय पर न पहुंच सकी। इस सारे समय में पाकिस्तान का प्रतिनिधि सर मुहम्मद जफरुल्लाखां इस अन्तर्राष्ट्रीय संघ के सामने लम्बा वाद-विवाद करके इस बात को अस्वीकार करता रहा कि पाकिस्तान कबाइली आक्रमणकारियों की सहायता कर रहा है और इस प्रकार भारत के विरुद्ध कोई उचित तथा आक्रामक कार्य कर रहा है।

परन्तु कमीशन के भारत में पदार्पण करने पर पाकिस्तान का भंडा फूट गया। उसने न केवल आक्रमणकारियों की सहायता करने की बात को मान लिया वरन उसने सरकारी घोषणा में यह भी स्वीकार किया कि उसकी नियमित सेनाएं काश्मीर में लड़ रही हैं। इसप्रकार पाकिस्तान ने संयुक्त-राष्ट्रसंघ को धोखा दिया जिसके सामने वह कई मास झूठ तथा छल कपट करता रहा। अतः पाकिस्तान ने सुरक्षा-परिषद को भी इसी प्रकार बनाया जिस प्रकार वह अंग्रेजों को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान इस प्रकार की धोखा बाजी से लज्जित न हुआ और इसके विदेश मंत्री सर जफरुल्लाखां ने एक प्रेस कांफ्रेंस में ९ सितम्बर १९४८ को जोर के साथ कहा :

> "पाकिस्तान पर अन्तर्राष्ट्रीय या और कोई कानूनी पाबन्दी नहीं है जो कि उसे काश्मीर में सेना भेजने से रोक दे।"

इसके अतिरिक्त सर जफरुल्ला खां ने यह भी कहा कि कमीशन की पहली ही बातचीत में उसने पाकिस्तानी सेना की जम्मू व काश्मीर में कई रक्षा के स्थानों पर उपस्थिति तथा इनकी संख्या, स्थिति और प्रबन्ध के बारे में बताया था।"

इसी समय 'स्टेटस्मैन' ने अपने अग्रलेख 'लड़ाई रोको' की असफलता में लिखा :

> "जब कमीशन जुलाई के आरम्भ में कराची पहुंचा तब पाकिस्तान की व्यवस्थित सेना बिना किसी स्वीकृति के पहले से ही काश्मीर में सक्रिय थी। अतः इस समय की स्थिति उससे निश्चित रूप से भिन्न थी जिसके आधीन कमीशन को खोज और जांच करने के लिए कहा गया था। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्थिति अब और भी खराब हो गई। इसका एक

मात्र कारण पाकिस्तानी व्यवहार ही रहा। यद्यपि कमीशन को दी गई उसकी व्याख्या भले ही उसकी दृष्टि से ठीक हो, परन्तु कमीशन के लिए इस तथ्य की उपेक्षा करना कठिन था। इसके कार्य को अत्यन्त पेचीदा बना दिया गया है और साथ ही संयुक्त-राष्ट्र संघ को भी धोखा दिया गया है।"

सर ओवन डिक्सन जो सुरक्षा-परिषद की ओर से काश्मीर के झगड़े का फैसला कराने के लिये प्रतिनिधि चुने गये थे, उन्होंने सुरक्षा-परिषद को जो रिपोर्ट दे दी थी उसमें उन्होंने यह जाहिर किया था कि काश्मीर में शसस्त्र कबाइलियों का राज्य की सीमा पार करना और पाकिस्तानी सेनाओं का राज्य में घुसना अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल है। रिपोर्ट में कहा गया है,

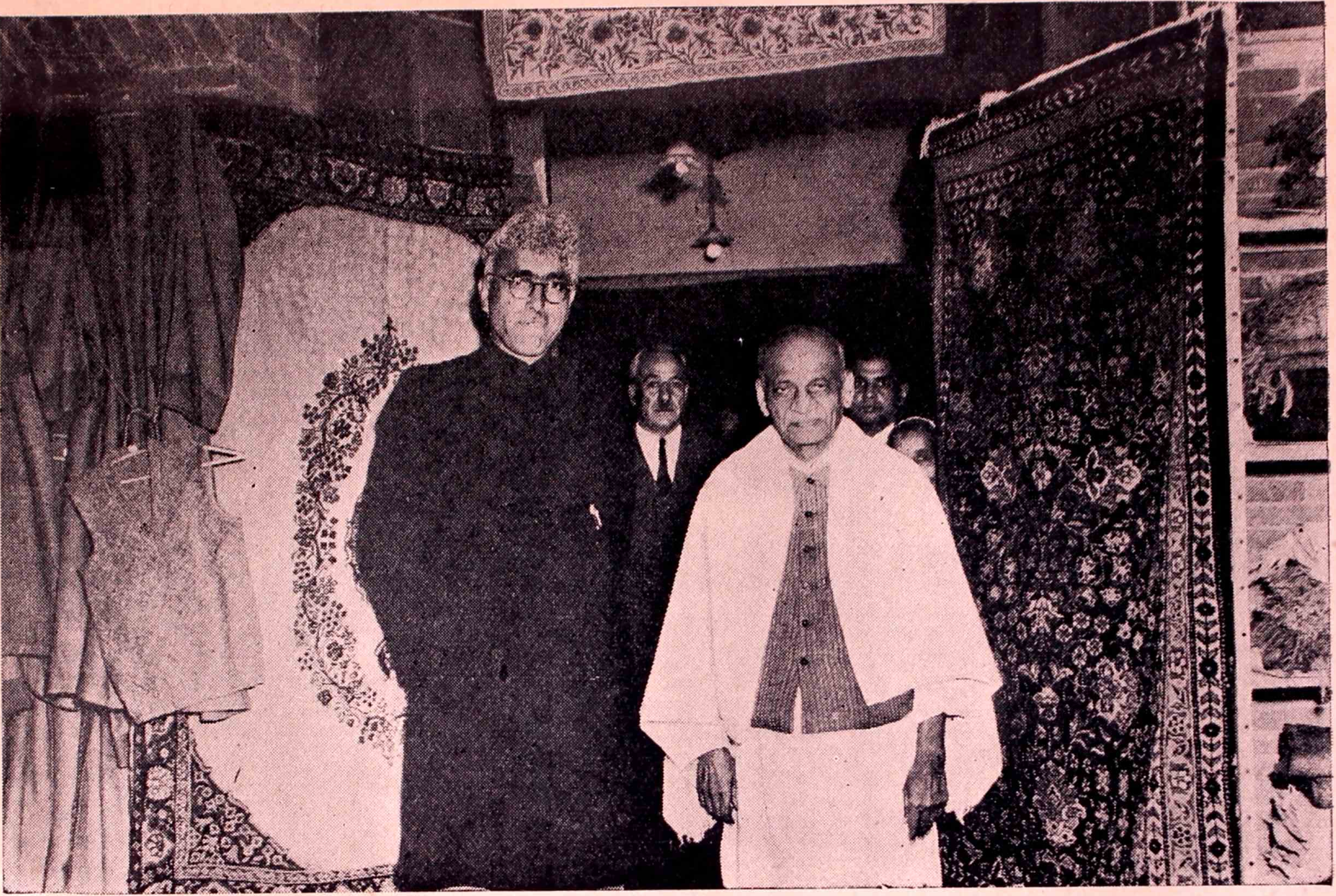
"कारण और हेतु (युक्ति) की चर्चा किये बिन ही, मैं इस मत को स्वीकृत करने के लिए तत्पर था कि जब काश्मीर और जम्मू राज्य की सीमा का २० अक्टूबर १९४७ को आक्रान्मकों ने अतिक्रमण किया वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूलथ ा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जब मई १९४८ में पाकिस्तानी सेनाओं के अधिकारी दल राज्य की भूमि पर चढ गये तब वह कार्य भी मेरे विश्वास के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधिके विरुद्ध आचरण था।"

इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान का पद आक्रामक का है और उसने सुरक्षा-परिषद् में जो रुख स्वीकार किया वह सुरक्षा-परिषद को धोखा देना है। पाकिस्तान इस असत्य, कपट, और छल करने पर भी लज्जित नहीं होता, अपितु वह काश्मीर के मामले में हिन्दुस्तान से भी अधिक अधिकार जताना चाहता है।

९४४ भारत की प्रतिज्ञा

भारत ने काश्मीर को बचाने की प्रतिज्ञा की है और वह इस पर तुला हुआ है। उसने काश्मीरियों को बचन दिया है। अतः वह काश्मीर की एक इंच भूमि भी छोड़ने के लिये तैयार नहीं। उसने बार-बार इस बात को स्पष्ट किया है कि उसे भले ही देश का सारा धन खर्च करना पड़े, भले सारी जन-

काश्मीर की सुरक्षा भारत की सुरक्षा है



उपप्रधान मन्त्री--सरदार वल्लभ भाई पटेल शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के साथ।

संख्या को मोर्चा पर भेजना पड़े परन्तु वह काश्मीर को लुटेरों के हाथ में जाने नहीं देगा। काश्मीरियों के साथ उसने जो प्रतिज्ञा की है उस पर हर प्रकार से दृढ़ रहेगा। प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने बारहमूला से लुटेरों के हटाने के पश्चात ही ११ नवम्बर १९४८ श्रीनगर में लोगों को आश्वासन देते हुए कहा :

"मैं अपनी और भारतवासियों की ओर से आपके और आपके पथप्रदर्शक शेरे काश्मीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं कि हम भारत और काश्मीर सदा इकट्ठे रहेंगे।"

१ अक्टूबर १९४८ को श्रीनगर में उन्होंने घोषणा की :

"अगर पाकिस्तान १०० वर्ष भी यत्न करेगा तो भी उसे अपने लक्ष्य की सफलता काश्मीर में असंभव दिखाई देगी।"

२९ मई १९४९ को श्रीनगर में पंडित जी ने एक बार फिर कहा :

"भारत काश्मीर से की गई प्रतिज्ञाओं का आदर करेगा और किसी भी अवस्था में काश्मीर का साथ नहीं छोड़ेगा। काश्मीर भारत का अंग है और संसार की कोई शक्ति इसे भारत से अलग नहीं कर सकती।"

सरदार पटेल ने १८ दिसम्बर १९४७ को जयपुर में पंडित नेहरू की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए कहा :

"काश्मीर की सहायता करना भारत का कर्तव्य था और वह इस कर्तव्य को निभायेगा। यदि युद्ध १० वर्ष भी जारी रहेगा तो भी वह काश्मीर का साथ नहीं छोड़ेगा। परन्तु अन्त में काश्मीर के लोगों को ही अपने भाग्य का निर्णय करना होगा और यह तब सम्भव होगा जब अन्तिम लुटेरा भी काश्मीर से निकाल दिया जायगा।"

२८ दिसम्बर १९४७ को इन्होंने जम्मू में फिर कहा :

"मैं भारत सरकार की ओर से आप को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम काश्मीर को बचाने के लिये प्रत्येक सम्भव उपाय काम

में लाएंगें। हम न धन की परवाह करेंगे और न सामान की गिनती। जो कुछ भी हो हम काश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। हम इस समस्या को हल कर के ही दम लेंगे।'

रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह ने २७ अक्टूबर १९४८ को इस प्रतिज्ञा को इस प्रकार दोहराया :

"कितनी ही कीमत देनी पड़े और कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हों, हम काश्मीर को स्वतंत्र करने के लिये वचनबद्ध हैं।"

७ जनवरी १९४९ को उन्होंने कहा :

"काश्मीर में सेना भेजने से पहले भारत सरकार ने काश्मीरियों से एक प्रतिज्ञा की है। अब समय आ गया है जब उसे इस प्रतिज्ञा को पूरा करना है।"

पं० नेहरू ने काश्मीर में संविधान परिषद बुलाने के बारे में २८ अक्टूबर १९५० को श्रीनगर में कहा:

"मैं काश्मीर को भारत का एक अंग देखना चाहता हूं। मैं काश्मीर को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहता।"

और १३ मार्च १९५१ को उन्होंने स्पष्ट किया।

"अगर काश्मीर पर आक्रमण हुआ तो उसे भारत पर आक्रमण माना जाएगा.... काश्मीर भारत का ही एक अंग है।"

१४५ भारत की सहायता

काश्मीर ने अपने सम्मान और स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए भारत से सहायता की प्रार्थना की। भारत ने तुरन्त अपने कर्तव्य को पूरा किया। इसने काश्मीरियों की हर प्रकार से सहायता की और कर रहा है। इसने न केवल सहायता ही की बल्कि उनके साथ प्रतिज्ञा भी की जिसको वह पूरी तरह से निभा रहा है।

शरणार्थियों को सहायता:

पाकिस्तान के भयंकर आक्रमण ने लाखों काश्मीरियों को निराश्रय तथा सम्पत्तिहीन बना दिया है। ये लोग काश्मीर और भारत के विभिन्न शरणार्थी कैम्पों तथा अन्य स्थानों में दिन काट रहे हैं। भारत ने उदार चित से शरणार्थी तथा दुखित लोगों की सहायता की तथा उनको हर प्रकार की सुविधाएं दीं। जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं वहाँ पहुंचाईं।

काश्मीर रेडियो:

काश्मीर के विरुद्ध पाकिस्तान रेडियो के विषैले, मिथ्या प्रचार को रोकने के लिये भारत ने जम्मू तथा श्रीनगर में दो ब्राडकास्टिंग स्टेशन स्थापित कर दिये। जिनसे काश्मीरी जनता तथा सरकार पाकिस्तानी झूठ का मुंह तोड़ उत्तर देकर और पाकिस्तान के छल-कपट को खोल कर सामने रख देती है।

हवाई अड्डे:

भारत सरकार ने काश्मीर में अपनी सेना उतारने के लिये श्रीनगर तथा जम्मू में हवाई अड्डे बनवाये। पुंछ में भी एक नया हवाई अड्डा बनाया गया जहाँ हवाई जहाज से सेना उतारी गई। इनकी सहायता से शरणार्थियों को निकालने में अधिक सुगमता हुई। श्रीनगर तथा जम्मू के हवाई अड्डे पक्के बनाये गये हैं।

फौजी कारनामे:

फौजी कार्रवाई पर भारत सरकार ने करोडों रुपये खर्च किये हैं और अब भी कर रही है। इसके वीर सिपाही १५ हजार फीट तक के ऊंचे पहाड़ों तथा हिमाच्छादित चोटियों पर काश्मीर को बचाने के लिये अपनी जानें हथेलियों पर रख कर पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करते रहे। यह रियासती सिपाहियों की कई सेनाओं को कई स्थानों पर रसद तथा अन्य सामान हवाई जहाजों से देते रहे। नवम्बर १९४८ के मास में पुंछ में हवाई जहाजों ने पुंछ की रक्षा सेना को चार दिन

में १० हजार रुपये की थैलियाँ चार बार डाली। करगिल के इलाके में भी एक बार भारतीय सेना ने एक लाख रुपये जहाजों से डाले।

जब काश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया और काश्मीर ने भारत से सहायता माँगी उस समय भारत सरकार को सब सामान और सेना हवाई जहाजों से भेजनी पड़ी। यह हवाई सरगरमी बड़े पैमाने पर १७ नबम्बर १९४७ तक रही। इतने समय में ६० लाख पौंड वजनी बोझ जम्मू तथा काश्मीर ले जाया गया और सारा ६, २०, ००० मील का फासला तय किया गया। जिसमें ४,००० घंटे उड़ने में लगे जो ३० हजार मनुष्यों के ४० पाउन्ड सामान प्रति मनुष्य २२ दिन में सारे संसार के गिर्द २५ बार चक्कर लगाने के बराबर है। इस प्रशंसनीय तथा अनुपम काम पर भारत सरकार के ३० लाख रुपये खर्च हो गये।

१५ अगस्त, १९४८ तक पुंछ में हवाई जहाजों ने १६, २०० रियासती निवासियों कोमृत्यु के ग्रास से बचा लिया तथा लेह जैसी २१,००० फुट ऊंची चोटी को भी भारतीय हवाबाजों ने फांद लिया।

यातायात

काश्मीर में सैंकड़ों मील नई सड़कें बनाई गई तथा कई सड़कों को खोल दिया गया। काश्मीर और भारत को मिलाने वाली जम्मू पठानकोट सड़क को पक्का बनाया गया तथा इस पर दो बड़े पुल बनवाये गये। इसके अतिरिक्त पत्र व्यवहार को बाकायदा चलाने के लिये सारी रियासत में टेलीफोन तथा टेलीग्राफ का जाल सा बिछा दिया।

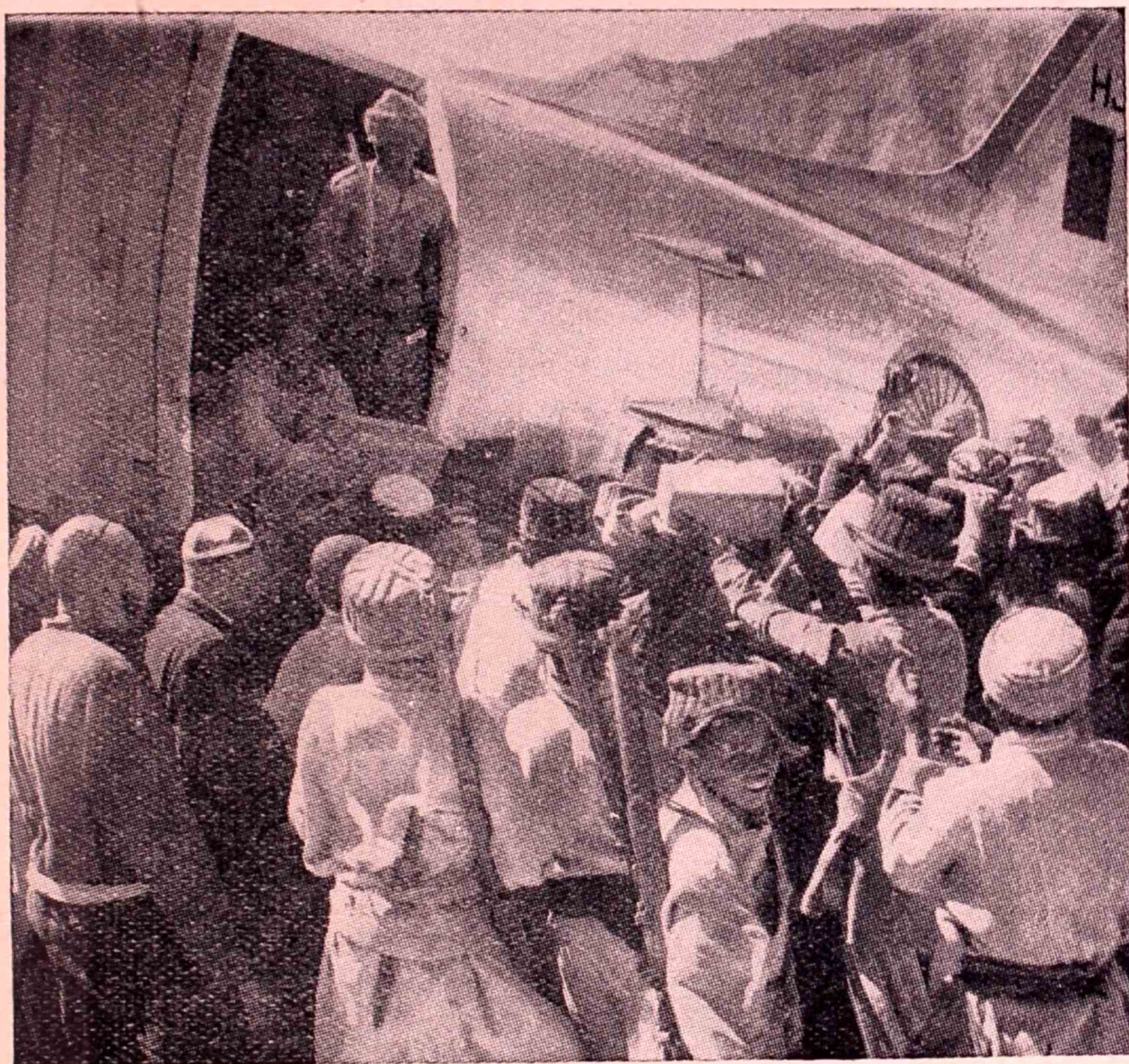
सेना के खाद्य पदार्थों से आय।

भारतीय सेना के लिये ५३,००० रुपये भोजन तथा खाने पीने के सामान पर काश्मीर में ही व्यय किया जाता है। इसमें ७,४५० रु० की तरकारियाँ ८,७५० रु० के फल, ३,३०० रुपये के आलू, १,९०० रु० का माँस, ७,७५० रुपये का दूध तथा ३,६०० रुपये का इंधन होता है।

मजदूरों को लाभ

भारतीय सेना प्रतिदिन २५,००० रुपये मजदूरों और खच्चरों के

भारत की अमूल्य सहायता



रसद उतारी जा रही है

"काश्मीर का पक्ष लेना भारत का कर्त्तव्य था और वह इस कर्त्तव्य को निबाहेगा। अगर लड़ाई दस साल तक भी जारी रही तब भी वह काश्मीर को नहीं छोड़ेगा।

सरदार पटेल
(१८ दिसम्बर १९४७)

मालिकों को दे रही है। इसके अतिरिक्त मजदूरों की एक बड़ी संख्या को मुफत खुराक मिलती है। लगभग ५०,००० रुपये उन कुलियों तथा खच्चरों के हरजाने के रूप में दिये गये जो कि काम करते करते मारे गये।

सड़कों पर लागत

घाटी काश्मीर तथा जम्मू में नई सड़कों के बनने से काश्मीरी मजदूरों को बहुत लाभ पहुँचा। यह सारे रास्ते काश्मीरियों के लिये स्थायी लाभ की वस्तुएं बन गई हैं। इन सड़कों के बनाने में २,४५,००,१२५ रुपये व्यय हुए हैं।

गृह निर्माण से लाभ

भारतीय सैनिकों के रहने के लिए जो मकान बनाये गये हैं उनसे भी स्थानीय लोगों को विशेष लाभ पहुंचा। इन स्थानों मकानों के निर्माण पर ७५ लाख रुपये खर्च हुये जिनमें से ३० लाख रुपये काश्मीरी मजदूरों को मजदूरी के रूप में मिले और बाकी रुपये लकड़ी खरीदने में खर्च हुए।

किराया से आमदनी :

भारतीय सिपाही प्रति मास ६५ भवनों के लिये जिनमें उनके अफसर और कर्मचारी रहते हैं १०,००० रुपये किराया के रूप में देते हैं। इसके अतिरिक्त ४०,००० रु० फर्नीचर तथा शीतकाल में अंगीठियों आदि पर प्रति मास खर्च करते रहे।

व्यापार को प्रोत्साहन :

यद्यपि काश्मीर की भूमि पर युद्ध हो रहा था तथा स्थिति असाधारण थी फिर भी काश्मीर की दस्तकारी तथा व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला। नई सड़कों के निर्माण से काश्मीर का व्यापार भारत के साथ होता रहा और काश्मीर सरकार तथा भारत सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध ने इस व्यापार को बड़े पैमाने पर जारी रखा।

रेशम साजी :

१९४८ में रियासत के रेशम साजी के कारखाने बहुत अधिक

काम में व्यस्त रहे और इन्होंने एक साल में २० लाख गज रेशमी कपड़ा तैयार किया। इसके विपरीत पिछले वर्षों में सामान्य रूप से ४ लाख गज ही तैयार होता था। पहले प्रति वर्ष ११७५ मन कच्चा रेशम रियासत से बाहर भेजा जाता था परन्तु गत वर्ष इसके कारखानों ने केवल कच्चा रेशम अपने इस्तेमाल में लिया। बाहर से और भी कच्चा रेशम मँगाने की आवश्यकता पड़ी।

फल इत्यादि

१९४४-४५ में २,९६,००० रुपये के फल भारत भेजे गये थे। इसके विपरीत गत वर्ष ६५ लाख रुपये के फल भारत भेजे गये। इसके अतिरिक्त ऊनी कपड़े, पेपर माशी, धातु की चीजें तथा देसी औषधियाँ और अन्य सुखप्रद सामान का व्यापार भी बढ़ा।

खाद्य पदार्थ

काश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के पश्चात नमक, चीनी, पैट्रोल तथा कपड़े की बहुत तंगी हो गई। परन्तु गत वर्ष भारत ने काश्मीर की इस तंगी को दूर करने के लिये विपुल मात्रा में नमक, चाय, चीनी, गेहूं, चावल कपड़ा तथा अन्य वस्तुएं काश्मीर भेजीं। अप्रेल १९४९ तक भारत सरकार ने १६,००० टन गेहूं, १०,००० टन चावल और मक्की काश्मीर भेजी। सूती कपड़े की गाँठे जिनका मूल्य ८० लाख रुपये था बम्बई के कपड़े के कारखानों से खरीद करके काश्मीर भेजी गई। इस वर्ष के अन्त तक भारत सरकार ने ३१,५०० टन अनाज भेजना स्वीकार किया है।

२७ जून १९४९ तक भारत सरकार ने उन मजदूरों के उत्तराधिकारियों को जो लुटेरों के आक्रमण से मारे गये २ लाख रुपये बांटे।

भारत सरकार ने २६ जून, १९४९ को काश्मीर में विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों को छपाने के लिये ४६,००० पाउंड कागज पहुंचाया।

हाउस बोट वालों को आमदनी

प्रतिवर्ष काश्मीर को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक आते

थे। इनके आने से लोगों को बहुत लाभ होता था। विशेषतः बोट वालों को इनके आने से बहुत आमदनी होती थी। परन्तु पिछले साल असाधारण स्थिति के कारण बहुत थोड़े दर्शक काश्मीर आये। केवल ५,००० दर्शकों ने हाउस बोट किराया पर लिये। भारतीय सिपाहियों ने इनके इस घाटा को पूरा करने के लिये इन्हें होटल इत्यादि खोलने के लिये ठेके पर दिये तथा इसके अतिरिक्त बहुत सारे हाउस बोटों को फौजी अफसरों ने अपने रहने के लिये किराये पर ले लिया। इस वर्ष दर्शकों की संख्या में काफी बढोतरी हो रही है।

द्रव्य सम्बन्धी सहायता

जनवरी १९४८ में ही सरदार पटेल ने काश्मीर के दुखी तथा पीड़ित लोगों की सहायता के लिये एक लाख रुपये दिये तथा पं० नेहरू ने भी इसी मास १०,००० रुपये का चेक भेजा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार करोड़ों रुपये सरकारी रूप से खर्च करती रही। काश्मीर रिलीफ फंड खोला गया। हर प्रकार से काश्मीरियों की सहायता की गई। इस समय भी भारत सरकार जीवन की आवश्यक वस्तुएं काश्मीर भेज रही है।

भारत की पार्लमेंट में यह बताया गया कि भारत सरकार ने काश्मीर की सड़कों के निर्माण में २ करोड़ ४५ लाख रुपये से अधिक व्यय किया है। इस खर्च में जम्मू पठानकोट सड़क भी सम्मिलित है। यह बात याद रखने योग्य है कि जम्मू पठानकोट सड़क पर केवल तीन पुल बनाने में २ लाख रुपयेखर्च किये गये हैं।

रसद तथा सामान पर खर्च

सरदार पटेल ने १ जनवरी १९४९ को पार्लियामैंट में बताया कि रसद इत्यादि की सहायता करने में काश्मीर पर १६ लाख ९ हजार रुपये खर्च किये गये जिन में से ११ लाख ५८ हजार रुपये १९४९ के साल में तथा ४ लाख ५१ हजार रुपये १९४७ से १९४८ तक खर्च किये गये। इसमें मूलधन सम्मिलित नहीं किया गया है। केवल जम्मू पठानकोट सड़क पर भारत सरकार ने १ करोड़ ५१ लाख ८२ हजार रुपये खर्च किये हैं।

२० सितम्बर १९५० को राज्य में बाढ़ आ गई। काश्मीर घाटी को और जम्मू को पानी में डुबा दिया। फलतः खेती का तो नुकसान हुआ ही, बहुत से लोग बेघरबार हो गये।

भारत सरकार ने बाढ़-पीड़ितों को अन्न भेजने का निश्चय किया। नेहरूजी ने शेरे काश्मीर बाढ़-फण्ड में २० हजार रुपये दिये। उनके कहने पर रेडक्रास ने बाढ़-पीड़ित सेनामें भोजन के ११४ बडंल हवाई जहाज से गिराये।

९४६ काश्मीर काश्मीरियों का

रियासत जम्मू तथा काश्मीर ने २७ अक्टूबर १९४७ को भारत के साथ अपना नाता जोड़ दिया। महाराजा काश्मीर ने राजा की हैसियत से और नेशनल कॉंफ्रेंस ने काश्मीरी लोगों के प्रतिनिधि होने की हैसियत से भारत से मित्रता की प्रार्थना की। परन्तु भारत ने रियासत के मिलने को इस शर्त पर मान लिया तथा यह घोषणा की कि सम्मिलन का अन्तिम निर्णय हालात ठीक होने के पश्चात काश्मीरी जनता से किया जायगा। यह घोषणा इसने कई बार की और इसी पर आज तक कायम है। यद्यपि जुलाई १९४८ से हालात बदल गये क्योंकि पाकिस्तान ने काश्मीर में अपनी सेना की सत्ता को स्वयं मान लिया, फिर भी भारत का बर्ताव वैसा ही रहा जैसा कि सम्मिलन के समय था। वह किसी भी अवस्था में फौजी निर्णय ठूंसना नहीं चाहता था और न ही काश्मीरियों के जनतांत्रिक हक को हड़प करना चाहता था। भारत सरकार ने इस बातको स्पष्ट किया कि वह देश को शत्रु से आजाद करके इसको काश्मीरी जनता के हवाले कर देगी और उनके निर्णय का स्वागत करेगी।

९४६१ काश्मीर का निर्णय

काश्मीर ने अस्थाई रूप से भारत में मिलने का निर्णय किया है। इसने भारत से रक्षा की प्रार्थना की और भारत ने इसके बुलावे पर काश्मीरियों का लुटेरों के लूटमार तथा पाकिस्तान के भयंकर आक्रमण से बचाया।

काश्मीर काश्मीरियों के लिए



पण्डित नेहरू जम्मू व काश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस की जनरल कौंसिल के सामने भाषण दे रहे हैं।

"काश्मीर-प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ का चाहे कोई निर्णय हो, किन्तु भारत सरकार काश्मीर राज्य की जनता को दिए हुए अपने वचन को पूरी तौर पर निबाहेगी।"

पण्डित नेहरू

(२६ अप्रैल १९४८)

नेशनल काँफ्रेंस तथा अन्य पार्टियों ने अपने सिद्धान्त और दृष्टिकोण के अनुरूपता के कारण आर्थिक दुर्दशा दूर करने के लिये स्थायी रूप से काश्मीर का नाता भारत के साथ जोड़ने का दृढ़ता से निर्णय भी कर लिया है। नेशनल काँफ्रेंस के नेताओं ने बार बार इस बात को दोहराया है कि काश्मीर और भारत की मित्रता सदा के लिये बनी रहेगी। उनके पथप्रदर्शक और उनके नाव खिवैया शेरे काश्मीर ने २५ मई १९४८ को घोषणा की :

"हमने अपनी राय दी और भारत के साथ अपने भाग्य को जोड़ दिया ह् और उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम पाकिस्तान से मिलने के अपेक्षा मृत्यु को अच्छा समझेंगे। पाकिस्तान वह स्थान है जहाँ हमारी लड़कियों तथा बहनों को लुटेरों ने थोड़े पैसों के लिये बेच दिया। हमें ऐसे देश से कोई वास्ता नहीं। काश्मीर ने उस भारत के साथ रहने का अन्तिम निर्णय कर लिया है जहाँ काश्मीर के जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू का राज है। "

उन्होंने ६ मार्च १९४८ को फिर कहा :

"काश्मीर की जनता ने निर्णय कर लिया है कि वह भारत के साथ काम करेंगे और इसी के लिये अपने प्राण दे देंगे। "

९ मार्च, १९४८ को शेख साहब ने इसी बात को फिर दोहराया:

"मेरा विश्वास है कि काश्मीर की एक एक इंच भूमि भारत की सम्पत्ति है तथा भारत का प्रत्येक इंच काश्मीर का है। उसके अतिरिक्त जवाहरलाल का काश्मीर किसी भी दशा में जवाहरलाल के भारत से अलग नहीं किया जायगा।"

१७ मई १९४९ को इन्होंने फिर कहा:

"जहाँ तक रियासत के सम्मिलन का प्रश्न है यह विचार करना मूर्खता है कि काश्मीर अभी भी किसी और विकल्प पर विचार कर रहा है। स्वतंत्र रहने का विचार न केवल खयाली तथा कागजी है वरन यह पूर्णतया निरर्थक है।"

१९ मई १९४९ को शेख अब्दुल्ला ने स्पष्टतया कहा:

"काश्मीर सदा भारत के साथ रहेगा। चाहे इसके लिये कुछ भी कीमत क्यों न देनी पड़े।"

शेख अब्दुल्ला ने नेशनल काँफ्रैंस के वार्षिक सम्मेलन, श्रीनगर, में २४ सितम्बर १९४९ को कहा:

"चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न हों परन्तु काश्मीर ने भारत के साथ रहने का निर्णय कर लिया है। महात्मा गाँधी का बलिदान व्यर्थ नहीं जायगा। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा कि काश्मीर अन्धकारमय संसार में रोशनी के मीनार की तरह उजाला करता रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर काश्मीर के ४० लाख, स्त्री, पुरुष, तथा शिशु भारत से अपने नाते को स्थापित रखने के लिये अपने रक्त की अन्तिम बूंद तक बहायेंगे।"

राष्ट्रीय संमेलन

नेशनल कांफ्रैंस की कार्यकारिणी समिति ने ११ अक्टूबर १९४८, को १८,०७,८०० शब्दों का एक प्रस्ताव एकमत से पास किया जिसमें काश्मीर के भारत के साथ स्थायी सम्मिलन की घोषणा की गई।

१२ अक्टूबर १९४८ को सारे जम्मू तथा काश्मीर जनता के प्रतिनिधियों की एक सभा हुई जिसमें प्रत्येक इलाके से प्रतिनिधि भेजे गये। मीरपुर तथा पुंछ से भी प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए। इन २५० प्रतिनिधियों ने नेशनल काँफ्रैंस की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव पर विचार किया। इसे सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार इन्होंने काश्मीर के भारत के साथ किये गये नाते को और भी दृढ़ कर दिया। इस प्रस्ताव को रियासत की हर एक सभा तथा उनके पथप्रदर्शकों ने स्वीकार किया।

बौद्धों की राय :

लेह तथा करगल, लद्दाख, के तीन प्रतिनिधियों के एक मंडल ने ३ मई १९४९ को भारत सरकार के सामने एक मैमोरेंडम पेश किया

जिसमें कहा गया कि भारत में सम्मिलित होना हमारी मुक्ति का ठीक मार्ग है। अन्त में हर प्रकार से हम तिब्बत से मिलाप करेंगे।

२० मई १९४९ को लद्दाख के एकदूसरे मंडल ने भारत के प्रधान मंत्री पं० नेहरू से भेंट की और एक मैमोरेंडम पेश किया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि काश्मीर की प्रादेशिक एकता बनी रहे तथा वह भारत राज्य का अंग बन जाय।

सामान्य समिति

नेशनल कॉंफ्रैंस ने २५ सितम्बर १९४९ को अपने एक प्रस्ताव में कहा:

"हम धोषणा करते हैं कि हम सारी शक्ति से पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान ने जब हमपर निर्दयी आक्रमण किया तो भारत ने हमारी पुकार सुनी तथा हमारी सहायता की। भारत में सम्मिलन की प्रार्थना को भारत ने इस शर्त पर स्वीकार किया कि काश्मीर के लोगों को ही इसका अन्तिम निर्णय करना होगा। भारत ने हमारे हक का आदर किया।"

९४७ जनमत

यद्यपि काश्मीरियों ने अपने विचार १२ अक्टूवर १९४८ की सभा में प्रकट कर दिये थे और अपनी इच्छा से काश्मीर के भविष्य को सदा के लिये भारत के साथ जोड़ दिया। फिर भी भारत ने इस प्रश्न को जनमत से ही हल करना स्वीकार किया। इसी प्रतिज्ञा तथा वचन को सामने रखते हुयें भारत ने संयुक्त-राष्ट्र के काश्मीर कमीशन के १३ अगस्त, १९४८ तथा ५ जनवरी १९४९ के प्रस्तावों को बिना किसी दुविधा के मान लिया।

काश्मीर कमीशन ने काश्मीर जनमत कराने के लिये अपने प्रस्ताव भारत तथा पाकिस्तानके सामने रखे। इनको दोनों सरकारों ने कमीशन की कुछ व्याख्या तथा निरूपण, के पश्चात स्वीकार कर लिया। इसके कुछ दिनों के पश्चात ही भारत तथा पाकिस्तान ने प्रस्ताव की कई धाराओं पर

जो कमीशन और उनके प्रतिनिधियों ने मान लीं थी विभिन्न तथा परस्पर विरोधी व्याख्यायें उपस्थित की।

यह तो स्पष्ट है कि १३ अगस्त १९४८ के प्रस्ताव के भाग १ और भाग २ पर पूरे प्रकार से कार्य होने के पश्चात ही इसके भाग ३ अर्थात् जनमत को व्यवहार में लाया जा सकेगा। जनमत से पूर्व सारे शरणार्थियों को जिनमें हिन्दु, मुसलमान तथा सिख सम्मिलित हैं फिर से बसाया जायगा। शरणार्थियों की संपूर्ण संख्या ६ लाख से अधिक बताई जाती है। यह लोग बेबसी की दशा में काश्मीर भारत तथा पाकिस्तान के भिन्न२स्थानों में बिखरे पड़े हैं। इनको फिर से बसाना कोई सुगम कार्य नहीं। शेख अब्दुल्ला ने ९ जनवरी १९४९ को बनारस में इस बात की ओर संकेत करते हुए कहा:

"५ लाख काश्मीरी जिनको रियासत छोड़ने पर विवश किया गया और जिनको भारत तथा पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों में शरण लेनी पड़ी, उनको फिर से बसाने के पश्चात ही जनमत होगा। ताकि वह बिना किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के अपना मत दे सके। ...चुनाव सम्बन्धी नामावली तैयार करना स्वयं एक बड़ा भारी काम है। इसके अतिरिक्त उजड़े हुये इलाकों में फिर से शान्ति स्थापित करना जनमत कराने से पूर्व एक शर्त है।"

२२ फरवरी १९४९ को इन्होंने अलीगढ़ में स्पष्ट किया:

"इस समय तक जनमत संग्रह असंभव है जब तक उसे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होने के लिए अनुकूल वातावरण न बनाया जाय। लगभग ६ से ७ लाख निवासियों को जो गत १५ मासों में काश्मीर से भाग गये हैं वापस लाकर फिर से बसाना होगा।"

९४७१ कठिनाइयाँ

इस बहुत बड़ी शर्त के अतिरिक्त स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जनमत के पथ में कई और कठिनाइयाँ हैं जिनको पार करना आसान नहीं। यह शर्त है कि उजड़े

हुये लोगों को फिर से बसाया जाय उचित ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। इसके साथ ही साथ १५ अगस्त १९४७ के पश्चात आये हुये लोगों को जो रियासत के निवासी नहीं है निकाला जायगा, परन्तु क्या ऐसा किया जायगा? क्या पाकिस्तान आश्रित इलाकों में जहाँ से अल्प संख्या वाले लोग जान बचा कर भाग आये हैं ऐसा होना संभव है? क्या यह अल्प संख्या वाले लोग मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, पुंछ, भाग तथा भिम्बर के इलाकों में रह सकेंगे? क्या वह स्त्रियाँ तथा युवतियाँ जो भगा ली गई हैं और जो इस समय पाकिस्तानी कैम्पों, कबाइली इलाकों, पश्चिमी पंजाब, तथा सीमाप्रान्त में है, वापस आ सकेंगी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही हो सकता है 'नहीं' कदापि नहीं। पाकिस्तान और ही चाल चल रहा है और उसका ढंग कुछ और ही है। वह कबाइली लुटेरों को पाकिस्तानी निवासियों का अधिकार देकर खुले तौर पर भर्ती कर रहा है और उनको आजाद काश्मीर सेना में निरन्तर दर्जा दे रहा है। इस प्रकार से पाकिस्तान वर्तमान स्थिति को और भी जटिल बना रहा है।

कमीशन के प्रस्ताव में यह कहा गया है कि रियासत में बोलने तथा लिखने की स्वतंत्रता तथा प्रचार करने का अधिकार होगा। यह बात उचित है, परन्तु क्या यह, स्वतंत्रता, कार्य में बाधक न बनेगी? यद्यपि कमीशन ने यह मान लिया है कि धार्मिक तथा अन्य अनुचित प्रचार करने का अधिकार न होगा क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। परन्तु क्या पाकिस्तान इस पर नियमबद्ध रहेगा और क्या वह अपने राष्ट्र सिद्धान्त का प्रचार न करेगा? क्या काश्मीरी मुसलमानों को 'इस्लाम खतरे में' का नारा देकर भड़काया नहीं जायगा और क्या इस प्रकार मुस्लिम लीगी द्वेष तथा जातीय फूट का फैलाव नहीं होगा? पाकिस्तान ऐसा करने में कभी नहीं चूकेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अधिकारी अर्थात प्रधानमंत्री श्रीयुत लियाकतअलीखां ने भी मीरपुर का दौरा करने के पश्चात काश्मीरी मुसलमानों को यह उपदेश दिया कि उन्हें 'कुरान और काफिर' में भेद करना है। अतः इस प्रकार की 'स्वतंत्रता' शान्ति स्थापित करने के स्थान पर अशान्ति तथा संकट का कारण बनेगी।

रियासत में रहने वाले लोगों को रियासत से निकालने की बात भी उचित है। परन्तु उनको निकाला कैसे जायगा ? रियासत में प्रवेश तथा निकलने पर रियासती सरकार का नियंत्रण होगा। किन्तु क्या पाकिस्तान अधिकृत इलाके में ऐसा किया जायगा जबकि वहाँ पाकिस्तान के कहने के मुताबिक रियासत की सरकार का कोई अधिकार न होगा ? रियासती तथा गैर रियासती निवासियों में भेद कैसे होगा और क्या भारत इस बात को मान लेगा ?

चुनाव सम्बन्धी नामावली को तैयार करना एक बड़ा भारी काम है। इसके तैयार करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आयेंगी तथा इसमें समय भी बहुत लगेगा। इसके अतिरिक्त जनगणना की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्या इसमें काश्मीरियों तथा गैर काश्मीरियों में भेद हो सकेगा ? विशेषतः पाकिस्तान अधिकृत इलाके में वोट देने वालों का नाम लिखने के समय सच्चे तथा झूठे वोटरों में भेद कैसे होगा ? क्या ऐसी दशा में जाली वोट नहीं डाले जायेंगे ?

यह प्रकट है कि भारत सरकार याददाश्त में बतायी गई शर्तों से हटने के लिये तैयार नहीं। उसको बताया गया है कि नाममात्र 'आजाद काश्मीर' सरकार तोड़ दी जायगी, 'आजाद फौज' निशस्त्र तथा तोड़ दी जायेगी और रियासत पर जम्मू तथा काश्मीर का प्रभुत्व होगा। परन्तु क्या पाकिस्तान इन सब बातों को मान लेगा ?

यह सब बातें जनमत सम्बन्धी व्योरे की बातों की पूर्ति होने पर सामने आ जायेंगी। उस समय उन कठिनाइयों का भी पूर्ण ज्ञान होगा जो जनमत कराने में सामने आयेंगी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आया जनमत सारी रियासत को एक इकाई मान कर लिया जायगा या प्रादेशिक आधार पर।

अभी तक यह ज्ञात न हो सका कि स्थानीय अधिकारियों का अर्थ क्या है। पाकिस्तान ने जैसा कहा है। इसका अर्थ नाममात्र 'आजाद काश्मीर' सरकार है जिसका इस इलाके पर आधिपत्य है ? भारत का विचार है इस बारे में पाकिस्तान की व्याख्या भारत की व्याख्या से भिन्न है।

कमीशन ने स्वयं भी जनमत की कठिनाइयों को अनुभव करने से पहले ही यह कहा कि वह जनमत कराने के और भी उपाय ढूंढ़ निकालेगा। हाल ही में यू० एन० ओ० के प्रतिनिधि सर ओवन डिक्सन ने भी लोकमत की कठिनाइयों को भांप कर तजवीजें भी भारत और पाकिस्तान की सरकारों को पेश की थीं।

कमीशन ने यह निर्णय किया था कि पाकिस्तान अपनी सेना काश्मीर से हटा ले। परन्तु कबाइलियों तथा अन्य पाकिस्तानी नागरिकों को रियासत की सीमा से निकालने की समस्या निराली है। पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि काश्मीर में सारी सेना कबाइली तथा अन्य, पाकिस्तान के हाई कमाँड के आधीन है। ऐसी दशा में 'प्रयत्न' का वाक्य खंड क्या अर्थ रखता है।

हाल में ही पाकिस्तान के कई प्रतिष्ठित अधिकारियों ने काश्मीर के छोड़े हुए इलाके का दौरा किया। उन्होंने फिर से घृणा तथा धार्मिक भावों को उत्तेजित करने योग्य व्याख्यान दिये। ऐसी दशा में क्या यह आशा की जा सकती है कि कमीशन का यह विश्वास कि 'मजहबी तथा अन्य अनुचित प्रचार का अधिकार न होगा' कभी कार्यरूप में परिणत हो सकता है ?

पाकिस्तान अधिकृत इलाके में लगभग डेढ लाख हिन्दु तथा सिख रहते थे। इनमें से एक बड़ी भारी संख्या पाकिस्तानी तलवार तथा बन्दूकों की भेंट कर दिये गये और जो बच गये वह जान बचाने की खातिर सदैव के लिये भाग निकले। ऐसे लोगों को जो इन इलाकों में रहते थे उनको कैसे लाया जायगा तथा इनकी रक्षा का कौन जिम्मेवार होगा ?

अभी तक अस्थायी सन्धी प्रस्ताव की शर्तों की व्याख्या भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के बीच हो रही हैं। इसके बाद जब इन शर्तों पर पूर्णरूप से अमल होगा तब जनमत स्म्बन्धी व्यौरे की बातें भी मालूम हो सकेंगी। किन्तु यह स्पष्ट है कि काश्मीर के छोड़े हुए इलाके के प्रबन्ध के बारे में भारत तथा पाकिस्तान की व्याख्याएं भिन्न भिन्न हैं। इसके बारे में अस्थायी सन्धि के ब्यौरे के बारे में डैडलाक पैदा हो गया है। भारत 'याददाश्त पत्र' में वर्णन की गई शर्तों

से किंचित भी हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इन शर्तों को स्वीकार करेगा तब भी अस्थायी सन्धि पर हस्ताक्षर हो सकेंगे। तब जनमत के बारे में बातचीत शुरू हो सकेगी। नहीं तो जनमत का प्रश्न खटाई में पड़ जायगा। इस पर निर्णय होने के पश्चात ही जनमत होने की संभावना है। यह समस्या दिन प्रति दिन अधिक पेचीदा बन रही है और ऐसा लगता है कि यह कभी भी हल न हो सकेगी। भारत सरकार काश्मीर के छोड़े हुए इलाके में काश्मीर सरकार के सिवा किसी का आधिपत्य मानने को तैयार नहीं। परन्तु पाकिस्तान इस पर रजामन्द नहीं है। अतः जनमत का प्रश्न खटाई में पड़ गया है।

संयुक्त-राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि सर डिक्सन ने जनमत संग्रह की कठिनाइयों को भांप लिया था। २० जुलाई ५० को नई दिल्ली में जो सम्मिलित सम्मेलन हुआ था उससे उन्होंने समझ लिया था कि जनमत संग्रह होना असंभव है। दोनों प्रधानमंत्री भी इससे सहमत थे। फलतः डिक्सन ने विभाजन योजना पेश की थी।

१४८ वर्तमान स्थिति

अतः काश्मीर तथा जम्मू की वर्तमान स्थिति अनिश्चित है। रियासत के दो भाग हो चुके हैं। काश्मीर से गिलगित, मुजफ्फराबाद का $\frac{1}{2}$ भाग, मीरपुर का $\frac{1}{2}$ भाग तथा पुंछ का कुछ इलाका छिन गया है। जहां पाकिस्तान का निरन्तर आधिपत्य है। रियासत का कुल क्षेत्र फल ८४,४७१ वर्ग मील है। जिसमें से ३०,००० वर्ग मील का इलाका पाकिस्तान के पास है।

रियासत की जनसंख्या लगभग ४० लाख है जो अधिकतर गांवों में रहती है। नगरों में रहने वाले लोग लगभग ३ लाख हैं। अन्य सब लोग ९,००० गांवों में बसते हैं। जो एक दूसरे से कई मील दूर हैं। युवा पुरुषों की संख्या २४ लाख के लगभग है।

काश्मीर के छोड़े हुए इलाके में रहने वालों की संख्या ११,५०,००० है जिसमें १,५०,००० हिन्दू तथा सिख हैं। इन गैर-मुस्लिमों में से कुछ हजार लोग बाकी हैं अन्य या तो पाकिस्तानी लुटेरों द्वारा मारे गये हैं या जान बचा कर भाग निकले हैं।

१९४९ विभाजन का विरोध

इस दशा में भी भारत, पाकिस्तान तथा काश्मीर की सरकार काश्मीर के बटवारे का विरोध कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेज काश्मीर का विभाजन करने का प्रयत्न कर रहा है। वह चाहता है कि काश्मीर की एकता में किसी प्रकार फूट पड़ जाय। जनमत कराने में बहुत कठिनाइयां हैं। परन्तु अगर भारत तथा पाकिस्तान सच्चे दिल से अपने कर्तव्य को निभाएं और काश्मीरियों के हक की रक्षा करें तो यह सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। कई लोगों का विचार है कि यह समस्या बटवारे से ही निपट सकती है और किसी तरह से नहीं। इसके बारे में समाचारपत्र 'स्टेट्समैन' के विशेष संवाददाता ने काश्मीर में मोर्चों तथा इलाकों का भ्रमण करके २ मार्च १९४९ को 'काश्मीर दोनों ओर से' के एक लेख में लिखा था :

"हल करने का एक उपाय जिसको स्पष्ट रूप में पसन्द किया जा रहा है यह है कि मीरपुर, पूंछ तथा मुजफ्फराबाद के जिले पाकिस्तान को मिले और जम्मू, काश्मीर घाटी, तथा लेह भारत को। गिलगित और बलतिस्तान में शायद सामान्य फौजी निगरानी स्थापित हो।

यह अनुभव किया गया है कि मीरपुर, पुंछ तथा मुजफ्फराबाद भारत के शरीर में स्थायी कांटे रहेंगे जिस प्रकार जम्मू तथा लेह पाकिस्तान के लिये होंगे।"

१५ मार्च १९४९ को इस समाचार पत्र ने अपने अग्रलेख में स्पष्ट किया :

"गतवर्ष भारत ने रियासत जम्मू तथा काश्मीर का विभाजन न करने पर जोर दिया था और आजकल पाकिस्तान ऐसा करता दिखाई देता है। हमने यह कभी छिपा कर नहीं रखा कि इस प्रकार की हठधर्मी को हम मूलरूप में काल्पनिक तथा अनावश्यक झगड़े का कारण समझते हैं।

हम चाहते हैं कि दोनों ओर से वास्तविक रूप में उदार दृष्टि तथा यथार्थता की काफी समझ हो। रियासत का पुंछ तथा गिलगित

का इलाका प्रसन्नता से पाकिस्तान को दिया जाय और जम्मू तथा लेह भारत को। तब हम विश्वास करते हैं कि यह समस्या इतनी सरल हो जायगी और इसी तरह श्रद्धा तथा विश्वास इतना बढ जायगा कि काश्मीर घाटी के लिये स्वीकृत जनमत के कठिन कार्य को पूरा करना और अनावश्यक समझा जायगा।"

२३ मार्च १९४९ के अग्रलेख में इस समाचार पत्र ने इसी बात को पुनः दोहराया।

'टाइम्स' लन्दन, ने मार्च १९४९ में एक अग्रलेख में लिखा :

"बहुत समय तक भारत या पाकिस्तान के लिये बहुत बड़ी कीमत पर खुले युद्ध का संभव खतरा मोल लिये बिना अपनी पूर्ण सफलता प्राप्त करना स्पष्टतया असंभव है। किसी हद तक देशके बटवारे को संभव मानना तथा इसके प्रारंभ में प्रबन्ध करने में संयुक्त-राष्ट्र के कमीशन को साफ तौर से पूर्ण स्वतंत्रता देना दोनों पक्षों के लिये उचित है।"

'न्यू स्टेटसमैन' के सम्पादक किंगस्ले मार्टन ने भी अपने समाचारपत्र के एक विशेष कालम में लिखा :

"नौ मास बीते जब मैंने काश्मीर की स्थिति का निरीक्षण किया। यह पहले से ही स्पष्ट था कि केवल बटवारा ही संभव हल हो सकता है। काश्मीर के पहाड़ी इलाके पुंछ तथा गिलगित के प्रदेश पाकिस्तान के यथार्थ भाग बन चुके हैं और जम्मू स्पष्टतया भारत का भाग है।

"मुझे सचमुच समझ में नहीं आता कि वर्तमान हदबन्दी के आधार पर जो दो फौजों ने पहले से ही वश में कर रखा है, पाकिस्तान के लिये बटवारे को मानने के अतिरिक्त कौन सा उपाय अच्छा हो सकता है।"

शेख अब्दुल्ला ने इस बटवारे की शरारत को समाप्त करने के लिये

बारबार अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने १४ जनवरी १९४९ को हजरतबल, श्रीनगर, में कहा :

"काश्मीर के लोग अपने देश का विभाजन नहीं होने देंगे। बटवारा तबाही का दूसरा नाम है और हम इस प्रिय विरासत को नष्ट नहीं होने देंगे।"

२५ जनवरी १९४९ को बम्बई की एक प्रेस कांफ्रेंस में इन्होंने फिर बताया :

"मुझे अन्तिम निर्णय के बारे में कोई सन्देह नहीं। ... हम बटवारे को स्वीकार नहीं करेंगे। यहां तक नाममात्र 'आजाद काश्मीर' के लोग भी बटवारे के विरुद्ध हैं।"

काश्मीर के उपप्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने १५ जनवरी १९४८ को ही कहा था :

"हम किसी भी दशा में बटवारे की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे यह संयुक्त-राष्ट्र संघ, पाकिस्तान अथवा भारत सरकार की ओर से हो। काश्मीर के टुकड़े नहीं हो सकते। हमने बटवारे का बहुत कुछ फल देखा है। काश्मीर एक है और एक ही रहेगा।"

शेख अब्दुल्ला ने १७ मई १९४९ को नई दिल्ली में एक बार फिर कहा :

"काश्मीर की बटवारे की बातें बदमाशी से भरी हुई तथा तखरनाक हैं। ऐसा कहने वाले काश्मीर की गरदन पर छुरी चला रहे है।"

पंडित नेहरू ने २३ मई १९४९ को कहा :

"भारत सरकार की यह उत्कट इच्छा है कि रियासत जम्मू तथा काश्मीर की प्रादेशिक पूर्णता को अखंड रखा जाय और रियासत को भारतीय संघ में रखा जाय।"

९४९११ विभाजन की योजना

राष्ट्र-संघ के प्रतिनिधि सर ओवन डिक्सन को, जो १४ मार्च १९५० की योजनाको कार्यान्वित करने के लिए भारत आए थे, यह अधिकार दिया

था कि वे मामले को शीघ्र सुलझाने के लिए दूसरे प्रस्ताव उपस्थित करें। उन्होंने जनमत गणना की कठिनाइयों को समझते हुए और मामले की जटिलता को देखते हुए विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार उन्होंने वर्तमान सीमा निर्धारण को स्थायी करने और काश्मीर घाटी में जनमत की व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। भारत सरकार ने इसे पूरी तौर पर ठुकरा दिया, कारण वह नहीं चाहती कि काश्मीर की एकता को समाप्त कर दिया जाए और काश्मीरियों की राय को ठुकरा कर विभाजन से काम निकाला जाय। बटवारे की योजना से पाकिस्तान को हिन्दुस्तान जैसा पद मिल जाता है और पाकिस्तान के अत्याचारी आक्रमण का उल्लेख नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के द्वारा काश्मीर से छीने हुए प्रदेश में भी काश्मीर सरकार का अधिकार हो। किसी भी प्रकार पाकिस्तान को बराबर का हिस्सेदार न बनाया जाए।

झगड़े का शीघ्र अन्त करने के लिए भारत सरकार ने विभाजन के सिद्धान्त का विरोध तो न किया, परन्तु उस योजना को ठुकरा ही दिया जिसे सर ओवेन डिक्सन ने उपस्थित किया था, कारण उस योजना के द्वारा काश्मीर की न्यायपूर्ण सरकार को जनमत गणना के समय के लिए समाप्त करना था।

पाकिस्तान ने भी बटवारे की योजना के सिद्धान्त का समर्थन किया है। परन्तु डिक्सन की योजना पर ध्यान देने से अस्वीकार कर दिया है।

फलतः यह प्रकट होता है कि डिक्सन की असफलता के बाद सुरक्षा परिषद की कोशिश इस बात की होगी कि जनमत के स्थान पर विभाजन की योजना को भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों द्वारा मंजूर कराया जाय। जनमत गणना कराने की अब कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती। कारण इसकी कठिनाइयों और जटिलताओं को दोनों सरकारों ने तथा राष्ट्र-संघ के प्रतिनिधि ने मान लिया है।

९४९२ अन्य उपाय

भारत तथा काश्मीर कमीशन ने इन सारी कठिनाइयों को पहले से

ही भांप लिया था। और इसीलिये भारत सरकार ने कमीशन से प्राथना की थी कि जनमत का पता लगाने के लिय 'अन्य उपाय' खोज लिये जांय जिसको कमीशन ने मान भी लिया। यह बात स्पष्ट है कि बटवारे की बात पूर्णतया निराधार और व्यर्थ है। साथही हर एक इसका विरोध करते हुए कह रहा है कि काश्मीर का निर्णय एक ही समय और एक साथ पठानकोट से लेकर लेह तक होगा। इन बातों तथा जनमत का पता लगाने की कठिनाइयों को सामने रखते हुए यह संभव हो सकता है कि जनता की राय जानने के लिए अन्य उपाय ढूढने का प्रयत्न किया जायगा। इस बारे में पंडित नेहरू की राय पर ध्यान देना चाहिये जिसमें उन्होंने यह कहा था कि एक विधान परिषद स्थापित की जाय जो काश्मीर का भारत या पाकिस्तान के साथ सम्मिलन के बारे में निश्चय करे। काश्मीर के उपप्रधान बख्शी गुलाम मुहम्मद ने भी १६ नवम्बर १९४७ को एक ऐसा ही सुझाव रखा था।

> "जनमत कराने का अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। संयुक्त-राष्ट्र के काश्मीर कमीशन ने इसे काश्मीरी जनता के मत को मालूम करने का एक साधन समझ रखा है। उसने यह शर्त मान ली है कि अगर यह सम्भव न हो तो अन्य साधन काम में लाये जायँगे।"

संविधान सभा : अन्तिम निर्णायक

काश्मीर की राष्ट्रीय संस्था जम्मू व कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस की जनरल कोन्सिल ने २८ अक्टूबर १९५० को श्रीनगर में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कश्मीर का सवाल हल करने में सफल न होने पर सँयुक्त-राष्ट्र संघ के प्रति रोष प्रकट किया गया और कश्मीर का भाग्य निर्णय करने के लिए बालिग मताधिकार द्वारा चुनी हुई संविधान परिषद बुलाने का फैसला किया गया।

पं० नेहरू ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि संविधान परिषद का चुनाव करने से ही जनमत का पता लगेगा।

१९४९ लड़ाई रोको का उल्लंघन

पाकिस्तान जनमत कराने पर घबराहट अनुभव कर रहा है और ऐसे हालात उत्पन्न कर रहा है जिससे जनमत हो ही न सके। इसी घबराहट के कारण इसने काश्मीर पर आक्रमण किया और जनता की स्वतंत्रता तथा राय को रौंदना चाहा। अब भी जब कि मार काट बन्द हो गई है पाकिस्तान 'लड़ाई रोको' का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है।

जम्मू प्रान्त में :—

१ जनवरी १९४९ से लेकर १६ अप्रेल १९४९ तक पाकिस्तान ने केवल जम्मू प्रान्त में 'लड़ाइ रोको' सीमा का ८० बार उल्लंघन किया जिस पर भारत नें संयुक्त-राष्ट्र के फौजी निरीक्षकों का ध्यान दिलाया।

१९ अप्रेल १९४९ को रियासती सीमा के अन्दर सांबा के पूर्व में, एक वायुयान जिसकी पहचान न हो सकी, उड़ता हुआ दिखाई दिया। यह वायुयान पश्चात में रामनगर की ओर उडान करता रहा। इससे पहले भी एक और वायुयान उड़ान करता दिखाई दिया। इसी दिन सांबा से १० मील दूर रामगढ़ गांवों पर पाकिस्तानी लुटरों ने आक्रमण किया तथा लूट मार करके भाग गये। पाकिस्तानी नागरिकों का एक समुदाय सांबा तथा सुचेतगढ़ जम्मू के इलाके से रियासती सीमा के अन्दर प्रविष्ट हुआ और पशु सम्पत्ति आदि चुरा कर ले गया।

नौशहरा से १० मील दक्षिण की ओर सआदाबाद की घाटी में भारतीय सेना के अधिकार में खाली रखे हुए इलाके में पाकिस्तानी सिपाहियों ने अपने मोर्चे आगे बढ़ा दिये।

पुंछ के इलाके में पाकिस्तानी सेना ने दो महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया।

राजोरी, मेंडर तथा पुंछ के पश्चिम की ओर से 'आजाद काश्मीर' के शहरी बड़ी संख्या में भारतीय इलाके की ओर घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन नागरिकों के आक्रमण से पाकिस्तानी हमला शुरू होता है।

काश्मीर प्रान्त में :

काश्मीर के इलाके में पाकिस्तान ने 'लड़ाई रोको' सीमा का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने ऊड़ी, गुरेज तथा टीठवाल के इलाकोंमें कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया है। यह स्थान 'लड़ाई रोको' के समय भारतीय सिपाहियों के कब्जे में थे और जिनको उन्होंने बरफवारी के कारण खाली किया था। इनमेंसे कई इलाके ऐसे भी हैं जिनको किसी के अधिकार में न रखने का निर्णय किया गया था।

ऊड़ी के इलाके में पाकिस्तानी सेना ने दो महत्वपूर्ण पहाड़ी चौकियों पर कब्जा कर लिया। इनमें से पीरकन्ठी की चोटी पर भारतीय सिपाहियों ने बड़ी मार धाड़ के बाद कब्जा किया था। और इस पर पाकिस्तानी सिपाहियों का कब्जा करना लड़ाई रोको का खुल्लमखुल्ला विरोध करना है।

दर्रा बुर्जल पर भी पाकिस्तानी सिपाहियों ने कब्जा कर लिया है। इस दर्रा पर भारतीय सिपाहियों का कब्जा था। इसको इन्होंने जाड़े में बरफ-बारी के कारण खाली किया था।

८ अप्रैल, १९४९ को पाकिस्तानी सिपाहियों ने टीठवाल से आठ मील दक्षिण पश्चिम की ओर चार स्थानों पर कब्जा कर लिया। इस इलाके में खाइयां खोद कर किलाबन्दी का काम बड़े पैमाने पर जारी है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सरहदी आक्रमण देखने में आये हैं। अतः पाकिस्तानी सिपा-हियों ने दो गावों सैरी तथा कोपरा पर भी कब्जा कर लिया है।

१२ अप्रैल १९४९ को पाकिस्तानी सिपाहियों की काफी सरगर्मियां टीठ-वाल के इलाके में होती रही। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी सेना बड़ी संख्या में प्रत्येक इलाके में रखी गई है। लड़ाई रोको की शर्तों के आधार पर अब वह समय आ गया था जब कि पाकिस्तान को अपनी सेना रियासत की सीमा से बाहर निकालनी आवश्यक थी, परन्तु इसके अतिरिक्त वह अपनी सेना बढ़ा रहा है।

पाकिस्तानी सेना ने जनवरी १९४९ से मई १९४९ तक टीठवाल के उत्तर में करनाह तहसील में ३० गावों पर कब्जा कर लिया है। जाड़े के

दिनों पाकिस्तानी सिपाही इन इलाकों में घुस आये और यहां बाहर के लोगों की एक बड़ी संख्या को बसा गये।

कमेटियों की स्थापना--काश्मीर सरकार ने सीमा के आस पास गांवों के लोगों में अपने बचाव के लिये शस्त्र इत्यादि बांट दिये हैं तथा बचाव कमेटियां स्थापित की हैं। ऐसा करने से लोग आसानी से पाकिस्तानी लुटेरों का मुकाबला कर सकते हैं। ३० सितम्बर १९४९ की रात को पाकिस्तानियों ने सीमा के पास चार गांवों पर आक्रमण किया। लुटेरों का विचार था कि लोग भय के कारण भाग निकलेगें और उन्हें लूटमार करने का अवसर प्राप्त होगा। परन्तु गावों वालों ने जवाबी हमला करके लुटेरों को मार भगाया।

काश्मीर के उपप्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने १६ मई १९४९ को भारत सरकार को एक सूची पेश की जिसमें यह दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने 'लड़ाई रोको' का उल्लंघन २०० से अधिक बार किया है। भारत सरकार ने काश्मीर कमीशन को इसके सम्बन्ध में पाकिस्तान के इस ढंग ने 'लड़ाई रोको' की धज्जियां उडा दी हैं तथा यह कठिनाइयों को बढा कर समझौते को और भी असम्भव बना रहा है।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तानियों ने संयुक्त-राष्ट्र के एक फौजी प्रेक्षक को भी पीटा है। एक और फौजी प्रेक्षक कप्तान जैक हंस फोर्ड को जबकि वह मनावर और छम्ब के इलाके में १५ मार्च १९४९ को निरीक्षण करने गया था पाकिस्तानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और २२ घंटों के बाद छोड़ दिया।

पाकिस्तान के कब्जे में जो इलाके हैं वहाँ से यह समाचार आ रहे हैं कि वहाँ पर कबाइली लुटेरों को पाकिस्तानी शहरी मान लिया गया है और उन्हें 'आजाद काश्मीर' सरकार नेशनल मिलिशिया में बड़ी संख्या में भर्ती कर रही है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान 'अस्थायी सन्धि प्रस्ताव' तथा जनमत के कामों में विघ्न डाल कर काश्मीरियों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का यत्न कर रहा है।

१४९४ नाव किधर को ?

दो किनारे

जैसा कि सबको मालूम है कि इस समय काश्मीर की नाव भंवर में है और इसको इससे निकालने के लिये काश्मीरियों को एक होकर काम करना है। उनके प्रिय नेता शेख अब्दुल्ला ने १७ मार्च १९४८ को प्रधान का पद संभालते समय जम्मू में कहा :

"हमारी नाव भंवर में है। जब कि आप सब बैठे हो तो मैं इसको अकेला नहीं बचा सकता। हम सबको इसके लिये एक होकर प्रयत्न करना चाहिये।

काश्मीरियों को यह स्पष्ट तौर से समझ लेना होगा कि भंवर से निकालने के पश्चात नाव मँझधार में सदा के लिये नहीं रह सकती। इसके दो किनारे भारत और पाकिस्तान हैं। भारत स्वतंत्रता, प्रेम, सत्य, सदाचार, वैभव तथा सच्ची सहानुभूति का किनारा है और पाकिस्तान पराधीनता, साम्प्रदायिकता, झूठ, द्वेष तथा विरोध का किनारा है। काश्मीर की नाव को जिसमें ४० लाख काश्मीरी बैठे हुये हैं, एक किनारे से अवश्यमेव लगाना है। यह दो किनारे विभिन्न ही नहीं परन्तु विरोधी भी हैं। फिर भी काश्मीरियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह जिस किनारे से चाहें अपनी नाव लगा सकते हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने तथा इनके नेताओं ने अपना भाग्य भारत के साथ बांधने का निर्णय किया है। क्योंकि भारत और काश्मीर का आदर्श एक है, और दोनों का विश्वास पथ एक है ।

नवीन काश्मीर

काश्मीर का भाग्य 'नवीन काश्मीर' है जो ४० लाख काश्मीरियों का ध्येय और काश्मीर का राजनैतिक और आर्थिक लक्ष्य है अतः यह काश्मीरियों की बाइबिल है और इसको कार्य में परिणत करने से काश्मीर की आर्थिक, समाजी, शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की उन्नति हो सकती है। काश्मीर में जो मजदूर राज्य स्थापित हो सकता है और काश्मीर

वास्तविक तौर पर कश्मीरियों के आधिपत्य में आ सकता है। कश्मीरियों को चाहिये कि वे यह देख लें कि उनका 'नवीन काश्मीर' किस देश में आने से से लागू हो सकता है। नया काश्मीर स्वतंत्र जनतंत्र के सिद्धान्त के कारण पाकिस्तान से फलफूल नहीं सकता और इस तरह से उसका भविष्य फिर से अन्धकारमय बन सकता है।

काश्मीरियों को अपने नेताओं के हाथोंको अपनी रायोंसे मजबूत करना है।

आर्थिक अवस्था

काश्मीर जैसा कि पहले लिखा गया है दरिद्रों का देश है। स्वर्ग में रहने वाले लोग इस आर्थिक दरिद्रता के कारण पिछड़े हुये हैं। काश्मीर की आर्थिक अवस्था आंसू बहाने के योग्य है। काश्मीरियों की मासिक औसत आमदनी एक रुपये से भी कम है। निरक्षरता का यह हाल है कि कठिनता से ७ प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु उनके लिये इकट्ठी कर रखी है परन्तु उनकी निरक्षरता ने उनको अत्यन्त दरिद्र तथा असहाय बना दिया है। काश्मीर की स्वतंत्रता का अर्थ आर्थिक स्वतंत्रता है। काश्मीरियों को यह देखना है कि किस देश में सम्मिलन से उनका देश तथा वह स्वयं उन्नति कर सकते हैं तथा समृद्धिशाली बन सकते हैं।

यह स्पष्ट है कि भारत एक समृद्धिशाली देश है इसके साधन विस्तृत हैं। भारत पाकिस्तान से अधिक समृद्धशाली है और इसकी आर्थिक अवस्था पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ही अच्छी है। काश्मीर एक पिछड़ा हुआ देश है और इसे अपनी दशा को सुधारना है। अतः इसके लिये भारत जैसा विस्तृत तथा सम्पन्न देश ही हितकर हो सकता है। क्योंकि भारत ही इसकी दरिद्रता को दूर कर सकता है। इसके विरुद्ध पाकिस्तान जिसने १९४७ में जन्म पाया आर्थिक तौर पर भारत के मुकाबले मेंबहुत कमजोर है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं कि वह काश्मीर की कुछ आर्थिक सहायता कर सके। पाकिस्तान को अपनी आर्थिक दुर्दशा संवारने में ही काफी

समय लगेगा। इसलिए पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी कश्मीर के लिए भी दुर्दशा तथा दुख का कारण बन सकती है। पाकिस्तान जब अपने आप को ही मजबूत नहीं बना सकता तो वह कैसे कश्मीर की मदद कर सकता है? हां कश्मीर के साधनों का अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान में सम्मिलन मुसीबत का कारण बन जायगा।

व्यापार

काश्मीर एक मनोरंजक स्थल है। हर वर्ष ग्रीष्म ऋतु में हजारों यात्री यहां के प्राकृतिक दृश्यों से आनन्दित होने के लिये आते हैं। इनमें अधिक हिन्दुस्तानी ही होते हैं। जिनसे काश्मीरियों को लाभ पहुंचता है। इसके अतिरिक्त काश्मीर का व्यापार पाकिस्तान की निसबत भारत के साथ अधिक है और यहीं से प्राय: चीजें काश्मीरमें आतीहैं। काश्मीर की चीजों की अधिक मांग भी भारत ही में है। अत: व्यापार के दृष्टिकोण से भी भारत के साथ सम्मिलन करना काश्मीर के लिये हितकर है।

सिद्धान्त

काश्मीरी एक जाति हैं। उनकी सभ्यता तथा संस्कृति, आचार विचार सब एक हैं। वे साम्प्रदायिकता के शत्रु और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति को आज तक अपनाते आये हैं। उनका आदर्श एकता रहा है। इन आदर्शों के होते हुये काश्मीर ने एक देश के सिद्धान्त को जाने न दिया और साम्प्रदायिकता का रियासत से जिनाजा निकाल कर एकता तथा संगठन का सबक दिया। वस्तुत: काश्मीर का युद्ध भी इसी सिद्धान्त का युद्ध है। यह युद्ध एक राष्ट्र जाति के सिद्धान्त के मानने वालों का या द्विराष्ट्र या दो जाति के सिद्धान्त के भक्तों के खिलाफ है। शेख अब्दुल्ला ने १७ अगस्त १९४८ को कहा :

> "काश्मीरी गांधीजी के झंडे को ऊंचा रखने के लिये दृढ़ निश्चय किये हुये हैं। और इस प्रकार 'दो राष्ट्र' के सिद्धान्त की कबर काश्मीर घाटी में खोद रहे हैं।"

भारत एक धर्म निरपेक्ष तथा प्रजातंत्र देश है। यह देशभक्ति को माने हुये है और यहां साम्प्रदायिकता के लिये कोई स्थान नहीं। इसी आदर्श को दृढ़ता से स्थापित करने के लिये भारत तथा संसार के सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी। काश्मीर और भारत अपने आदर्श तथा सिद्धान्त की समानता के कारण इकट्ठे रह सकते हैं। परन्तु पाकिस्तान में 'दो देश' के निराधार सिद्धान्त पर साम्प्रदायिक फूट, द्वेष तथा तानाशाही है और एकता तथा राष्ट्रीयता का नाम तक नहीं है। काश्मीरियों को सीमाप्रान्त की घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिये। बादशाह खान जो पठानों के माने हुये नेता हें अ.र जो 'एक देश' के सिद्धान्तको मानते हुये देश का पथ प्रदर्शन कर रहे थे, तथा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे थे और जेलों की कोठरियों में नाना प्रकार के कष्ट सहते थे, आज पाकिस्तान के बनने से फिर जेल की कोठरियों में बन्द कर दिये गये हैं। उनके अनुयायी भी उनके साथ बन्द पड़े हैं। पाकिस्तान में 'स्वतंत्रता' का यही अर्थ है।

स्वतंत्रता के लिये युद्ध

काश्मीर ने गत १७ वर्ष स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और महाराज की तानाशाही को समाप्त करने के लिये इन्होंने कई आन्दोलन चलाये। इसके नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता को पाने के लिये नाना प्रकार के कष्ट सहे और अनगिनत क़ुरबानियां कीं। स्वतंत्रता की इस तड़प में उनकी खुल्लमखुल्ला सहायता कांग्रेस के नेताओं ने हर समय तथा प्रत्येक संघर्ष में उनकी सहायता की और इसको सफल बनाने के लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी। चुनांचे तानाशाह महाराज से काश्मीरियों ने जो ताकत छीनी उसमें कांग्रेस की हार्दिक सहायता थी इसके विपरीत मुस्लिम लीग ने काश्मीर के स्वतन्त्रता युद्ध में काश्मीरियों से कभी सहानुभूति तक न दिखाई। सहायता करना तो दूर ही रहा इसने काश्मीरियों की आज़ादी और गुलामीकी जंगमें काश्मीरियोंका स्पष्टरूपसे विरोध किया। १९४६ के 'काश्मीर छोड़ दो' आन्दोलन के समय भी उन्होंने ऐसी ही बातें कहीं। यहाँ तक कि उन्होंने काश्मीर के प्रतिष्ठित नेताओं को गुंडों का नाम

दिया। जबकि कांग्रेस ने इस आन्दोलन की सहायता खुल्लमखुल्ला की और कई माननीय कांग्रेसी नेता, जैसे गांधीजी और पंडित नेहरू, स्वयं लोगों की ढाढस बंधाने के लिये काश्मीर आये। मुस्लिम लीग ने दिल खोल कर विरोध किया और उनके नेता जिन्ना साहब ने यहां तक कहा कि काश्मीर में कोई तहरीक ही न थी बल्कि यह 'उपद्रवकारियों की एक टोली' की बगावत थी जिसके साथ मुसलमानों का कोई सम्बन्ध न था। अतः लीग का बर्ताव सदा विरोधी तथा सहानुभूति शून्य रहा है।

पाकिस्तान की करतूत

१५ अगस्त १९४७ के पश्चात पाकिस्तान के बनने से काश्मीर को और भी कष्ट सहने पड़े। पाकिस्तान ने काश्मीरियों की आज़ादी की परवाह न करते हुये महाराजा के साथ गठजोड़ करके 'जूं तूं सन्धि' स्वीकार कर ली। इसने फिर छल से इसको अपने अधिकार में करने की इच्छा से रियासत की नाकाबन्दी कर दी। इस प्रकार इसने काश्मीर का गला घोंटना तथा काश्मीरियों को तड़पाना चाहा।

इसके अतिरिक्त पंजाब में साम्प्रदायिक उपद्रवों ने भयानक रूप ग्रहण कर लिया था और मुस्लिम लीग ने काश्मीर में भी इस आग को फैलाने की ठानी। इस प्रकार से इसने काश्मीर को मनुष्यता से हटा कर पशुता की ओर ले जाना चाहा। पाकिस्तान काश्मीर को अपनी जंजीरों में जकड़ना चाहता था परन्तु काश्मीर ने एकता तथा संगठन को स्थिर रखते हुये लीग के मुंह पर चपत लगाई।

काश्मीर के सामने इस समय दो समस्यायें थीं—एक आजादी और दूसरा सम्मिलन। काश्मीरियों ने आवाज उठाई और 'सम्मिलन' से पहले 'आज़ादी' का नारा लगाया। इन्होंने स्पष्ट किया कि वह आज़ाद होकर ही ४० लाख जनता की इच्छा से सम्मिलिन का प्रश्न हल करेंगे। परन्तु पाकिस्तान को काश्मीरियोंकी आजादीकी आवश्यकता न थी, वरन काश्मीरकी गुलामी ही उसके लिये लाभदायक थी। अतः इसने आजादी के नारे को ठुकरा कर तथा ४० लाख लोगों के निर्णय की प्रतीक्षा न करते हुये रियासत को

तलवार के जोर से हड़प करना चाहा जिसके लिये इसने बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया।

प्रजातंत्र

इस शोचनीय अवसर पर काश्मीर ने भारत से सहायता के लिये प्रार्थना की। इस समय भी कांग्रेस काश्मीरियों को मृत्यु तथा गुलामी के पंजेसे बचाने के लिये दौड़ आई और उनके लिये अपना रक्त और अपना धन पेश करके रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसके साथ ही इसने महाराजा पर दबाव डाला कि वह लोकराज्य स्थापित करे। अतः काश्मीर में आज़ादी की झलक उत्पन्न हुई। काश्मीरी अपने भाग्य के स्वामी बन गये।

१७ अगस्त १९४७ को शेख अब्दुल्ला ने ईदगाह श्रीनगर में बोलते हुये कहा :

"हमारी आज़ादी की जंग में जब कि श्रीयुत जिन्ना और मुस्लिम लीग ने हमारी तहरीक को बगावत का नाम दिया, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने हमारी सहायता की।.....जब हमने भारत से सहायता के लिये प्रार्थना की थी तो वह हम पर मनमानी शर्तें ठोंक सकते थे। परन्तु यह भारत की जनतंत्र भावना ही की प्रशंसा है, कि उस समय भी उसने काश्मीर के सम्मिलन को अस्थाई माना।"

भारत ने काश्मीरियों से प्रतिज्ञा की तथा उनको बतला दिया कि वह सम्मिलन का अन्तिम निर्णय अपने देश की सम्मति लेकर करें। आज तक भारत इसी प्रतिज्ञा पर डटा हुआ है तथा इसी ने पाकिस्तान को भी इस अधिकार के मानने पर बाधित किया है।

पाकिस्तानी निर्दयता

पाकिस्तान के सहस्रों लुटेरों ने काश्मीर में तबाही, बरबादी, लूट खसोट, मार धाड़, शारीरिक कष्ट, तथा अन्य अकथनीय और निर्दयता के काम किये। पाकिस्तान की इन करतूतों ने काश्मीर की शान्ति भंग करके काश्मीरी जनता को मुसीबतों में डाल दिया। शेख अब्दुल्ला

तथा अन्य नेताओं ने पाकिस्तान की इस निर्दयता का नकशा बार बार खींचा है। इन्होंने ७ जनवरी १९४९ को नगरोटा कैम्प में कहा :

"हम १७ वर्ष से राजशाही और दरिद्रता को समाप्त करने के लिये संघर्ष कर रहे थे, कि कबाइलियों ने पाकिस्तान की सहायता से काश्मीर को तबाह करने की ठानी। उन्होंने हमारी बहनों और लड़कियों को ले जाकर आठ आठ आने में बेच दिया।"

भारतकी सहायता

परन्तु इस पाशविकता तथा क्रूरता का मुकाबला करने के लिये भारत ने अपने रक्त की आहुति दी और भारत के वीर सिपाहियों ने अपनी जान जोखिम में डाल कर काश्मीरियों को पाकिस्तान का शिकार होने से बचा लिया। इसके अतिरिक्त भारत ने काश्मीरियों के इस मुसीबत के समय तन, मन, धन से खुलेबन्दों सहायता की तथा खाने पीने की वस्तुयें भेजने पर करोड़ों रुपये खर्च किये, सैकड़ों मील सड़कें बनवायी, व्यापार को उन्नत किया और हर प्रकार से काश्मीरी जनता को लाभ पहुंचाया।

नेशनल कांफ्रेंस

काश्मीरियों की जनता की संस्था नेशनल कांफ्रेंस है और इसी संस्था ने काश्मीरियों का ठीक नेतृत्व किया है। कई बार आन्दोलन किये और तानाशाही महाराजा से अधिकार छीने और देश को आजाद किया। नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने नाना प्रकार के कष्ट झेले और काश्मीरियों में राजनैतिक जागृति उत्पन्न की। उनके प्रिय नेता शेख अब्दुल्ला ने जिनको इन्होंने 'शेर काश्मीर' की उपाधि दी उनकी हर समय तथा हर समस्या में नेतृत्व किया और यह इन्हीं के प्रयत्नों का फल है कि काश्मीर अब सम्मानित एवं स्वतंत्र देश हो गया है। पराधीनता भी दूर हो गई है। वे अपने भाग्य के स्वामी बन गये हैं अतः काश्मीरियों का कर्तव्य है कि वह इस संस्था के बताये हुये सिद्धान्त तथा आदर्श को सामने रखते हुये सम्मिलन का निर्णय करें। काश्मीरियों को यह देखना है कि उनका

नया काश्मीर किस देशके साथ सम्बन्धित होने में सफल हो सकता है।

हिन्दुस्तानी मुसलमानों की आशा

काश्मीर का निर्णय हिन्दुओं और मुसलमानों का निर्णय नहीं है। किन्तु काश्मीरियों को यह निर्णय अपने भलाई के लिये करना है। १५ अगस्त, १९४७ के पश्चात जब देश में विद्रोह होने की संभावना उत्पन्न हुई, हिन्दुओं तथा मुसलमानों में भयंकर द्वेष जाग उठा, और दोनों ने एक दूसरे को समाप्त करने की ठानी, इस समय भारत ने हिन्दुस्तानी मुसलमानों की अल्प संख्यकों के नाते रक्षा की। इस समय भी भारत में साढ़े चार करोड़ मुसलमान वास करते हैं। जिनको पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। वह पाकिस्तान जाने को राजी नहीं, परन्तु भारत में ही अपनी रक्षा तथा भलाई देखते हैं। अतः काश्मीरी मुसलमानों का भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। साम्प्रदायिक एकता तथा राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का भारत सरकार ने दृढता से पालन और रक्षा दिया। यहां तक कि साम्प्रदायिकता का अन्त करने के लिये ही राष्ट्र पिता गांधीजी ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया और अन्त में वह भारत में साम्प्रदायिक एकता तथा मुसलमानों के मान और जान को सुरक्षित रखने के लिये हम से सदा के लिये बिदा हो गये। बेगम शेख अब्दुल्ला ने २७ जनवरी १९४९ को जम्मू में कहा :

> "एकता सबसे पहला और आखिरी सिद्धान्त है जिसने हमारे शहीदों का नेतृत्व किया उनमें सबसे महान गांधीजी हैं।... काश्मीर एक वृक्ष है जिसको शहीदों ने रक्त से सींचा है और जो प्रत्येक की रक्षा कर रहा है।"

काश्मीर की समस्या काश्मीर के ३१ लाख मुसलमानों की समस्या नहीं वरन यह भारत के साढे चार करोड मुसलमानों का प्रश्न है। आज काश्मीरी मुसलमान भारत के करोड़ों मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे हैं। करोड़ों मुसलमानों की ही नहीं वरन सारे हिन्दुस्तानियों के आदर्श को कार्यरूप में परिणत कर रहे हैं तथा राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को अपना रहे हैं। वस्तुतः गांधी जी के पौधे को हरा रख कर प्रत्येक को प्रेम, सत्य तथा एकता का सबक

पढ़ाकर "दो कौम" के सिद्धान्त की कब्र खोद रहे हैं। काश्मीरियों को चाहिये कि वह दृढता के साथ भारत में राष्ट्रीयता की पताका को ऊंची रखें।"

बेगम शेख अब्दुल्ला ने २९ सितम्बर १९४८ को श्रीनगर रेडियो स्टेशन से कहा :

"भारत के साढ़े चार करोड़ मुसलमानों का भाग्य क्या है जो देश के बटवारे के पश्चात रह गये हैं? अगर उनका धर्म, संस्कृति, जान तथा माल सब सुरक्षित हैं तो काश्मीर के मुसलमानों को कैसे कोई भय हो सकता है?"

१४९५ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति

संसार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। और राजनैतिक प्रभुत्व की दौड़ बाकायदा जारी है। संसार दो भागों में बट चुका है। राजनैतिक शतरंजबाजी का खेल हो रहा है और १९३९ से पहले जैसे बादल मंडलाये दिखाई दे रहे हैं साम्यवाद का खतरा संसार में बढ़ रहा है। वह इस भय का कारण बन गया है। पश्चिमी यूरोप के देशों का संघ स्थापित हो गया है। १२ देशों ने हाल ही में एटलांटिक पैक्ट स्वीकार कर लिया है। पूर्वी यूरोप रूसी प्रभुत्व में आ चुका है। चीन में साम्यवाद की लाल पताका लहरा रही है। बर्मा में भी तथा केरन विद्रोहियों ने भी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके उसको मृत्यु के समीप पहुंचा दिया है। इन्डोनेशिया तथा हिन्द चीन के देशों में भी साम्यवाद तेजी से फैल रहा है। अतः एशिया में साम्यवाद का कदम आगे बढा आ रहा है और पिछड़े हुए एशिया में तबदीली हो रही है। इस समय भारत ही एक ऐसा देश है जो इस बाढ़ को रोक सकता है। काश्मीर की सीमाएं लाल चीन तथा रुस से मिली हुइ हैं। अगर काश्मीर की नाव अधिक समय तक भंवर में पड़ी रही तो संभव है कि काश्मीर में भी साम्यवादी सरगर्मियां तेज हो जायं। फिर काश्मीर न भारत के हाथ लगेगा न पाकिस्तान के। संयुक्त-राष्ट्रीय संघ भी देखता ही रहेगा और भारत की राजनैतिक स्थिति खतरे में पड़ जायेगी। अगर संसार चाहता है कि भारत को

कम्युनिज्म के लिए एक प्रकार का संघ मेल रखना है तो उसे चीन के द्वार की कुंजी भारत के हाथ अवश्य रखनी पड़ेगी। वह द्वार लेह है जो संसार में सबसे ऊंची बस्ती है । काश्मीर का खतरा भारत का खतरा है और काश्मीर की रक्षा भारत की रक्षा है।

१४९६ आगे क्या होगा ?

अतः काश्मीर एक ऐसे ज्वालामुखी पर्वत के किनारे खड़ा है जिसके फटने की संभावना किसी समय हो सकती है। काश्मीर जैसा उपजाऊ प्रदेश युद्ध का अखाड़ा बनने के पश्चात सत्ता की राजनीतिक दौड़ का केन्द्र बना हुआ है। यह काश्मीर का दुर्भाग्य है। काश्मीर की नांव भंवर में है। अभी उसके भाग्य की रक्षा का कोई निर्णय नहीं हुआ। यह सच है कि सरल, अपठित, शान्ति प्रिय तथा मजलूम काश्मीरियों को जीवन तथा मृत्यु, स्वतंत्रता तथा पराधीनता , एकता तथा फूट , प्रेम तथा द्वेष के बीच अपनी इच्छा से भाग्य बदलने या जोड़ने का अधिकार दिया गया है। परन्तु इसके होते हुए भी बटवारे की बातें हो रही हैं। बटवारा क्या है ? वस्तुतः बटवारा हो भी गया है। काश्मीर का $\frac{1}{3}$ भाग पाकिस्तान के अधिकार में है। पाकिस्तान तथा कथित 'आजाद काश्मीर' सरकार को तोड़ने के लिये तैयार नहीं है और न वह 'आजाद काश्मीर' सेना को ही निशस्त्र करने तथा तोड़ने पर राज़ी है। कहने को कमीशन ने भारत को यह विश्वास दिलाया था कि 'आज़ाद काश्मीर' सेना निःशस्त्र कर तोड़ दी जायगी और काश्मीर सरकार का प्रभुत्व पाकिस्तान के अधिकार किए हुये इलाके पर भी रहेगा। परन्तु पाकिस्तान इनमेंसे कोई भी बात करने के लिये तैयार नहीं।

इस परिस्थिति में जनमत-संग्रह की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। सर ओवन डिक्सन और दोनों प्रधान मंत्री भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं।

विभाजन ही एक ऐसा उपाय है जो इस प्रश्न को सुलझा सकता है। वह विभाजन वर्तमान युद्ध रोको पंक्ति पर ही हो सकता है, परन्तु अभी इस बारे में कुछ भी कहना असंभव है। भारत चाहता है कि आक्रामकों को निकाल

बाहर किया जाय और सारे काश्मीरपर इसकी सत्ता स्थापित हो और तब जनमत-संग्रह किया जाय। इसके विपरीत पाकिस्तान अधिकृत प्रदेश के अलावा सारे काश्मीर को हथियाने की चालें चल रहा है। वह जेहाद या युद्ध की धमकी भी दे रहा है। इसलिए निकट भविष्य में काश्मीर का प्रश्न सुलझाने की कोई संभावना नजर नहीं आती।

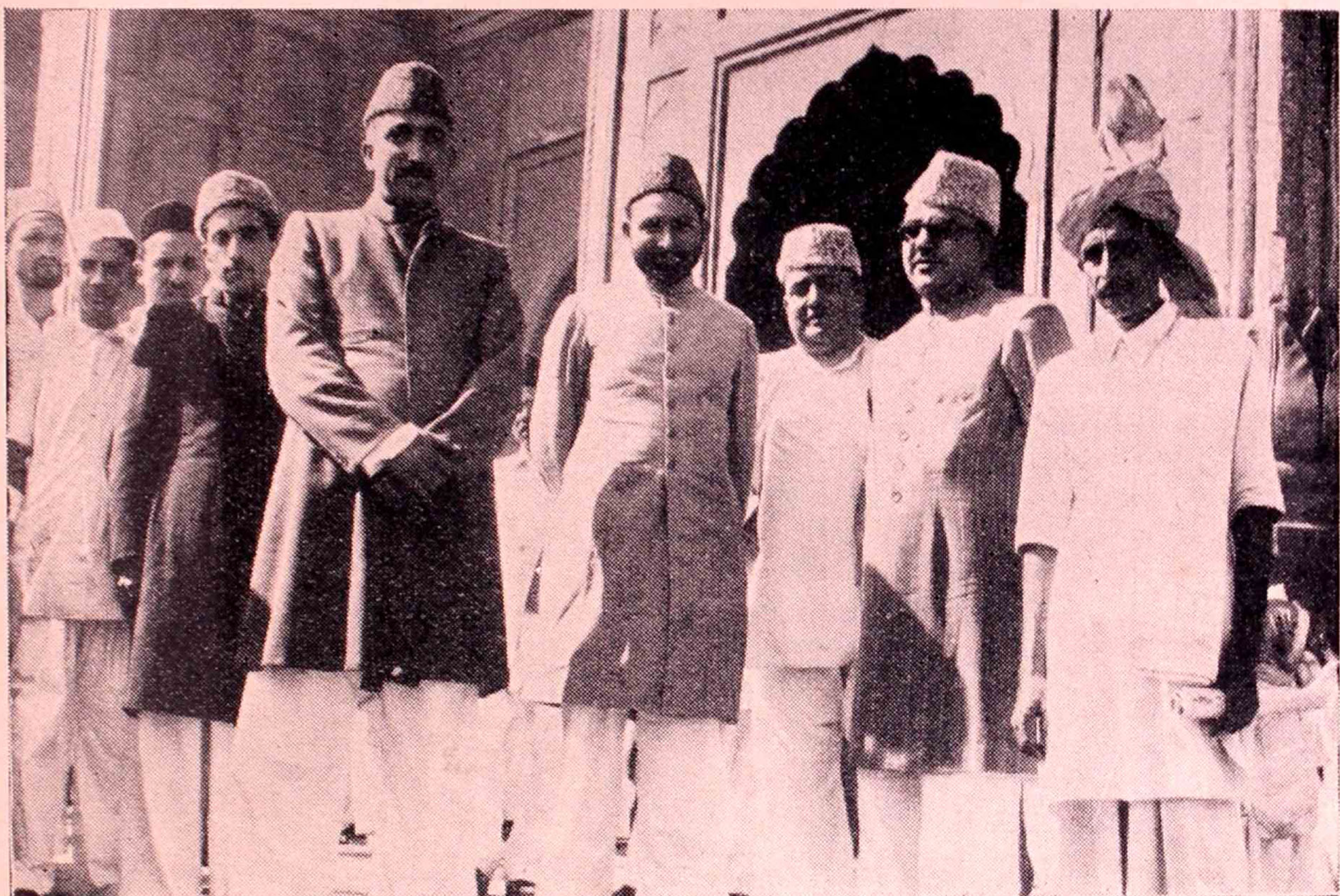
हालही में एंग्लो अमेरिकी प्रतिनिधियों ने सुरक्षा परिषदमें एक संयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत कराया जिसके अनुसार दोनों देशों के मतभेदों को एक प्रमाण पुरुष द्वारा निर्णीत करना स्थिर किया गया है। भारतने इस प्रस्ताव को पूरी तौर पर रद्द कर दिया है और यह घोषणा कर दी है कि वह किसी भी रूपमें इस कार्यक्रम को व्यवहारमें लाने के लिए तैयार नहीं है।

इधर काश्मीर में विधान संमेलन को बुलाने का काम तेजीसे हो रहा है। जिसपर एंग्लो अमेरिकी प्रतिनिधि बौखला उठे हैं। यह प्रतीत होता है कि काश्मीर के भविष्य का निर्णय यही बिधान संमेलन कर देगा और काश्मीर का भाग्य भारतके साथ स्थायी रूपसे जोड़ दिया जायगा। तब पाकिस्तान और उसके साथी हाथ मलते रह जाएंगे। काश्मीर का निर्णय काश्मीरियों को ही करना है और वह वर्तमान परिस्थिति में बिधान संमेलन के द्वारा ही कर सकते हैं।

भाग ३

काश्मीर वैभव

नये काश्मीर के निर्माता



बख्शी गुलाम मुहम्मद, मौलाना मुहम्मद सईद मंसूरी, मिर्जा मुहम्मद अफजल बेग, ख़्वाजा ग़ुलाम मुहम्मद सादिक

"नया काश्मीर हमारा धर्म ग्रन्थ है और हम उसके प्रत्येक अक्षर का परिपालन करेंगे।"

शेख मुहम्मद अब्दुल्ला
(१२ मई, १९४८)

तेरहवां अध्याय

नया काश्मीर—अन्तिम लक्ष्य

९५१ नया काश्मीर क्या है ?

गत तीन वर्षों से काश्मीर ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया है और यह अन्तर्राष्ट्रीय विश्व के आकर्षण का केन्द्र बन गया है। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का काश्मीरियों ने जिस वीरता से मुकाबला किया उसने सारे संसार को चकित कर दिया है। उनकी वीरता, साहस तथा समय की सूझ ने उनका नाम रोशन कर दिया है। हिन्दुओं मुसलमानों तथा सिखों ने एक होकर शत्रु को मार भगाया। यह बात प्रसंशनीय है कि काश्मीरी जनता के पास कोई शस्त्र नहीं थे। इस स्थिति में वे सशस्त्र तथा वर्तमान युद्ध के शस्त्रों से सुसज्जित शत्रु का मुकाबला कहां तक कर सकते थे ? परन्तु इन्होंने मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की। किस प्रकार और कैसे ? इसीलिये कि उनका आदर्श तथा प्रोग्राम एक था।

यह साझे का प्रोग्राम और आदर्श 'नया काश्मीर' है। नेशनल कान्फ्रेंस ने 'किसान तथा कारीगर की प्राचीन दरिद्रता और मजदूर की बेबसी को समाप्त करने के लिये 'नया काश्मीर' का प्रोग्राम बनाया है। इसके दो भाग हैं। पहले भाग में विधान सम्बन्धी प्रश्नों जैसे नागरिकता 'नेशनल असेम्बली, कांन्फ्रेंस चुनाव सम्बन्धी बातें इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है। परन्तु नेशनल कान्फ्रेंस

का १।२ और २।३ हिस्सा लेते थे। सरकार का कहना है कि इन भिन्न सुधारों से लगभग १५ लाख काश्मीरी किसानों को लाभ होगा। इसके साथ साथ तमाम अतिरिक्त कर्ज को जो काश्तकारों, जुलाहों, किश्ती वालों, कारीगरों, दस्तकारों तथा शारीरिक और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को चुकाना था, एक वर्ष के लिये रोक दिया है ताकि ये लोग इस संकट काल में गुजारा करने के योग्य हो सकें।

किसानों की दशा को अच्छा बनाने के लिये दो बिल पास किये गये और आबपाशी के लिये नई नहरें खोदने तथा वर्तमान नहरों को चौड़ा करने और गांवों के नदी-नालों को ठीक करने का कार्य सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। इस पर सरकार २२ लाख रुपये व्यय करेगी। २९ अप्रैल १९४९ को शेरे काश्मीर ने बताया कि एक वर्ष के अन्दर जमीनों पर किसानों का आधिपत्य हो जायगा।

९५२२२ पंचायत राज

लोकराज्य के सिद्धान्तों पर दृढ़ करने के लिये गांवों में जैलदारों तथा नम्बरदारों को चूनाव से नियुक्त किया जाने लगा और इस प्रकार गांव वालों को यह दिखाया गया कि वह भी सरकार में भाग ले सकते हैं। प्रतिनिधि परिषद कायम न होने के कारण सरकार ने एक स्कीम स्वीकार की जिसके द्वारा तहसील और जिला की प्रबन्धकारिणी सभायें बनाई गईं और इनको सरकार के कार्यक्रम तथा राजनीति के अनुसार निगरानी और पथप्रदर्शकता का अधिकार दिया गया। नगर पालिका तथा अन्य आतम निर्भर संस्थाओं को पूर्णतया आतम-निर्भर बनाने के लिये एक ,कमेटी नियुक्त की गई जो इसके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस सम्बन्ध में यह बात भी वर्णन करने योग्य है कि रियासत के ६ नगर प्रबन्ध कारिणी सभाओं के प्रधान गैर सरकारी सदस्य बना लिये गये हैं। सरकार ने स्थानीय पंचायतों के सदस्यों का चुनाव बालिगों के मत से करने का निर्णय किया और २६ जून १९४९ तक ५० पंचायतों का चुनाव हो चुका है।

"नया काश्मीर" की ओर



मत्तिपुर में प्रथम किसान, खालिक सर्वप्रथम, भूमिपर अधिकार प्राप्त कर रहा है।

"किसान ही भूमि का अधिकारी है– यही हमारा मूलमन्त्र है।"

शेख अब्दुल्ला

(२९ अप्रेल, १९४९)

काश्मीर दर्शन

[उर्दू संस्करण 'तस्वीर-ए-काश्मीर' जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा स्वीकृत]

भाग १

काश्मीर कहानी

भाग २

काश्मीर दुर्घटना

भाग ३

काश्मीर वैभव

जम्मू व काश्मीर

भारतीय सेना की अग्रगामी पंक्ति
जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा शासित क्षेत्र
पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र
शत्रु के अन्तःप्रवेश के मार्ग
शत्रु प्रवेश के सर्वाग्र स्थान
रणक्षेत्र
युद्ध रोको सीमा

सोवियत रूस
अफगानिस्तान
इश्कुमान
यासीन
हुन्ज़ा
गिलगित एजेन्सी
गुपीस
नगीर
गिलगित
बुन्जी
चिलास
अस्तौर
अस्कार्दू
रट्टू
मानशेरा
कैम्पबेल पुर
रावलपिंडी
कोटली
भीम्बर
उधमपुर
जम्मू
पाकिस्तान
गुजरात
स्यालकोट
वज़ीराबाद
गुजरांवाला
चम्बा
कैलांग
पठानकोट
गुरदास पुर
कांगड़ा
नगर

काश्मीर दर्शन

पृथ्वीनाथ कौल

बी० एल्० एस्-सी० (देहली), ग्रन्थालय शास्त्री (बनारस)

सदस्य–एग्जिक्युटिव कमेटी, इंडियन लायब्रेरी असोसिएशन

रिपोर्टर–इंडियन वर्किंग पार्टी, इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफिकल सर्वे

सहायक-सम्पादक–यूनियन केटलॉग आफ पीरियॉडिकल्स,

साउथ एशियन लायब्रेरीज़्

प्रणेता–'तस्वीर-ए-काश्मीर' और 'काश्मीर स्पीक्स'

प्रबन्ध-सम्पादक––'अवगिल'

देहली विश्वविद्यालय

भाषान्तरकार

शास्त्री मुरारि लाल नागर

साहित्याचार्य, एम्० ए०, ग्रन्थालय शास्त्री

सलाहकार, भारतीय विभाग

लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन

(यु. एस्. ए.)

प्राक्कथन लेखक

शेख़ मुहम्मद अब्दुल्ला

प्रधानमंत्री, जम्मू और काश्मीर राज्य

प्रकाशक

(राजा) रामकुमार बुक डिपो

लखनऊ

प्रथम आवृत्ति } १९५१

मूल्य १०)

मुद्रक
राजा रामकुमार प्रेस,
लखनऊ

सत्य, अहिंसा और एकता की मूर्ति



बापू

"भारत सरकार के लिए श्री नगर फौज भेजना अनिवार्य कर्तव्य था। अगर भारतीय सैनिक स्पार्टा के वीरों की भांति शूरता के साथ काश्मीर को बचात हुए विलीन हो जाएँगे तो मैं आंसू की एक बूंद भी न गिराऊंगा। न मुझे इसका ही दुःख होगा कि यदि शेख अब्दुल्ला और उनके हिन्दू, मुस्लिम, सिख साथी काश्मीर की रक्षा करने में वहीं बलि चढ जाएंगे।"

(३० अक्तूबर, १९४७)

अमर ज्योति

"इस्लाम और हिन्दुत्व को काश्मीर की भूमि पर तौला जा रहा है। अगर दोनों ही अपना भार समान रखें तथा एक ही दिशा की ओर प्रवृत्त हों तो मुख्य अभिनेता अवश्य ही गौरवान्वित एवं यशोमंडित हो जाएंगे।

"मेरी एक मात्र इच्छा और प्रार्थना है कि काश्मीर इस राह-भूले महाद्वीप के लिये एक अमर-ज्योति-संपन्न दीपस्तम्भ प्रमाणित हो।"

बापू

२९-१२-४७

समर्पण

उन वीरों को

जिन्होंने

काश्मीर के स्वातन्त्र्य युद्ध में

आत्मबलिदान किया

प्राक्कथन

मैंने 'काश्मीर दर्शन' को बड़ी ही रुचि के साथ पढ़ा। मैंने यह अनुभव किया कि काश्मीर की वर्तमान घटनाओं तथा परि-स्थितियों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने की यह एक बिलकुल नई और सिद्धान्तपूर्ण कोशिश है। लेखक ने काश्मीर और काश्मीरियों के जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों के विषय में घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित करने में असाधारण परिश्रम उठाया हैं।

मैं बहुधा यह अनुभव किया करता हुं कि काश्मीर पर अब तक बहुत कुछ लिखा गया है। किन्तु इस साहित्य समृद्धि के होते हुए भी एक ऐसी व्यापक पुस्तक सर्वथा अपेक्षित है जो काश्मीरियों के आन्तरिक स्वभाव तथा राष्ट्रीय गुणों के स्वरूप को स्पष्ट एवं व्यापक रूप में चित्रित कर सके। वर्तमान पुस्तक ने इस कमी को दूर करने में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है। मुझे पूरा विश्वास है कि नवयुवक लेखक यहां पहुंच कर ही विश्राम न ले लेगा। काश्मीर के लोगों की विचार-सरणि और साथ ही साथ उनके जीवन की अवस्थाओं को किसी अत्युक्ति अथवा अतिरञ्जन के बिना लोकप्रिय बनाने की यह उमंग वस्तुतः प्रशंसनीय है।

शेख मुहम्मद अब्दुल्ला

चित्र-सूची

उपोद्घात

काश्मीर आज एक अत्यन्त संकटमय परिस्थिति में से गुजर रहा है। इसने एक अत्यधिक जटिल समस्या का रूप धारण कर लिया है। साधारणतः लोग इस समस्या के महत्त्व को भली भांति नहीं समझ पाते। उन्हें यह भी अच्छी तरह नहीं मालूम कि वास्तविक समस्या क्या है और इसमें कैसे कैसे उलझाव डाल दिये गए हैं।

काश्मीर की स्वतंत्रता का युद्ध भारत का अपना युद्ध है। काश्मीर के लिए भय भारत के लिये भय है। काश्मीर की सुरक्षा भारत की सुरक्षा है। यह युद्ध किसी भूमिविशेष पर अधिकार करने के लिये नहीं किया जा रहा है। किन्तु यह सिद्धान्तों का युद्ध है। यह युद्ध भौगोलिक तत्त्वों की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। द्विराष्ट्र के सिद्धान्त का विनाश ही इसका लक्ष्य है। इस युद्ध की जीत प्रजातन्त्र की जीत होगी। इसी युद्ध के फैसले पर न केवल काश्मीर, बल्कि सारे हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता की स्थिरता निर्भर करती है। तथ्यों की उलट फेर की जा रही है। उनकी मिथ्या व्याख्या की जा रही है। उसके दो कारण हैं। एक तो अज्ञान और दूसरा स्वार्थसिद्धि।

इन्हीं कारणों से देश में ऐहलौकिक प्रजातंत्रात्मक राज्य के संस्थापन की परम आवश्यकता है। काश्मीर-भारत प्रश्न पर जनता के मत को संघटित करना अत्यन्त आवश्यक है। काश्मीर के अतीत इतिहास, उसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में एतत्क्षणपर्यन्त ज्ञान का विस्तारण नितान्त आवश्यक है। इन सब कार्यों का सुफल यह होगा कि एक विशिष्ट प्रकार का मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें भारत और काश्मीर एकात्मता का अनुभव करेंगे। साथ ही विदेशी समालोचक भी इस प्रश्न के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सकेंगे।

इसी पूर्वोक्त ऐहलौकिक तथा प्रजातंत्रात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए तथा तथ्यों को वास्तविक रूप में उपस्थित करने के लिए मैंने यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया है। १९४२ से ही मेरी यह आन्तरिक प्रबल अभिलाषा थी कि मैं काश्मीर की स्वतंत्रता के युद्ध का चित्र खींचूं। किन्तु परिस्थितियों के उतार-चढ़ाव के कारण मेरी यह अभिलाषा शीघ्र पूर्ण न हो सकी। सन् १९४६ में जब काश्मीर में 'काकिस्टोक्रेसी' का बोलबाला था, मैंने काश्मीर की दुरवस्था दूर करने में हिस्सा बंटाया। शिक्षा सम्बन्धी क्रान्ति उत्पन्न करने के लिए राज्य के समाचारपत्रों में लेख लिखने आरम्भ किए, जो डेढ़ साल के

१. कश्मीर घाटी में जनमत गणना हो। मुजफ्फराबाद जिले का कुछ हिस्सा भी उसमें शामिल किया जाय।

२. नीचे लिखे प्रदेश भारतको मिलने चाहिये।

अ. कुछ संशोधन के अधीन छोड़ कर 'युद्ध बन्दी' लाइन के पूर्व का सारा जम्मू प्रान्त।

आ. लद्दाख जिले की लद्दाख और कारगिल तहसीलें। सूर नदी के पार का प्रदेश जनमत के अनुसार भारत या पाकिस्तान को मिले।

३. गिलगित, गिलगित एजेन्सी, गिलगित वज़ारत, राजनीतिक जिले और कबाइली इलाके, बाल्टिस्तान तथा युद्ध बन्दी लाइन के पार का जम्मू प्रान्त पाकिस्तान को मिले।"

"पाकिस्तान ने कांफ्रेंस में भाग लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि पूरे राज्य का भाग्य निर्णय पूरे राज्य की जनमत गणना द्वारा ही किया जाय।

"परन्तु विचार विनिमय के बाद मुझे पता लगा कि यदि कश्मीरघाटी पाकिस्तान को मिल जाय तो वह विभाजन के लिए तैयार है।

"भारत के प्रधान मंत्री ने इसको मानने से कतई इनकार कर दिया कि सम्पूर्ण कश्मीर का विभाजन कर लिया जाय और कश्मीर घाटी पाकिस्तान को दे दी जाय।

"पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की बातचीत से मुझेपता लगा कि अब मैं कश्मीरके सम्बन्ध में दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं करा सकता। दोनों प्रधान मंत्रियों ने भी इसे स्वीकार किया।

विभाजन की अन्तिम योजना

"अन्तिम संभावना के रूपमें मैंने एक प्रस्ताव और रखा : कश्मीर घाटी के सीमित क्षेत्र में जनमत गणना और बाकी राज्य का विभाजन हो जाय। मैं चाहता था कि एक कांफ्रेंस बुलाऊं और अपनी योजना को स्वीकृति, या संशोधन के लिये उसमें पेश करूं।

"यद्यपि यह योजना पूरे राज्य में जनमत लिये जाने के खिलाफ थी, तो भी पाकिस्तान मेरे कहने पर कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। परन्तु उसने एक शर्त रखी।

कानूनी सरकार की समाप्ति

"मैं चाहता था कि जनमत लिये जाने वाले प्रदेश में राष्ट्र-संघ के अधिकारियों की एक शासन संस्था हो। जनमत शासक उसका प्रधान हो और जनमत गणना के परिणाम की घोषणा होने तक यही संस्था उस प्रदेश में सरकार के सब काम सरंजाम दे।

"भारत के उत्तर के अधीन, पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया।

"भारत के प्रधान मंत्री ने तार द्वारा ऐसे किसी भी प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर भारत की मुख्य आपत्ति यह थी कि पाकिस्तान आक्रामक राष्ट्र है इसलिए उसे जनमत गणना में भागीदार बनाना आक्रमण के सामने घुटने टेकना होगा।

"मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि मेरे प्रस्ताव पर भारत द्वारा की गई आपत्तियों को कार्यान्वित करना एकदम असंभव है।

असफलता स्वीकार

"पाकिस्तान का कहना है कि जनमत गणना के लिए प्राथमिक शर्तों को पूरा करने में भारत असफल रहा है और यह असफलता उसकी पूर्व निश्चित नीति का परिणाम है। परन्तु पूर्व प्रस्तावों के अनुसार राज्य में जनमत गणना के लिये यह शर्त है कि उसमें अनुसरण की जाने वाली कार्य पद्धति से भारत सहमत हो। भारत उससे सहमत नहीं है। कश्मीर कमीशन समझौता करवाने के अपने प्रयत्नों में जिस प्रकार असफल रहा, उसी प्रकार मैं भी नाकाम रहा हूं। किसी पक्ष ने कोईनया सुझाव पेश नहीं किया और दोनों ही इस बात पर सहमत प्रतीत हुए कि अब समझौते की कोई संभावना नहीं है। पाकिस्तान का यह कहना कुछ भी सहायक साबित नहीं हुआ कि सहमत होना भारत का कर्तव्य है।

विभाजन ही एकमात्र रास्ता

"पूरे राज्य को दोनों राष्ट्रों में बांट देना ही एक मात्र विकल्प है। परन्तु दुर्भाग्य से कश्मीर घाटी के टुकड़े नहीं किये जा सकते और इसे दोनों ही चाहते हैं। विभाजन की किसी भी योजना के लिए यह आवश्यक है कि काश्मीर घाटी की किसी एक राष्ट्र को दे दिया जाय।

"हर हालत में मेरी राय यह है कि काश्मीर झगड़े के हल की यदि कोई संभावना है तो वह सारे राज्य की जन गणना में नहीं है, बल्कि राज्य के विभाजन में है और विशेष कर कश्मीर घाटी का निर्णय किये जाने के उपाय में निहित है।

"कश्मीर व जम्मू राज्य भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से एक इकाई नहीं है। लोगों का हित न्याय और स्थायी समझौता तथा शरणार्थी समस्या को बचाने की आवश्यकता, यह सभी राज्य के विभाजन की ओर संकेत करती हैं। सारे राज्य में जनमत गणना के विचार को तो त्याग ही देना चाहिए।

सुरक्षा परिषद को मेरी सिफारिश

"मेरे विचार से यह अच्छा होगा कि इस प्रश्न पर समझौता करने का भार दोनों राष्ट्रों पर ही छोड़ दिया जाय, वे ही इस बात का फैसला करें कि उन्हें कश्मीर और जम्मू राज्य को किस प्रकार बांटना है।"

१३९९५९५ डिक्सन की असफलता

यह पहले से ही साफ जाहिर था कि सर डिक्सन सुरक्षा-परिषद के १४ मार्च १९५० के प्रस्ताव के अधीन दोनों राष्ट्रों में समझौता नहीं करा सकेंगे। क्योंकि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में दोनों राष्ट्रों की राय परस्पर विरुद्ध थी और दोनों राष्ट्रों की व्याख्या में जमीन आसमान का अन्तर था। इसी कारण से डिक्सन साहेब की २० जुलाई की कांफ्रेंस निष्फल रही और वे स्वयं भी भांप गये कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य में जनमत गणना असंभव है। किन्तु इन्होंने इसके बाद अन्य सुझाव रखे जिनमें से एक महत्वपूर्ण सुझाव विभाजन का था। इस योजना के द्वारा वे आक्रामक को समानता का पद

तो दे ही रहे थे, इसके अतिरिक्त भारत की शक्ति को खत्म कर वहां पर एंग्लो अमरीकी ब्लाक का अधिकार करा देना चाहते थे। डिक्सन साहेब ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह शर्त पेश की कि कश्मीर की कानूनी सरकार को तोड़कर ६ मास के लिए कश्मीर घाटी में राष्ट्र-संघ का शासन स्थापित किया जाय। इसका अर्थ स्वतंत्र जनमत गणना के बजाय इस प्रदेश में गैर कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना था। डिक्सन ने सत्य की ओर से आंखें बन्द करके कमीशन की भांति सवाल को और भी पेचीदा बना दिया। आक्रामक को खुश करने और एंग्लो अमरीकी स्वार्थ साधने के लिये उसने यह चाल चलने की कोशिश की थी, इसलिये उसमें असफलता निश्चित थी।

यद्यपि उन्होंने एक प्रसिद्ध विधान पंडित के नाते, अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट घोषणा की कि कबाइली लोगों और पाकिस्तानी सेना का कश्मीर की सीमा में प्रवेश करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भंग था, तो भी उन्होंने इसके युक्ति युक्त परिणाम पर अमल करने से इनकार किया। एक ओर तो उसे आक्रामक कहा और दूसरी ओर उसे हर बात में भारत के समान पद दिया। यही नहीं कई बातों में हिन्द से भी अधिक महत्व उसे दे दिया। इसका स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि वे यथार्थ और धोखा, सत्य और झूठ तथा आक्रामक और आक्रान्त में भेद न कर सके।

डिक्सन साहेब ने राज्य से सेनाओं को निकालने के लिए पाकिस्तान और भारत को एक समान माना और इसके द्वारा राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत से छीन लेने का यत्न किया। क्या उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि पाकिस्तान में भी 'जहाद' के लिये लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में राज्य को रक्षा हीन छोड़ना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती।

कोरिया के सम्बन्ध में सुरक्षा-परिषद ने उत्तरी कोरिया को झट आक्रामक घोषित कर दिया और दक्षिणी कोरिया को सहायता देने का निर्णय कर दिया। क्यों ? क्योंकि उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया की सीमा में प्रविष्ट होकर उस पर आक्रमण किया। अब राष्ट्र-संघ की सेनाएं उत्तरी कोरिया की सेनाओं का उनके घर में भी पीछा कर रही हैं।

लेकिन भारत के सम्बन्ध में एंग्लो अमरीकी राष्ट्रों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और सत्य की उपेक्षा की। आक्रामक का नाम तक नहीं लिया गया बल्कि उसे बराबर का साझीदार बना लिया। डिक्सन ने यद्यपि पाकिस्तान को आक्रामक तो कहा परन्तु उसे कश्मीर खाली करने के लिए नहीं कहा। अगर वे वास्तविकता को ध्यान में रख कर चलते तो झगड़े का निर्णय अवश्य हो जाता। सवाल यहां भी वही है जो कोरिया में था। पाकिस्तान ने कश्मीर में दाखिल होकर भारत पर आक्रमण किया है। उसे वहां से निकाला जाय। एंग्लो अमरीकी राष्ट्रों ने मुख्य प्रश्न से आंखें बन्द कर कश्मीर को अपने राजनैतिक पैतरेबाजी का अखाड़ा बना लिया। यही नहीं, उलटे भारत पर ही दबाव डालने लगे। इस प्रकार के प्रत्येक प्रयत्न का निष्फल होना निश्चित है। इसीलिए डिक्सन भी असफल रहे।

१३९९५९६ भारत का उत्तर

डिक्सन की रिपोर्ट पर भारत की स्थिति को साफ करते हुए पं० नेहरू ने ३० सितम्बर १९५० को एक वक्तव्य दिया :

"कश्मीर के सम्बन्ध में हमारे ५ सिद्धान्त रहे हैं :

१. कश्मीर पर निर्लज्जता पूर्ण आक्रमण किया गया है, हम उसके आगे झुकेंगे नहीं, उसका मुकाबिला करेंगे।

२. कश्मीर की जनता ही अपने भविष्य का निर्णय करेगी।

३. जहां तक हो सके, झगड़े का निबटारा शान्तिमय उपायों से किया जाय।

४. कश्मीरके सम्बन्ध में किसी भी हालत में हम दो राष्ट्र का सिद्धान्त नहीं मान सकते और

५. कश्मीरी जनता की रक्षा करना हमारा कानूनी और नैतिक कर्तव्य है।

"प्रश्न है पाकिस्तान के आक्रमण को स्वीकार करना। कश्मीर कमीशन ने इसे अप्रत्यक्ष रूप में मान लिया था और अब डिक्सन ने उसे स्पष्ट घोषित कर दिया है।

भारत की दृढ़ता

जहां तक हमारा सम्बन्ध है कश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान की धमकियों से हम अपनी नीति से जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। हम शान्ति पथ पर चलेंगे। यदि शान्ति पर ही कोई खतरा पड़े तो हम पूरी शक्ति और विश्वास के साथ उसका मुकाबिला करेंगे।

"प्रत्येक जिला मेजिस्ट्रेट के साथ राष्ट्र-संघ के अधिकारियों पर भारत को कोई आपत्ति नहीं थी। भारत का कथन इतना ही था कि राष्ट्र-संघ के अधिकारियों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख हो जाना चाहिए ताकि वे जनमत गणना की स्वतंत्रता की रक्षा से आगे बढ़कर राज्य के आवश्यक कर्तव्य पालन में कोई बाधा न डाल सके।

सीमित जनमत गणना

सर डिक्सन ने सीमित क्षेत्र में जनमत लिये जाने के प्रस्ताव पर हमारी स्वीकृति चाही जिसके अनुसार उस प्रदेश में जनमत गणना का परिणाम घोषित होने तक राष्ट्र संघ की शासन संस्था काम करेगी।

"इस प्रस्ताव के अनुसार न केवल शेख अब्दुल्ला की सरकार काफी समय के लिये समाप्त हो जाती है बल्कि पाकिस्तान को, जो आक्रामक है, उस क्षेत्र में अपनी सेना भेजने का अधिकार देकर, भारत के समान ही दर्जा भी दे दिया गया था।

प्रस्ताव अस्वीकृत

विभाजन पर विचार करने के लिए भारत इसलिए तैयार हुआ कि हम कश्मीर की भूमि के किसी भाग पर पाकिस्तान का दावा स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि इसलिये कि शान्ति से झगड़े को निबटाना चाहते हैं। आक्रमण के सामने घुटने टेकने के प्रति हमारी गहरी घृणा के बावजूद हमने उस पर विचार करना स्वीकार किया।

"जनमत गणना के लिये हम इसलिए तैयार नहीं हुए कि हम पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं या कश्मीर की जनमत गणना के परिणाम में हम

पाकिस्तान को स्वीकार करते हैं, बल्कि इसलिए कि कश्मीर की या उसके किसी भाग की जनता अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करे।"

९३९९५९७ पाकिस्तान का कथन

५ अक्टूबर १९५० को पाकिस्तान पार्लियामेंट में श्री लियाकतअलीखां ने कहा :

"यह साफ है कि भारत असेनीकरण के लिए अथवा कश्मीरी जनता को स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत व्यक्त करने का मौका देने के लिये तैयार नहीं था।

"अक्टूबर सन् ४७ में अपने पीड़ित भाइयों की सहायता के लिये कबाइली कश्मीर में गये थे। "आजाद कश्मीर" सरकार और "आजाद कश्मीर सेना" सन् ४७ से ही वर्तमान है। सन् ४९ के हेमन्त में भारत ने ज़ोरदार आक्रमण किया 'आजाद काश्मीर सरकार' के तीव्र अनुरोध पर और पाकिस्तान के हितों की रक्षार्थ मई ४८ में पाकिस्तान सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया।

"भौगोलिक, धार्मिक, आर्थिक और सामरिक सभी दृष्टियों से कश्मीर पाकिस्तान का एक अंग होना चाहिये। कश्मीर पाकिस्तान के लिये प्राणभूत आवश्यकता है, जब कि भारत के लिये वह एक साम्राज्य वादी साहसी कार्य है।"

९३९९५९८ काश्मीर की आवाज़

शेख अब्दुल्ला ने डिक्सन की रिपोर्ट के बारे में १९ कक्टूबर १९५ को नई दिल्ली में कहा :

> "सर डिक्सन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विधान पंडित ने जब एक बार स्पष्ट भाषा में यह घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण करके अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भंग किया है, तब हमें इसके तर्क सिद्ध परिणाम की जोरदार मांग करनी चाहिए।"
>
> "काश्मीर से आक्रामक को निकालिए।"

९३९९६ कॉमनवेल्थ कान्फरेन्स

४ जनवरी १९५१ से १६ जनवरी १९५१ तक लन्दन में कॉमनवेल्थ के प्रधानमन्त्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें काश्मीर की समस्या चर्चा का विषय बनी थी। इसमें कॉमनवेल्थ के दूसरे प्रधानमन्त्रियों ने काश्मीर में जनमत ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित तीन योजनाएं प्रस्तुत कीं:—

१. दूसरे कॉमनवेल्थ के देश अपने खर्च पर जनमत ग्रहण करने के काम में शान्ति, सुरक्षा और बचाव की जिम्मेदारी लेने के लिए अपनी सेनाएं काश्मीर में भेजें।

२. जनमत ग्रहण करने के काल में भारत और पाकिस्तान की संयुक्त सेना रखी जाए।

३. जनमत ग्रहण के अध्यक्ष एडमिरल निमित्ज़ काश्मीरियों की स्थानीय सेना प्रस्तुत करें, जिससे हिन्द, पाकिस्तान और अन्य सब फौजें या तो हटा ली जाएं या उन्हें निःशस्त्र कर दिया जाए।

पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री मि० लियाकत अली खां ने इस कान्फरेन्स के विषय में अपना वक्तव्य १५ जनवरी १९५१ को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने काश्मीर में जनमत ग्रहण कराने के लिए ऊपर लिखी हुई प्रस्तावित तीनों योजनाएं मान ली थीं। किन्तु पण्डित नेहरूने तीनों को रद्द कर दिया।

पण्डित नेहरू ने १६ जनवरी, १९५१ को मि० लियाकत अली खां के वक्तव्य का जवाब दिया और कहा कि हिन्दुस्तान यह नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो काश्मीर में आक्रमणकारी हैं उसे फौजें रखने या शासन में सहयोगी बनाने के लिए हिन्दुस्तान के समान अधिकार दिए जाए।

९३९९७ एंग्लो अमरीकी प्रस्ताव

काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् में २१ फरवरी १९५१ को फिर से उपस्थित हुआ। इसमें ब्रिटेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने प्रश्न

को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसमें कहा गया,

"सुरक्षा परिषद् इस बात को दोहराती है कि ऑल जम्मू व काश्मीर नेशनल कान्फरेन्स की जनरल कौन्सिल द्वारा प्रस्तावित विधान सम्मेलन को बुलाया जाना तथा सारे राज्य अथवा उसके किसी भाग के भविष्य रूप अथवा सम्मिलन को निश्चित करने के लिए वह विधान सम्मेलन जिस किसी कदम को ले वह सब पूर्वोक्त सिद्धान्त (१९४८, १९४९ के प्रस्ताव) के अनुसार राज्यका सौंपा जाना नहीं माना जा सकेगा।"

"सर ओवन डिकसन की जगह संयुक्तराष्ट्र संघ का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए।

"संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधिको यह अधिकार दिया जाता है कि वह जनमत ग्रहण कराने और सेना को निःशस्त्र कराने के काम में मदद देने के लिए यदि किसी सेना की आवश्यकता पड़े तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य राष्ट्रके द्वारा दी जाए, अथवा स्थानीय रूप में प्रस्तुत की जाए।

"यदि रियासत के संमिलन का प्रश्न सर्व व्याप जनमत ग्रहण के आधार पर सुलझाया जाए तो इससे प्रदेश के अनुसार जनमत ग्रहण कराने में कोई रुकावट न होगी।

"दोनों पक्षों से यह कहा जाता है कि पूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के असफल होने पर विवाद-ग्रस्त विषयों पर प्रमाण पुरुष (Arbitrator) द्वारा निर्णय कराया जाएगा।"

९३९९७१ काश्मीर का मत

२४ फरवरी १९५१ को शेख अब्दुल्ला ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा:,—

"यह प्रस्ताव इस समस्या के मुख्य प्रश्न की पुनः उपेक्षा कर रहा है। मुख्य प्रश्न तो यह है:—सबसे पहली बात तो यह स्वीकार

करना है कि पाकिस्तान आक्रमणकारी है। उसके साथ उसी दृष्टि से वर्ताव किया जाना आवश्यक है। इस प्रश्न का समाधान यह है कि इस तथ्य का अन्त तक पीछा किया जाए। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्य के न्यायपूर्ण शासन की सार्वभौम सत्ता को पुनः स्थापित किया जाए और उसके बाद लोगों की राय को जानने के लिए शान्तिपूर्ण वातावरण उत्पन्न किया जाए।

"डिकसन की योजना, कॉमनवेल्थ के प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन तथा अब यह अन्तिम प्रस्ताव ये सब एक ही प्रकार की राजनीतिक चालबाजी है, जिसका उद्देश्य केवल यही है कि हमारे देश को विभाजित कर छिन्न-भिन्न कर देना, राज्य की सार्वभौम सत्तापर अंकुश लगाना तथा मध्यस्थ के एकतन्त्रात्मक अधिकारों से न्यायपूर्ण शासन को कुचल देना है।"

९३९९७२ भारत का मत

१ मार्च १९५१ को भारत ने एंग्लो अमरिकी प्रस्ताव को रद्द कर दिया, जब कि सुरक्षा परिषद् ने काश्मीर के प्रश्न पर बहस शुरू कर दी। भारत के प्रतिनिधि सर बी० एन्० राव ने कहा कि उनकी सरकार किसी प्रकार उस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार न थी।

उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव से वह भी फिर से अनिश्चित हो जाएगा जो पहले ही निश्चित हो चुका है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो इसका अर्थ संयुक्त राष्ट्र संघ कमीशन के उस निर्णय को रद्द कर देना होगा जो दोनों पक्षों ने सहमति से पहले ही तय कर लिया है। इससे उन आश्वासनों की समाप्ति हो जाती है जो कमीशन ने भारत को दिए हैं।

सर राव ने कहा, "स्वतन्त्र क्षेत्र में प्रत्येक राज्य को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, विधान सम्मेलन का अर्थ यह नहीं कि सुरक्षा परिषद् के विचाराधीन प्रश्न को प्रभावित करे अथवा उसके मार्ग में रोड़े अटकाए।

"हमारी सरकार इस प्रस्ताव को आधार के रूप में मानने के लिए लेशमात्र भी तत्पर नहीं है। न वह इसी बात के लिए तैयार है कि किसी नये प्रतिनिधि को इतने महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय करने का अधिकार दे दिया जाये।

"संयुक्त राष्ट्र संघ कमीशन ने स्वयं तथा आगे चलकर हमारी सम्मति से जो कुछ किया है उस पर हम पानी फेर देना नहीं चाहते। राज्य में अथवा भारत के किसी भाग में विदेशी सैनिकों का प्रवेश मानने में हम पूर्णतया असमर्थ हैं।"

"वर्तमान संकट का मूल कारण यह है कि पाकिस्तान ने राज्य के प्रायः आधे भाग को ग़ैरकानूनी तौर पर कब्ज़े में कर रखा है और उस भाग में प्रतिक्रियावादी शक्तियों को और अधिकारियों को जन्म दे रखा है। जब तक उस बात को जारी रखने दिया जाता है तबतक उस समस्या का सुलझाव नहीं हो सकता।"

९३९९७३ पाकिस्तान का मत

सर मुहम्मद जफरुल्ला खांने प्रस्ताव के मुख्य तत्त्वों को मानते हुए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थ को एकतन्त्रात्मक अधिकार दिये जाने की मांग उपस्थित करते हुए ६ मार्च १९५१ को सुरक्षा परिषद् से कहाः—

"नग्न सत्य तो यह है कि काश्मीर के हिन्दू महाराजा तथा भारत के नेताओं के बीच एक षड्यन्त्र रचा गया था और उसीके परिणाम स्वरूप भारतने काश्मीर पर अधिकार जमा लिया था। उस षड्यन्त्र के शिकार काश्मीर के निवासी ही हुए।

"भारत का बलपूर्वक लगातार काश्मीर में अधिकार जमाए रखना तथा वहाँ अपनी सेनाओं को बनाए रखने की जिद एक प्रकार का अत्यन्त भयानक आक्रमण रूपी कृत्य है। यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए अत्यन्त संकटपूर्ण भय है।

"भारत से यह कहा जाना चाहिए कि वह काश्मीर में संविधान सभा न बुलाये और राज्य के भविष्य का एकतरफा निर्णय करने के लिए कोई उद्योग न करे।

"जितनी भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं उनका कारण यह है कि भारत ने निष्पक्ष लोकमत के मार्ग में सदा रोड़े अटकाये हैं।"

९३९९७४ राव का यथार्थ उत्तर

९ मार्च, १९५१ को सर बी० एन्० राव ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि सर जफरुल्ला खां के वक्तव्य का उत्तर देते हुए कहा:—

"काश्मीर भारत संघ का एक अंग है। वहाँ अब तक विधानसभा बुलाई नहीं गई है। राज्य का विधान अब भी बनाना बाकी है।

"भारत का प्रतिवाद जनमत ग्रहण काल में न तो सेना को कम करने के लिए था और न उसकी समाप्ति के लिए था। किन्तु उसका प्रतिवाद सेना को उस सीमा तक कम करने में था जिसमें राज्य की सुरक्षा संकट में आ जाये। उसका प्रतिवाद उन उपायों से भी था जो राज्य की सार्वभौम सत्ता को अनावश्यक रूप से पददलित करे।"

९३९९७५ नेहरू का वक्तव्य

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने १३ मार्च, १९५१ को नई दिल्ली के प्रेस सम्मेलन में यह घोषणा की:—

"अगर काश्मीर पर आक्रमण हुआ तो उसे भारत पर आक्रमण माना जायेगा। इस बात पर ऐकमत्य हो गया था कि जम्मू व काश्मीर के पूरे प्रदेश पर वर्तमान सरकार का अधिकार मान लिया जायेगा और जनमत के लिए जनमत अध्यक्ष की नियुक्ति भी काश्मीर की न्यायपूर्ण सरकार ही विधिवत् करेगी।

"काश्मीर भारत का ही एक अङ्ग है। भारत ने जान बूझकर संयुक्त राष्ट्रसंघ में पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित करने का प्रश्न नहीं उठाया, जिससे समझौते के मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न न हो। किन्तु इस अवस्था में जब कि दूसरी ओर 'जेहाद' की बातें हो रही हैं, साक्षात् वार्तालाप का प्रश्न ही नहीं उठता।"

९३९९७६ प्रस्ताव का संशोधन

अतः भारत सरकार ने १ मार्च १९५१ के प्रस्ताव को रद्द कर दिया और ९ मार्च १९५१ को अपने मन्तव्य का पोषण किया, प्रस्ताव के प्रस्तावकों को उसमें संशोधन करने के सिवा कोई चारा ही न था वह संशोधन को इस प्रकार करना चाहते थे जो उनके और पाकिस्तान की स्थिति के अनुकूल हो और उन बातों पर अधिक जोर देना चाहते थे जो उनकी सम्मति के अनुसार काश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए आवश्यक थीं।

प्रस्तावित संशोधन में मूल प्रस्ताव के चौथे अनुच्छेद को हटा कर एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया है। वह यह है:—

"दोनों पक्षों से कहा जाता है कि वे रियासत में सेना को निःशस्त्र कराने और उसके असैनिकीकरण करने में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के साथ पूर्णतम रीति से सहयोग करें।"

"संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि को आदेश दिया जाता है कि वह उपमहाद्वीप पर पहुंचने के तीन मासके बीच सुरक्षा परिषद् को अपनी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत कर दे।"

इस प्रकार इस धारा में "जनमत गणना" तथा रियासत में विदेशी सैनिकों को बुलाना हटा दिया गया है।

९३९९७७ प्रस्ताव का विश्लेषण

ब्रिटिश प्रतिनिधि सर ग्लेडविम जेब ने संशोधित प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए २१ मार्च, १९५१ को सुरक्षा परिषद् में कहा:—

"निःसन्देह ऐसे प्रश्न पर जहाँ दो सरकारों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हैं, मुझे केवल मध्यस्थवाही एक मात्र उपाय दिखाई पड़ता है जो व्याख्या तथा प्रयोग के विषय में मतभेदों का निर्णय करे।

"श्री राव ने यह कल्पना की है कि संमिलन निश्चित रूप से हो गया है तथा अब जो कुछ भी करना है वह इतना ही है कि राज्य के निवासियों को ऐसा अवसर दिया जाये जिसमें वे यह निर्णय करें कि वे अन्ततः भारत में ही रहें अथवा नहीं। ये दो बातें मेरी सरकार की संमति में उन सिद्धान्तों की भी सर्वथा हत्या ही करती हैं जिनके आधार पर परिषद् तथा दोनों पक्ष का समझौता कराने के लिए यत्न करते आ रहे हैं।"

श्री जेब ने श्री राव से अपील की और कहा कि वे यह स्पष्ट रूप से "निःसन्देह" समझायें कि उनकी सरकार ऐसे किसी भी कार्य को न होने देने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करेगी जो सुरक्षा परिषद् के सारे काम पर पानी फेर दे।

श्री अर्नेस्ट ग्रास (अमेरिका), ने संशोधित प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा:—

"संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार मध्यस्थता योजना को प्रस्ताव का एक मुख्य अङ्ग मानती है। काश्मीर में प्रस्तावित विधान सम्मेलन की चर्चा करते हुए श्री ग्रास ने कहा कि सुरक्षा परिषद् इस बात पर जोर दे सकती है और उसे देना भी चाहिए कि राज्य (काश्मीर) के अन्तिम सौंपे जाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघके अधीन लिए जानेवाली मतगणना के आधार पर निर्णीत होगा।

"काश्मीर के अन्तिम सौंपे जाने का प्रश्न एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है यह एक ऐसी समस्या है जिसे सुरक्षा परिषद् तीन वर्ष से अधिक समय से अपने विचारधीन रखती आई है।

"अतः परिषद् को यह मान लेने का अधिकार है कि भारतीय

सरकार काश्मीर सरकार को ऐसे किसी कार्य को करने से रोकेगी जो परिषद् के उत्तर दायित्वों में हस्तक्षेप करे।"

१३१९९८ भारत की प्रतिक्रिया

पंडित नेहरू ने भारतीय संसद् में २८ मार्च, १९५१ को कहा :

"हम किसी भी अवस्था में पाकिस्तान या उसके समर्थकों को प्रसन्न रखने के लिए काश्मीर में शून्यभाग नहीं उत्पन्न कर सकते। न तो हम काश्मीर को भाग्य के भरोसे छोड़ सकते हैं, और न इसकी सत्ता को समाप्त करके किसी बाहरी सिविल या सैनिक शक्ति को इसका शासन संभालने देंगे।...भारत की सारी शक्ति काश्मीर के पीछे है। और काश्मीर कानूनी और राजनीतिक रूप में भारतका ही एक अविच्छेद्य अङ्ग है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत

सर बी० एन्० राव ने २९ मार्च, १९५१ को सुरक्षा परिषद् में भारत की ओर से इस प्रस्ताव पर घोषणा की कि प्रस्ताव का मसविदा उन प्रश्नों को पाकिस्तान के पक्ष में दुबारा खोलने की कोशिश करता है जो अगस्त ११४८ के प्रस्ताव के द्वारा निर्णीत किए जा चुके हैं।

"सर्व प्रथम, यह पाकिस्तान को उन विषयों में अधिकार देना है जिनमें उसे आक्रान्ता की हैसियत से पहले के प्रस्ताव में सही तौर पर अस्वीकृत किया गया था। दूसरे, यह प्रमाण पुरुष को महत्त्वपूर्ण निर्णय करने का अधिकार देना है जिनको पहले के प्रस्ताव के अनुसार भारत की स्वीकृति से निश्चित होना आवश्यक है। यह पाकिस्तान के लिए नई सुविधाएँ हैं। परिषद् को यह आश्चर्य करने का विषय नहीं है कि पाकिस्तान इसको स्वीकृत करने के लिए सर्वथा तत्पर है और भारत उसे अस्वीकार करना चाहता है।

"मैं सर ग्लेडविन से केवल यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ब्रिटेन सैनिक सुरक्षा के विषय में जो उसके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हों

ऐसे मामलों का निर्णय कराने के लिए यह मान सकता है कि उसका निर्णय न उसकी सरकार से किया जाए, न उसकी संमति से किया जाए। बल्कि उन प्रमाण पुरुषों से किया जाए जो उसी देशकी संमति से किसी दूसरी शक्ति द्वारा नियोजित हों, जिस देशने ब्रिटिश भूमिपर आक्रमण किया हो।"

उन्होंने यह कहा कि भारत इस प्रस्ताव को किसी भी रूप में स्वीकृत हीं कर सकता।न

९३९९९९१ प्रस्ताव स्वीकृत

३० मार्च, १९५१ को सुरक्षा परिषद् में संशोधित एँग्लो–अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। यद्यपि भारत के प्रतिनिधि सर राव ने इसको भारत की सरकार की ओर से पूर्णतया रद्द कर दिया। प्रस्ताव के पक्ष में ८ मत आए। रूस और युगोस्लाविया ने मत-दान में भाग नहीं लिया।

इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से सुरक्षा परिषद् एक संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधि को नियुक्त करेगी जो दोनों देशों के बीच सेना के निःशस्त्रीकरण के विषय में समझौता कराने का प्रयत्न करेगा और मतभेदों को परिषद् में उपस्थित करेगा जिन पर समझौता न हो सके। उनका निर्णय प्रमाण-पुरुष के द्वारा कराया जाएगा।

प्रस्ताव के स्वीकृत होने से पहले सुरक्षा परिषद् के प्रत्येक सदस्य ने प्रस्ताव के पक्ष में भाषण दिए। किन्तु यह बाद में प्रकट हुआ कि ब्रिटेन और अमेरिका ने टर्की और फ्रांस पर दबाव डालकर मत देने के लिए उन्हें बाध्य किया, कारण वे (अमेरिका और ब्रिटेन) किसी भी प्रकार से काश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने के लिए कटिबद्ध थे।

पाकिस्तान की स्वीकृति

पाकिस्तान के प्रतिनिधि सरजफरुल्ला खां ने २ एप्रिल १९५१ को सुरक्षा परिषद् में कहा कि उनकी सरकार इस प्रस्ताव के हर हिस्से और पहलू को स्वीकार करते है और पाकिस्तान के मान के लिए यही एक मार्ग है।

९५२३ जमींदारी प्रथा का अन्त

१३ जुलाई १९५० को शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने घोषणा की कि नया काश्मीर के सिद्धान्तों के अनुसार रियासत में जमीन की सम्पत्ति होगी और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये पहला कदम यह होगा कि १६० कनाल नाप २० एकड़ से अधिक जमीन कोई व्यक्ति रख नहीं सकता है। अतः बड़े-बड़े जमीदार जिनके पास १,००० कनाल १२५ एकड़ से अधिक जमीन है। उनकी जमीन को कृषकों में बाँट दिया जायगा। ये जमींदार अपने लिए सिर्फ २० एकड़ जमीन रख सकते हैं और उस जमीन को चुनने का भी अधिकार उन्हें होगा उन्हें कोई मुआविजा नहीं दिया जायगा। और न कृषक ही उन्हें कोई मुआवजा देने के योग्य हैं।

१६ अगस्त १९५० को शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में वक्तव्य दिया कि जमीदारों को हरजाना देने का निर्णय काश्मीर का विधान सम्मेलन करेगा। इस सम्मेलन के निर्णय करने तक सरकार जमीदारों को १६० कनाल जमीन रखने के अतिरिक्त जमीन के कर से पहले साल ३।४ हिस्सा, दूसरे साल २।३ हिस्सा और उसके बाद प्रति वर्ष १।२ हिस्सा देगी। परन्तु किसी भी अवस्था में यह रकम किसी भी जमीदार के हिस्से में ३००० रुपये से अधिक न हो सकेगी। सरकार की अनुमति के बिना जमीदारों को जमीन बेचने या दान में देने का अधिकार न होगा।

इस प्रकार के भूमि सुधारों से राज्य के लगभग ३० हजार लोगों को लाभ होगा। राज्य के ४७२ बड़े जमीदार जिनके पास एक हजार कनाल १२५ एकड़ से ज्यादा जमीन है, वह राज्य की खेती योग्य कुल भूमि का १।२० वां हिस्सा है। यह जमीन अब इस भूमि सुधार के नये कानून के अनुसार किसानों की हो जायगी। इन बड़े जमीदारों के पास खेती योग्य लगभग १,४५,००० एकड़ जमीन है जिसमें से ९०,००० एकड़ पर ही खेती होती है। राज्य की वह जमीन जिस पर खेती होती है लगभग १९ लाख एकड़ है।

९५२४ शिक्षा सम्बन्धी सुधार

शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिये सरकार बहुत कुछ कर रही है। इसने नवम्बर १९४८ में देशीय विश्व विद्यालय स्थापित करके एक भारी काम किया है। अतः इस विश्वविद्यालय की परीक्षायें मई १९४९ से आरम्भ हो गईं। शिक्षा को फैलाने के लिए बहुत से नये प्राइमरी स्कूल खोले गये और कई स्कूलों को ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक टैक्स्ट् बुक कमेटी भी बनाई गई है जिसके निर्णय से विद्यार्थियों की नई पाठ्य पुस्तकें लिखी जा रही हैं। राष्ट्रीय भाषा काश्मीरी को उन्नत करने के लिये प्राइमरी शिक्षा को काश्मीरी भाषा में पढाने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

९५२५ सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार

सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रही है। स्वास्थ्य तथा सफाई के सिद्धान्तों को काश्मीरियों को समझाया जा रहा है। धायों की कमी को दूर करने के लिये एक ट्रेनिंग केन्द्र खोला गया है जहां धायों को शिक्षा दी जाती है। सरकार की यह इच्छा है कि हस्पतालों को अधिक उपयोगी बनाने के लिये श्रीनगर के हस्पताल के पुस्तकालय को बाकायदा रखा जाय और इसमें नई वैद्यक सम्बन्धी पुस्तकें मंगाई जायं ताकि सारे डाक्टर तथा अन्य मुलाजम विस्तार तथा उन्नति से वाकफ होकर जनता को अधिक लाभ पहुंचाने में समर्थ हों। मैली-कुचैली गलियों को ठीक करने पर सकार ७,५०,००० रुपये व्यय करेगी।

९५२६ समाचार तथा सूचना भेजना

यह एक अलग विभाग खोला गया है और इसको काफी बढाया जा रहा है। भारत सरकार की सहायता से जम्मू तथा श्रीनगर में दो रेडियो स्टेशन खोले गये हैं जिनमें से जम्मू का स्टेशन एक किलोवाट का है और श्रीनगर का स्टेशन एक किलोवाट का है। इन दो स्टेशनों के स्थापित होने से

लोगों को यथार्थ तथा ताजा समाचार सुनने को मिलते हैं। देशीय भाषा में ब्राडकास्ट करने से भाषा की उन्नति तथा लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त इन स्टेशनों के खुल जाने से स्थानीय कवियों, गानेवालों, तथा सोज व साज जानने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है। जनता तक सारे समाचार पहुंचाने के लिये सरकार ने काश्मीर में १२० और जम्मू प्रान्त में ४५ सुनने के सार्वजनिक स्थान स्थापित किये हैं। इस प्रकार जो लोग रेडियो खरीदने की शक्ति नहीं रखते हैं, वे सुगमता से समाचार सुन सकते हैं। सरकार अधिक से अधिक सुनने के स्थान बनाने पर विचार कर रही है। कई स्थानों पर बिजली न होने के कारण बैटरी पर चलने वाले रेडियो लगाये गये हैं। बैटरियों को फिर से अच्छा बनाने के लिये रियासत में कई स्थानों पर बैटरी चार्ज करने के स्टेशन खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त एक बोलती चलती फिल्म की सहायता से दूर-दूर इलाकों के लोगों को कई आवश्यक विषयों पर शिक्षा दी जा रही है तथा उनका मनोविनोद होता है। अब तक बहुत सी शिक्षा सम्बन्धी तथा सामयिक फिल्में, जिन पर हिन्दुस्तानी और काश्मीरी में टिप्पणी होती है, लोगों को दिखाई गई हैं। इससे लगभग ५० हजार काश्मीरियों को लाभ पहुंचा है।

१९५२७ व्यापार

पाकिस्तान के आक्रमण तथा नाकाबन्दी के कारण रियासत का सारा व्यापार मुर्दा पड़ गया था। परन्तु सरकार ने इसकी ओर ध्यान देकर इसको पुनः जीवित किया। यद्यपि काश्मीर रणभूमि बना था किन्तु फिर भी व्यापार की वृद्धि हुई। रियासती माल की खपत को बढ़ाने के लिये सरकार ने देहली, बम्बई, अमृतसर तथा शिमला में वाणिज्य स्थान खोले। रेशमी माल की अधिक माँग को पूरा करने के लिये रेशम के कारखाने बढ़ाये गये। पिछले वर्षों के ४ लाख रेशमी कपड़े के स्थान पर १९४८में २० लाख कपड़ा तैयार किया। गत वर्षो में प्रति वर्ष काश्मीरसे ११७५ मन कच्चा रेशम बाहर भेजा जाता था। परन्तु पिछले वर्ष १९४८में न केवल यह सारा रेशम

प्रयोग में लाया गया वरन बाहर से भी बहुत मंगाना पड़ा। १९४४-४५ में २९ लाख रुपये के मेवे बाहर भेजे गये थे परन्तु पिछले साल में ६५ लाख रुपये के मेवे भारत भेजे गये। आयात निर्यात को सुगम बनाने के लिये सरकार ने अमृतसर तथा पठानकोट में व्यापार एजेन्सियाँ स्थापित की। सरकार की सहायता तथा यत्नों से निर्यात तथा आयात द्वारा बहुत लाभ हो रहा है। मिश्र तथा अन्य देशों में भी विक्रय स्थान खोले गये हैं। १९४८ में १३ लाख रुपये की इमारती लकड़ी भारत भेजी गई। १९४९ में ५० लाख रुपये की लकड़ी भेजी जानी थी जिसमें मई १९४९ तक २० लाख रुपये की लकड़ी भेजी गई थी।

९५२८ यातायात के साधनों की उन्नति

व्यापार को इतना उन्नत करने में यातायात विभाग का भी हाथ है। असबाब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिये सरकार ने लगभग ३०० छकड़ों को रखा है जो श्रीनगर और पाठानकोट के बीच हजारों मन सामान एकस्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। अतः ट्रकों की मरम्मत के लिये श्रीनगर तथा जम्मू में दो कारखाने खोले गये हैं। भारत सरकार की ओर से छकड़े और भेजे गये हैं तथा पठानकोट बल्कि अमृतसरसे बाकायदा बस सर्विस जारी की गई है।

भारतीय सेना की सहायता से रियासत के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने सड़कों की मरम्मत की तथा कई नई सड़कें और पुल बनवाये। भारतीय सेना ने सहस्रों मील नई पक्की सड़कों के बनाने में ३ करोड़ रुपये व्यय किये। सारी रियासत में सड़कों का जाल बिछाने के लिये सरकार एक स्कीम पर विचार कर रही है। इस स्कीम द्वारा सड़कें बनाने ओर उनकी मरम्मत करने पर सरकार १५ लाख रुपये व्यय करेगी। जम्मू श्रीनगर सड़क को चौड़ा करने के लिये ७०० से अधिक मुलाजिम काम कर रहे हैं तथा मदरवाह, बटोई और रिक्षासी को मिलाने के लिये पक्की सड़कें बनवाई जा रही हैं। जम्मू प्रान्त में उद्धमपुर से रामनगर तक २५

नया काश्मीर—ज़िन्दाबाद !



शेख मुहम्मद अब्दुल्ला—गोपालपुर में सहकारी कृषि संघटन का उद्घाटन कर रहे हैं।

"लाखों पददलितों के आर्थिक प्रश्न का सुलझाव न किया गया तो स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं है।"

शेख अब्दुल्ला

(१८ मार्च, १९५१)

मील लम्बी पक्की सड़क बनाने के लिये सरकार ने २ लाख ५० हजार रुपये मंजूर किये हैं ।

९५२९१ सन्देश तथा पत्र व्यवहार

रियासत के खबर रसानी के विभाग ने भी बहुत काम किया है। टेलीफोन तथा तार की नष्ट हुई लाइनों को पुनः जोड़ दिया गया है। पाकिस्तानी आक्रमण के कारण नष्ट किये गये तार तथा टेलीफोन लाइनों को गुलमर्ग, ओटदी, हिन्दवारा, पटन, सोपोर, बारहमूला, नौशहरा, राजोरी तथा अन्य इलाकों में फिर से ठीक कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त सोनामर्ग से लेकर तथा करगिल तथा लेह की लाइन को फिर से काम के योग्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कुपवारा के रास्ते टीहवाला के साथ एक नई लाइन बनाई गई है। जम्मू के स्वयं चालित टेलीफोन सिस्टम में भी १०० नई लाइनें जोड़ दी गई हैं।

९५२९२ खाद्य पदार्थ

युद्ध के कारण रियासत में खुराक तथा खाने पीने की वस्तुओं में बहुत कमी पैदा हो गई । परन्तु सरकार ने इस कमी को पूरा किया। इसने भारत सरकार से करोड़ों रुपये की वस्तुएं मंगा कर लोगों की आवश्यकता को पूरा किया। १९४८ में बाढ़ के कारण काश्मीर घाटी में गरीब किसानों को बहुत हानि हुई परन्तु सरकार ने इन लोगों की सहायता नकद और जिनसे दोनों से की । सारी रियासत में खुराक बढ़ाओ आन्दोलन आरम्भ किया गया और पैदावार बढ़ाने का काफी यत्न किया जा रहा है। जम्मू प्रान्त में मशीन से काश्त करने का अनुभव किया जा रहा है, ताकि सारी काश्त करने योग्य पृथ्वी को काश्त में लाकर खूराक की समस्या को सदा के लिये हल करके रियासत को आत्मनिर्भर बनाया जाय।

श्रीनगर से ५ मील दूर गोपालपोर में सामूहिक खेती आरम्भ की गई है। शाली की पैदावार को बढ़ाने के लिये चीन की शाली बोयी जा

रही है जिससे द्विगुणित पैदावार प्राप्त की जा रही है। रियासत में राशन का बाकायदा प्रबन्ध है। १९४९ के अन्त तक सरकार ने २० लाख मन शाली मुजवजा से प्राप्त किया।

काश्मीर प्रान्त में खोराक की पैदावार लगभग २० लाख मन बढ़ गई है। इस बढ़ती का कारण ३०,००० एकड़ न उपजाऊ भूमि को पुनः काम में लाना है। जोतने योग्य खेतों की उपज २९.५ प्रतिशत १९४६-४७ से ४८.६ प्रतिशत १९४९-५० बढ़ गई है। इस वर्ष १९४९ में ६,७०,११३ एकड़ जमीन जोती गई।

"काश्मीर छोड़ दो" आन्दोलन के समय जिन लोगों से दंड टैक्स लिया गया था उसे सरकार ने वापस करने की आज्ञा दे दी है। काश्मीर की घाटी में मार्च तथा अप्रैल १९४९ के दो मासों में १८ लाख गज कपड़ा, ४२ हजार मन नमक, ७ हजार मन तेल तथा २ हजार मन से अधिक मिट्टी का तेल बांटा गया।

९५२९३ शरणार्थियों का पुनः बसाव

पाकिस्तानी आक्रमण के कारण रियासत के ६ लाख लोग बेघरबार हो गये हैं। इनको फिर से बसाना सरकार का सबसे पहला तथा भारी काम है। सरकार ने इनको फिर से बसानेके लिये बहुत प्रसंशनीय कार्य किया है। इसने भारतीय सेना की सहायता से जम्मू प्रान्त में ३ लाख शरणार्थियों को फिर से बसाया और इन्हें प्रत्येक आवश्यक वस्तु प्रदान की। परन्तु इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना है और इसके लिये सरकार को करोड़ों रुपये व्यय करने पड़ेंगे।

९५२९४ आर्म्ज़ एक्ट

राष्ट्रीय सरकार ने सबसे पहले आर्मज एक्ट को हटाया जिससे प्रत्येक रियासती बाशन्दे को हथियाररखने का अधिकार दिया गया। नेशनल कांफ्रेंस आरम्भ से ही इस एक्ट को समाप्त कराने के लिये आन्दोलन करती आई थी।

अतः काश्मीर की राष्ट्रीय सरकार ने काश्मीर की पवित्र भूमि से दरिद्रता तथा जहालत को समाप्त करने का प्रण किया है। जो काम इस सरकार ने केवल एक वर्ष में किया उससे अन्य सरकारों को ईर्ष्या हो सकती है।

९५३ काश्मीर सचेत है

काश्मीर जाग उठा है और संसार की कोई शक्ति इसकी स्वतंत्रता को इससे छीन नहीं सकती। 'नया काश्मीर' इसका आदर्श है और इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये कोई भी बलिदान उसके लिये कीमती नहीं है। काश्मीरियों ने निश्चय किया है कि वह अपने अद्वितीय नेता शेरे काश्मीर के नेतृत्व में अपने आदर्श तक पहुंच कर ही दम लेंगे। जैसे उन्होंने गत १७वर्षों में उनके नेतृत्व में तानाशाही को समाप्त किया, ग़ैर जिम्मेदाराना शासन का जनाजा निकाला और काश्मीर में लोक राज स्थापित किया, वैसे ही वह इस जीवन और मृत्यु, स्वतंत्रता और पाराधीनता के प्रश्न के समय उनके नेतृत्व पर स्थिरता से डटे रहेंगे। इन्हें विश्वास है कि काश्मीर आर्थिक दरिद्रता से तभी छुटकारा पा सकता है जब उसका सम्मिलन धनवान तथा प्रजातंत्र देश से हो और इसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो।

काश्मीर का भविष्य बहुत ही उज्वल है और यह देश बहुत आश्चर्यजनक उन्नति कर सकता है। इसके अतिरिक्त यहां के लोग बुद्धिमान, परिश्रमी तथा अच्छे कारीगर हैं। इसलिये काश्मीर आर्थिक अवस्था में बाह्य देशों की ओर न देखेगा। लाखों आदमी कारखानों में जाकर काश्मीर की औद्योगिक पैदावार को बढायेंगे और इस प्रकार जमीन का बोझ हलका करके देश को उन्नत करेंगे। 'नया काश्मीर' कौमी प्रोग्राम है जो लगभग रूस के आर्थिक सिस्टम से मिलता जुलता है। अगर काश्मीर ने इस कौमी प्रोग्राम को कार्यरूप में लाकरदेश के कोने–कोने में कारखानों का जाल बिछा दिया और खेती बाड़ी के लिये कोने कोने में स्थान पर नई मशीनरी का प्रयोग आरम्भ किया तथा निरक्षरता और बेरोजगारी को दूर किया तो काश्मीर शीघ्र एक चमकता हुआ देश बन जायेगा। काश्मीर की जनता का रहन-

सहन काफी अच्छा हो जायगा। और वे दरिद्रता, व निरक्षरता, तथा असभ्यता के गर्त से निकल कर हमेशा के लिये एश्वर्य, आराम, शान्ति और सम्मान का जीवन बिताने के योग्य हो जायेंगे।

९५५ काश्मीर की नौका के कर्णधार

काश्मीर में इस भारी राजनैतिक जाग्रति को पैदा करने वाला एक मनुष्य है। और यह उसी के अनथंक तथा भरसक प्रयत्नों का फल है कि काश्मीर आज स्वतंत्र है और काश्मीर के भाग्य के स्वामी स्वयं काश्मीरी हैं। यह अद्वितीय, मुसलमान, जातिसेवक नेता शेरे काश्मीर शेख अब्दुल्ला हैं जिसने एम० एस सी० की परीक्षा पास करने के पश्चात् सरकारी नौकरी को लात मार कर काश्मीरियों का यथार्थ सेवक बनना स्वीकार किया। इन्होंने अत्यन्त कष्ट तथा कठिनाइयों के होते हुए काश्मीर को स्वतंत्रता दिलाई, यहां लोक राज स्थापित किया, तानाशाही को समाप्त किया तथा राष्ट्रीयता की पताका को भारत भर में कभी झुकने न दिया। यह अटल इरादे वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़निष्ठ रह कर विपत्तियों के तूफान के समय समुद्र में चट्टान की भांति दृढता के साथ खड़ा रहा।

काश्मीरके राजनैतिकजीवनके नेता शेरे काश्मीरही हैं और पिछले १४ साल में काश्मीर की राजनीति में वस्तुतः इन्हीं का प्रभाव रहा है। उन्होंने १९३१ में 'मुस्लिम कांफ्रेंस' की नीव डाल कर १९३९ में नेशनल कांफ्रेंस पैदा की। १९२६ के कौमी मुतालबे को लेकर १९३९ में पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग की। १९४४ में 'नया काश्मीर' की योजना प्रस्तुत की और १९४७ में 'काश्मीर छोड़ दो' का नारा लगाया और आज वही शेरे काश्मीर काश्मीर के भाग्य के निर्माता और करोड़ों दिलों के बादशाह हैं। पाकिस्तान की कमीना चालों और घृणित हरकतों के बावजूद उनका दृढ़ विश्वास कभी हिल न सका। उनके अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय ने काश्मीरियों को पराधीनता की कैद से छुड़ा लिया और उनको मताधिकार दिलाया। काश्मीर की नाव के खिवैया इस समय भी उनका ठीक नेतृत्व कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है

कि काश्मीर की नाव उनके नेतृत्व में अवश्यमेव ही भारत के किनारे लगेगी। काश्मीर हमेशा के लिये भारत की अंगूठी का हीरा रहेगा और काश्मीरी जनता, इसके स्वामी और सारा संसार एक साथ चिल्ला उठेगा और कहेगा :

शेरे काश्मीर––ज़िन्दाबाद...... नया काश्मीर––ज़िन्दाबाद

आज़ाद हिन्दुस्तान––ज़िन्दाबाद।

कलियां हमारे दिल की इस बाग़ में खिलेंगी।
इस ख़ाक से उठी हैं इस ख़ाक में मिलेंगी।। (चकबस्त)

जयहिन्द

निर्देशी

अनुसन्धान अनुच्छेदों का है ।

[सँख्याएं दशमलव के आधार पर हैं ।]

निर्देशी

९३९९४३ पाकिस्तान का उत्तर

प्रस्ताव पर राय जाहिर करते हुए सर मुहम्मद जफरुल्ला खां ने सर शोन की इस व्याख्या पर आपत्ति की कि यह प्रस्ताव 'उत्तरी प्रदेश' के शासन के सम्बन्ध में यू० एन० प्रतिनिधि को उचित और न्याय प्रबन्ध के सुझाने पर कोई पाबन्दी नहीं लगाता। सर जफरुल्लाखां ने कहा "इसका क्या मतलब है? यह एक मौलिक सवाल है। कोई भी परिवर्तन करने का आधार क्या होगा? मेरी सरकार इस वाक्य का अर्थ जानना चाहेगी कि यदि यू० एन० प्रतिनिधि मौके की जाँच के बाद सर्व सम्मत लक्ष्य निष्पक्ष जनमत को अव्यवहार्य समझे तो वह इस लक्ष्य का विरोधी सुझाव देने में स्वतंत्र होगा।

"मान लीजिए एक पक्ष, जो निष्पक्ष जनमत नहीं चाहता, जनमत को अव्यवहार्य बना देने वाली अवस्था पैदा कर देता है। तब यू० एन० प्रतिनिधि के लिए क्या यह कहना उचित होगा कि वह सर्वमान्य राय का विरोधी सुझाव देने में अपने अधिकार सीमा के अन्दर काम कर रहा है।

"प्रस्ताव का मुख्य स्वरूप सन्तोषजनक है और इसकी स्वीकृति विशेष करके ऊपर के प्रश्न की सफाई पर निर्भर करेगी।"

९३९९४४ प्रस्ताव स्वीकृत

सुरक्षा-परिषद ने १४ मार्च १९५० को काश्मीर में एक मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव के पक्ष में आठ मत आये और विपक्ष में एक भी नहीं। परिषद के अध्यक्ष डा० वितूला फ्रन्टे, इक्वेडोर, ने कहा:

"प्रस्ताव वस्तुपरक और न्याय दोनों है और निष्पक्ष भी। इसमें दोनों पक्षों को झगड़े का हल ढूंढ़ने में सहायता करने की कोशिश की गई है।"

राय लेने के तुरन्त बाद, एम० निनसिक (युगोस्लाविया) ने कहा "काश्मीर के सवाल को एकदम दो दलों के बीच जिच्च नहीं सम-

झना चाहिये परन्तु उसे वहाँ के जनता के हित की दृष्टि से देखना चाहिये। और परिषद की प्रत्येक प्रस्तावित कार्यवाही को इस दृष्टि से खूब तोल लेना चाहिये कि भारत और पाकिस्तान की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।"

९३९९४५ भारत की अस्थायी स्वीकृति

सर बी० एन० राव ने १४ मार्च ५० को सुरक्षा-परिषद में कहा:

"मेकनाटन प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार की स्थिति को मैंने अपने ९ मार्च के वक्तव्य में दोहराया था। मेरी सरकार अब भी उस पर दृढ़ है और अपनी राय बदलने के लिए कोई कारण नहीं देखती, बशर्तें कि मेरी सरकार उस प्रस्ताव को मंजूर कर ले"।

९३९९४६ पाकिस्तान की स्वीकृति

१४ मार्च को सर जफरुल्ला खां ने सुरक्षा-परिषद में प्रस्ताव पर पाकिस्तान की स्वीकृति देते हुए कहा:

"मुझे परिषद को यह याद दिलाने की शायद ही आवश्यकता हो कि इस प्रस्ताव के प्रति पाकिस्तान का रवैया सामान्यतया यह रहा है कि वह मेकनाटन प्रस्ताव पर आधारित हो।"

९३९९४७ विरोधी दृष्टिकोण

प्रस्ताव को स्वीकार करते समय भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये। भारत की स्वीकृति उन शर्तों के साथ है, जो सर बी० एन० राव ने अपने भाषण में ७ फरवरी ५० को बताई थी और ८ तथा १४ मार्च को जिन्हें फिर दोहराया था। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह मेकनाटन प्रस्तावों को, क्योंकि उसे उन पर आपत्ति है। कार्यान्वित नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान के प्रतिनिधि सर मुहम्मद जफरुल्लाखां ने इस प्रस्ताव को, क्योंकि वह मेकनाटन प्रस्तावों पर आधारित है, स्वीकार कर लिया।

मेकनाटन के असेनीकरण के सिद्धान्त पर भारत और पाकिस्तान की अपनी अपनी व्याख्या के कारण और उस पर उनके विरोधी संशोधनों के कारण इस नये प्रस्ताव पर भारत और पाकिस्तान की स्वीकृति को अनिश्चित ही समझना चाहिये।

९३९९५ मध्यस्थ नियुक्त

सर ओवन डिक्सन, आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और वहाँ के कानूनदानों में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हैं। वे काश्मीर में यू० एन० के प्रतिनिधि स्वीकार कर लिये गये। सुरक्षा-परिषद ने १२ अप्रेल ५० को उनकी यथाविधि पुष्टि कर दी।

इससे पहले अद्मिरल निमित्ज और डा० राल्फ बुन्चे, जो पहले फिलस्तीन में स्थानापन्न मध्यस्थ का कामकर चुके थे, के नाम मध्यस्थ के लिए सुझाये गये थे परन्तु वे भारत ने स्वीकार नहीं किये।

९३९९५२ डिक्सन के प्रयत्न

सर ओवन डिक्सन २६ अप्रेल सन् १९५० को सिडनी से लेकसक्सेस के लिये रवाना हुए और २१ मई तक इस प्रश्न से सम्बद्ध जानकारी प्राप्त करके २७ को भारत पहुंचे। भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से नई दिल्ली में कई बार मिले और भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद तथा भारत के उपप्रधान मंत्री से भी मिले। इन भेंटों के समय भारत का पक्ष इनके सामने उपस्थित किया गया।

नई दिल्ली आने से पहले सर डिक्सन में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री लियाकत अली खां से दो बार मिले जो उन दिनों अमेरिका का दौराकर रहे थे। इसके अतिरिक्त सर डिक्सन तीन सप्ताह से अधिक काश्मीर के सवाल को समझने के लिये लेकसेक्सस में रह चुके थे।

सर डिक्सन जून ५० को दिल्ली से कराँची गये। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री सर मुहम्मद जफरुल्ला खां और काश्मीर मंत्री नवाब

मुश्ताक अहमद गुरमानी से कई भेटें की। इन भेटों में उनके सम्मुख पाकिस्तान का पक्ष रखा गया।

इसके बाद सर डिक्सन ७ जून को श्रीनगर गये जहाँ काश्मीर के प्रधान मंत्री से बातचीत की और 'युद्ध रोको' सीमा के दोनों ओर जाकर परिस्थिति का स्वयं निरीक्षण किया। उन्होंने सवाल को प्रत्येक पहलू से समझने की कोशिश की।

९३९९५२ संयुक्त सम्मेलन

जून १९५० में सर डिक्सन फिर नई दिल्ली आये और पं० नेहरू से भेंट करने के पश्चात् कराची चले गये। इसके बाद उन्होंनें समझौता कराने के लिये २० जुलाई १९५० को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त सम्मेलन बुलाया जो पाँच दिन तक होता रहा। इसमें डिक्सन साहब बराबर शामिल होते रहे। इस सम्मेलन में सेनाओं को निःशस्त्र करने और राज्य में सही जनमत गणना कराने के लिये आवश्यक स्थिति पैदा करने का यत्न किया गया। परन्तु पाकिस्तान की इस माँग के कारण सब प्रयत्न विफल रहे कि पाकिस्तानी सेना के साथ साथ भारतीय सेना और राज्य मिलिशिया को भी निःशस्त्र कर दिया जाय। इस सम्मेलन से अलबत्ता यह साफ हो गया कि वर्तमान स्थिति में राज्य में निष्पक्ष जनमत गणना असंभव है।

९३९९५३ अन्य प्रस्ताव

प्रधान मंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन की निष्फलता के बाद भी सर डिक्सन ने समझौता कराने का प्रयत्न जारी रखा और वे पं० नेहरू और भारत के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से मिले तथा उनके सामने ६ अन्य प्रस्ताव रखे। ३० अगस्त तक दिल्ली में रहने के बाद सर डिक्सन कराची गये और वहाँ श्री लियाकतअली खां तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिये अनुरोध किया। इन अन्य प्रस्तावों

में एक प्रस्ताव विभाजन का था, जिस पर सर डिक्सन विशेष जोर देते थे। इस बीच वे एक बार पुनः दिल्ली आये और पं० नेहरू से विचार विनिमय करके वापस कराची चले गये। भारत विभाजन के प्रस्ताव पर भी विचार करने को तैयार हो गया बशर्ते कि किसी भी हालत में पाकिस्तान को भारत की समानता का पद न दिया जाय। इसके पीछे भारत की यह इच्छा काम कर रही थी कि काश्मीर के झगड़े का निबटारा शीघ्र हो जाय। परन्तु पाकिस्तान ने असत्य की विजय की खातिर विभाजन के प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया। बाद में वह इस पर गौर करने के लिये तैयार हुआ बशर्ते कि काश्मीर की वर्तमान वैधानिक सरकार को तोड़ दिया जाय और राज्य को राष्ट्र-संघ के अधिकार में दे दिया जाय। भारत ने ऐसी कुत्सित शर्त के साथ विभाजन पर विचार करने से इनकार कर दिया।

१९४९-१९५४ नया प्रस्ताव

१५ अगस्त को सर डिक्सन ने पं० नेहरू को कराची से एक तार भेजा, जिसमें कहा :

"मुझे यहां काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, परन्तु अब वे सब समाप्त हो गई हैं।

"पाकिस्तान इस आधार पर सम्मेलन में भाग लेने के लिये तैयार हो गया कि मेरी योजना में निहित सीमित जनमत गणना की शर्त को मान लिया जाय।"

काश्मीरियों को सत्ताच्युत करने की चाल

"मैं आपको पहले ही यह बता देना चाहता हूं कि मेरी योजना में एक शर्त यह है कि जनमत गणना लिये जाने वाले सीमित क्षेत्र में मतगणना का परिणाम घोषित किये जाने तक एक ऐसी सरकार होगी, जिसका प्रधान, मत गणना शासक या उसका प्रतिनिधि होगा। राष्ट्र-संघ के अन्य अधिकारी भी उसके सहायक होंगे। यदि किसी काम के लिये

वह आवश्यक समझेंगे तो उनकी प्रार्थना पर दोनों पक्षों को अपनी सेना भेजनी होगी । वे इसका प्रबन्ध करेंगे कि काश्मीर की जनता के सामने भारत और पाकिस्तान समान रूप से अपना पक्ष रख सकें ।

"यह शर्त मैंने इसलिये रखी है कि जनमत गणना स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सके । इस पर आप को कोई आपत्ति है ? यदि है तो कृपया मुझे सूचित करें । नहीं तो अब केवल योजना तैयार करने का काम ही मेरे लिए शेष रह जाता है ।"

१३१९५५ भारत सरकार का इन्कार

१६ अगस्त को पं० नेहरू ने सर डिक्सन को तार से उत्तर भेजा :

"आपकी योजना से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । जनमत गणना सम्बन्धी मुख्य शर्त एक दम नई है । पिछले दो वर्ष से अधिक के अर्से में उसकी कभी चर्चा नहीं हुई ।"

जनमत-गणना का विरोध नहीं

"हमने पूरे राज्य में जनमत लेने का कभी विरोध नहीं किया । परन्तु आपने यह समझ कर कि ऐसी जनमत गणना के लिये प्राथमिक शर्तों के सम्बन्ध में समझौता होना असंभव है, कुछ नये सुझाव रखे थे । इस आधार पर मैंने आपको यह सूचना दी थी कि यदि पाकिस्तान तैयार हो तो भारत सीमित जनमत गणना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये तैयार है ।"

काश्मीर ही अपना निर्णायक

"हमारा सदैव यह मत रहा है कि जनमत गणना की स्थिति में काश्मीर की जनता ही अपने भविष्य का निर्णय करे । इसलिए मेरे विचार से उनकी जनमत गणना में भाग लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं हो सकता ।

"जो कुछ भी हो, परन्तु हमारे विचार से राज्य की सुरक्षा को

खतरे में नहीं डाला जा सकता। हमें एक बार आक्रमण का कटु अनुभव हो चुका है। दुबारा उस प्रकार का खतरा हम नहीं उठा सकते। किसी भी दशा में हम पाकिस्तानी सेना को जनमत गणना के प्रदेश में नहीं आने देंगे।"

९३९९५६ डिक्सन का स्पष्टीकरण

१८ अगस्त को सर डिक्सन ने नेहरू जी के उपर्युक्त तार के उत्तर में एक तार दिया :

"इस योजना के अनुसार, जनमत गणना के लिये सीमित प्रदेश को छोड़ कर जब काश्मीर और जम्मू का बाकी प्रदेश भारत और पाकिस्तान में एक बार बांट दिया जायगा, तब दोनों राष्ट्रों का अपने अपने प्रदेशों पर वैधानिक अधिकार हो जायगा। उस समय उस प्रदेश में पाकिस्तान आक्रामक नहीं कहा जा सकेगा।

राष्ट्रसंघ का शासन आवश्यक

"जनमतगणना के सीमित प्रदेश में जनमत-शासक के अधीन राष्ट्र का शासन काश्मीर सरकार के उसी प्रकार अधीन होगा जिस प्रकार किसी अन्य प्रान्त या जिले का शासन विभाजन में पाकिस्तान को दिये गये प्रदेश के अलावा बाकी प्रदेश भू पर काश्मीर सरकार का पूरा पूरा राज्य रहेगा। जनमत गणना के क्षेत्र में उसकी बहुत सी व्यवस्था वैसी ही चलती रहेगी। परन्तु वहां नियंत्रण राष्ट्र-संघ का रहेगा। निष्पक्ष और उचित जनमत गणना के लिये तथा उसके सम्बन्ध में सभी शंकाओं को दूर करने के लिये उस क्षेत्र में राष्ट्र-संघ की अस्थायी शासन व्यवस्था को मैं आवश्यक समझता हूं।"

९३९९५७ डिक्सन का अन्तिम उत्तर

"मैं मूलभूत प्रश्न के सम्बन्ध में दोनों सरकारों में समझौता कराने में असमर्थ रहा हूं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों

राष्ट्रों की सेनाएं युद्ध बन्दी की सीमा के दोनों ओर भविष्य में भी युद्ध के लिये तैयार खड़ी रहें। उस लाइन पर आने और जाने वालों का नियंत्रण पुलिस चौकियों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि दो मित्र राष्ट्रों की परस्पर स्थल सीमाओं पर हुआ करता है। ऐसी स्थिति लाने के लिए एक सैनिक योजना आवश्यक है। मेरी राय में यह काम पूर्णतः दोनों राष्ट्रों के सेना नायकों का है।

"मेरा निवेदन है कि एक पखवाड़े के अन्दर ही ऐसी मीटिंग हो जानी चाहिए।"

९३९९५८ भारत सरकार का रुख

पं० नेहरू ने सर डिक्सन के उत्तर में २७ अगस्त को कहा :

"हम इस समय भारत और पाकिस्तान के सेना नायकों के बीच मीटिंग को हितकर नहीं समझते। परन्तु हम स्वेच्छा से, काश्मीर और जम्मू में स्थित भारतीय सेना में २० से २५ प्रतिशत तक कमी करने के लिये तैयार है। चौकियों द्वारा युद्धबन्दी लाइन की रखवाली करने का सुझाव व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। जब तक काश्मीर के झगड़े का फैसला नहीं हो जाता तब तक संभावित आक्रमण से रक्षा करने के लिये प्रभावकारी उपाय आवश्यक हैं।"

९३९९५९ डिक्सन का बयान

२४ अगस्त १९५० को सर डिक्सन ने कराची से अपनी असफलता स्वीकार करते हुए १००० शब्दों का एक बयान प्रकाशित किया :

"मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि काश्मीर के झगड़े को शीघ्र हल करनेके लिए भारत और पाकिस्तान सरकारों में समझौते की कोई संभावना नहीं है।

"मैंने दोनों राष्ट्रों के प्रधान मंत्रियों को मिलने के लिये २० जुलाई को दिल्ली बुलाया। मैंने उचित जनमत गणना के लिये अन्य

आज़ादी के लिए ख़ून



राष्ट्रीय रक्षा दल

"काश्मीरी गान्धी जी के ध्वज को ऊंचा रखने के लिए और आक्रमण-कारियों से अन्त तक मुक़ाबला करने के लिए सर्वथा कटिबद्ध हैं, जिस के परिणाम स्वरूप काश्मीर की भूमि पर ही द्विराष्ट्रसिद्धान्त का अन्तिम शवदाह किया जा सकेगा।"

शेख मुहम्मद अब्दुल्ला
(१७ अगस्त १९४८)

सुझाव भी रखे। परन्तु यह स्पष्ट हो गया कि मेरे सुझावों में से एक को भी भारत के प्रधान मंत्री स्वीकार नहीं कर सकते थे तथा दोनों पक्षों ने और ही सुझाव पेश किये। अन्त में दोनों प्रधानमंत्री इसी नतीजे पर पहुंचे कि जनमत गणना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के सम्बन्ध में समझौते होने की कोई संभावना नहीं है।

"ऐसी परिस्थिति में मैंने अन्य उपायों पर विचार करना आवश्यक समझा। इसलिए मैंने दोनों प्रधान मंत्रियों से संभावित प्रस्तावों पर विचार करने का निवेदन किया।

विभाजन योजना

"एक प्रस्ताव यह था कि जिस प्रदेश के निवासियों की इच्छा पहले से मालूम है उन्हें उनकी इच्छानुसार भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाय। यह करते समय भौगोलिक तथा राजनैतिक परिस्थिति का ध्यान रखा जाय। लेकिन जिस प्रदेश की इच्छा मालूम न हो, उस प्रदेश में जनमत गणना हो। इस प्रकार जनमत गणना एक सीमित क्षेत्र में की जाय।

"मुझे मालूम हुआ कि भारत समझौते के लिये इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है और इसको कार्यान्वित करने के लिए उसके पास कुछ सुझाव भी हैं.......परन्तु पाकिस्तान सरकार इस बात पर अड़ी रही कि काश्मीर कमीशन के गत प्रस्तावों के अनुसार जनमत पूरे कश्मीर में होनी चाहिए।

"जनमत गणना के बिना भी, विभाजन से झगड़े का निबटारा हो सकता था। परन्तु इस हालत में प्रत्येक पक्ष काश्मीर की घाटी को प्राप्त करने की जिद्द करता।

"इस स्थिति में कोई और सम्मेलन बुलाना बेकार था। भारत और मुझ में इतना मतभेद था कि मैंने अपना प्रस्ताव पेश करना बन्द कर दिया। मेरे लिए अब कोई काम नहीं रहा..... मैं अब स्वभावतः सुरक्षा-परिषद में अपनी रिपोर्ट पेश करूंगा।

"मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इस गुत्थी को सुलझाने के सवाल पर इतने विचार के बाद भी दोनों सरकार परस्पर समझौता न कर सकीं।"

९३९९५९२ पाकिस्तान का बयान

२३ अगस्त १९५० को श्री लियाकत अली खां ने करांची में प्रेस कान्फ्रेन्स में एक बयान दिया जिसमें कहा :

"भारत का काश्मीरसे सेना हटाने से इनकार करना राज्य में स्थित सेना को निःशस्त्र करने में बाधक हुआ है और भारत ने उत्तरी प्रदेश के शासन को अपने हाथों में लेने की मांग करके 'युद्ध बन्दी' लाइन को भी पार करने की कोशिश की है।

"राज्य में सेना को निःशस्त्र करने में रुकावट डालने के बावजूद भारत के प्रधान मंत्री ने उत्तरी प्रदेश और 'आजाद काश्मीर' के शासन को अपना हक बताया, जो न केवल अनुचित था बल्कि स्वीकृत समझौते के खिलाफ था।

"सर डिक्सन ने जनमत गणना के बिना समझौता कराने की इच्छा प्रगट की। उनके मन में यह योजना थी कि केवल कश्मीर की घाटी में जनमत गणना हो और बाकी राज्य को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाय। हमने कहा . . .पाकिस्तान १३ अगस्त १९४८ और ५ जनवरी १९४९ के प्रस्तावों पर दृढ़ है जिनके अनुसार कश्मीर और जम्मू राज्य के भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के प्रश्न का निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत गणना द्वारा किया जाना चाहिए।

"सर डिक्सन ने विभाजन तथा सीमित क्षेत्र में जनमत गणना के आधार पर बातचीत की। शीघ्र ही यह मालूम हो गया कि भार तइस सीमित क्षेत्र में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत गणना के लिये तैयार नहीं है।

"यह स्पष्ट है कि भारत उस प्रदेश में भी स्वतंत्र जनमत गणना

के लिये तयार नहीं है जहां वह स्थानीय जनता के समर्थन का दावा करता है। भारतीय सेना वहां पर हो, भारत की सहायता से बनाई हुई सरकार वहां पर राज्य करती हो और पाकिस्तान को वहां पर घुसने की इजाजत न हो, इन शर्तों पर लिया गया जनमत पूर्णतः नकली होगा।

"विश्व को अब यह मान लेना चाहिए कि भारत का अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने से इनकार करना ही सही जनमत गणना के रास्ते में बाधक है।

"मुसलमान राज्य में हिन्दू महाराजा के अत्याचार की सहायता से भारतीय सेनाओं का कश्मीर पर अधिकार करना उस पर आक्रमण ही है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान ही की आर्थिक नाकाबन्दी करना और उसे घेरलेना है। सुरक्षा-परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार भारत का अपनी सेना को हटाने से इनकार करना राष्ट्र-संघ को एक चुनौती है। सुरक्षा-परिषद् पर एक भारी उत्तरदायित्व आ पड़ा है। उसे परिस्थिति को समझना और यह देखना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को कार्यान्वित किया जाता है या नहीं। पाकिस्तान सरकार और जनता तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक वे कश्मीर को स्वतंत्र नहीं कर लेंगे और वहां की जनता को अपने भविष्य का निर्णय करने के लिए परिस्थिति पैदा नहीं कर देंगे।"

१३९९५९३ भारत का बयान

२४ अगस्त १९५० को पं० नेहरू ने नई दिल्ली की प्रेस कांफ्रेंस में काश्मीर के सम्बन्ध में अपने वक्तव्य में कहा :

"सर डिक्सन की सीमित क्षेत्र में जनमत लेने के लिए शर्तें और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा समझौते के लिए किए गये प्रयत्नों की असफलता की जिम्मेवारी भारत पर डालना एक आश्चर्यजनक पहेली है। जनमत गणना को निष्पक्ष बनाने के फेर में सर डिक्सन अपने प्रस्ताव द्वारा ९०

प्रतिशत विजय तो पाकिस्तान को पहले ही दे देते हैं। पाकिस्तान अब भारत को ही आक्रामक कहने लगा। 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे।''

''मेरी राय में तमाम झगड़े की जिम्मेवारी शत प्रतिशत पाकिस्तान की है और सर डिक्सन के प्रयास की असफलता के बाद हम फिर वहीं लौट आते हैं जहां से चले थे। सीमित जनमत गणना के सम्बन्ध में सर डिक्सन के दिमाग में कुछ और भी प्रस्ताव थे। एक था काश्मीर की वर्तमान सरकार के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय शासन।

इस प्रस्ताव से हमें अत्यन्त आश्चर्य हुआ। गत ढाई वर्ष से अधिक के अर्से में ऐसा प्रस्ताव भी कभी नहीं रखा गया और यदि रखा भी जाता तो उसे हम उसी दम अस्वीकार कर देते।

''हमें कभी यह नहीं कहा कि पाकिस्तानी सेना की वापसी और हमारी सेना की वापसी समानता के आधार पर होगी। कश्मीर की रक्षा हमारी जिम्मेवारी मान ली गई थी। यह भी स्वीकार कर लिया गया था कि कश्मीर पर आक्रमण किया गया है तथा हमें फिर से अपनी सेना हटा कर आक्रामक को मौका नहीं देना चाहिए।

''शुरू से ही हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे जो कश्मीर के लिए अहितकर हो, जो हमारी प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध हो और जो भारत की प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। हम अब भी इसी स्थिति पर दृढ़ हैं।

''मैंने इसे 'आश्चर्यजनक व्यापार' कहा है। वह इसलिए कि आक्रामक आता है। हम शान्ति रखने की इच्छा से एक के बाद एक बात मानते जाते हैं। समय आता है आक्रामक हर बात में हम से समानता की मांग करता है और कुछ ही समय के पश्चात् आक्रामक सब बातों में अपने लिए श्रेष्ठता का दावा करता है। राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सभी दृष्टि से यह स्थिति बड़ी भयानक है।''

आक्रामक का तुष्टीकरण

''मुझे कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण ज्ञात नहीं है जब जनमत गणना के

समय शासन का भार सरकार की ओर से किसी जनमत गणना या आयोग शासक को सौंप दिया गया हो या ऐसा प्रस्ताव किसी सरकार ने मंजूर किया हो, सिवाय ऐसी हालत के जहां और जब सरकार ही काम न कर रही हो।"

"काश्मीर की वर्तमान सरकार को हटाने का प्रस्ताव आक्रामक को सन्तुष्ट करने का प्रस्ताव है, वह संसार के सामने इसकी घोषणा है कि आप आक्रामक की सफलता चाहते हैं।"

"निष्पक्ष जनमत गणना के लिये सरकारें नहीं बदली जाती। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसका एकदम उलटा करते हैं और जनमत को निष्पक्ष बनाने के रास्ते में एक बाधा बन जाते हैं।"

प्रस्ताव अस्वीकार

"हमने बार बार कहा है, जितना निरीक्षण आप करना चाहें कीजिए। सैकड़ों नहीं हजारों परीक्षक बुला लीजिए और राज्य के कोने कोने में, प्रत्येक चौराहे पर, और प्रत्येक निर्वाचन स्थल पर जहां भी चाहें उन्हें बैठा दीजिए। परन्तु परीक्षकों को ही सरकार बना देना दूसरी बात हो जाती है।"

"मेरी राय में इस प्रश्न को सुलझाने का यह ढंग एक दम युक्तिहीन और असंगत है। जो भी परिणाम हो, भारत सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकी।"

आक्रामक कौन ?

"असली सवाल है, आक्रामक कौन है ? हमारा कहना है पाकिस्तान आक्रामक है। सुरक्षा-परिषद इस सीधे-सादे सवाल का उत्तर देने में आनाकानी करती रही है। यही हमारी परेशानी है।

"श्री लियाकतअली खां ने कल कहा है कि हमने कश्मीर पर आक्रमण किया है। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इसी सवाल पर कानूनी, वैधानिक और व्यावहारिक प्रत्येक पहलू से विचार किया जाय। इस मूल बात पर विचार न करना ही सारी परेशानी का कारण है।"

पाकिस्तानी चाल

"हमने जनमत के सम्बन्ध में कोई नया प्रस्ताव इसलिए नहीं रखा

क्योंकि पाकिस्तान हरबार जनमत गणना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्राप्त करने का यत्न करता रहा है। उस का यह रुख रहा है कि स्वयं तो वह किसी बात का वचन नहीं देता और दूसरे के वचन से लाभ उठाने का यत्न करता रहा है।

भारत का मत

"हम काश्मीर कमीशन के १८ अगस्त १९४८ और ५ जनवरी १९४९ के प्रस्तावों पर, उनकी हम को बताई गई व्याख्या के आधार पर, अब भी दृढ़ हैं।"

"हमने शुरू से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरे राज्य पर, पाकिस्तान अधिकृत प्रदेश को लेकर, कश्मीर सरकार की प्रभुसत्ता है।"

"हम जनमत गणना से अलग रहने के लिये तैयार हैं और पाकिस्तान को भी जनमत गणना से निश्चय ही पृथक रहना चाहिए।"

९३९९५९४ डिक्सन की रिपोर्ट

सर डिक्सन ने १९ सितम्बर १९५० को सुरक्षा-परिषद में अपनी अस्सफलता की रिपोर्ट पेश की जिसमें यह स्पष्ट घोषित किया गया कि सशत्र-कबाइलियों का कश्मीर में घुसना और पाकिस्तानी सेना का कश्मीर की सीमा में प्रवेश करना दोनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भंग किया गया। डिक्सन साहब ने कहा :

पाकिस्तान आक्रामक

"१ जनवरी १९४९ से ही, जब कश्मीर का झगड़ा सुरक्षा-परिषद के सामने पेश किया गया, भारत ने बार बार यह कहा है और जिसका मैंने भी अपनी रिपोर्ट में जिकर किया है कि पाकिस्तान आक्रामक राष्ट्र है तथा राष्ट्र-संघ को वैसी घोषणा कर देनी चाहिए। भारत के प्रधान मंत्री ने हमारी मीटिंग के शुरू में इसी बात को फिर दोहराया और मीटिंग के दौरान में भी कई बार इसकी मांग की कि पाकिस्तान को आक्रामक घोषित कर देना चाहिए।"

"मैंने कहा पहले तो सुरक्षा-परिषद् ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, दूसरे इसका न मुझे अधिकार है और न मैंने इस विषय की कानूनी जांच ही की है। किन्तु तीसरे इस विषय के कारणों में बिना जाये, क्योंकि इसके कारण इस उपमहाद्वीप के इतिहास का एक अंग बन गये हैं, मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि कबाइली लोगों ने २० अक्टूबर ४७ को काश्मीर और जम्मू राज्य की सीमा में प्रवेश करके अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भंग किया और इसी प्रकार २ मई १९४८ में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर सीमा में दाखिल होकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून की खिलाफवर्जी की ।"

असैनीकरण का कार्यक्रम

"इसलिए मैंने सुझाया कि असैनीकरण की दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि एक निश्चित दिन से शुरू करके पाकिस्तानी सेना कश्मीर से हट जाय। इसके काफी दिन बाद 'युद्ध बन्दी' लाइन के दोनों तरफ यह काम जहां तक हो सके साथ-साथ हो।"

"मैंने मांग की : १. भारतीय सेना वापस चली जाय २. कश्मीर व जम्मू राज्य की सेना वापस हो अथवा निःशस्त्र कर दी जाय और तोड़ दी जाय। ३. कश्मीर व जम्मू का नेशनल मिलिशिया भी तोड़ दिया जाय।

पाकिस्तान में मैंने मांग की कि वह १. आजाद कश्मीर सेना उत्तरी स्काउटों को निःशस्त्र तथा भंग कर दें।

"मैंने कहा कि कुछ, संभावित कारणों के अलावा वहां सेना की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती।

"भारत के प्रधान मंत्री ने कई कारणों से मेरी इस योजना को अस्वीकार कर दिया। उन सब कारणों को यहां बताना असंभव है।

"पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने इस पर विचार तक नहीं किया।

"असैनीकरण के लिए मेरा प्रयत्न निष्फल हो गया। दोनों पक्षों में से किसी ने भी इस कठिनाई को हल करने के लिए कोई नया सुझाव भी नहीं रखा।

स्वतंत्र जनमत हो

"मैंने जनमत गणना स्वतंत्र हो इस दृष्टि से कुछ शर्तें पेश की।

१. प्रत्येक जिला मेजिस्ट्रेट के साथ राष्ट्र-संघ का एक अधिकारी नियुक्त किया जाय।

२. उसे मेजिस्ट्रेट और उसके नीचे के सारे अधिकारियों के लेख तथा कार्रवाई देखने का अधिकार हो।

३. उसका काम निरीक्षण, प्रेक्षण, विरोध प्रदर्शन और रिपोर्ट करना होगा।

४. उसकी अनुमति प्राप्त किये बिना मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आज्ञा जारी न कर सकेगा।

"भारत के प्रधान मंत्री ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे सरकार के पूर्ण रूप से कर्तव्य पालन में बाधा पड़ सकती है।

एक सरकार की योजना

"मैंने जनमत गणना की अवधि के लिये पूरे काश्मीर में एक सरकार बनाने की योजना पेश की और उसके लिए सम्मिलित सरकार का सुझाव रखा।

"भारत के प्रधान मंत्री को इनमें से एक भी बात पसन्द न आई।

विभाजन योजना

"पाकिस्तान, के प्रधानमंत्री के रुख के बावजूद, मैंने यह अनुभव किया कि जब तक काश्मीर का विभाजन न कर दिया जाय अथवा केवल कश्मीर घाटी के सीमित क्षेत्र में जनमत लेकर बाकी राज्य को न बांट दिया जायगा तब तक काश्मीर के झगड़े का निबटारा असंभव है।

"इस सम्बन्ध में भारत का निश्चित रुख जानने के लिये मैं कुछ समय दिल्ली में रुका रहा। काफी विचार के बाद मुझे बताया गया कि कुछ निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर भारत सरकार कश्मीर प्रश्न के समझौते की दृष्टि से विचार करने के लिए तैयार है। वे सिद्धान्त ये थे :